# विषय सूची

## सामान्य म.प्र.


1. मध्यप्रदेश का परिचय
4. मध्यप्रदेश का इतिहास
5. मध्यप्रदेश का भूगोल
6. मध्यप्रदेश की नदियाँ
7. मध्यप्रदेश की जलवायु
8. मध्यप्रदेश की मिट्टी
9. मध्यप्रदेश की कृषि
10. मध्यप्रदेश के खनिज
11. मध्यप्रदेश के उद्योग
12. मध्यप्रदेश में ऊर्जा
13. मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था
14. मध्यप्रदेश की जनसंख्या
15. मध्यप्रदेश की राजव्यवस्था
16. मध्यप्रदेश में कला एवं संस्कृति
17 मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य
18. मध्यप्रदेश में पुरस्कार


## सामान्य ज्ञान


1. भारत का इतिहास
2. भारतीय संस्कृति
3. भारतीय भूगोल
4. राजव्यवस्था
5. अर्थव्यवस्था
8.खेल-कूद
9. विविध

# मध्यप्रदेश का परिचय

- मध्यप्रदेश का गठन - 1 नवम्बर 1956 को हुआ।
- मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस - 1 नवम्बर को मनाया जाता है।
- मध्यप्रदेश का वर्तमान स्वरूप - 1 नवम्बर, 2000
- म.प्र. का नामकरण - पं. जवाहरलाल नेहरू ने किया था
- म.प्र. का पूर्व नाम - **सेन्ट्रल प्रोविन्स एवं बरार**
- वर्ष 1947-56 तक मध्य प्रदेश क्षेत्र के चार पार्ट थे -
  1. C.P. बरार - P-A
  2. मध्य भारत - P-B
  3. विंध्य प्रदेश - P-C
  4. भोपाल स्टेट - P-C
- मध्यप्रदेश के अन्य नाम - हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका।
- म.प्र. क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य है।

## मध्यप्रदेश का विस्तार

- $21^{o}6'$ N (उत्तरी अक्षांश)- $26^{o}30'$ N
- $74^{o}9'$ E (पूर्वी देशांतर) - $82^{o}48'$ E
- म.प्र. की लम्बाई 605 किमी.है।
- म.प्र. की चौड़ई 870 किमी.है।
- मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल - 308.255 वर्ग कि.मी.।
- मध्यप्रदेश देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% भाग अवस्थित है।
- म.प्र. का आकार आयताकार है।
- म.प्र. पूर्णतः - स्थल रूद्ध (Land Locked) है।
- म.प्र. की सीमा अन्य पाँच राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है।
- ये राज्य क्रमशः UP, RAJASTHA, GUJARAT, MAHARASHTRA, CHHATTISGARH.
- राज्य की सीमा सबसे ज्यातार उत्तरप्रदेश से लगती है।
- राज्य की सीमा सबसे कम गुजरात से लगती है।
- म.प्र. की सीमा राजस्थान के साथ 10 जिलों को स्पर्श करती है।
- म.प्र. की सीमा U.P. के 11 जिले को स्पर्श करती है।
- MP की सीमा छत्तीसगढ़ के 6 जिलो को स्पर्श करती है।
- म.प्र. अक्षांशीय दृष्टि से - उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है।
- वहीं मप्र देशान्तर दृष्टि में दक्षिण गोलार्द्ध में स्थित है।
- म.प्र. का अंक्षाशीय विस्तार - $5^{o}34'$
- म.प्र. का देशान्तरीय विस्तार - $8^{o}46'$
- म.प्र. के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है।
- म.प्र. का सर्वाधिक उत्तरी जिला - मुरैना / भिण्ड
- म.प्र. का सर्वाधिक दक्षिणी जिला - बुरहानपुर
- म.प्र. का सर्वाधिक पूर्वी जिला - सिंगरौली है।
- म.प्र. का सर्वाधिक पश्चिमी जिला- अलीराजपुरा है।

## कर्क रेखा

- कर्क रेखा म.प्र. के 14 जिलों से होकर गुजरती है। **(जैसे- रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सिहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल)**

## राज्य के प्रतिक चिह्न

- राजकीय पुष्प - लिली है।
- राजकीय पशु - बारहसिंग (ब्रेडरी प्रजाति का)
- राजकीय पक्षी - दूधराज (शाहे बुलबुल / पैराडाइज फ्लाई कैचर) ।
- राजकीय खेल - मलखम्ब (वर्ष 2013)
- राजकीय वृक्ष - वट वृक्ष (बरगद)
- राजकीय फसल - सोयाबीन
- राजकीय नृत्य - राई
- राजकीय नाट्य - मांच

## राजकीय चिह्न

- **राजकीय भाषा -** हिन्दी
- **राजकीय गान -**
  "सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा म.प्र. है। .... "
  **रचनाकार -** महेश श्रीवास्तव

KOTHARI INSTITUTE

- मानक रेखा - सिंगरौली (82°5′)
- मध्यप्रदेश का वाहन अक्षर - MP है।
- मध्यप्रदेश का डाक सूचकांक संख्या 45 से 48 है।
- **म.प्र. की बोलियाँ** - गौंडी, निमाड़ी, मालवी, बुन्देलखण्डी, बघेली।
- म.प्र. की जलवायु - समशीतोष्ण मानसूनी।

## म.प्र. के जिले एवं संभाग

- म.प्र. का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा है।
- म.प्र. का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है।
- म.प्र. का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दतिया है।
- म.प्र. का सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से नर्मदापुरम् है।
- म.प्र. की सबसे छोटी तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से - **सुवासरा (रतलाम)**
- म.प्र. की सबसे छोटी तहसील जनसंख्या की दृष्टि से - **रौन (भिण्ड)**
- म.प्र. की सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से - **मण्डला**
- म.प्र. की सबसे बड़ी तहसील जनसंख्या की दृष्टि से - **इन्दौर**
- म.प्र. की ऊर्जा राजधानी- सिंगरौली
- म.प्र. की औद्योगिक राजधानी- इन्दौर
- म.प्र. की सांस्कृतिक राजधानी - जबलपुर
- म.प्र. की ग्रीष्मकालीन राजधानी - पचमढ़ी
- म.प्र. में जंतर-मंतर ''उज्जैन'' में स्थित है।
- म.प्र. की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है।
- म.प्र. की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है।
- म.प्र. का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग **''NH-3''** (आगरा-मुंबई) है।
- म.प्र. में बैंक नोट प्रेस '''देवास'' में स्थित है।
- म.प्र. में वनों का प्रकार उष्णकटिबंधीय है
- सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर (81.07%) है।
- सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इंदौर (87.03%) है।
- सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल (74.09%) है।
- सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर (36.1%) है।
- म.प्र. में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा - जिला साथ ही वृद्धि करने वाला जिला इंदौर (32.77% वृद्धि दर है)।
- म.प्र. में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम वृद्धि करने वाला जिला अनुपपूर (12.3% वृद्धि दर) है।
- म.प्र. में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट (1000 : 1021) हैं।
- म.प्र. में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिण्ड ( 1000 : 831) हैं।
- म.प्र. में सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग - चंबल
- म.प्र. में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला डिंडोरी (95.4%) है।
- म.प्र. में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भोपाल (19.1%) है।
- म.प्र. का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर (रायसेन) में है।
- म.प्र. में देश का सबसे बड़ा ''बैंबू सेटम सेंटर'' भोपाल में है।
- म.प्र. का वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा ''गार्डन'' हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय (सागर) में स्थित है।
- म.प्र. का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ''कान्हा-किसली'' है।
- म.प्र. का सबसे बड़ा अभ्यारण्य ''नौरादेही (1197.67 वर्ग किमी) सागर में है।
- म.प्र. का सबसे छोटा अभ्यारण्य ''रालामण्डल'' (2.345 वर्ग कि.मी. इन्दौर) में है।
- म.प्र. में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज खान ''भरवेली खान'' बालाघाट में है।
- राज्य का सर्वाधिक धान उत्पादन वाला जिला बालाघाट (उत्पादन 658 टन) मैं है।
- म.प्र. में बाँस सर्वाधिक बालाघाट में पाया जाता है।
- राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक दमोह जिले में हैं।
- म.प्र. का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर जिले में लगता है।
- म.प्र. का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है।
- सतपुड़ा की सबसे ऊंची-चोटी ''धुपगढ़'' है जोकि महादेव श्रेणी पर स्थित है।
- प्रदेश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला केन्द्र **''विंध्याचल ताप विद्युत केन्द्र''** (2200 मेगावाट) है।
- म.प्र. का सबसे ऊंचा जल प्रपात **चचाई** (130 मीटर) है।
- म.प्र. में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ''ताजुल मस्जिद'' है।

- म.प्र. का सबसे नीचा स्थान ''नर्मदा सोन घाटी ' है।
- म.प्र. में एशिया का सबसे बड़ा ''दलहन'' अनुसंधान केन्द्र अमलाह (सीहोर) में है।
- म.प्र. का सर्वाधिक शहद उत्पादक जिला ''मुरैना'' है।
- म.प्र. की सबसे बड़ी ''सुरंग''शहीद भीमानायक (बड़वानी) में है।
- म.प्र. का सर्वाधिक कुपोषित जिला ''श्योपुर'' है।
- म.प्र. में सबसे बड़ा वनवृत ''खंडवा'' में है।
- म.प्र. में सबसे छोटा वनवृत ''शाजापुर'' में है।
- म.प्र. में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम ''खेल प्रशाल'' इंदौर में स्थित है।
- भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स (भेल), भोपाल में है।
- गवर्नमेंट ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री, खमरिया (जबलपुर) है।
- गन कैरिज फैक्ट्री- जबलपुर है।
- मुक्तागिरि पुरातात्विक स्थल ''बैतूल'' में स्थि है।
- पातालकोट ''छिंदवाड़ा'' जिले में स्थित है।
- भारिया जनजाति म.प्र. के ''छिंदवाड़ा, मण्डला, सिवनी और सरगुजा'' स्थान पर निवास करती है।
- नर्मदा घाटी ''विन्ध्यांचल एवं सतपुड़ा घाटी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है।
- म.प्र. में भारत भवन की स्थापना ''1982'' में हुई थी।
- खजुहारो ''चन्देल वंश'' की राजधानी थी।
- कालिदास समारोह का आयोजन ''उज्जैन'' में किया जाता है।
- म.प्र. में सिक्योरिटी पेपर मिल ''होशंगाबाद'' में है।
- म.प्र. में करेन्सी प्रिंटिंग प्रेस ''देवास'' में है।
- म.प्र. में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलेक्स ''इंदौर'' में है।
- म.प्र. में खजुराहो नृत्य महोत्सव (छतरपुर) में कथक, ओडिशी और कुचिपुड़ी नृत्य किये जाते हैं।
- म.प्र. में लोक कला परिषद द्वारा जनजातिय कला और सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण और दस्तावेज आयोजित करता है।
- म.प्र. पुलिस का ध्येय वाक्य ''देशभक्ति जनसेवा'' है।

## प्रशासन

**संभाग - 10**

1. जिले - 52
2. तहसील - 364
3. विकासखण्ड- 313
4. आदिवासी विकासखण्ड - 89
5. कुल जनगणना नगर - 476
6. कुल ग्राम- - 55393
7. आबाद ग्राम --- 52117
8. कुल ग्राम पंचायत - 23040
9. जनपद पंचायत - 313
10. जिला पंचायत - 52
11. नगर निगम - 16 : इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, देवास, सिंगरौली, कटनी, सतना, छिंदवाड़ा, मुरैना।
12. नगर पालिकायें- 100
13. नगर पंचायत - 264 (16वीं अंतिम 2016 में)
14. जोन (आई.जी. पुलिस) - 11
15. रेंज (डी.आई.जी. पुलिस) - 15
16. कंट्रोल रूम - 53
17. पुलिस उपसंभाग - 179
18. SP पुलिस जिले - 51
19. पुलिस थाने - 1035
20. पुलिस चौकियाँ - 562
21. लोक सभा सीटें - 29 (SC-4, ST-6 आरक्षित)
22. राज्य सभा सीटें - 11
23. विधान सभा सीटें- 230+1 (SC-35, ST-47 आरक्षित)
23. म.प्र. का उच्च न्यायालय - जबलपुर
24. म.प्र. न्यायालय की खण्डपीठ- इन्दौर, ग्वालियर
25. वित्त आयोग के अध्यक्ष - हेमन्त कोठारी
26. चुनाव आयोग के आयुक्त - श्री बसंत प्रताप सिंह
27. मुख्य सूचना आयुक्त - श्री के.डी. खान
28. लोकायुक्त- जस्टिस नरेश गुप्ता
29. मुख्य सचिव- श्री इकबालसिंह बैस
30. विधानमण्डल - एक सदनीय विधानसभा
31 राज्यपाल- आनंदीबेन पटेल
32. मुख्यमंत्री - श्री शिवराजसिंह चौहान
33. विधानसभा अध्यक्ष- श्री .......................
34. विधान सभा उपाध्यक्ष - .......................
35. प्रतिपक्ष नेता- श्री कमलनाथ जी
36. विधानसभा में नामित सदस्य - लारेंस बी. लोबों

- म.प्र. वर्तमान विधानसभा- 15वीं (18 दिसंबर 2018)
- म.प्र. पंचायती राज्य अधिनियम - 25 जनवरी 1994
- म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग - 19 जनवरी 1994
- म.प्र. भू-राजस्व संहिता - 1959
- म.प्र. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय - फरवरी 2011
- कृषि कैबिनेट का गठन - जून 2011



KOTHARI INSTITUTE

## संभाग

- ▶ वर्तमान में म.प्र. में 10 संभाग हैं।
- ▶ इंदौर संभाग में 08 जिले हैं (इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर)
- ▶ जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं- जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट एवं डिण्डौरी।
- ▶ उज्जैन संभाग में 07 जिले हैं (उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, देवास)
- ▶ सागर संभाग में 06 जिले हैं- सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी
- ▶ ग्वालियर संभाग में 05 जिले हैं (ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोक नगर)
- ▶ भोपाल संभाग में 04 जिले हैं - भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं विदिशा।
- ▶ रीवा संभाग में 04 जिले हैं- रीवा, सीधी, सिंगरौली एवं सतना।
- ▶ चंबल संभाग में 03 जिले हैं - मुरैना, भिण्ड, श्योपुर
- ▶ नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं- होशंगाबाद, हरदा एवं बैतुल
- ▶ शहडोल संभाग में 03 जिले हैं- शहडोल, उमरिया एवं अनुपपुर

## मध्यप्रदेश में प्रथम

- प्रथम महाधिवक्ता- श्री एम. अधिकारी
- प्रथम लोकायुक्त - श्री पी.वी दीक्षित
- राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष - प्रकाशचन्द्र सेठी
- भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला - आशा गोपालन
- लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष- डी.बी. रेड्डी
- प्रथम महिलवा विपक्ष नेता - जमुना देवी
- प्रथम महिला न्यायाधीश - श्री सरोजिनी सक्सेना
- प्रथम सैलरिच जैविक खाद्य संयंत्र- भोपाल
- प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह- भाण्डेर (ग्वालियर)
- मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य - मध्यप्रदेश
- हिन्दी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला पहला राज्य - मध्यप्रदेश
- राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय - जबलपुर
- स्थानीय निकाय में राइट टू रिकॉल का प्रावधान करने वाला पहला राज्य- मध्यप्रदेश
- प्रथम क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान - भोपाल
- प्रथम जेल प्रशिक्षण केन्द्र - सागर
- प्रथम राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान - जबलपुर
- राज्य का प्रथम शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय- इन्दौर
- मप्र का एक मात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय- बुरहानपुर
- मध्यप्रदेश का पहला खेल विद्यालय - सीहोर
- एशिया का प्रथम लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज - ग्वालियर
- म.प्र. में पहला आकाशवाणी केन्द्र - इन्दौर (1955)
- मध्यप्रदेश का पहला समाचार पत्र - ग्वालियर अखबार
- मध्यप्रदेश की प्रथम हिन्दी मासिक पत्रिका - नवजीवन
- मध्यप्रदेश का पहला किसान विद्यालय - जबलपुर
- प्रथम चीनी मिल - जावरा (रतलाम 1934)
- प्रथम सूती मिल - बुरहानपुर (1906)
- प्रथम सीमेन्ट प्लांट - (बानमौर (मुरैना 1922-23)
- प्रथम कागज मिल - नेपानगर (बुरहानपुर 1956)

## प्रमुख प्रशासनिक भवनों के नाम

- मुख्यमंत्री निवास - श्यामला हिल्स, भोपाल
- राज्य निर्वाचन आयोग- निर्वाचन भवन, भोपाल
- राज्य मानवाधिकार आयोग - पर्यावास भवन
- मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग - ऊर्जा भवन
- राज्य विद्युत मंडल - शक्ति भवन
- म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम- पुस्तक भवन
- राज्य सचिवालय - वल्लभ भवन
- राज्य संचालनालय - सतपुड़ा भवन एवं विंध्याचल भवन

### राज्य के प्रशिक्षण संस्थान

- नरोन्हा प्रशासन अकादमी - भोपाल
- ग्रामीण विकास संस्थान - जबलपुर
- महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान - बैतूल
- रेंजर प्रशिक्षण केन्द्र - मंडला
- ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान- अमरकंटक

## संस्थाएँ

- ▶ पहला नाम न्यायालय - बैरसिया (2 अक्टूबर 2009)
- ▶ राज्य का पहला नगर निगम- जबलपुर (1864)
- ▶ राज्य की पहली नगर पालिका - दतिया (1907)
- ▶ पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - भोपाल
- ▶ आपदा प्रबंधन संस्थान - भोपाल
- ▶ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - जबलपुर
- ▶ सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल - भोपाल
- ▶ म.प्र. राज्य योजना मंडल का गठन - 24 अक्टूबर 1972
- ▶ म.प्र. लोकायुक्त का गठन - फरवरी 1982
- ▶ राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन - 1995

### प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम

- रूपसिंह स्टेडियम- ग्वालियर
- एशबाग स्टेडियम- भोपाल
- नेहरू स्टेडियम- इन्दौर
- तांत्या टोपे स्टेडियम- भोपाल
- अभय खेल प्रशाल- इन्दौर
- उषाराजे स्टेडियम- इन्दौर
- ठाकुर रणमतसिंह स्टेडियम - रीवा

KOTHARI INSTITUTE

# मध्यप्रदेश का इतिहास

## मध्यप्रदेश के प्रमुख राजवंश

### गुप्तवंश

**गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था।**

- गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। गुप्त युग प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण युग (240 ई. से 280 ई.) कहलाता है।

### समुद्रगुप्त

- समुद्रगुप्त ने शकों को पश्चिमी मध्यप्रदेश में हराया।
- नर्मदा के उत्तर के अधिकांश क्षेत्र समुद्रगुप्त ने जीते।
- समुद्रगुप्त आर्यावर्त के नौ राजाओं को अपने राज्य में इलाहाबाद में मिलाया, जिसमें गणपति नाग तथा नागसेन मध्य भारत के नाग वंश से संबंधित थे। (प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार)
- कुछ गणराज्यों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी, जिनमें मध्यप्रदेश से संबंधित गणराज्य थे- आभीर, सनकानिक, काकपुर, खरपरिक।
- समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख के अनुसार एरण समुद्रगुप्त के समय में 'स्वभोग नगर' था।
- इस तरह से समुद्रगुप्त ने मध्यप्रदेश के अधिकांश भाग तथा नर्मदा की उत्तरी सीमा तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था, जिसकी पुष्टि बमनाला तथा सकौर से प्राप्त समुद्रगुप्त के सिक्कों से होती है।
- ये सिक्के सिंह तथा गरूड़ प्रकार के हैं, जिन पर गुप्तलिपि में रामगुप्त का नाम लिका मिलता है।
- कुछ सिक्को पर गुप्त शासन चिह्न ' गरुड़ ध्वज' भी बना मिलता है।
- हाल ही में विदिशा से प्राप्त तीन जैन तीर्थकर प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण लेखों में 'महाराजधिराज' उपाधि सहित रामगुप्त का नामोल्लेख मिला है।
- शको द्वारा पराजित होकर रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुवदेवी को शक राजा को सौंपना स्वीकार कर लिया था, परंतु उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने हस्तक्षेप कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बचा लिया।

### चन्द्रगुप्त द्वितीय

- चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा की हत्या कर, अपने भाई रामगुप्त की हत्या की एवं उसकी विधवा पत्नी (ध्रुवदेवी) से शादी की और साम्राज्य का अधिकारी बन गया ।
- चन्द्रगुप्त द्वितीय 380-414 ई. के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था।
- चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा विदिशा क्षेत्र में किए गए अभियान का पता उदयगिरि गुफा लेख से चलता है।
- उदयगिरि पहाड़ी गुफा में उत्कीर्ण चन्द्रगुप्त द्वितीय के संधि-विग्रहीक (युद्ध तथा शांति का मंत्री) वीरसेन के अभिलेख मध्यप्रदेश में गुप्त सत्ता के स्पष्ट साक्ष्य हैं।
- मालवा क्षेत्र के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के अन्य भागों पर चन्द्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य के विस्तार का पता उसके सिक्कों की प्राप्ति से होता है, जो पट्टन, बनमाला, सकौर, सिवनी, सीहोर तथा हरदा से मिले हैं।
- चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) ने मध्यप्रदेश के वाक एवं वाकाटक वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, नागकुमारी कुबेरनामा से विवाह किया। दूसरी ओर उसने वाकाटकों को अपनी पुत्री प्रभावती ब्याही।

### कुमारगुप्त प्रथम

- चन्द्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 412 ई. के लगभग मगध राजसिंहासन पर बैठा।
- कुमारगुप्त के शासनकाल में 'मन्दसौर अभिलेख' वत्सभट्टी ने खुदवाया।
- कुमारगुप्त के कुछ सिक्के पूर्वी-निमाड़ जिले के बमनाला से मिले हैं।
- अभिलेखों में कुमारगुप्त के कुछ राज्यपालों तथा सामंतों का पता चलता है, जो मालवा क्षेत्र के थे। जैसे- मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में कुमारगुप्त के सामंत सेनापति बंधु वर्मा के दशपुर (मंदसौर) में शासन का उल्लेख है।

### स्कंदगुप्त (1455 ई. से 1467ई.)

- स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी था।
- स्कंदगुप्त को अपने शासनकाल में मलेच्छों (संभवतः हूणों) से युद्ध करना पड़ा, जिन्हें उसने पूर्णतया पराजित किया।
- मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से प्राप्त स्मारक स्तम्भ लेख तथा दमोह जिले के सकोर नामक स्थान से प्राप्त सोने के सिक्कों से स्कंदगुप्त के मालवा, विंध्य प्रदेश तथा महाकौशल क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है।

**भानगुप्त**

- स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त वंश में कोई प्रतापी सम्राट नहीं हुआ। अंतिम नरेश विष्णुगुप्त हुए।
- भानुगुप्त के एरण अभिलेख (510 ई.) से ज्ञात होता है कि उसका अधिकारी गोपराज एरण के युद्ध में मारा गया था। यह युद्ध हूण नरेश तोरमाण के साथ लड़ा गया था, जिसने आक्रमण कर इस प्रदेश को जीत लिया।
- गुप्त साम्राज्य के विस्तार (चौथी शताब्दी का उत्तरार्द्ध) के समय दशपुर (मंदसौर) में मालवों की एक शाखा औलिकर वंश की स्थापना हुई। इस वंश के प्रमुख शासक जयवर्धन, सिंहवर्मन, नरवर्मन, यशोवर्मन ने 'जनेन्द्र', 'नरोथिपति', 'राजाधिराज', 'परमेश्वर' आदि उपाधियां धारण की थी।
- एक ओर हूणों का विदेशी आक्रमण हुआ, तो दूसरी ओर मालवा के यशोवर्मन जैसे शासक विद्रोह घोषित कर स्वतंत्र हो गए, जिसके फलस्वरूप लगभग हूण शताब्दी के मध्य में गुप्त वंश की प्रभुता का केवल कलिंग को छोड़ भारत के अन्य भाग में लोप हो गया।

  **विशेष-** गुप्तों ने उदयगिरि की विश्व प्रसिद्ध गुफा और तिगवा का 'विष्णु मंदिर' (जबलपुर) का निर्माण कराया। नचनाकुठार पार्वता का मंदिर (जबलपुर) का निर्माण करवाया।

**परमार वंश (राजपूत काल)**

- 9वीं सदी के पूर्वार्द्ध में मालवा में परमार राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का सर्वप्रथम राजा उपेन्द्र माना जाता है।

**सीयक द्वितीय**

- सीयक द्वितीय ही परमार वंश का सर्वप्रथम स्वतंत्र शासक हुआ, जिसने राष्ट्रकूटों की प्रभूता को अस्वीकार कर अपने वंश को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
- सीयक द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग को पराजित कर परमार राज्य को दक्षिण में ताप्ती नदी तक विस्तृत कर दिया था।
- सीयक द्वितीय चंदेल नरेश यशोवर्मन से युद्ध में हार गया था।

**वाक्पति मुंज**

- मुंज के कैथेम दानपत्र से ज्ञात होता है कि मुंज ने हूणों को हराया।
- उदयपुर अभिलेख के अनुसार मुंज ने कलचुरि वंश के शासक युवराजदेव द्वितीय को पराजित कर्‌सकी राजधानी त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया, परंतु कलचुरि राज्य के किसी भी भाग को अपने राज्य में मिला न सका।
- इसकी राजसभा में प्रमुख कवि-लेखक थे। जैसे- नवसाहसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, दशरूपक के लेखक - धनंजय।

**राजा भोज (1000 ई. से 1055 ई. तक)**

- परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज था।
- धार प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि भोज ने त्रिपुरी के कलचुरि शासक गांगेयदेव को पराजित किया था।
- बुंदेलखंड पर अपने राज्य विस्तार के प्रयत्न में राजा भोज को अपने समकालीन चंदेल शासक विद्याभर से पराजित होना पड़ा।
- चिरवा अभिलेख से पता चलता है कि चित्रकूट का दुर्ग भोज के अधीन था।
- पारिजात मंजरी, उदयपुर प्रशस्ति और फलवन अभिलेख के अनुसार राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचुरि शासक गांगेयदेव तथा शाकंभरी के चौहान नरेश वीर्यराम को पराजित किया।
- भोज ने चालुक्यों की राजधानी अन्हिलवाड़ पर आक्रमण करके उसे लुटा।
- कालांतर में कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने भोज को हराकर धार नगरी को लूटा, परंतु भोज ने अपने खोए हुए प्रदेश को पुनः प्राप्त कर लिया।
- गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम व त्रिपुरी के चलचुरि नरेश कर्म ने संघ बनाकर भोज के राज्य पर आक्रमण किया। युद्ध के दौरान 1055 ई. में भोज की एक रोग से मृत्यु हो गई और मालवा पर कर्ण और भीम का अधिकार हो गया।
- राजा भोज ने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धारानगरी (आधुनिक नाम धार) को राजधानी बनाया।
- राजा भोज अपनी विद्वता के कारण 'कविराज' की उपाधि से विख्यात थे।
- राजा भोज ने 'सरस्वती कंठाभरण' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की।
- धार में एक प्रसिद्ध 'सरस्वती मंदिर' का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में 'भोजशाला' के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तुड़वाकर बाबर के समय 'कमालपासा मस्जिद' क निर्माण किया गया।
- राजा भोज ने भोपाल के प्रसिद्ध 'भोजताल' का निर्माण कराया।

KOTHARI INSTITUTE

- 'आईन-ए-अकबरी' में उल्लेख के आधार पर भोज की राजसभा में पांच सौ विद्वान थे।

**जयसिंह प्रथम**

- राजा भोज के पश्चात उसका पुत्र जयसिंह प्रथम शासक बना, जिसने कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम से संधि कर ली तथा उसकी एवं उसके पुत्र विक्रमादित्य की सहायता से कलचुरि नरेश कर्म तथा चालुक्य नरेश भीम को पराजित कर मालवा को मुक्त कर लिया।
- 1233 ई. में इल्तुतमिश ने विदिशा जीत लिया तथा उज्जैन को लूटा।
- परमार वंश का अंतिम नरेश महलक देव था, जिसने 1305 ई. में मालवा पर राज्य किया।
- महलकदेव के सासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति 'आइन-उल-मुल्क' ने महलकदेव को पराजित कर मार डाला।
- इस प्रकार परमार वंश का अंत हुआ और मालवा पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई।

**बुंदेलखंड का चंदेल वंश**

- इस वंश के प्रारंभिक प्रतिहारों के सामंत थे। नन्नुक इस वंश का पहला राजा था। अन्य सामंत वाक्पति, जयशक्ति, विजयशक्ति, राहिल तथा हर्ष थे।

**यशोवर्मन** (925-950)

- इसके शासनकाल में चंदेल सत्ता चरमोत्कर्ष पर था।
- इसने खजुराहों के विष्णु मंदिर-कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में बैकुंठ की प्रतिमा स्थापित की गई।

**धंगदेव** (950-1002)

- चंदेल सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
- 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की।
- ग्वालियर को जीता।
- खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर स्थापत्य कला 'चंदेल शैली' का जनक ।
- इसने प्रयाग में गंगा-यमुना के संगम में अपना शरीर त्याग दिया।
- **गांगेयदेव** (1015-1042)
- यह कल्चुरि राजवंश का प्रमुख शासक था।
- यह सन् 1015 के लगभग कलचुरि चेदी राज्य के सिहासन पर बैठा।
- **विद्याधर** (1019-1029)
- इन्होंने कन्नौज के शासक राजपाल की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया ।
- **परमार्दिवर्मन**
- इनके शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल सत्ता को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।

**कलचुरि वंश**

- मध्यप्रदेश में ही नहीं वरन भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में कलचुरि राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है।
- सन् 550 ई. से लेकर 1740 ई. तक लगभग 1200 वर्षों तक की अवधि में कलचुरि नरेशों ने भारत के उत्तर अथवा दक्षिण स्थित किसी न किसी प्रदेश में अपना राज्य चलाया।
- **कलचुरि राजवंश की प्रमुख विशेषताएँ-** 1. माहिष्मति के कलचुरि, 2. त्रिपुरी के कलचुरि, 3. रतनपुर के कलचुरि, 4. रायपुर के कलचुरि।

**माहिष्मति कलचुरि-**

- कलचुरियों की प्राचीन राजधानी माहिष्मति थी।
- इनको सर्वप्रथम ज्ञात शासक कृष्णराज था, जिसने 550 ई. से 575 ई. तक राज किया।
- कृष्णराज के चांदी के सिक्के बेसनगर, तेवल तथा पट्टन से प्राप्त हुए हैं।
- कृष्णराज के पश्चात शंकरगण (575 ई. से 600 ई.) तक बुद्धराज आए।

**त्रिपुरी के कलचुरि**

- इसके संस्थापक वामराज देव थे।
- इसकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर तथा मुख्य राजधानी त्रिपुरी थी।
- चालुक्यों से पराजित होने के पश्चात बुद्धराज के वंशज माहिष्मति छोड़कर चंदि वंश की ओर भाग आए तथा त्रिपुरी में अपनी राजधानी स्थापित की।
- वामराजदेव कुछ विद्वानों का मत है, कि इस शाखा का संस्थापक वामराजदेव था, जिसने सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कालिंजर को जीतकर राजधानी वहाँ विस्थापित की।
- वामराजदेव के शासनकाल में ही कलचुरियों की राजधानी कालिंजर से नर्मदा के तट पर स्थिति त्रिपुरी स्थानांतरित की गई।
- वामराजदेव ने परमभट्टारक महाराजाधिराज तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की।

KOTHARI INSTITUTE

**कोकल्लम प्रथम (850 ई. से 89 ई. तक)**
- यह महत्वकांक्षी व प्रतापी राजा था। इसने अपने समकालीन राजवंशों चंदेल, राष्ट्रकूट तथा बंगाल के पाल शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया।
- कोकल्ल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र शंकरगण द्वितीय (890-910 ई.) हुआ।
- बिलहरी (जबलपुर) तथा बनारस अभिलेखों के अनुसार शंकरगण के समुद्र तट के राज्यों को जीता, दक्षिण कोसल के राजा से पाली के आसपास का प्रदेश छीना।

**युवराजदेव प्रथम (915 ई. से 945 ई. तक)**
- युवराजदेव को 'उज्जयिनी भुजंग' भी कहा गया है, जिससे लगता है कि उसने मालवा पर भी आक्रमण किया था।
- सुविख्यात कवि और नाटककार कविराज राजशेखर युवराजदेव के दरबारी थे।
- त्रिपुरी में रहते हुए कविराज राजशेखर ने 'विद्यशाल भंजिका' नामक नाटक तथा 'काव्य मीमांसा' नामक अलंकार ग्रंथ लिखे।

**लक्ष्मणराज (945 ई. से 970 ई. तक)**
- लक्ष्मणराज ने दक्षिण कोसल पर चढ़ाई की।
- लक्ष्मणराज ने उड़ीसा पर आक्रमण कर कालियानाग की रत्नजड़ित स्वर्ण मूर्ति छीनकर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को अर्पित की।

**शंकरगण द्वितीय**
- कलचुरि नरेश बहुधा शिवोपासक होते थे, परंतु शंकरगण द्वितीय विष्णु भक्त था।

**युवराजदेव द्वितीय (980 ई. से 990 ई. तक)**
- युवराजदेव द्वितीय के शासनकाल में परमार नरेश वाक्पतिमुंज ने त्रिपुरी पर आक्रमण कर उस पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था।
- **कोकल्लदेव द्वितीय (990 ई. से 1015 ई. तक)**
- **कर्ण (लक्ष्मीकर्ण) (1041 ई. से 1037 ई. तक)**
- बंगाल पर विजय प्राप्त की।
- पल्लव, चौर और कुन्तल देशों पर जीत।
- इस वंश का सबसे प्रतापी राजा।
- लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण 'हिंदू नेपोलियन' कहा गया।
- मालवा समकालीन परमार शासक भोज ने उसके पिता गांगेयदेव को पराजित किया था।
- पिता की हार का बदला लेते हुए उसने मालवा पर विजय प्राप्त की तथा परमारों की राजधानी धार पर अपना अधिकार कर लिया।
- सन 1052 ई. में दूसरा राज्याभिषेक तथा 'चक्रवर्ती' का पद प्राप्त किया।
- मालवा के परमार राजा जयसिंह ने चालुक्य शासक सोमेश्वर (प्रथम) की सहायता से कर्ण को पराजित कर अपना राजसिंहासन वापस लिया।
- चंदेल शासक कीर्तिवर्मन भी स्वतंत्र हो गया (कृष्ण मिश्र द्वारा रचित 'प्रबोध चंद्रोदय' नामक नाटक में उल्लेख)।
- परमार शासक उपयादित्य ने ढाहलाधीश अर्थात कर्ण का संहार किया। (उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार)

**गयाकर्ण**
- यह सन् 1123 ई. में राजा बना।
- इसे बघेलखंड का प्रदेश छोड़ना पड़ा।
- छ.ग. के कलचुरि नरेश, जो अब तक त्रिपुरी मुख्य शाखा के अधीन राज्य करते थे। वे स्वतंत्र हो गए।

**विजयसिंह**
- त्रिपुरी के कलचुरि राजवंश का अंतिम शासक
- दमोह जिले के बटियागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चौदहवीं शताब्दी ई. के आरंभ में यह प्रदेश मुसलमानों के अधिकार में पूर्णतः चला गया था।

**माण्डू के शासक**
- वर्ष 1310 ई. में अलाउद्दीन ने मालवा को जीत लिया और दिलावर खाँ को मालवा का सूबेदार बनाया।
- वर्ष 1401 ई. में दिलावर खाँ ने मालवा को स्वतंत्र घोषित कर यहाँ का स्वतंत्र शासक बना।
- दिलावर खाँ का पुत्र अलप खाँ 'होशंगाशाह' की उपाधि धारण कर 1405 ई. में मालवा का सुलतान बना।

**होशंगशाह (1408 ई. से 1435 ई.)**
- होशंगशाह ने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की।
- 1435 ई. में उसने होशंगाबाद नगर की स्थापना की।

**महमूद खिलजी (1436 ई. 1468 ई.)**
- इसने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की।
- मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित करने के उपलक्ष में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया।
- महमूद खिलजी ने मांडू में सात मंजिला महल का निर्माण करवाया।



KOTHARI INSTITUTE

- **नसिरुद्दीन शाह (1500 ई. से 1510 ई.)**
- **बाजबहादुर (अकबर के समकालीन)**
- **मांडू की स्थापत्य कला-** मांडू अपने अनोखे स्थापत्य कला के लिए भारतीय स्थापत्य कला में प्रसिद्ध है।
- मांडू के शासकों ने दिल्ली वास्तुकला शैली को अपनाया। उन्होंने तुगलक परम्परा के मेहराबों का इस्तेमाल किया तथा लोदी शैली से प्रभावित पिरामिड के आकार के छत का प्रयोग किया।
- **इस काल के शासकों ने हिंदू मंदिरों के अवशेषों पर निम्नलिखित मस्जिदों का निर्माण करवाया-**

1. कमालमौला मस्जिद, धार (1400 ई.)
2. लाट मस्जिद, धार (1405 ई.)
3. दिलावर खाँ मस्जिद, मांडू (1405 ई.)
4. मलिक मुगीस मस्जिद, मांडू (1442 ई.) (पर्सी ब्राउन ने इस मस्जिद को उस समय की अद्भूत रचना कहा है)

**प्रमुख स्थापत्य -**

1. मांडू का किला- निर्माण- होशंगशाह, निर्माण काल- 1454 ई.
2. जामी मस्जिद- निर्माण - होशंगशाह, निर्माण काल - 1454 ई.
3. अशरफी महल - निर्माण - महमूद खिलजी
4. जामा मस्जिद - निर्माण - महमूद खिलजी
5. होशंगशाह का मकबरा - निर्माण - महमूद खिलजी
6. जहाज महल - निर्माण - महमूद खिलजी
   (**विशेष -** यह महल कपूर तालाब और मुंजे तालाब के मध्य स्थित है। तालाब के जल में इसकी छाया जहाज के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे जहाज महल कहा जाता है।
7. हिंडोला महल- निर्माण - होशंगशाह, निर्माण काल- 1425 ई. (विशेष- इसे दरबार हाल के नाम से भी जाना जाता है।)
8. बाजबहादुर एवं रूपमती का महल - निर्माण - नासिरुद्दीन शाह ।

**तोमर वंश**

- 14वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ग्वालियर में तोमर राजवंश का उदय हुआ। इसके संस्थापक वीरसिंह देव थे।
- डुंगरेन्द्र सिंह 1424 ई. में गददी पर आसीन हुए जैन धर्म को प्रश्रय दिया।
- अन्य सासक कीर्तिसिंह और कल्याणमल थे।

**मानसिंह (1486 ई. से 1517 ई.)**

- इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुए।
- दिल्ली के लोदी शासक बहलोद लोदी, सिकंदर लोदी व इब्राहिम लोदी से टक्कर लेनी पड़ी।
- कला का पोषक था।
- सिंचाई के लिए अनेक झीलें बनवाई।
- मानसिंह द्वारा रचित 'मानकौतुहल' संगीत का प्रमुख ग्रंथ है।
- ग्वालियर किले में मान मंदिर तथा 'गुजरी महल' का निर्माण कराया, जो हिंदू स्थापत्य कला का अप्रतिम उदाहरण है।
- 1517 ई. में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, जिसमें मनसिंह की मृत्यु हो गई।

**विक्रमादित्य (अंतिम शासक)**

- इब्राहिम लोदी ने पराजित कर ग्वालियर का किला जीत लिया तथा ग्वालियर लोदियों के अधीन हो गया।

**गोंड राजवंश (गोंडवाना)**

- संभवतः खिलजियों के पतन के पश्चात गोंड जनजाति ने इस वंश की स्थापना की।
- चौदहवीं शताब्दी के दौरान यादव राव ने गढ़कंटगा (गढ़ मंडला) में इस वंश की स्थापना की।
- उन प्रदेशों को जिन पर मुगलों का अधिकार नहीं, मुगल गोंडवाना कहते थे।

**संग्राम शाह**

- इसके समय उत्तरी गोंडवाना को वास्तविक महानता तथा ख्याति प्राप्त हुई।
- सन 1480 ई. में संग्राम शाह के गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर तथा मंडला के आसपास क्षेत्रों तक था।
- संग्राम साह ने अपने राज्य को 52 गढ़ों तक फैलाया, जिसके अंतर्गत मुख्यतः मंडला, जबलपुर, दमोह, सागर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, भोपाल, विदिशा, सतपुड़ा क्षेत्र आदि आते थे।
- दमोह जिले के थर्राक में प्राप्त सती अभिलेख के अनुसार संग्राम शाह का प्रभुत्व उसकी राजधानी गढ़ा से 50 मील उत्तर तक व्याप्त था।
- उसने स्वर्ण, रजत मुद्राएं चलाई थी।
- संग्राम शाह के पुत्र दलपत साह का विवाह महोबा के चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती के साथ हुआ।

**रानी दुर्गावती**

- दलपत शाह की मृत्यु (1541 ई.) के बाद रानी दुर्गावती

KOTHARI INSTITUTE

अल्पायु पुत्र वीरनारायण की संरक्षिका बनकर गढ़ मंण्डला शासन संभाला।
- दुर्गावती ने अपनी कार्यकुशलता से सिंगारगढ़ के किले (दमोह) की कीर्ति पताका को चारों ओर विस्तारित किया।
- मुगल दरबारी वृत्तांकार अबुल फजल ने 'आइन-ए-अकबरी' में अंकित किया है कि गोंडवाना इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं व हाथियों में करती थी।
- अकबरनामा एवं तबकात-ए-अकबरी में रानी के अप्रतिम सौंदर्य और आकर्षण का उल्लेख है।
- रानी ने मालवा के बाजबहादुर को जंग-ए-मैदान में बुरी तरह पछाड़ा।
- कड़ा मानिकपुर के मुगल सेनापति/सूबेदार आशफ खाँ ने 1564 ई. में सिंगारगढ़ के किले का घेराब किया। जबरदस्त जंग के बाद अपनी पराजय सुनिश्चित देख रानी ने इहलीला समाप्त कर ली।
- जबलपुर के बारहाग्राम (कबरेला) में रानी दुर्गावती की समाधि निर्मित की गई है। इसी स्थान पर रानी परलोक सिधारी थी। समाधि का अनावरण 24 जून 1964 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पं. द्वारिकाप्रसाद मिश्र के करकमलों से किया गया।
- गोंडवाना के लड़ाकिनी, संग्राम की कीर्ति दुर्गावती के साहस व बलिदान की गाथाएँ में उन्हें 'फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क' व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष स्थान दिलाती है।
- अकबर विजय उपरांत गोंडवाना गोंड वंश के ही चंद्रशाह (वीरनारायण के चाचा) को अपनी अधीनता में सोंप दिया था।
- प्रेमनारायण के समय गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ थी।

**बुंदेला वंश**
- बुंदेल शासक सोहनपान ने खंगारों की शक्ति का दमन कर बुंदेला राज्य की नींव डाली।
- इनकी राजधानी ओरछा थी।
- वीरसिंह देव का दोस्ताना संबंध मुगल राजकुमार सलीम (अकबर का पुत्र, जहांगीर) से था। सलीम के कहने पर ही वीरसिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी।
- सलीम जब जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना, तो उसने वीरसिंह देव को ओरछा का नरेश बनाया।
- सन 1612 ई. रामचंद्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जुझारसिंह ओरछा की गद्दी पर बैठा।
- विक्रम संवत 1690 ई. में जुझारसिंह ने गोंड राजा प्रेमशाह को मार डाला और उसका किला चौरागढ़ अपने राज्य में मिला लिया।
- जुझारसिंह ने शाहजहाँ के समय विद्रोह कर दिया, फलतः शाहजहाँ ने ओरछा पर आक्रमण कर दिया।
- ओरछा के अदीन महोबा के सामंत चंपतराय ने शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में ओरंगजेब का समर्थन किया, बदले में उसे पांच हजार का मनसब तथा खिताब मिला।
- परंतु किसी कारणवश दोनों में अनबन हो गई, फलतः चंपतराय ने ओरंगजेब की नीति से असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया।
- 1661 ई. में चंपतराय की मृत्यु हो गई।
- चंपतराय के पुत्र छत्रसाल ने ओरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा। 1675 ई. में पन्ना जीतकर उसे राजधानी बनाया।
- छत्रसाल ने मराठों से संधि की।
- अंततः औरंगजेब ने 1707 ई. में छत्रसाल से संधि की और उसे राजा की उपाधि दी।
- इस प्रकार छत्रसाल स्वतंत्र शासक बना।

**बघेल वंश**
- बघेल राज्य क्षेत्र का नाम भथा था, जो वर्तमान रीवा है।
- बघेलखंड के क्षेत्र में बघेल राजपूतों ने अपनी सत्ता स्थापित की।
- बघेल वंश का पहला ज्ञात शासक धवल था।
- कर्ण बघेल के शासनकाल में सन 1299 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। तत्पश्चात कर्ण बघेल के साथ कुछ राजपुत कालिंजर क्षेत्र भाग कर आए।
- विसल देव ने कमारों से बांधवगढ़ का किला छीनकर शहडोल जिले में अधिकार कर रतनपुर के चलचुरि सासक पर कर लगाया।
- इसके शासनकाल में बघेल वंश का विस्तार हुआ।
- राजा वीरमान (1540-55) ने हुमायूं की चौसा पराजय के बाद उसकी सहायता की थी।
- 1564 ई. में अकबर के दूत जलाल खां ने तानसेन को

KOTHARI INSTITUTE

रामचंद्र से लेकर अकबर के दरबार में पहुंचाया था।

- कालिंजर का किला जो रामचंद्र के अधीन था, उसे 1 जुलाई 1569 में मुगल शासक अकबर ने अपने अधीन कर लिया।
- भथा राज्य या बघेल वंश के अंतिम शासक मार्तंडसिंह थे जिसके राज्य का आजादी के पश्चात भारतीय संघ में विलय किया गया।

**म.प्र. में मराठा वंश**

- भारत में मराठों के पांच वंशों में दो प्रमुख वंश सिंधिया तथा होल्कर का साम्राज्य मध्यप्रदेश में रहा।

**ग्वालियर के सिंधिया वंश**

- इसके संस्थापक रानोजी सिंधिया ते। इसकी स्थापना 1727 ई. में हुई। मुख्यालय उज्जैन था। बाद में ग्वालियर (1810 में दौरातराव सिंधिया ने राजधानी बनाया)।

**महादजी सिंधिया**

- पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद महादजी सिंधिया ने लोकेन्द्र सिंह जाट से 1765 ई. में ग्वालियर का किला छिना।
- महादजी ग्वालियर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक थे।
- महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त कराया, इसके बदले में मुगल सम्राट ने महादजी को अपना प्रधानमंत्री बनाकर सभी प्रशासनिक अधिकार दे दिए।
- महादजी सिंधिया पेशवा राजघराने में 'बारभाई परिषद' के सदस्य थे। इन्होंने 1775 ई. से 1782 ई. के बीच प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध में नाना फड़नवीश के साथ नेतृत्व किया।

**दोलतराव सिंधिया**

- 1810 ई. में दौलतराव सिंधिया ने उज्जेन के स्थान पर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया।
- दौलतराव सिंधिया ने लॉर्ड वेलेजली के साथ 1804 ई. में सहायक संधि को अपनाया।
- 1817 ई. में दौलतराव सिंधिया ने तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ संधि किया और ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार किया।

**जीवाजीराव सिंधिया**

- 1857 के गदर के दौरान सिंधिया शासक थे। ये विधवा तारवा के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने 1857 के क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बल्कि ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बना रहा।

**इंदौर के होल्कर वंश**

- मल्हारराव होल्कर (1730-1766 ई.)
- मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार।
- इंदौर होल्कर राजघराने का संस्थापक।

**मालेराव होल्कर (1766-1767 ई.)**

- अहिल्याबाई का पुत्र

**अहिल्याबाई होल्कर (1767-1795 ई.)**

- खाण्डेराव होल्कर की विधवा।
- महेश्वर में किला का निर्माण करवाया।
- देशभर के विभिन्न धार्मिक स्थलों में मंदिरों एवं धर्मशालाओं का निर्माण करवाया।
- तुकोजीराव इनका सेनापति था।
- महादेवी की उपासिका
- **तुकोजीराव होल्कर (1795-1797)**
- **यशवंतराव होल्कर (1798-1811)**
- द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध लड़ा।

**मल्हारराव होल्कर तृतीय (1811 ई. - 1833 ई.)**

- तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध लड़ा।
- हमीदपुर का युद्ध लड़ा।
- अंग्रेजों से रामपुर घाट की संधि की।

**तुकोजीराव होल्कर द्वितीय (1844- 1886)**

- 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को अप्रत्यक्ष सहयोग किया।

**यशवंतराव होल्कर द्वितीय (1928-1948)**

- 1948 में इन्होंने मध्य भारत में होल्कर राजवंश का विलय किया।

❑❑❑❑❑❑

KOTHARI INSTITUTE

# मध्यप्रदेश का भूगोल

**आजादी के समय भारत को प्रशासनिक इकाईयों में बाँटा गया था। जो 2 प्रकार से है-**

1. **ब्रिटिश प्रांत -** ऐसा प्रांत जहाँ का शासन ब्रिटिश सरकार के अधिन होता था।
2. **देशी रियासतें-** ऐसा प्रांत जहाँ का शासन राजाओं के अधिन होता था।

**भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 - इस अधिनियम के आधार पर भारत को 2 भागों में बांटा गया था-**

1. **भारत-** भारत में देशी रियासतों की संख्या लगभग 549 थी।
2. **पाकिस्तान-** अन्य रियासतें पाकिस्तान में चली गईं।
3. **स्वतंत्रत क्षेत्र-** कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद इसमें शामिल थे।

**वर्ष 1950 के समय भारतीय संघ के राज्य संख्या- 29 थी। जिन्हें 4 भागों में बांटा गया था।**

**भाग A -** इसमें गवर्नर का शासन हुआ करता था।

**भाग B -** इसमें 9 राज्यों के विधान मंडलों द्वारा शासन हुआ करता था।

**भाग C-** इसमें ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों द्वारा शासन हुआ करता था।

**भाग D-** इसमें केन्द्रीय शासन के द्वारा शासन हुआ करता था। इसमें अण्डमान-निकोबार द्वीप समुह शामिल था।

## आयोग

**(श्याम कृष्ण) एस.के. धार आयोग**

स्थापना- जून 1948 में हुई थी।

उद्देश्य - राज्यों का पुर्नगठन (भाषायीय आधार पर)

रिपोर्ट- दिसम्बर 1948 में पेश की और इस रिपोर्ट में कहा गया की राज्यों का गठन प्रशासनिक दृष्टि से होना चाहिए। (यह पुर्नगठन के लिए पहला आयोग था)

**जे.वी.पी. समिति** (पं. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल व पट्टाभि सीतारमैय्या) -

स्थापना- दिसम्बर 1948 में हुई थी।

उद्देश्य- राज्य का पुर्नगठन (भाषायीय आधार पर)

सदस्य- पं. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल व पट्टाभि सीतारमैय्या

रिपोर्ट- अप्रैल 1949 में पेश की।

नोटः- काँग्रेस का कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु ने आमरन अनशन किया। जिसके फलस्वरूप लगभग 56 दिनों के अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई।

इसके परिणाम स्वरूप देश का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 को आंध्रप्रदेश के रूप में गठित हुआ।

**फ़ज़ल अली आयोग -**

(i) गठन - 22 सितम्बर 1953 को हुआ।

(ii) सदस्य- हृदयनाथ कुंजरु, K.M. पाणिक्कर।

उद्देश्य- राज्य का पुर्नगठन (भाषायीय आधार पर)

(iii) रिपोर्ट - 30 सितम्बर 1955

रिपोर्ट में कहा गया की राज्यों का वर्गीकरण (भाग A, B, C, D को समाप्त कर दिया जाए। जबकि इसके स्थान पर देश को 14 राज्यों व 6 केन्द्रीय शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया जाना चाहिए)।

- स्वतंत्रता पश्चात् म.प्र. को 'थ्री स्टेट - A, B तथा C' में बांटा गया था।

**स्टेट-**

**A- सेन्ट्रल प्राविन्स तथा विदर्भ**

- बरार (छ.ग. और बघेलरूप को मिलाकर)
- राजधानी- नागपुर

**B- पश्चिम की रियासतों को मिलाकर**

- नाम - मध्य भारत
- राजधानी- ग्वालियर व इंदौर (6 माह)

**C- उत्तर की रिसायतों को मिलाकर**

- राजधान- रीवा
- भोपाल को भी पार्ट - C में रखा गया था।

**नोट-** म.प्र. का पुनर्गठन - 1 नवम्बर 1956 को फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया गया।

**भाग -A-** में से बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भण्डारा, चाँदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला लिया गया।

- बाकी शेष रियासत को मध्यप्रदेश का हिस्सा बना दिया गया।

**भाग B/C -** म.प्र. का ही हिस्सा रहा।

- मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील "सुनैल टप्पा" को छोड़कर शेष वर्तमान म.प्र. में मिला लिया गया
- कोटा जिला की सिरोंज तहसली को म.प्र. के विदिशा जिले में मिला लिया गया।
- भोपाल राज्य को भी म.प्र. का अंग बनाया गया। तथा म.प्र. की राजधानी भी बनाया गया।
- नवनिर्मित म.प्र. में 43 जिले थे (1956 में)

## आन्तरिम पुनर्गठन

- 16 नवम्बर 1972 को दो नये जिले बने- भोपाल (सीहोर से अलग हुआ), राजनंदगांव (दुर्ग से अलग हुआ),
- म.प्र. में 1972 में कुल जिलों की संख्या 45 थी।
- **आयोग -** बी.आर. दुबे
  स्थापना- 25 मई 1998
  - जिले - 10
- म.प्र. में 1998 में कुल जिलों की संख्या - 55 हो गई थी।
- **आयोग -** सिंहदेव
  स्थापना- 10 जून 1998
  - जिले - 6
- म.प्र. में 1998 में कुल जिलों की संख्या - 61 हो गई थी।
- 1 नवम्बर 2000 को म.प्र. से छ.ग. को अलग किया गया। जो कि म.प्र. का 3.47 भाग था।

1. 84 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत बनाया गया।
2. छ.ग. को कुल जिलों 16 के साथ अलग किया गया।

- म.प्र. में वर्ष 2000 में 45 जिले रह गये थे।
- **आयोग -** (2003)
  - जिले - 3
  1. गुना-से-अशोक नगर
  2. खण्डवा से बुरहानपुर
  3. शहडोल से अनूपपुर

म.प्र. में वर्ष 2003 में कुल जिलों की संख्या 48 हो गई थी।

- **आयोग-** (2008)
  - कुल जिले- 2
  1. झाबुआ से अलीराजपुर
  2. सीधी से सिगरौली
- म.प्र. में 2008 को कुल जिलों की संख्या 50 हो गई थी।
- **आयोग-** (2013)
  कुल जिले - 1
  1. शाजापुर से आगर-मालवा
- म.प्र. में 2013 को कुल जिलों की संख्या 51 हो गई थी।

**निवाड़ी (52वाँ) जिला**

- यह क्षेत्र म.प्र. के 52वें जिले के रूप में 1 अक्टूबर 2018 को अस्तितव में आया।
- इस जिले की घोषणा पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 सितम्बर 2018 को की थी।
- यह क्षेत्र टिकमगढ़ जिले की एक तहसील थी।
- निवाड़ी जिले का निर्माण पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा तहसील को मिला कर किया गया।
- निवाड़ी जिला सागर संभाग का 6ठवाँ जिला है।
- म.प्र. में 2018 में कुल जिले 52 हैं।

## म.प्र. की भौगोलिक स्थिति

**राज्य की वर्तमान भौगोलिक स्थिति-**

A 21°6' उत्तरी अक्षांस (Line of Eatitude) से 26°30' उत्तरी आक्षांस तथा

B 74°09' पूर्वी देशान्तर (Line of Longitude) से 82°48' पूर्वी देशान्तर के मध्य है।

- म.प्र. का कुल क्षेत्रफल 308, 252 वर्ग कि.मी. है, जो
- भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य देश में राजस्थान के बाद द्वितीय स्थान पर आता है।
- इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 k.m. है तथा
- उत्तर से दक्षिणी विस्तार 605 k.m. है।
- पश्चिम तथा पूर्वी सीमाएँ क्रमशः गुजरात एवं मैकाल कैमूर श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- राज्य की सीमाएँ 5 राज्यों के साथ मिलती हैं।
- राज्य की अधिकतम सीमा UP से साथ लगती हैं।
- राज्य की न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ मिलती है।
- उत्तर प्रदेश के 13 जिलो व म.प्र. के 11 जिलों की सीमा आपस में स्पर्श करती हैं।
- राजस्थान के साथ 10 जिलों व म.प्र. के 10 जिलों की सीमा आपस में स्पर्श करती हैं।
- महाराष्ट्र के 9 जिलों व म.प्र. के 9 जिलों की सीमा आपस में स्पर्श करती है।
- छत्तीसगढ़ के साथ 6 जिलों व म.प्र. के 6 जिलों की सीमा आपस में स्पर्श करती है।
  गुजरात के साथ 2 जिलों व म.प्र. के 2 जिलों की सीमा आपस में स्पर्श करती है।
- कर्क रेखा नर्मदा नदी के समान्तर प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है।

KOTHARI INSTITUTE

- कर्क रेखा राज्य के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। (जैसे : रतलाम- उज्जैन- आगर-मालवा-राजगढ़- सीहोर- विदिशा-भोपाल-रायसेन - सागर- दमोह- कटनी - जबलपुर- उमरिया - शहडोल)
- रतलाम कर्क रेखा के निकट उत्तर में स्थित है। (कर्क रेखा मालवा के पठार को दो बराबर भागों में बाटती है।)

## म.प्र. की भू-वैज्ञानिक संरचना (Geological Structure)

- राज्य संरचना की दृष्टि से ''प्रायद्वीपीय पठार'' का भाग है।
- प्रायद्वीपीय पठार भू-वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास में कभी-भी पूर्णतः जलमग्न नहीं हुआ है।
- केवल कुछ समय के लिए इस पठार का कुछ भाग छिछले समुद्र से ढका था।
- इस कारण प्रायद्वीपीय पठार पर विभिन्न कालों की भू-वैज्ञानिक संरचना का विकास हुआ है।
- म.प्र. का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के कारण यहाँ विभिन्न कालों की भू-वैज्ञानिक संरचना देखने को मिलती है।
- म.प्र. में निम्न कालों की भू-वैज्ञानिक संरचना पाई जाती है।

**1. आद्य महाकल्प (आर्कियन)**
**2. धारवाड़ (समूह)**
**3. पुराना संघ**
**4. आर्य समूह**
**5. क्रिटेशस कल्प**

## आद्य महाकल्प (Archaean Era)

- मध्यप्रदेश की भूवैज्ञानिक बनावट आद्य महाकल्प शैल संघ के चारों और बनी है ।
- इस राज्य का लगभग सम्पूर्ण पूर्वी भाग इन्हीं चट्टानों का बना है ।
- पश्चिम की ओर ये प्राचीन शैल संघ जैसे विंध्यन शैल समूह तथा दक्कन ट्रेप से आवृत्त हैं ।
- राजस्थान तथा बुंदेलखण्ड में यह पुनः सतह पर आ जाती है । जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि विंध्यन तथा दक्कन ट्रैप का आधार भी आद्य महाकल्प की चट्टाने हैं ।
- यह चट्टाने पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती हैं ।
- इनमें से कुछ तरल लाव के ठण्डा होने पर बनी हैं । तथा अन्य निक्षेपण के द्वारा बनी प्राचीनतम जलज चट्टानें हैं ।
- ये चट्टानें हैं । इन दोनों ही समूहों का प्रादेशिक तथा तापीय कायान्तरण इतना अधिक हुआ है कि इनका विभेदन असंभव सा ही है ।
- ये चट्टानें अब ग्रेनाइट तथा शिस्ट हैं जिनमें ज्वालामुखीय पदार्थ का बहुत ही ज्यादा अन्तर्वेधन (Instrusions) हुआ है, जिससे इनके प्रारंभिक रुप का परिवर्तन बढ़ गया है । इस प्रारंभिक चट्टानों में जीवाश्म तथा अन्य किसी प्रकार के जीवन चिन्ह नहीं मिलते हैं ।
- बुंदेलखण्ड में यह गुलाबी ग्रेनाइट हैं जिसमें फोलेएशन (Foliation) बहुत सीमित है । ऐसा लगता है कि प्राचीन नीस में ज्वालामुखी निभेदन व्यापक पैमाने पर हुआ है जो कि अब सतह पर बुंदेलखण्ड नीस के रुप में मिलती हैं ।
- स्वाभाविक है कि उस प्राचीन नीस के बहुत से भाग पिघल कर बुंदेलखण्ड नीस में मिश्रित हो गए हो इस प्रदेश में सिल तथा डाइक भी बड़ी संख्या में मिलते हैं जो कि लम्बी संकरी पहाड़ियों में दिखते हैं ।

## धारवाड़ शैल (Dharwar System)

- ये चट्टाने दक्षिणी मध्यप्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में मिलती है तथा पूर्व की ओर एक पतली पेटी में फैली है ।
- दक्षिण की ओर यह पेटी महाराष्ट्र राज्य में चली गई है । सोन नदी के दक्षिण में उसके समानान्तर इन चट्टानों की एक लम्बी संकरी पेटी मिलती है तथा बुंदेलखण्ड नीस तथा विंध्यन चट्टानों के बीच बिजावर के चारों और एक अन्य छोटा प्रदेश मिलता है ।
- धारवाड़ शैल समूहं महा आद्यकल्प की चट्टानों के अपरदन से निकले पदार्थ से बना है । इसका भी दबाव तथा ताप से कायान्तरण हुआ है परन्तु फिर भी पहचाना जा सकता है कि यहाँ कभी जलज चट्टानें थीं ।
- अधिकतर चट्टाने फाइलाइट, शिस्ट तथा स्लेट हैं। इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं जो कि इनकी प्राचीनता का प्रमुख प्रमाण है ।
- बालाघाट के मैगनीज तथा जबलपुर का संगमरमर इसी शैल समूह में मिलता है ।

## पुराना संघ

- धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें कालांतर में पर्वत निर्माणकारी क्रियाओं के द्वारा पुराने मोड़दार पर्वत में बदल गई।
- अपरदन चक्र की क्रिया द्वारा यह मोड़दार पर्वत धीरे-धीरे समतल पर आया मैदान में बदल गए।
- इन समप्राय मैदान में बौदिक एक आलू की चट्टानों के नीचे फुंसी पुराना संघ की चट्टानों का निर्माण हुआ।
- समय अवधि के आधार पर पुरान संघ की चट्टानों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है-

1. कड़प्पा शैल समूह
2. विध्यन शैल समूह - लोवर/अपर विधान शैल समूह

**कड़प्पा शैल समूह** (Cuddapah System) - यह पुराने महाकल्प की चट्टानें हैं जो मध्यप्रदेश के विस्तृत भाग में पाई जाती हैं ।

- छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्यतः कड़प्पा का ही क्षेत्र है। इनमें कठोर और ठोस शैल, स्लेट,, क्वार्टजाइट तथा चूने के पत्थर की तहें पाई जाती हैं ।
- इनमें अधिक कायान्तरण नहीं हुआ है क्योंकि फाइलाइट, शिस्ट, अभ्रक, संगमरमर इत्यादि अधिक नहीं मिलती हैं । हालांकि निचली तहों में लोहा तथा मैगनीज अधिक मिलता है ।
- निचले कड़प्पा शैल समूह की ऊपरी तहें बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं, जिनमें चुने के पत्थर, बालू का पत्थर, हेमेटाइट, क्वार्टजाइट की तहें मिलती हैं । इस समूह की चट्टाने बिजावर, ग्वालियर तथा पन्ना के निकट मिलती हैं ।
- इनमें कुछ ज्वालामुखी विभेदो में हीरे पाए जाते हैं । पन्ना के निकट मिलती हैं । इनमें कुछ ज्वालामुखी विभेदों में हीरे पाए जाते हैं । पन्ना की प्रसिद्ध खाने इन्हीं चट्टानें में हैं ।
- ग्वालियर सीरीज भी बिजावर से भिन्न नहीं हैं । यह सीरीज अरावली शैल समूह का भाग है अतः ये चट्टानें मध्यप्रदेश की उत्तर पूर्वी सीमा में मिलती हैं । इन चट्टानों में कायान्तरण अधिक हुआ है ।
- जेस्पर, पोर्सलेनाइट, सेल आदि प्रमुख चट्टानें हैं । पोर्सलेनाइट सम्पर्क कायान्तरण के कारण बनती हैं जो कि ज्वालामुखी विभेदन के कारण होता है ।

**विंध्यन शैल समूह** (Vindhyan System)

ये जलज चट्टानें हैं जो कि अन्तरभौमिक क्रियाओं के प्रभाव उत्तरी मध्यप्रदेश में समतल बिठी हुई हैं ।

- सोन नदी के उत्तर पश्चिम में रीवा से लेकर चम्बल के पश्चिम में राजस्थान तक इनका विस्तार है ।

**मध्यप्रदेश में इन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है -**

- **लोअर विंध्यन -** इसके विस्तृत प्रदेश विंध्याचल श्रेणी में दृष्टिगत होतेहैं जो नर्मदा के उत्तर में पूर्व से, पश्चिम तक फैली है । सोन की घाटी में चूने के पत्थर, शैल तथा बालू के पत्थर की तहें मिलती हैं जहाँ इनकी मोटाई 914 मीटर है ।
- **अपर विंध्यन -** इसके विस्तृत प्रदेश नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं । इन्हे केसूर, रीवा तथा मंडिर सीरिज में बांटा गया है । इसमें केवल जन्तु तथा वनस्पति के कुछ चिन्ह मिलते हैं, परन्तु कोई बड़े जीवाश्म नहीं पाए जाते । इसमें इमारती पत्थर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं जिनका उपयोग ग्वालियर, दिल्ली तथा आगरा की ऐतिहासिक इमारतें में हुआ है ।

## आर्य समूह (Aryan Group)

आर्य महाकल्प विस्तार अपर कार्बनी कल्प से अत्यन्त नूतन युग तक माना जाता है।

आर्य समूह की चट्टानों को गोंडवाना शैल समूह के नाम से भी जाना जाता है।

**गोंडवाना शैल समूह** (Gondwana System)

मध्यप्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टाने दो क्षेत्रो में मिलती हैं ।

- सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखण्ड का पठार, जहाँ ये शैल समूह एक अर्थवृत्त में उत्तर में सीधी तथा सरगुजा से दक्षिण में रायगढ़ तक वितरित हैं ।

**मध्यप्रदेश में गोंडवाना शैल समूह का निम्नलिखित रुप में वर्गीकरण किया जा सकता है -**

**लोअर गोंडवाना शैल समूह** - गोंडवाना कल्प के प्रथम शैल समूह सोन, महानदी घाटियाँ तथा सतपुड़ा दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं ।

- ये तलचीर नाम से पुकारे जाते हैं । इनकी बनावट से भू-वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पुहँचे हैं कि यह पदार्थ जल तथा हिम दोनों से ही वहन किया गया है अतः उस काल में दक्कन का पठार शीत युग के प्रभाव में था । ये तहें 10-12 मीटर मोटी हैं ।



KOTHARI INSTITUTE

- तलचीर समूह के ऊपर करहरबारी, मेटूर तथा बरकार स्तर है । इन्हें दामोदर की घाटी में बरकार तथा रानीगंज स्तर के समकक्ष रखा जा सकता है ।
- पेंच घाटी तथा मोहयानी के कोयला क्षेत्र बरकार स्तर में आते हैं । सतपुड़ा क्षेत्र में इन स्तरों में लगभग 3050 मी. मोटीर बालू के पत्थर तथा शैल ही तहें है ।
- यह संभव नहीं है कि इस क्षेत्र के विस्तृत भाग दक्कन ट्रैप के नीचे दब गए । बघेलखण्ड क्षेत्र में भी इन स्तरों के शैल समूह पाए जाते हैं ।

**मध्य गोंडवाना समूह -** सतपुड़ा क्षेत्र में मध्य गोंडराना शैल का समुचित विकास हुआ है तथा उसके चारों स्तर पंचमढ़ी, देनवा, बागरा तथा पंचेत विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं लोअर तथा मध्य गोंडवाना के बीच असम विन्यासँह तथा दोनों के जीवाश्म भी भिन्न - भिन्न हैं ।

- पंचमढ़ी क्षेत्र में सहाकाय मोटी तहों वाला बालू का पत्थर मिलता है । लौह मात्रा होने की वजह से पीले से लाल रंग का है ।
- पंचमढ़ी शैल के ऊपर देनवा का आवरण है ।
- इनमें क्ले का मोटी तहें है, बीच-बीच में बालू का पत्थर भी पाया जाता है । जीव अवशेषों के आधार पर देनवा तथा बागरा शैल समूह को अलग किया जाता है ।

**अपर गोंडवाना शैल समूह -** सतपुड़ा तथा रघेलखण्ड दोनों ही क्षेत्रों में अपर गोंडवाना शैल समूह मिलते हैं । इसमें भी अधिकतर बालू का पत्थर और शैल मिलते हैं, परन्तु मध्य गोंडवाना से भिन्नता यह है कि इसमें कोयले की कुछ तहें तथा वानस्पतिक पदार्थ एवं चूने के पत्थर की तहें भी पाई जाती है ।

- सतपुड़ा क्षेत्र में यह चौगान तथा जबलपुर में स्तर के नाम से पुकारी जाती है ।
- प्रथम में चूने के पत्थर, क्ले, बालू के पत्थर तथा कांगलोमरेट की तहें तथा द्वितीय में मुलायम विशालकाय बालू के पत्थर, सफेद तथा पीली शैल कोयले तथा भूरे कोयले की तहें मिलती है ।

## क्रिटेशस कल्प (Cretaceous Period)

- क्रिटेशस कल्प में दक्कन के पठार में विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हुई, इनके चिन्ह मध्यप्रदेश के भू-विज्ञान मिलते है ।
- नर्मदा की घाटी में कुछ भागों में नदी तथा एस्चुरी के निक्षेपण से बने शैल समूह मिलते हैं ।
- इन्हे बाघ सीरिज के नाम से पुकारा जाता है ।

**दक्कन ट्रैप (DECCAN TRAP)**

- बाघ तथा लमेटा स्तरों के निक्षेपण के पश्चात् दक्कन के पठार पर बड़े पैमाने पर दरारी ज्वालामुखी क्रियाएँ हुई जिसके कारण बलास्ट की कई हजार मोटी तहों से तत्कालीन भौतिक स्वरुप आवृत्त हो गए ।
- इस निक्षेपण को दक्कन ट्रैप के नाम से पुकारते हैं । ट्रैप का सामान्यतः अर्थ सीढ़ीनुमा ढ़लान से लगाया जाता है।
- प्रदेश का दक्षिण-पश्चिमी भाग इसी का है । जहाँ इन्दौर, भोपाल तथा जबलपुर डिवीजन के भाग इन्हीं चट्टानों के बने हैं ।
- उत्तर तथा पश्चिम की ओर इनकी मोटाई कम हो जाती है एवं सीमा पर विध्यन शैल समूह की पहाड़िया सतह पर दिखने लगती है ।

**तृतीयक शैल समूह -** भौतिक संरचना के इतिहास में तृतीय काल का बहुत महत्व है ।

- इस काल में ही गोंडवाना महाद्वीप टूट कर छोटे-छोटे भागों में विभक्त हो गया तथा उसके बीच का भाग सागर में डूब गया ।
- इसी समय दक्कन के पठार को वर्तमान आकार मिला तथा टेथिस सागर का विशाल निक्षेपण मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठा जो कि आज का हिमालय है ।

## म.प्र. का प्राकृतिक या भौतिक विभाजन

## मालवा का पठार

- म.प्र. के पश्चिमी भाग में लावा मिट्टी से निर्मित एवं विस्तृत पठार फैला हुआ है।
- **वर्षा-** दक्षिण-पूर्वि हिस्से में औसत 125 से.मी. होती है।
  - उत्तर- पूर्वी हिस्से में औसत 75 से.मी. होती है।
  - इस पठार पर 25 इंच वर्षा होती है।
  - इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा अरब सागर से उठने वाले मानसून से होती है।
- वन - इस क्षेत्र में सागौन, संमल, तेंदूपत्ता, सलर्प्र इत्यादि का वनोपज होता है।
- जलवायु- गर्मी में गर्मी अधिक, सर्दियों में सर्दी अधिक होती है।
- मई का माह सबसे अधिक गर्म होता है।

**स्थिति एवं प्राकृतिक रचना :** प्रदेश के पश्चिम भाग में लावा मिट्टी से निर्मित एवं विस्तृत पठार फैला हुआ है ।

- इसमें पठार का प्रारंभ नर्मदा घाटी के उत्तर में विध्यांचन श्रेणी से होता है तथा यह पूर्व में गुना, मन्दसौर से लेकर सागर तक फैला हुआ है ।
- मालवा के पठार के बीच-बीच में नदियों की घाटियाँ तथा कई नीचे पठार जिनकी ऊँचाई 300 से 600 मीटर तक है । इसकी प्रमुख नदी कालीसिंध, क्षिप्रा, पार्वती व चम्बल है, इसमें प्रदेश के मन्दसौर, राजगढ़, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, धार, गुना, विदिशा एवं सागर जिले आते हैं।

**उपज तथा खनिज :** यहां कृषि का व्यवसाय प्रमुख है। गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ।

- उसके अतिरिक्त गन्ना, ज्वार, अलसी की भी पैदावाली की जाती है । खनिज का इस क्षेत्र में अभाव है।

**उद्योग एवं यातायात :** पश्चिम मालवा का पठार राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है । यहाँ कृषि पर आधारित उद्योगों तथा उपभोक्ता सामग्री संबंधी उद्योगों की प्रमुखता है ।

- नागदा में कृत्रिम रेशे के कारखाने, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्प भोपाल आदि हैं ।
- नई इंजीनियरिंग इकाइयों की स्थापना देवास एवं इन्दौर में की जा रही है ।
- इन्दौर के साथ - साथ शाजापुर देवास एवं इन्दौर में की जा रही है । इन्दौर के साथ-साथ शाजापुर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ तता देवास एक समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र के रुप में देश के मानचित्र पर उभर हैं ।
- पूर्वी मालवा में औद्योगीकरण अपेक्षा कम हुआ है । राष्ट्रीय एवं प्रांतीय राज्यमार्ग प्रमुख नगरों को देश के सभी भोगों से जोड़ते हैं । मुंबई से रतलाम, नागदा, दिल्ली तथा मुंबई से भोपाल ग्वालियर, दिल्ली दो प्रमुख रेलमाग भी इस क्षेत्र से गुजरते हैं ।

**प्रमुख नगर -** मालवा के पठार के प्रमुख नगर इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, देवास, विदिशा एवं धार है। माण्डव उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्थान है ।

## मध्य भारत का पठार

- यह प्रदेश भू-आकृतियाँ क्षेत्रीय विविधताएँ दर्शाता है।
- भू-अपरदन संबंधी अश्मविज्ञानी परिवर्तन शामिल है।
- मध्यभारत के पाठार का आधार "शैल बेसाल्ट की समरूप संरचना से निर्मित है।
- यहाँ की मिट्टी काली तथा जलोढ़ है।
- प्रमुख नदियाँ हैं- वाणगंगा, कुंवारी, पार्वती, और काली सिन्ध।

**अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है-**

- दलहन (फलियाँ), तिलहन, कपास, गन्ना, और तम्बाकू का उत्पादन होता है।

**स्थिति एवं प्राकृतिक दशा -** मध्यप्रदेश के उत्तर में चम्बल नदी का निचला बेसिन है । यहाँ मध्यभारत का पठार या चम्बल उप-आर्द के नाम से जाना जाता है ।

- यहाँ औसत वर्षा 75 से.मी. से कम होती है । चम्बल की काली सिंध और पार्वती अपने विस्तृत मैदानों में बीहड़ प्रदेश का निर्माण करती है ।
- मध्य पठार की अधिक ऊँचाई नहीं है । विस्तृत भाग 200 से 450 मीटर के मध्य है । इस क्षेत्र में भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी जिले आते हैं ।

**मिट्टी एवं वनस्पति :** मैदानी भागों में चम्बल तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी मिलती है ।

- पठारों पर काली मिट्टी भई मिलती है । बीहड़ प्रदेश तथा ऊँचे पठारो पर वन पाए जाते हैं । इन भागों में वन्य प्रदेश 20 से 27 प्रतिशत भूमि में मिलते हैं ।
- प्रदेश के अन्य भाग से भिन्न यहाँ कटीले वन पाए जाते हैं जिनका आर्थिक महत्व अधिक नहीं है । शीशम, खेर, बबूल, महुआ, करौंदा इन वनो की प्रमुख पैदावार है । बाँस व घास भी कही न कहीं मिलती है ।

**उपज एवं खनिज :** इस क्षेत्र में नहरों व कुओं से सिंचाई की जाती है । भिण्ड,मुरैना तथा ग्वालियर उत्तरी पूर्वी भाग में निरा बोया गया क्षेत्र 57 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक है ।

- गेहूँ यद्यपि इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है, किन्तु वर्षा की कमी के कारण गेहूँ ज्वार, तिल, अलसी तथा गन्ना। ग्वालियर जिले में चीनी मिट्टी, चूने का पत्थर तथा इमारती पत्थर मुख्य खनिज हैं।

**उद्योग एवं यातायात :** कुटीर उद्योगों की इस क्षेत्र में अधिकता है । डबरा केलारस में शक्कर, शिवपुरी व बानमोर में खैर की लकड़ी के कत्था बनाने का कारखाना, ग्वालियर में कृत्रिम रेशे से कपड़े बनाने का कारखाना, बिस्कुट बनाने का कारखाना, इंजीनियरिंग उद्योग, चीनी मिट्टी के कारखाने चमड़े का सामान बनाने आदि के उद्योग प्रचलित हैं । भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर जिले सड़क तथा रेलमार्गों से जुड़े हुए हैं ।

- शिवपुरी जिला सड़क परिवहन से जुड़ा है । नदियों के बाहड़ क्षेत्र में यातायात सुगम नहीं है ।

**मुख्य नगर :** ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी बस क्षेत्र के प्रमुख नगर एवं जिलों के मुख्यालय है ।

## रीवा-पन्ना का पठार

- इस पठार का विस्तार म.प्र. के 10.37 प्रतिशत भाग पर है।
- यह पठार के पाठार के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है।
- इस क्षेत्र में रीवा, पन्ना, सतना तथा दमोह प्रमुख शहर हैं।
- इस क्षेत्र के चचाई व केवटी प्रमुख जलप्रपात हैं।
- यह प्रदेश गंगा और नर्मदा के प्रवाह को भी अलग करता है।
- इस पठार की ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक है।
- यहां पर बुलई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है।

**कारखाने-**

- पन्ना- हीरा उत्खनन
- रीवा- कत्था बनाना
- सतना- सीमेन्ट उद्योग

**स्थिति एवं प्राकृतिक दशा -**

मालवा के पठार के उत्तर - पूर्व में रीवा पन्ना का पठार स्थित है। यह 300 से 600 मटीर ऊंचाई से घिरा हुआ भाग है। इस क्षेत्र में रीवा, सतना, पन्ना तथा दमोह जिले सम्मिलित है। केन, सोनार, बेतवा तथा टोंस इस क्षेत्र जल प्रताप हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है।

**मिट्टी तथा वनस्पति -** इस क्षेत के पश्चिमि भाग मे लाल तथा शेष क्षेत मे लाल तथा काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इस पठार का दक्षिणी तथा उत्तरी पठार तथा आसपास का क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित है।

- अजयगढ़, पन्ना, हंटा, नागौद रघुराजनगर एवं सिरमौर क्षेत्र में वहन मिलते हैं। यहाँ के वनों में बाँस बहुतायत से पाया जाता है। सलई, सेम, हल्दु, बीजा, तेन्दुपत्ता तथआ सवाई घास भी वनों से मिलती है। इस क्षेत्र की 30 से 40 प्रतिशत भूमि वनों के अन्तर्गत आती है।

उपज एवं खनिज- गेहूँ इस क्षेत्र की प्रमुख पैदावार है। इस क्षेत्र के पूर्व की ओर चावल की खेती होती है। अन्य प्रमुख फसलें हैं ज्वार तथा तिलहन।

- इस क्षेत्र में नहरें तथा कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। चूने के पत्थर सतना जिले में, सिलिका सेंड रीवा जिले में, हीरा पन्ना जिले में पाए जाते हैं।

**उद्योग एवं व्यवसाय -** यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। इसके अतिरिक्त सीमेंट उद्योग सतना मैहर व रीवा में, कत्था उद्योग रीवा में, हीरा से संबंधित पन्ना में, प्रमुख उद्योग हैं।

- ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व अधिक है तथा नगरीय जनसंख्या का घनत्व कम है।

**मुख्य नगर -** सतना, रीवा, पन्ना, दमोह इस क्षेत्र में प्रमुख नगर एरं जिलो के मुख्यालय है। रीवा इस क्षेत्र का प्रमुख शिक्षा केन्द्र है।

## बुंदेल का पठार

- मुख्य बोली बुंदेली है।
- इसका प्राचीन नाम जैजाकभुक्ति था।
- म.प्र. के क्षेत्रफल का 7.71% भाग पर स्थित है।
- इस क्षेत्र में बुंदेलों की राजधानी ओरछा स्थित है।
- इस पठार पर प्राचीनतम कठोर आग्नेय चट्टाने पाई जाती हैं। जिनसे ग्रेनाईट, नीस, शिस्ट प्रमुख हैं
- इस क्षेत्र में बेतवा, सिंध, केन, धसान, पहूज आदि नदियां प्रवाहित है।
- इस पठार की प्रसिद्ध-चोटी "सिद्धबाबा" (1172 किमी) सबसे ऊंची चोटी है।
- यहाँ की बुलई दोमट मिट्टी काली तथा लाल मिट्टी के समिक्षण से बनी है।
- यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन विस्तृत हैं। जिसमें तेंदू पत्ता विशेष रूप से प्राप्त होता है।
- यहाँ का पठार कृषि एवं पशुपालन इस क्षेत्र के प्रमुख व्यवसाय है।
- औसत वर्षा 75 से.मी. होती है।
- प्रमुख नगर खजुराहो / ओरछा / दतिया / चंदेरी हैं।
- प्रमुख राजवंश - चन्देल, कालिंजर, खजुराहो, बघेला, बुंदेल, ओरछा व चरखारि।
- इस पठार को ही चैदी जनपद का हिस्सा कहा जाता है।
- बुंदेल खण्ड नर्मदा, चम्बल, बेतवा और केन आदि नदियों से घिरा हुआ है।

**स्थिति एवं प्रकृति :** मध्यभारत के पठार के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में जो पठार स्थित है उसे बुंदेलखण्ड का पठार कहते हैं।

- इस पठार आर्कियन युग की ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इस पठार की ऊँचाई 150 से 450 मीटर तक है बेतवा, धसान, केन तथा सिंध नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है।
- इस क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं - दतिया, टीमकगढ़, नौगाँव, महाराजपुर, बिजावर तथा चंदेरी, खजुराहो इस क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन केन्द्र है। चंदेरी तथा ओरछा प्रमुख ऐतिहासिक नगर है।

**मिट्टी तथा वनस्पति :** इस क्षेत्र में काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है।

- इस क्षेत्र की तहसील में वन्य भूमि 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है। खैर, तलाश, नीम, धोबा, महूआ, बीजा आदि के वृक्ष यहाँ के वनों में पाए जाते हैं।

**उपज तथा खनिज -** इस क्षेत्र की प्रमुख फसल ज्वार है। इसके अतिरिक्त गेहूँ तथा तिल की फसलें भी अच्छी होती है। इस क्षेत्र में सिंचाई साधनों का पर्याप्त विस्तार है। यहाँ उल्लेखनीय खनिज कोई भी नहीं है।

**यातायात -** इस क्षेत्र के प्रमुख नगर, मध्यप्रदेश से सभी बड़े नगरों से सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं।

**दर्शनीय स्थल -** खजुराहो का शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिर, ओरछा में बुंदेलों के समय के महल दतिया का सतखंडा महल तथा चंदेरी में कई दर्शनीय स्थल प्रमुख है।

## बघेलखण्ड का पठार

मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्व में स्थित इस पठार का सीधी-शहडोल वाला भाग मध्यप्रदेश में है, जबकि छत्तीसगढ़ के पृथक होने से पूर्वी बघेलखण्ड छत्तीसगढ़ में चला गया है।

- गौण्डवाना शैल समूह से प्रमुखतः निर्मित इस पठार में विंध्य ग्रेनाइट शैल समूह तथा धारवाड़ युगीन शैल भी मिलते हैं। ऊँचाई 1500 मीटर।
- प्रमुख जिले सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिण्डौरी हैं।

## नर्मदा. सोन नदी की घाटी

**स्थिति एवं प्राकृतिक रचना -** मध्यप्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की संकरी घटियों के मध्य का क्षेत्र नर्मदा, सोन नदी की घाटी कहलाता है।

- इसमें विध्य का उत्तर क्षेत्र, मंदिर तथा कैमूर श्रेणियाँ सतपुड़ा तथा बघेलखंड के ऊँचे भाग हैं। घाटियों की चौड़ाई सभी भागों में समान नहीं है।
- मंडलेश्वर तथा होशंगाबाद के मैदान लगभग 100 मीटर चौड़े है। होशंगाबाद तथा इटारसी के निकट केवल 40 किलोमीटर रह जाता है।
- उत्तर में सोन की घाटी में मुडवारा का मैदान केवल 50-60 किलोमीटर चौड़ा है। सोन की निचली घाटी 20-40 किलोमीटर से अधिक चौड़ी नहीं है। यह क्षेत्र मध्यप्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है।
- नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियो से निकलकर, गुजरात भड़ौंच के निकट अरब सागर में गिरती है।
- इस घाटी में जबलपुर सरसिंहपुर तथा होशंगाबाद जिले आते हैं।

सोन नदी भी अमरकंटक पहाड़ियो से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बिहार में पटना के निकट गंगा में मिलती है।

- इस घाटी में जबलपुर जिले का आंशिक भाग तथा सीधी जिला आता है।

**मिट्टी एवं वनस्पति -** यह काली तथा गहरी मिट्टी का प्रदेश है, अतः यहाँ कृष्य भूमि का केन्द्रीकरण मिलता है, नर्मदा घाटी में 25 प्रतिशत तथा सोन घाटी में 40 से 50 प्रतिशत भूमि वनों में अंतर्गत आती है।

- सोन की घाटी में साल के सघन वन मिलते हैं। साथ ही बाजा, हल्दू, घवा तथा सेमल के वृक्ष भी पाए जाते हैं।

**उपज एवं खनिज -** नर्मदा की घाटी गेहूँ उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है।

- गेहूँ के अंतर्गत भूमि का विशेष केन्द्रीकरण होशंगाबाद नरसिंहपुर, जबलपुर जिलों की तहसीलों में मिलता है।
- हरदा से पश्चिम की ओर ज्वार तथा कपास की महत्वपूर्ण फसल होती है।
- तवा योजना के बनने के पश्चात सिंचित भूमि में वृद्धि हुई है। सोन की घाटी में चावल प्रमुख फसल है।
- चावल की कृषि का केन्द्रीकरण त्योहारी, गोपदबनास तथा शहडोल की तहसीलों में मिलता है।
- नर्मदा घाटी में चूने का पत्थर, फायर क्ले, संगमरमर तथा गैगनीज तथा सोन नदी घाटी में चूने का पत्थर एरं कोयला मिलता है।

**उद्योग -** सीमेंट, रंग बनाने का उद्योग, रबर, काँच बनाने का उद्योग, चूना मिट्टी उद्योग, चीना, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग तथा उत्खनन उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं।

**प्रमुख नगर -** मध्यप्रदेश की तीसरा प्रमुख नगर जबलपुर इसी क्षेत्र में स्थित है।

- नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, पिपरिया, होशंगाबाद, बड़वाह, बड़वानी, महेश्वर, ओंकारेश्वर, इटारसी तथा अन्य प्रमुख नगर हैं।
- नर्मदा के दक्षिण में खण्डवा तथा खरगोन अन्य विकसित नगर हैं।

## सतपुड़ा - मेकल की श्रेणियाँ

**स्थित एवं प्राकृतिक रचना-** दक्षिणी मध्यप्रदेश में पश्चिमी सीमा के पूर्व में सतपुड़ा की श्रेणी तथा मेकल का पठार हैं, इसके सामानान्तर उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में तापति की घाटियाँ हैं ।

- इस क्षेत्री के विस्तृत भाग लगभग 600 मीटर ऊँचे हैं, चोटियाँ 1000 मीटर तक पहुँच जाती हैं ।
- महादेव की श्रेणी अधिकतम ऊँची है, जहाँ धूपगढ़ की ऊँचाई 1350 मीटर तक है ।
- इस क्षेत्र की प्रमुख नदी तवा, बेतवा तथा जोहिला है। यहाँ बलुआ पत्थर बहुत मुलायम हैं, जिसे नदियों ने काटकर संकरी ऊँची - पहाड़ियों तथा संकरी ओर गहरी कंदराओं में परिवर्तित कर दिया है ।
- भौगोलिक दृष्टिकोण से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की (1) पश्चिमि (2) पूर्वी (3) मैकल श्रेणी में बाँट सकते हैं । बुरहानपुर के समीप सतपुड़ा की श्रेणी टूट गई है तथा औसत ऊँचाई 300 मीटर तक है । इसे बुरहानपुर का दर्रा कहते हैं । यही दोनों भागों की सीमा है ।

**(क) पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणी :** बुरहानपुर दर्रे के पश्चिम का भाग पश्चिम सतपुड़ा में सम्मिलित है नर्मदा के उत्तर में झाबुआ जिले के बौगोलिक लक्षण सतपुड़ा से अधिक भिन्न नहीं है । अतः इसे इस भाग में सम्मिलित किया गया है इस भाग में सतपुड़ा की श्रेणियाँ पहुंचती है । इसके पूर्वी भाग को असीरगढ़ तथा पश्चिम भाग को अखरानी तथा बड़वानी की श्रेणियों के नाम से पुकारा जाता है । नर्मदा के उत्तर में बाघ तथा मथवार की श्रेणियाँ हैं । बड़वानी के पश्चिम में नर्मदा की लम्बी तथा संकरी कंदरा है ।

**उपज एवं खनिज-** पठारों अथवा घाटियों में समतल भूमि पाई जाती है । जहाँ कृषि की जाती है । यहाँ की प्रमुख फसल ज्वार है । कुछ गेहूँ तथा चावल भी पैदा किया जाता है।बड़वानी, बुरहानपुर, बड़वाह, खण्डवा, के पास भई होता है । खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र धनी है । कोयले की खदानें सतपुड़ा के गोंडवाना क्षेत्र में मैंगनीज, छिंदवाड़ा जिले में चूने के पत्थर, फायरक्ले बैतूल जिले में, मिलते हैं । प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में डोलोमाइट, मैंगनीज तथा एस्बेस्टस मलाजखण्ड में, ताँबा और मैंगनीज बालाघाट जिले का प्रमुख खनिज है । मलाजखंड ताँबा परियोजना यहाँ कि प्रसिद्ध योजना है ।

**(ख) पूर्वी सतपुड़ा की श्रेणी-** बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा की श्रेणी पर्याप्त चौड़ी हो गई है । ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणियों हैं जो बनावट में उपर्युक्त श्रेणी से भिन्न नहीं है । इसके पूर्व में क्रमशः बैतूल और छिंदवाड़ा पठार है तथा उत्तर में महादेव की श्रेणियाँ है । सतपुड़ा की अधिकम ऊँची चोटी धूपगढ़ (1350 मी.) महादेव की श्रेणी में स्थिति है ।

- उत्तर की और नर्मदा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ मछेखा, देनवा तथा छोटो तवा है । दक्षिण में पेटी लोअर गोंडवाना चट्टानों की है तो महादेव श्रेणी अपर गोंडवाना शैल समूह का बना है । इन्हीं लोअर गोंडवाना शैल समूह में कान्हन तथा पेंच घाटियों की कोयले की खाने मिलती है ।

**(ग) मैकल पर्वत श्रेणी-** सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग सबसे अधिक चौड़ा है । इसे मैकल का पठार कहते हैं । इस श्रेणी यद्यपि रीढ़ की हड्डी के समान टेढ़ी-मेढ़ी तथा संकरी है, किन्तु ऊपरी सतह समतल अथवा तरंगित पठार के रूप में हैं । यह सतह अधिकतर सघन वनों में आवृत्त है तथा अन्य छोटी वनस्पति और घास भी उगती हैं । अतः विभिन्न दिशाओं में बहनेवाली अनेक नदियों का उद्गम इस ऊँची श्रेणी में हैं । सतह पर लेटराइट की मोटी तह है । यही कारण है कि कुछ दूर बहने के पश्चात ही नदियों में पर्याप्त जल एकत्रित हो जाता है । अमरकंटक का पठार इसका अच्छा उदाहरण है, जहाँ से एक और नर्मदा, दूसरी ओर सोन तथा तीसरी ओर जोहिला का उद्गम है । अमरकंटक की अधिकतम ऊँची सतह पर लेटराइट के बीच निक्षेपित बाक्साइट के विशाल भण्डार मिलते है ।

- मेकल की श्रेणी, पश्चिमी और प्रपाती कगार द्वारा मेकल के पठार पर समाप्त होती है । इस पठार का विस्तृत भाग 600 मी. से ऊँचा है । घाटियाँ अपेक्षया अधिक नीची हैं । पश्चिम की ओर मेकल का पठार सबसे नीचा है जो 450 मीटर से लगभग है ।

# मध्यप्रदेश की नदियाँ

- **नदी तंत्र-** मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर नदी तंत्र बनता है।
- **नदी बेसिन-** नदी जल विभाजको के गहरे मध्यवर्ती जिस क्षेत्र से होकर बहती है वह नदी बेसिन कहलाता है।
- **अपवाह क्षेत्र-** मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र का जल बहाकर लाती हैं, उसे उन नदी का अपवाह क्षेत्र कहते हैं।
- **जल विसर्जन क्षमता-** नदी समुद्र में या किसी अन्य स्रोत में कितना जल प्रति समय इकाई में छोड़ती है, वह नदी की जल विसर्जन क्षमता कहलाती है। जलप विसर्जन क्षमता को क्यूसेक इकाई से मापा जाता है।
- **नदी प्रवृत्ति-** वर्षभर विभिन्न ऋतुओं में नदी में जल की मात्रा के घटने-बढ़ने को रिवर रिजीम या नदी प्रवृत्ति कहते हैं।
- **नदी में प्रदूषण का स्तर-** नदी में प्रदूषण का स्तर BOD, COD और DO से निर्धारित किया जाता है।
- मध्यप्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्यप्रदेश से नदियां निकलकर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की तरफ अन्य प्रदेशों की ओर बहती हैं।
- मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर चंबल, बेतवा, सोन एवं केन नदियां बहती हैं। प्रदेश की प्रमुख नदियां अग्रलिखित है-

## नर्मदा नदी

- नर्मदा नदी का उद्‌गम मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से होता है।
- यह नदी म.प्र, एवं गुजरात में बहती हुई भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है।
- नर्मदा प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसे प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है।
- इस नदी की कुल लंबाई 1312 किमी है, जिसमें से 1077 किमी भाग मध्यप्रदेश में पड़ता है।
- नर्मदा का कुल प्रवाह क्षेत्र 93180 वर्ग किमी है, जिसा 89.9% भाग मध्यप्रदेश में पड़ता है।
- नर्मदा के अन्य नाम रेवा, मैकल सुता, सोगो देवी एवं नामोदास भी है।
- नर्मदा प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है। प्रदेश का अंतिम जिला बड़वानी।
- नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या 41 है।
- नर्म की प्रमुख सहायक नदियां शक्कर, तवा, देव, हिरन, बरना, कानर एवं मान, हथिनी आदि हैं।
- नर्मदा भारत की पांचवीं सबसे बड़ी नदी है।

## चंबल नदी

- म.प्र. के इंदौर जिले की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्‌गम होता हैतथा यह नदी इटावा के पास यमुना में मिलती है।
- प्राचीन काल में इसे धर्मावती (चर्मावती) के नाम से जाना जाता था।
- इस नदी की सम्पूर्ण लंबाई 965 किमी है।
- चंबल नदी म.प्र. एवं राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है।
- चंबल नदी कोटा जिले में भैंसरोडगढ़ के निकट 18मी. ऊँचा 'चूलिया जलप्रपात' बनाती है।
- सिंध, पार्वती, बनास आदि नदियां, चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं।
- राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गाँधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई है।

## बेतवा नदी (बेत्रवती)

- बेतवा नदी का उद्‌गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है तथा अवसान उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदीं में होता है।
- इस नदी की कुल लंबाई 380 किमी है तथा यह उत्तर से पूर्व की ओर बहती है।
- बेतवा नदी की सहायक नदियों में बीना, धसान एवं प्रमुख है।
- यह नदी म.प्र. एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है।

KOTHARI INSTITUTE

## ताप्ती नदी (संस्कृत-मुलातापी - तापी माता)

- ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुलताई नगर के समीप से होता है तथा यह नदी गुजरात में सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गरती है।
- यह नदी नर्मदा की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है।
- इस नदी की कुल लंबाई 724 किमी है।
- पूरणा नदी इस नदी प्रमुख सहायक नदी है।
- यह नदी प्रदेश के बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर जिलों में बहती है।

## सोन नदी

- सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक चोटी से हुआ है, तथा यह नदी पटना के पास दीनापुर में गंगा नदी में मिल जाती है।
- इस नदी की कुल लंबाई 780 किमी है तथा इसके जल प्रवाह का कुछ क्षेत्रफल 17900 वर्ग किमी है।
- इस नदी को 'स्वर्ण नदी' के नाम से भी जाना जाता है।
- जोहिला, सोन की प्रमुख सहयक नदी है।

## शिप्रा नदी

- क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरड़ी पहाड़ी से होता है।
- इसकी कुल लंबाई 195 किमी है। यह प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों में बहती है।
- शिप्रा नदी, चंबल की सहायक नदी है, जबकि खान नदी क्षिप्रा की प्रमुख सहायक नदी है।

## काली सिंध नदी

- यह नदी देवास जिले के बागली गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है।
- यह नदी 150 किमी का सफर करते हुए राजस्थान में जाकर चंबल नदी से मिल जती है।
- मध्यप्रदेश में यह नदी राजगढ़ एवं शाजापुर जिलों में बहती है।

## सिंध नदी

- सिंध नदी गुना जिले में स्थित सिरोज के निकट से निकलती है।
- प्रदेश में यह नदी शिवपुरी, गुना, दतिया एवं भिंड जिलो में बहती हुई इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है।

## तवा नदी

- तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से होता है तथा होशंगाबाद के निकट यह नदी, नर्मदा में मिल जाती है।
- मालनी, सप्तवा एवं देनवा तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं।

## केन-बेतवा लिंग परियोजना

- शुभारंभ - 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत किया गया ।
- **'अमृत क्रांति'** के नाम से शुरू की गई यह योजना देश की प्रमुख नदियों को जोड़न की दिशा में एक सफल पहल है।
- यह अन्य राज्यों को अपने जल विवाद निपटारे हेतु प्रेरित करेगी।
- उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश की इस संयुक्त परियोजना में केन व बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों राज्यों के पानी की कमी वाले कई क्षेत्रों को पेय जल व सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।
- 4263 करोड़ लागत की इस परियोजना से 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी व 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा।
- दोनो नदियों को जोड़ने के लिए 73 मीटर ऊंचा दौधन बांध व 231 किलोमीटर लंबी नहर तैयार की जाएगी।
- लिंक नहर बेतवा नदी पर बने बरवा सागर जलाशय में मिलाई जाएगी।

## सिंचाई

- मध्यप्रदेश की नदी बेसिनों में 81.5 अबर घन मी. पानी का संभावना है।
- सर्वाधिक जल (घटते क्रम में) क्रमशः नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन एवं यमुना बेसिन में है।
- प्रदेश में शुद्ध सतही जल की उपलब्धता 56.8 अरब घन मी. तथा भूमिगत जल की शुद्ध वार्षिक उपलब्धता 5.03 अरब घन मीटर आंकी गई है।

- राज्य में प्रतिवर्ग उपलब्ध सभी तरह के जल की मात्रा 91.8 अरब घन मीटर है।
- प्रदेश में वर्ष 2008-09 के अनुसार कुल सिंचित भूमि 6714 हजार हेक्टेयर है, जो कुल कृषि भूमि का 32.3% है।
- चंदेल वंश द्वारा पहली शताब्दी में खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया गया था।
- राज्य में सर्वप्रथम वर्ष 1923 में बालाघाट में वेनगंगा नहर का निर्माण हुआ था।
- वर्ष 1927 में ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया था।
- प्रदेश में सर्वाधिक अर्जित सिंचाई क्षमता होशंगाबाद में तथा सबसे कम अर्जित सिंचाई क्षमता बुरहानपुर में है।
- राज्य में कुल कृषि भूमि का सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत होशंगाबाद में तथा न्यूनतम सिंचित प्रतिशत डिंडोरी जिले में है।
- मध्यप्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएँ एवं नलकप हैं, जबकि नहरों का स्थान दूसरा है।
- राज्य में कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है, जबकि नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में कमी आ रही है।
- राज्य में भूमिगत जल का सर्वाधिक विकास रतलाम जिले में तथा न्यूनतम विकास मंडला जिले में किया गया है।
- कुओं द्वारा पश्चिमी मध्यप्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है।
- बालाघाट एवं सिवनी में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है।
- राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में होती है।

## मध्यप्रदेश में सिंचाई के स्रोत तथा योगदान (%) में

| | |
|---|---|
| ➤ **कुएं एवं नलकूप** | 66.3% |
| ➤ **नहर** | 16.8% |
| ➤ **तालाब** | 2.3% |
| ➤ **अन्य साधन** | 14.6% |

## मध्यप्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर

| नगर | नदी | नगर | नदी |
|---|---|---|---|
| बालाघाट | वेनगंगा | शिवपुरी | सिन्ध |
| दतिया | सिन्ध | उज्जैन | क्षिप्रा |
| बड़वानी | नर्मदा | पचमढ़ी | तवा |
| साँची | बेतवा | सोनकच्छ | काली सिन्ध |
| श्योपुर | चम्बल | अशोकनगर | बेतवा |
| विदिशा | बेतवा | रतलाम | चम्बल |
| निमाड़ | नर्मदा | मण्डला | नर्मदा |
| जबलपुर | नर्मदा | झाबुआ | नर्मदा |
| बुन्देलखण्ड | बेतवा | महू (मऊ) | चम्बल |
| धार | नर्मदा | होशंगाबाद | नर्मदा |
| महेश्वर | नर्मदा | शाजापुर | पार्वती |
| राजगढ़ | पार्वती | ओंकारेश्वर | नर्मदा |
| बुरहानपुर | ताप्ती | मुलताई | ताप्ती |
| ओरछा | बेतवा | देवास | काली सिन्ध |

## मध्य प्रदेश के प्रमुख जल प्रपात

| क्र. सं. | जल प्रपात | स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | पाताल पानी | इन्दौर के निकट |
| 2. | केदारनाथ | अरावली श्रृंखला |
| 3. | पुरवा प्रपात | रीवा के निकट |
| 4. | केवटी प्रपात | रीवा के निकट |
| 5. | बेलौही प्रपात | रीवा के निकट |
| 6. | सहस्त्रधारा | महेश्वर |
| 7. | झाड़ीदाहा | इन्दौर के निकट |
| 8. | कपिलधारा | अमरकण्टक |
| 9. | दुग्धधारा | अमरकण्टक |
| 10. | पियावन प्रपात | रीवा के निकट |
| 11. | बहुटी प्रपात | रीवा के निकट |
| 12. | पाण्डव प्रपात | पन्ना के निकट |
| 13. | चुलिया प्रपात | मन्दसौर |
| 14. | चचाई प्रपात | रीवा के निकट |

KOTHARI INSTITUTE

## म.प्र. की सिंचाई परियोजनाएँ/संयुक्त सिंचाई परियोजनाएँ

**1. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजनाएँ:**
(i) बाणसागर परियोजना (सोन नदी)

**2. मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएँ :**
(i) उर्मिल परियोजना (उर्मिल नदी)
(ii) सिंहपुर बैराज, ग्रेटर गंगऊ बाँध (केन नदी)
(iii) रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना (बेतवा नदी)

**3. मध्यप्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजनाएँ :**
(i) रुवनाई परियोजना
(ii) लोअर कोलाबा परियोजना
(iii) कुटनाल ईद परियोजना
(iv) लोअर जॉक परियोजना

**4. मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएँ :**
(i) सार्कदाना परियोजना (ii) कोसी-निब्रा परियोजना
(iii) भोपाल-पट्टनम परियोजना
(iv) बाँध परियोजना
(v) पेंच परियोजना

**5. मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना :**
(i) सरदार सरोवर परियोजना (नर्मदा व उसकी सहायक नदियाँ)

**6. मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएँ:**
(i) राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज परियोजना
(सभी चम्बल नदी पर)

- उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भिटोरा में छतरपुर-कानपुर मार्ग पर बनाई गई है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
- **पंचनद प्रोजेक्ट परियोजना-** इस परियोजना में चंबल, केन, धसान, पार्वती और बनास नदी को मिलाकर राजस्थान सरकार एवं म.प्र. सरकार के मध्य सन् 2003 में इस परियोजना के लिए समझौता हुआ है।

## मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ

**1. परियोजना-** चम्बल घाटी परियोजना
**नदी-** चम्बल
**लाभान्वित जिले-** भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर
**विशेष विवरण** यमुना की सहायक नदी 'चम्बल' शिवपुरी पर स्थित यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। **प्रारम्भ**-1954 ई. में। निर्माण तीन चरणों में-
(i) गाँधी सागर योजना 1960 ई. में पूर्ण
(ii) राणा प्रताप सागर
(iii) जवाहर सागर (कोटा बैराज) बायीं ओर की नहर राजस्थान को व दायीं नहर मध्य प्रदेश में कृषि को सींचती है।

**2. परियोजना-** **नर्मदा घाटी परियोजना** (सरदार सरोवर, इन्दिरा, सागर, महेश्वर, ओंकारेश्वर)
**नदी-** नर्मदा व उसकी सहायक 41 नदियाँ
**लाभान्वित जिले-** नर्मदा के उद्गम से समापन तक सम्पूर्ण जिले व गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान
**विशेष विवरण-** इस परियोजना में मध्य प्रदेश की 29 वृहद्, 135 मध्यम तथा 3000 लघु सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं। क्षमता-2600 मेगावाट विद्युत् व 27.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। इन्दिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में तथा सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में भड़ौच के निकट निर्माणाधीन है।
इन्दिरा सागर व ओंकारेश्वर दो वृहद् सिंचाई परियोजनाएँ होंगी, जिनसे 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इन्दिरा सागर परियोजना खण्डवा के पुनासा में स्थित है। इसका उद्घाटन 23 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा किया गया।

**3. परियोजना-** बरगी परियोजना (रानी अवन्तिबाई सागर परियोजना)
**नदी-** बरगी (जबलपुर)
**लाभान्वित जिले-** जबलपुर, मण्डला सिवनी
**विशेष विवरण-** **प्रारम्भ**-1917, 69 फीट ऊँचा, बाँध क्षमता-2.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई

**4. परियोजना-** तवा परियोजना
**नदी-** तवा (होशंगाबाद)
**लाभान्वित जिले-** जबलपुर, मण्डला सिवनी
**विशेष विवरण-** 3.33 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता। वर्तमान में 2.47 लाख हेक्टेयर में हो रही है।

**5. परियोजना-** हलाली परियोजना (सम्राट अशोक सागर)
**नदी-** हलाली
**लाभान्वित जिले-** विदिशा, रायसेन
**विशेष विवरण-** 945 मीटर लम्बा एवं 29.57 मीटर ऊँचा बाँध। 36,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता; निर्माण-1973-76 में।

**6. परियोजना-** बाण सागर परियोजना
**नदी-** सोन
**लाभान्वित जिले-** मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी जिले लाभान्वित होंगे
**विशेष विवरण-** 405 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 50 : 25 : 25 का अंशदान है।

**7. परियोजना-** माताटीला बाँधा परियोजना (रानी लक्ष्मीबाई परियोजना)
**नदी-** बेतवा
**लाभान्वित जिले-** मध्य प्रदेश के 6 व उत्तर प्रदेश के 4 जिले
**विशेष विवरण-** यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 1.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। यहाँ माताटीला जल विद्युत गृह भी है।

KOTHARI INSTITUTE

**8. परियोजना-** बाँध परियोजना
**नदी-** बाँध
**लाभान्वित जिले-** महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र बालाघाट, छिन्दवाड़ा
**विशेष विवरण-** सीमा पर सिरपुर गाँव में बाँध बनाया गया है। इससे मध्य प्रदेश क्षेत्र में सिंचाई होगी।
यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है।

**9. परियोजना-** पेंच परियोजना
**नदी-** पेंच
**लाभान्वित जिले-** बालाघाट, छिन्दवाड़ा
**विशेष विवरण-** यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इससे 63,388 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

**10. परियोजना-** बावनथड़ी
**नदी-** बावनथड़ी
**लाभान्वित जिले-** मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र
**विशेष विवरण-** यह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में यह परियोजना स्थापित है। इससे मध्य प्रदेश में 18,615 हेक्टेयर व महाराष्ट्र में 17,357 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।

**11. परियोजना-** काली सागर
**नदी-** बाँध का पूरक
**लाभान्वित जिले-** मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र
**विशेष विवरण-** यह बाँध की पूरक परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश का 1174 तथा महाराष्ट्र का 3522 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

**12 परियोजना-** केन बहुउद्देशीय परियोजना (गेटर गंगऊ)
**नदी-** केन
**लाभान्वित जिले-** छतरपुर, पन्ना
**विशेष विवरण-** यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे 50 मेगावाट जल विद्युत भी उत्पादित होगा।

**13. परियोजना-** उर्मिल परियोजना
**नदी-** उर्मिल
**लाभान्वित जिले-** छतरपुर
**विशेष विवरण-** मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में 60 :40 जल अनुपात बँटवारा। मध्य प्रदेश में नहर 137 किमी. है।

**14 परियोजना-** सिंहपुर बैराज
**नदी-** उर्मिल
**लाभान्वित जिले-** छतरपुर
**विशेष विवरण-** उर्मिल बाँध उत्तर प्रदेश व नहर निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा; उर्मिल परियोजना के नीचे यह प्रस्तावित है।

**15 परियोजना-** बारना
**नदी-** बारना
**लाभान्वित जिले-** रायसेन
**विशेष विवरण-** 60,290 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता : बाड़ी गाँव के निकट बाँध बना है।

**16 परियोजना-** भाण्डेर नहर
**नदी-** बेतवा
**लाभान्वित जिले-** दतिया, ग्वालियर
**विशेष विवरण-** लम्बाई 57.6 किमी.;
सिंचाई क्षमता- भिण्ड 44,535 हेक्टेयर।

**17 परियोजना-** अपर वेनगंगा (संजय सरोवर)
**नदी-** वेनगंगा
**लाभान्वित जिले-** बालाघाट, सिवनी
**विशेष विवरण-** इसकी सिंचाई क्षमता 1,03,722 हेक्टेयर है।

**18 परियोजना-** थाँवर परियोजना
**नदी-** थाँवर
**लाभान्वित जिले-** मण्डला
**विशेष विवरण-** 18,212 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है।

**19 परियोजना-** कोलार परियोजना
**नदी-** कोलार
**लाभान्वित जिले-** सीहोर
**विशेष विवरण-** सीहोर में सिंचाई के अतिरिक्त भोपाल को पेयजल की उपलब्धता; सिंचाई क्षमता-60,887 हेक्टेयर सिंचाई।

**20 परियोजना-** माही परियोजना
**नदी-** माही
**लाभान्वित जिले-** धार, झाबुआ
**विशेष विवरण-** दो बाँध, दो नहरें, कुल 137 किमी. लम्बी नहर धार में 7913 हेक्टेयर व झाबुआ में 18,517 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता।

**21 परियोजना-** सुक्ता परियोजना
**नदी-** सुक्ता (खण्डवा)
**लाभान्वित जिले-** खण्डवा की जलापूर्ति
**विशेष विवरण-** 18,583 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता।

**22 परियोजना-** सिन्धु परियोजना
**नदी-** सिन्ध
**लाभान्वित जिले-** शिवपुरी, ग्वालियर
**विशेष विवरण-** 35,200 हेक्टेयर पर सिंचाई, ग्वालियर नगर की जलापूर्ति।

**23 परियोजना-** नरगवाँ परियोजना
**नदी-** केन की
**लाभान्वित जिले-** छतरपुर
**विशेष विवरण-** मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहायक नदी संयुक्त परियोजना। इससे छतरपुर में 16,190 हेक्टेयर सिंचाई होगी।

**24 परियोजना-** चोरल नदी परियोजना
**नदी-** चोरल (इन्दौर)
**लाभान्वित जिले-** महू
**विशेष विवरण-** महू में 5000 हेक्टेयर में सिंचाई।

**25 परियोजना-** देजला देवड़ा
**नदी-** योरल
**लाभान्वित जिले-** खरगौन
**विशेष विवरण-** 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

KOTHARI INSTITUTE

# मध्यप्रदेश की जलवायु

**जलवायु -** विशाल भू-भाग पर या लम्बे समय तक पड़ने वाला वायुमण्डलीय प्रभाव को ही जलवायु कहते हैं।

नोटः मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटियबंधी मानसूनी जलवायु है। सूर्य दो बार विश्वत् रेखा पर चमकता है इसीलिए 21 मार्च और 23 सितम्बर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं।

- 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लम्बवत होता है इसीलिए 21 जून को दिन सबसे छोटा होता है।
- 22 दिसम्बर को सूर्य कर्क रेखा पर लम्बवत होता है इसीलिए 22 दिसम्बर को दिन सबसे बड़ा होता है।

**मौसम-** कम भू-भाग पर या कम समय तक पड़ने वाला वायुमण्डलीय प्रभाव को ही मौसम कहते हैं।

जलवायु के अनुसार म.प्र. को निम्नलिखित भागों में विभजित किया जाता है ।

**1. उत्तर का मैदान -** समुद्र से दूर होने के कारण इस भाग में बड़ी गर्मी तथा सर्दी पढ़ती है चम्बल नदी इस क्षेत्र में बहती है । भिण्ड में सबसे कम वर्षा होती है ।

**2. विंध्याचल का पहाड़ी भाग -** इस भाग में गर्मियों में अधिक गर्मी नहीं पड़ती है और सर्दियों में साधारण ठण्ड पड़ती है । पंचमढ़ी, अमरकंटक जैसे स्वास्त्यप्रद स्थान इसी मैदान में हैं ।

**3. नर्मदा की घाटी -** कर्क रेखा इस भाग में निकट से गुजरती है । इसी कारण यहाँ गर्मियों में तेज गर्मी तथा सर्दियों में साधारण सर्दी पड़ती हैं । यह घाटी विंध्यांचल तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है ।

**4. मालवा का पठार -** यहाँ गर्मियों में न अधिक गर्मी पड़ती है और न ही सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है । इस भाग की जलवायु सामान्यतः कम है ।

**ऋतु -** मध्यप्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएँ होती हैं।

1. ग्रीष्म ऋतु - म.प्र. में इस ऋतु की शुरुआत मार्च से जून तक होती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान स्थान विशेष में गंज बासौदा में दर्ज किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान सामान्य रूप से ग्वालियर में दर्ज किया जाता है। किन्तु पिछले कुछ दशकों से बड़वानी में दर्ज किया जाता है।

**2. वर्षा ऋतु-** मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु की शुरूआत जून से सितम्बर तक होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से होती है।

**प्रदेश के वर्षा क्षेत्र-** इस क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। (1) प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेमी होती है। (2) प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होशंगाबाद (पंचमढ़ी) है। यहाँ पर 125 सेमी से अधिक वर्षा होती है।

औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र बुंदेलखण्ड क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा 25 सेमी से 100 सेमी के मध्य होती है।

सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र मालवा है। यहाँ पर वर्षा 50 सेमी से 75 सेमी होती है।

**3. शीत ऋतु-** मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की शुरूआत अक्टूबर से मार्च तक होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान शिवपुरी का होता है। प्रदेश में मार्च के माह में तापान्तर सर्वाधिक दैनिक होता है।

## अन्य तथ्य

- मध्यप्रदेश की जलवायु को मानसुनी जलवायु कहते हैं ।
- ऋतु सम्बन्धी आँकडो को एकत्र करने वाली वेधशाला इन्दौर में हैं ।
- प्रदेश का सर्वाधिक कम वर्षा वाला क्षेत्र भिण्ड है।
- प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र में अरब सागर एरं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है ।
- कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है।
- 22 दिसम्बर को मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है ।
- सर्वाधिक तापमान विगत तीन वर्षों से गंजबासौदा (विदिशा में राज्य का सर्वाधिक औसत तापमान (47.8) दर्ज किया जा रहा है ।
- मण्डला - बालाघाट क्षेत्र में राज्य की औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है । जबकि वर्षा पंचमढ़ी में दर्ज होती है ।
- न्यूनतम तापमान शिवपुरी में दर्ज किया जाता है।

# मध्यप्रदेश की मिट्टी

**किसी भी स्थान की उर्वरता वहाँ की मिट्टी पर आधारित होती है ।**

**मध्यप्रदेश में मुख्यतः** निम्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है - (1) काली मिट्टी (2) लाल तथा पिली मिट्टी (3) जलोढ़ मिट्टी (4) कछारी (5) मिश्रीत मिट्टी।

## काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी)

- मध्यप्रदेश में मिट्टी मुख्यतः मालवा के पठार सतपुड़ा एवं नर्मदा घाटी में मिलती है।
- यह मिट्टी मध्यप्रदेश के सबसे अधिक भाग पर मिलती है।
- यह मध्यप्रदेश के मन्दसौर, रतलाम, खंडवा, इन्दौर, धार खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सिहोर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, सीधी, शिवपुरी, गुना एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है ।
- इसका PH मान 6.3 से 6.4 होता है।
- काली मिट्टी दक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान के ऋतुक्षरण से बनी है ।
- हैरिसन और रामास्वामी के अनुसार मृदा का काला रंग कोलाइडी जल योजित द्वि- आयरन एल्युमिनियम सिलिकेड के कारण होता है। जो ह्युमस से संयुक्त होकर रंग निर्माण में सहयोग करता है ।
- अन्य वैज्ञानिकों के मतानुसार काला रंग विशिष्ट मृतका ह्यूमत जटिल के कारण होता है। विशिष्ट प्रकार की मृतिका ह्यूमस जटिल के कारण होता है ।
- विशिष्ट मृतका ह्यूमस जटिल के कारण होता है । विशिष्ट प्रकार की मृतिका विशिष्ट ताप पर ह्युमस से क्रिया करके जटिल यौगिक बनाता है जो मृदा में काले रंग को प्रोत्साहित करता है ।
- काली मिट्टी में कैल्सियम, मेग्नेशियम कार्बोनेट पोटेशियम, आयरन एवं एल्यूमिनियम, मेग्नेशियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।
- लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कार्बोनिक पदार्थ की कमी होती है चूने की अधिक मात्रा के साथ-साथ कमी घुलनशील लवणों की बाहुल्यता होती है जिससे मिट्टी कृषि के अयोग्य हो जाती है ।
- इसकी ऊपरी तरह भुरभुरी एरं मुलायम होती है जिससे मृदा अपरदन अधिक होता है । इसकी संरचना दानेदार होती है तथा जलधारणा क्षमताबहुत अधिक होती है, यह आर्द्र रहने पर चिपकती है तथा सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं।
- काली मिट्टी में हल्की सिंचाई एवं अच्छे जल निकास की अत्यंत आवश्यकता होती है । काली मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है इस मिट्टी को तीन प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है ।

**(अ) गहरी काली मिट्टी -** यह मिट्टी नर्मदा घाटी और समीपतः मालवा और सतपुड़ा के पठार के विस्तृत भागों में फैली हुई है। मिट्टी की गहराई। 1 से 2 मीटर तक है जिसमें चिकनी मिट्टी 20 से 60 प्रतिशत तक मिलती है। यह मिट्टी गेहूँ, तिलहन, चने तथा ज्वार के लिए महत्वपूर्ण है ।

**(ब) साधारण गहरी काली मिट्टी -** प्रदेश की काली मिट्टी का अधिकतम भाग इस वर्ग के अन्तर्गत आता है इसमें मालवा के पठार का सम्पूर्ण उत्तरी भाग और निमाड़ सम्मिलित है। इस मिट्टी के रंग, गहराई तथा गठन में अधिक भिन्नता मिलती है । 3.5% भाग पर इसका विस्तार है।

**(स) छिछली काली मिट्टी -** प्रदेश के बैतूल, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाने वाली इस चिकनी दोमट मिट्टी है । अधिक ढ़ाल वाले पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी की परत मोटी नहीं हो पाती, क्योंकि चट्टानों के ऋतुक्षरण से निकलने वाला पदार्थ शीघ्र ही जल के साथ बह जाता है । समतल भाग में अपेक्षाकृत मोटी यह मिलती है, जिसमें अच्छी कृषि होती है। गेहूँ, कपास व चावल की इसमें खेती की जाती है।

## लाल तथा पीली मिट्टी

मध्यप्रदेश के बुंदेलखण्ड लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है । इस मिट्टी के अन्तर्गत, बालाघाटक, शहडोल जिले आते हैं ।

- इस मिट्टी की प्राप्ति गोंडवाना चट्टानों से हुई है, जिसमें बालू पत्थर, शैल इत्यादि प्रमुख है ।
- मिट्टी का पीला रंग संभवतः फेरिक ऑक्सिाइड के जलयोजन के कारण तथा लाल रंग लोहे के कणों के ऑक्सीकरण के कारण होता है ।
- इस मिट्टी के गुणों में इतनी अधिक भिन्नता होती है। कि

KOTHARI INSTITUTE

इनका भौतिक तथा रासायनिक वर्गीकरण करना कठिन होता है। अधिकतर हर हल्की बलुई मिट्टी है किन्तु बीच बीच में भारी चिकनी तथा दोमट मिट्टी भी मिलती है। काली मिट्टी की तुलना में इस मिट्टी में चूने फेरिक ऑक्साइड की कमी होती है। इस मिट्टी का P.H. मान 5.5 से 8.5 तक पाया जाता है। इसमें चूने की प्रधानता होती है। अर्थात् इसकी प्रवृत्ति अम्लीय से क्षारीय है। प्रदेश का प्रमुख कृषि क्षेत्र इस मिट्टी के अन्तर्गत आता है। प्रदेश का मुख्य खाद्यान्न चावल का उत्पादन इसी मिट्टी में होता है।

### जलोढ़ मिट्टी (कॉप मिट्टी)

राज्य के उत्तर - पश्चिम भाग में अर्थात ग्वालियर, मुरैना, भिंड का पी-एच मान 7 से अधिक रहता है। इस मिट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में कम है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर विविध प्रकार की फसलें पादा की जा सकती है बालू की अधिकता से अपरदन अधिक होता है। अपरदन से सर्वाधिक प्रवाहित जिला मुरैना है। बालू की अधिकता होती है।

| प्रदेश या क्षेत्र | अक्षांश रेखा | देशान्तर रेखा | जिले | मिट्टी | नदियाँ | जिले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मध्य भारत का पठार | 24° से 26°48' | 74°50 से 79°10' | 7 | जलोढ़-काली | चम्बल, सिन्ध क्वारी, पार्वती, कुनू | भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना व नीमच |
| बुन्देलखण्ड का पठार | 24°6 26°22' | 77°51 से 80°20' | 6 | काली, लाल बलुई, दोमट | सिन्ध, बेतवा पहुज, धसान, | दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी की पिछोर एवं करेरा तहसील, ग्वालियर की डबरा और भाण्डेर तहसील, भिण्ड की लाहर तहसील |
| रीवा-पन्ना का पठार | 23°10' से 25°12' | 78°4' 82°18' | 5 | लाल, लाल-काली मिश्रित, लाल-पीली | टोन्स, केन, सोनार, बहुटी | रीवा, सतना, पन्ना, दमोह व सागर की रहली तथा बण्डा तहसील |
| नर्मदा-सोन घाटी | 22°30 से 23°45' | 74° से 81°30' | 17 | काली, गहरी काली | नर्मदा, सोन | अमरकण्टक (शहडोल), बड़वानी, मण्डला, डिण्डोरी, जबलपुर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खण्डवा, खरगौन, धार, सीहोर (बुधनी), देवास |
| मालवा का पठार | 20°17' से 25°8' | 74°20 से 79° 20' | 15 | काली, गहरी काली | माही, चम्बल, गम्भीर क्षिप्रा, काली सिन्ध, पार्वती, बेतवा, धसान, बारना, बेबस, सिंध सोनार | मन्दसौर, राजगढ़, उज्जैन, इन्दौर, देवास, भोपाल, धार, गुना, रतलाम झाबुआ, सीहोर, शाजापुर, विदिशा रायसेन, सागर |
| सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश | 21° से 23° | 74°30' से 81° | 9 | काली, गहरी काली | तवा, बेतवा, जोहिला, नर्मदा, ताप्ती, शक्कर, हिरण, वर्धा, गार, छोटी तवा | खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बैतूल, बालघाट, छिन्दवाड़ा, सिवनी |
| पूर्वी पठार | 23°40' से 24°25' | 80°5' से 42°25' | 4 | काली, लाल, बलुई, दोमट | सोना, जोहिला | सीधी, शहडोल, उमरिया, मुडवारा तहसील, जबलपुर |

KOTHARI INSTITUTE

# मध्यप्रदेश की कृषि

मध्यप्रदेश कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था वाला राज्य है। वहीं मध्यप्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 49% क्षेत्र कृषि योग्य है। मध्यप्रदेश की 79% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। मध्यप्रदेश की 72% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। कृषि यहाँ का मुख्य उद्योग है। यहाँ के आर्थिक स्त्रोंतो की बुनियाद कृषि है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी अधिकांश रुप से कृषि पर ही आधारित है । राज्य की कुल जनसंख्या की कार्यरत् आबादी का प्रतिशत 42.74% है, जिसमें कृषकों का 42.79% एवं खेतिहार मजदूरों का 28.69% हैं ।

पूर्वी मध्यप्रदेश लाला एवं पीली मिट्टी का प्रदेश है जिसे उपजाऊँ नहीं माना जा सकता । उत्तर पश्चिम मध्यप्रदेश में औसत वर्षा भी अपेक्षाकृत कम है जो कृषि की संभावनाओं को काफी कम कर देती है । इन्हीं कारणों से म.प्र. में तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुल ग्रामीण क्षेत्र के अनुपात में निरा बोया गया क्षेत्र 50% से अधिक है ।

(1) चम्बल की घाटी तथा निकटवर्ती ग्वालियर और दतिया का कृषि क्षेत्र ।

(2) मालवा का पठार जो पूर्व में रायसेन-भोपाल तक फैला है ।

(3) रीवा, पन्ना का पठार जो उत्तर में यमुना की घाटी तक है ।

क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का दूसरा एवं जनसंख्या की दृष्टि से 6ठा बड़ा प्रदेश है। इसकी 72.40 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है। उसकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी है। प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा कृषि व उससे जुड़े कार्यकलापों से प्राप्त होता है। कुल श्रम का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यकलापों से संबद्ध है।

## फसल

**मध्यप्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है न कि सोयाबीन** (नोट- भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा सोयाबीन म.प्र. में अधिक उत्पादन होता है न कि म.प्र. की दृष्टि से प्रमुख फसल है)

**जोत :** सीमांत जोत- ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत जोत कहते हैं।

**लघु जोत-** ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि होती है उन्हें लघु जोत कहते हैं।

**मध्य जोत-** ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के मध्य भूमि होती है उन्हें मध्य जोत कहते हैं।

**वृहद जोत-** ऐसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है उन्हें वृहद जोत कहते हैं।

(नोट- म.प्र. में सीमान्त जोत वाले किसानों की संख्या सबसे अधिक है, वहीं वृहद जोत वाले किसानों की संख्या सबसे कम है)

**फसलों के आधार पर :** क्षेत्र निर्धारण फसलों के आधार पर मध्यप्रदेश को निम्नलिखित 8 कृषि क्षेत्रों में बाँटा गया है-

**(1) ज्वार का क्षेत्र-** पश्चिमी मुरैना, शिवपुरी तथा गुना जिले।

**(2) गेहूँ एवं ज्वार क्षेत्र-** सम्पूर्ण बुंदेलखंड का पठार, जिसमें पश्चिमी मुरैना, ग्वालियर, भिंड, पूर्वी शिवपुरी, पूर्वी गुना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, सतना तथा रीवा जिले आते हैं।

**(3) कपास एवं गेहूँ क्षेत्र-** मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, देवास और सीहोर जिले।

**(4) कपास क्षेत्र-** मुख्यतः रतलाम, झाबुआ, धार तथा पश्चिम निमाड़ (खरगोन) जिले।

**(5) चावल तथा कपास क्षेत्र-** मुख्यतः खंडवा जिला।

**(6) चावल, कपास तथा जुवार क्षेत्र-** दक्षिण मध्यप्रदेश के तीन जिला बैतूल, छिंदवाड़ा तथा सिवनी।

**(7) चावल क्षेत्र-** पूर्वी मध्यप्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी, जबलपुर एवं सिवनी जिलों का कुछ भाग।

**(8) सोयाबीन क्षेत्र-** प्रदेश का काफी बड़ा भाग जैसे समूचा मालवा, जिसमें इन्दौर, देवास, उज्जैन, झाबुआ, धार, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम, बुंदेलखंड का भाग जैसे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर इत्यादि के अलावा विदिशा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, रायसेन, सीहोर, भोपाल।

**मौसम के आधार पर फसलें -**

**रबी की फसल** - इसे अक्टूबर-नवंबर माह बोया

KOTHARI INSTITUTE

जाता है। इसे मार्च-अप्रैल के माह में काटी जाती है।

**प्रमुख फसलें-** आलु, जों, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, अलसी, मसूर।

**खरीफ की फसल-** इसे जून-जुलाई के माह में बोया जाता है। इसे नवम्बर-दिसम्बर में काटा जाता है।

**प्रमुख फसलें-** मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा।

**जायद की फसल-** इसे मार्च-अप्रैल में बोया जाता है। (इसे नगदी फसल भी कहा जाता है)

**प्रमुख फसल-** लौकी, खिरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा।

**प्रदेश की प्रमुख कृषि एवं उद्यानिकी उपज निम्ननानुसार है:**

- **अनाज** गेहूँ, जुवार, मक्का, धान।
- **तिलहन** सोयाबीन, सरसों, अलसी।
- **दलहन** चना, मसूर, तुवर।
- **सब्जियाँ** मटर, फूलगोभी, भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन, कद्दू।
- **फल** आम, अमरूद, संतरा, पपीता, केला।
- **मसाले** मिर्ची, लहसुन, धनिया, अदरक, हल्दी।
- **फूल** गुलाब तथा गेंदा।

## मध्य प्रदेश के कृषि व जलवायु क्षेत्र और फसल क्षेत्र

**राज्य को ग्यारह कृषि जलवायु क्षेत्र तथा पाँच कृषि क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है-**

| क्र. | फसल क्षेत्र | कृषि जलवायु क्षेत्र | मिट्टी | औसत वर्षा से.मी. | जिलों में विस्तार | आंशिक विस्तार के जिले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. चावल क्षेत्र | छत्तीसगढ़ के मैदान का भाग | लाल-पीली (मध्यम) | 120-160 | बालाघाट | |
| 2. | चावल क्षेत्र | छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र | लाल-पीली मध्यम काली | 120-160 | शहडोल, मण्डला, डिण्डोरी | सीधी-सिंगरौली तहसील (बेढ़न) |
| 3. | 2. गेहूँ क्षेत्र | कैमूर का पठार सतपुड़ा की पहाड़ियाँ | मिश्रित लाल और काली मिट्टी | 140 | रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी, सीधी (सिंगरौल तहसील के साथ) | |
| 4. | 3. गेहूँ क्षेत्र | मध्य नर्मदा घाटी | गहरी काली | 120-140 | नरसिंहपुर, होशंगाबाद | सीहोर-बुधनी तहसील रायसेन-बरेली तहसील |
| 5. | गेहूँ क्षेत्र | विन्ध्य का पठार | मध्यम काली, गहरी काली | | रायसेन, सीहोर (बुधनी तहसील) | गुना-राघोगढ़ अरोन तहसील |
| 6. | 4. गेहूँ-ज्वार | ग्रिड क्षेत्र | जलोढ़ (हल्की) | 80-100 | ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना श्योपुरकलां, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर | |
| 7. | गेहूँ-ज्वार | बुन्देलखण्ड | मिश्रित लाल और काली | 80 से 140 | छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, | शिवपुरी (आंशिक) |
| 8. | गेहूँ-ज्वार | सतपुड़ा का पठार | काली | 100 से 120 | बैतूल और छिन्दवाड़ा | धार, झाबुआ |
| 9. | कपास-ज्वार | मालवा का पठार | मध्यम काली | 80 से 120 | मन्दसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इन्दौर, शाजापुर, राजगढ़, धार, झाबुआ | |
| 10. | कपास-ज्वार | निमाड़ का मैदान | मध्यम काली | 80-100 | खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी, हरदा, | धार |
| 11. | कपास-ज्वार | झाबुआ की पहाड़ी | मध्यम काली | 80-100 | झाबुआ | |

KOTHARI INSTITUTE

## मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र

प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों एवं 5 कृषि क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। ये कृषि जलवायु क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र तालिका में दिए गए हैं।

**कृषि विकास में बाधाएंः** कुछ मुख्य बाधाएँ निम्नानुसार हैं-

**(अ)** पानी के तेज बहाव के कारण भू-क्षरण से प्रदेश के कई हिस्सों में निम्न मुख्य समस्याएँ उपजी हैं- (ग) मानसून के शुरुआत में अवरुद्ध निकास के कारण पानी का इकट्ठा होना। (ग) बाद के महीनों में, जबकि आवश्यकता अधिक होती है, अपर्याप्त नमी।

**(ब)** कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 72 प्रतिशत भाग वर्षा आधारित कृषि का है।

**(स)** खरीफ के मौसम में भूमि रिक्त छोड़ने (पड़ती भूमि) व संरक्षित जल के द्वारा रबी के मौसम में केवल एक फसल लेने से फसल-घनत्व कम हो गया है।

**(द)** वर्षा आधारित कृषि होने के कारण भूमि के काफी बड़े भाग का पड़ती भूमि में बदलना।

**(ई)** अल्प मूल्य वाली फसलों का अनुपात अधिक होना (जैसे मोटा अनाज, खरीफ में लगभग 38 प्रतिशत होता है)।

**(फ)** बड़ी जनजातीय जनसंख्या के कारण छोटे व मध्यम स्तर के किसानों की न्यून निवेश क्षमता, नई तकनीकी को अपनाने में बाधक है।

**(य)** बड़े पैमाने पर रिक्त भूमि होने के बावजूद चारे इत्यादि की कमी। (र) मानसून की अनिश्चित एवं प्राकृतिक आपदाओं की निरंतरता।

**प्राकृतिक आपदाएँ :** यह प्रदेश लगभग प्रतिवर्ष अकाल, बाढ़ व ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। प्रदेश के एक या अनेक भाग प्रतिवर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा को भोगते हैं। पिछले 18 वर्षों में केवल दो वर्ष ऐसे रहे।

### मध्यप्रदेश कृषि और प्रमुख संगठन

| संगठन | स्थापना |
|---|---|
| मप्र बीज तथा फार्म विकास निगम | 1980 (भोपाल) |
| मप्र कृषि उद्योग विकास निगम | 1969-70 |
| मप्र राज्य भण्डार गृह निगम | 1958 |
| लघु कृषक विकास अधिकरण | 1971 |
| भूमि विकास निगम | 1977-78 |
| राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम | 1982 |
| सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम | 1975 |
| मप्र राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था | 1980 |
| मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड | 1972 |
| बलराम ताल योजना | 2007 |
| थ्रस्ट परियोजना | 1989 |
| राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना | 1999-2000 |
| उद्यानिकी मिशन | 2006-07 |
| अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना | 2000-01 |

**जैविक खेती गाँवः** प्रदेश के 52 जिलों के 313 विकासखण्डों के चुने हुए 306 गाँवों को जैविक ग्राम घोषित कर वहीं जैविक कृषि पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं।

- इस हेतु कृषि वैज्ञानिकों व पर्यावरणविधों का मार्गदर्शन ग्रामिणों उपलब्ध है। इन चुने हुए गाँवों ने कृषि रसायनों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- फसलों को पोषक तत्व, हरित खाद, कम्पोस्ट कॉस्फो कम्पोस्ट, गाय के गोबर व मूत्र द्वारा किण्वित पदार्थों से उपलब्ध कराए जाते हैं।
- कीटों का आक्रमण नीम व गौमूत्र आधारित किण्वन प्रक्रिया से नियंत्रित किया जाता है। इन गाँवों के अधिकांश किसान, फसल विविधता, खेत सक्रियाओं में परिवर्तन, फसल उत्पादन तंत्र का एकीकरण व पशुधन का रख-रखाव आदि सिद्धान्तों का पालन करते हैं।
- जहाँ फसल अपशिष्ट, पशुधन के लिए मूल्यवान आहार है, वहीं पशुओं के अपशिष्ट जैसे गौबर, गौमूत्र आदि का प्रयोग न केवल फसलों के पोषक तत्व प्रदान करने में होता है वरन् इससे कीट समस्या का प्रबंधन भी किया जाता है।
- इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 'गौमूत्र सेवा सदन' भी उपलब्ध हैं, वे उन किसानों को गायें उपलब्ध करवाते हैं जो जैव-कृषि को अपनाना चाहते हैं।

### प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- इस योजना में म.प्र. में 56% क्षेत्र को कवर किया गया है। जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 30% है।
- आंकड़ों के अनुसार 2013-14 के आंकड़ों में म.प्र. की कृषि विकास दर 25.99 फीसदी आंकी गई है।

- वर्ष 2013-14 में प्रदेश की आर्थिक विकास दर 11.08% दर्ज की गई।
- पिछले 4 वर्षों की औसत कृषि विकास दर 18% प्रति वर्ष से अधिक रही है। ऐसा करने वाला यह देश में एक मात्र राज्य है।
- दहलन, तिलहन, चना और मसूर के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है।
- गेहूँ, अरहर, सरसों और मटर के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

## कृषि कर्मण अवार्ड

- वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में खाद्यान उत्पादन श्रेणी में यह अवार्ड मिला है।
- वर्ष 2013-14 में गेहँ उत्पादन के क्षेत्र में म.प्र. को यह अवार्ड मिला है।
- वर्ष 2014-15 में पुनः खाद्यान उत्पादन की श्रेणी में यह अवार्ड मिला है।
- वर्ष 2015-16 में पुनः गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में म.प्र. को यह अवार्ड मिला है।
- देश में लगातार यह अवार्ड प्राप्त करने वाला यह एक मात्र राज्य है।
- मध्यप्रदेश में अब तक 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है।

## महत्वपूर्ण फसलें

(1) **धान -** मध्यप्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान है। धान अधिक नमी में होने वाली फसल है । अतः 100 से 125 से.मी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की खेती होती है । उन क्षेत्रों में चावल का क्षेत्र बढ़ाया गया है, जहाँ सिंचाई की सुविधा है । इस प्रकार पूर्वी मध्यप्रदेश धान के उत्पादन का क्षेत्र है । मध्यप्रदेश में धान छिटकवाँ तथा रोपण दोनों विधियों से उगाया जाता है । चावल संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए बड़वानी में अनुसंधान केन्द्र है । प्रदेश में धान की अधिक उपज देने वाली किस्म आर-2, क्रास-1, आर-4, आर-5, आर 10, आर-11, आर-12 इत्यादि निकाली गई है । इनके अतिरिक्त चावल की अनेक नई किस्में कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान से विकसित की गई है । इनमें से कुछ शीघ्र पकने वाली है, कीटों एरं इल्ली से कम प्राभावित होती है । कुछ सुगंधित किस्में अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है ।

(2) **गेहूँ -** कृषि क्षेत्र तथा उत्पादन की दृष्टि से धान के बाद गेहूँ मध्यप्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है । रबी की फसलों में सबसे अधिक क्षेत्र गेहूँ के अन्तर्गत है । भारत की गेहूँ की एक पेटी उत्तर - पश्चिम दक्कन के पाठर में है, पश्चिमी मध्यप्रदेश उसी का भाग है , मध्यप्रदेश के इस भाग में औसत वर्षा 75-125 से.मी. तक होती है । गेहूँ की बोवनी अक्टूबर - नवंबर में की जाती है । उस समय तक वर्षा समाप्त हो जाती है, रातें पर्याप्त ठंडी होती हैं तथा औसत तापमान निरंतर गिरता जाता है ।

धान के समान ही गेहूँ का प्रादेशिक वितरण बहुत असमान है । पश्चिमी मध्यप्रदेश के सभी जिलों में गेहूँ पैदा किया जाता है, किन्तु कुछ क्षेत्रों में गेहूँ के अन्तर्गत भूमि विशेष रुप से केन्द्रित है । मालवा का समतल पठार गेहूँ के उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है । दूसरा क्षेत्र सीहोर, विदिशा और रायसेन जिलों में है । पूर्व की ओर सागर, दमोह,जबलपुर जिलों में एक तदीसरा क्षेत्र है । उत्तर की ओर पन्ना, सतना और रीवा का पठार तथा दक्षिण में नर्मदा की सतना घाटी अन्य स्पष्ट क्षेत्र है । शिवपुरी तथा ग्वालियर भी गेहूँ के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । हरित क्रान्ति का सबसे अधिक लाभ गेहूँ की फसल को हुआ है और किसान व्यापारिक फसल की तरह इसको लगाते हैं । इसलए सिंचाई, उत्तर बीज , अर्वरक एरं कीटनाशी, रोगनाशी दवाईयों का उपयोग भी इस फसल में किया जाने लगा है ।

(3) **ज्वार -** मध्यप्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में ज्वार एक अन्य महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, जिसका स्थान क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से धान और गेहूँ के बाद आता है । इस दृष्टि से आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चात मध्यप्रदेश का स्थान है । ज्वार नम जलवायु तथा सूखे की फसल है । लेकिन रबी का क्षेत्र खरीफ की तुलना में कम है । जिस तरह पूर्वी मध्यप्रदेश में चावल, खरीफ की मुख्य फसल है उसी तरह पश्चिम मध्यप्रदेश की मुख्य फसल ज्वार है । हल्की दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है । खरीफ की अन्य फसलों के समान यह वर्षा के प्रारंभ में अर्थात् जून-जूलाई में बोई जाती है तथा सितंबर - अक्टूबर में काटी जाती है । रबी की फसल सिंतबर से नवंबर तक बोई जाती है तथा जनवरी से मार्च तक काटी जाती है । साधारणतः अधिक वर्षा के क्षेत्रों में ज्वार नहीं होती ।

पश्चिमी मध्यप्रदेश में ज्वार होती है, जहाँ गेहूँ होता है । पश्चिम के प्रमुख ज्ञार उत्पादक जिले मंदसौर, रतलाम,

उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, खरगोन, खंडवा और गुना है। दक्षिण में बैतूल और छिंदवाड़ा में भी ज्वार एक महत्वपूर्ण फसल है। उत्तर - पश्चिम के सूखे जिलों में जैसे- गुना विदिशा, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, और भिंड में भी गेहूँ के समान ही ज्ञार एक महत्वपूण7 फसल है। धार, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा सिवनी एवं होशंगाबाद जिलों में ज्वार रबी की फसल है।

## दलहन

(1) **चना -** चना एक विशिष्ट खाद्यान्न है, जो दाल की तरह भी उपयोग में आता है। यह रबी की फसल है जोकि अक्टूबर में बोई जाती है एवं मार्च में काटी जाती है। प्रारंभ में नमी तथा बाद में सूखा मौसम चने के लिए उपयुक्त होता है। फूल लगते समय यदि वर्षा हो जाती है, तो फसल को बहुत हानि होती है। प्रदेश कृषि अनुसंधान ने जिन नई किस्मों का विकास किया है, वे इल्ली और कीड़ो से कम प्रभावित होती हैं तथा देर से बोने पर भी समुचित उत्पादन देता हैं। ग्वालियर - 2, उज्जैन - 21, उज्जैन 24, टी-2, जे.जी. - 62, राद्ये जे.जी. -221, एच-355, जे.जी. 5 आदि मध्यपरिदेश में उगाई जाने वाली चने की मुख्य किस्में हैं। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, गुना, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर, धार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, और रीवा प्रमुख चना उत्पादन क्षेत्र है।

(2) **अरहर -** दालों में अरहर एक महत्वपूर्ण फसल है तथा लगभग सम्पूर्ण राज्य में खरीफ में कपास तथा ज्वार के साथ बोई जाती है, ज्वार तो सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती है, किन्तु अरहर सम्पूर्ण जाड़े के मौसम में खेत में ही रहती है और मार्च में काटी जाती है। प्रभात खरगोन- 2, टाइप-21, मुक्ता, ग्वालियर-3, जे.ए.-3, सी.सी-11 अरहर की मध्यप्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्में हैं। इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण और पूर्वी मध्यप्रदेश के बैतुल, छिंदवाड़ा तथा नरसिंहपुर जिले हैं। इसी प्रकार उत्तरी-पश्चिमी मध्यप्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, तथा पश्चिम में इन्दौर, उज्जैन, खंडवा, सीहोर, रायसेन खरगोन, और उथ्तर में रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, महत्वपूर्ण है।

## तिलहन

मध्यप्रदेश में तिल, अलसी, मूँगफली तिलहन की मुख्य फसलें थी, लेकिन अब सोयाबीन भी मध्यप्रदेश की एक प्रमुख तिलहनी फसल हो गई है।

(1) **तिल -** यह खरीभ तथा मध्य रबी में बोई जाती है। रबी की फसल को सितंबर के आरंभ में बोवाई कर जनवरी के मध्य में काटते हैं। खरीफ की बोनी जुलाई से करते हैं, जिसकी कटाई अक्टूबर-नवंबर में होती है। खरीभ की फसल छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, शहडोल, मुरैना, शिवपुरी, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला पूर्वी निर्माड़, सिवनी जिलों में ली जाती है, जबकि रबी की फसल सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिलों में ली जाती है।

(2) **अलसी -** तिलहनी फसलों में अलसी मध्यप्रदेश की एक महत्वपूर्ण फसल है तथा देश में मध्यप्रदेश अलसी उत्पादन में अग्रणी है। मध्यप्रदेश के सभी क्षेत्रों मुख्यतः बालाघाट और रीवा में अलसी की खेती की जाती है। रीवा को छोड़कर इन क्षेत्रों में इसकी खेती न सिर्फ सामान्य पद्धति वरन बहुत बड़े भू-भाग में धान के भारी खेतों में भी इसकी खेती दूसरी फसल के रूप में उतेरा पद्धति द्वारा की जाती है। भारी गहरी काली मिट्टी, जिसमें पानी अधिक मात्रा में संचित सके, इसके लिए उपयुक्त है। जवाहर- 17, जवाहर-1, जवाहर-7, अलसी की मध्यप्रदेश क़ी उगाई जाने वाली प्रमुख किस्में हैं।

(3) **मूँगफली -** मूँगफली खरीफ की फसल है, जो तेल और भोज्य पदार्थ दोनों के लिए उगाई जाती है। प्रध्यप्रदेश में मूँगफली का उत्पादन मालवा का पठार और नर्मदा घाटी के निम्न क्षेत्रों में होता है। मध्यप्रदेश के मंदसौर, धार, रतलाम, खरगोन, झाबुआ, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर जिले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। रेतीलो दुमट, मुरमुरी पदार्थ और कैल्शियम पर्याप्त हो, मूँगफली की खेती के लिए उपयुक्त है।

(4) **सोयाबीन -** यह मध्यप्रदेश की एक प्रमुख फसल है। देश में सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का प्रथम स्थान है इसी कारण मध्यप्रदेश को सोयाबीन प्रदेश कहते हैं। इसमें तेल का प्रतिशत 18 प्रतिशलत से 20 एवं प्रोटिन 40-45 प्रतिशलत है। प्ररंभ में इसके तेल को पसंद नहीं किया जाता था, परन्तु देश में खाद्य तेलों की कमी होने से तेल का आयात किया जाने लगा एरं तेल के दाम भी लगातार बढ़े तो सोयाबीन की खेती लाभप्रद हो गई एवं इसे व्यापक क्षेत्र में उगाया जाने लगा। खाद्य तेल की कमी को पूरी करने के लिए प्रदेश में कई तेल संयंत्र लगाए गए हैं, जिससे

प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिली है । सोयाबीन की उपज क्षमता भी अन्य खरीफ फसलों से अधिक है । इसकी खेती से हमारे प्रदेश का कृषि का आर्थि ढ़ाचा काफी सुदृढ़ हुआ है। यह एक उत्तम संरक्षी फसल है जो खरपतवार को अधिक पनपने नहीं देती है तथा दलहनी फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है।बंजाब-1 ब्रेग, अँकुर, गौरव, दुर्गा, जवाहर सोयाबीन आदि प्रमुख किस्में है ।

## नगद फसलें

(1) **कपास** - कपास मध्यप्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकद फसल है । कपास की खेती मध्यप्रदेश के खरगोन, खंडवा, धार, इन्दौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, सीहोर और झाबुआ जिलों में की जाती है । प्रदेश में देशी तथा अमेरिकन दोनों प्रकार क़ी कपास की खेती होती है । पस्शिमी मध्यप्रदेश में उगाई जाने वाली कपास की मुख्य जातियाँ हैं ।

(2) **गन्ना** - गन्ना मध्यप्रदेश के प्रायः उन सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ की व्यवस्था तथा पानी निकास अच्छा है । गन्ना तैयार होने में लगभग 10 से 14 माह का समय लगता है । सर्वोत्तम दिन का तापक्रम 25 से 35 सेंटीग्रेड होता है । दुमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम होती है ।

## अफीम

मध्यप्रदेश का मालवा पठार अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का पठार समुद्र तल से 1300 से 2000 फुट ऊँचाई पर स्थिर है।

- यहाँ जलवायु बहुत गरम या बहुत ठंडी नहीं रहती। मिट्टी भी यहाँ की बहुत उपजाऊ है। यहां कि काली मिट्टी अफीम की खेती के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। ये तत्व अफीम की खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं।

**प्रदेश में अफीम** : मध्यप्रदेश में अफीम की खेती 16 हजार हैक्टेयर में होती है।

- मंदसौर जिलों में 12 हजार हैक्टेयर में अफीम उगाई जाती है। अफीम के लिए मध्यम से गहरी भूमि जिसकी जल धारण क्षमता एवं जीवांश की मात्रा अधिक हो, उपयुक्त होती है।
- राज्य में बुवाई के लिए 'जवाहर अफीम-16','आई,सी,-42','जवाहर अफीम-539' तथा 'एम.ओ.पी. 540' किस्म उपयुक्त है।
- अफीम फसल हेतु दो तीन बार अड़ी-खड़ी जुताई कर, कतार से बोने पर 5-6 किलो एवं छिड़काव से बोने पर 7-8 किलो बीज प्रति हक्टेयर डाला जाता है। नवंबर माह क प्रथम या द्वितीय सप्ताह में 20-25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने पर अफीम बोई जाती है।

**मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में अफीम उत्पादन के लिए रकबा वंटित करने के उद्देश्य से तीन श्रेणियाँ निर्धारित की हैः**

- 53 किलोग्राम से 60 किलोग्राम तक अफीम देने वाले किसानों को 10 आरी के पट्टे।
- 60 से 65 किलोग्राम अफीम देने वाले किसानों को 15 आरी के पट्टे।
- 65 किलोग्राम से अधिक अफीम देने राले किसानों को 20 आरी का पट्टा दिया जाएगा।

**म.प्र. की प्रमुख फसलें**

मध्यप्रदेश का प्रमुख कृषि क्षेत्र नर्मदा बेसिन माना जाता है । उसके तकरीबन 43% भू-भाग पर कृषि कार्य सम्पन्न होता है ।

- यहाँ उत्पादित की जाने वाली फसलों में गेहूँ, कपास, सोयाबीन और ज्वार मुख्य है । निमाड़ का मैदानी बाग चने का मुख्यउत्पादक क्षेत्र हैं ।
- चना नर्मदा घाटी के उन सभी भागों में पैदा होता है । जहाँ गेहूँ होता है । मूँगफली नर्मदा घाटी की प्रमुख तिलहन फसल है, जो मुख्यतः पश्चिम निमाड़ में बोई जाती है ।
- देश का 82.10% सोयाबीन प्रदेश की लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि पर उत्पन्न होता है ।

**भारत की सोया राजधानी**

मध्यप्रदेश देश का कुल सोया उत्पादन का 80% भाग उत्पादित करता है।

- अन्य सोया उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश, परन्तु इनमें से कोई भी देश के कुल उत्पादन के 5% से अधिक का उत्पादन नहीं करते हैं ।

**फसलों का प्रदेशिक वितरण**

मध्यप्रदेश की प्रमुख फसलें है - चावल, गेहूँ, ज्वार, चना, मक्का, अरहर, कपास, गन्ना, एवं सोयाबीन । फल जैसे -पपीता, केला, अमरुद । छोटे अनाज जैसे साँवा, रागी, राला काकुन तथा दालें जैसे बरबरी तथा मसाले जैसे मिर्च -सौंठ इत्यादि भी गौण फसलों के रुप में होते हैं । खाद्यान्न में चार प्रमुख फसलें हैं - चावल, गेहूँ, ज्वारा और चना ।

## पशुपालन

मध्यप्रदेश, भारत में सर्वाधिक गौवंश वाला प्रदेश है। मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में सातवें स्थान पर है। **प्रदेश में आठ पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं।** राज्य में पशुओं का घनत्व 110 पशु प्रति वर्ग किमी है तथा पशुओं में सर्वाधिक संख्या बकरियों की है।

प्रदेश में पशुओं का वितरण असमान है। संख्या की दृष्टि से सबसे कम पशु बुरहानपुर में (211 हजार) पशु है तथा सबसे अधिक पशु सीधी (1444 हजार) जिले में हैं। घनत्व की दृष्टि से सबसे अधिक घनत्व 194 पशु टीकमगढ़ का है तथा सबसे कम पशु घनत्व 55 पशु प्रति वर्ग किमी होशंगाबाद में पाया जाता है।

**गौवंश :** गौवंश के अंतर्गत साण्ड, बैल व बछड़ा आदि सम्मिलित हैं। मध्यप्रदेश में दूध देने वाली गायों की अनेक नस्लें हैं, लेकिन यहाँ की निमाड़ी गाय विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त राज्य में हरियाणवी, थारपारकर, साहीवाल, मालवी, जर्सी एवं मुर्रा आदि नस्ल की गायें पाली जाती हैं। मध्यप्रदेश में आठ पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं।

**मध्यप्रदेश में ऑपरेशन फ्लड :** दुग्ध पालन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश में **आनंद मॉडल** पर सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में की गई थी। 1980 से आनंद मॉडल द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस कार्यक्रम का तीसरा चरण चल रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना, श्योपुर जिलों में होता है, परन्तु देश में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश का स्थान सातवाँ है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 262 ग्राम तक पहुँच गई है।

**भेड़ एवं बकरी विकास :** मध्यप्रदेश में चार भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र और 22 भेड़ ऊन विस्तार केन्द्र कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश में एक बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 12 बकरी प्रजनन इकाईयाँ कार्यरत हैं।

**कुक्कुट विकास :** पशु संगणना वर्ष 1997 के अनुसार राज्य में देशी पक्षीयों की अण्डा उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु 9 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कार्यरत हैं। जिन पर उन्नत नस्ल के **व्हाइट लेग हॉर्न** तथा झाबुआ प्रक्षेत्र पर **कड़कनाथ मुर्गा** नस्ल के पक्षी रखे गए हैं।

**रानीखेत उन्मूलन योजना :** रानीखेत पक्षियों में एक जानलेवा रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक टीका लगाने की योजना चलाई गई है।

## अन्य तथ्य

- कृषि जोत का आकार- 1.78 हेक्टेयर
- सर्वाधिक जोत का आकार - 5.6 हेक्टेयर (हरदा)
- न्यूनतम जोत का आकार - 1.5 हेक्टे. (कटनी, नीमच)
- शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल - 92.84 लाख हेक्टे.
- कुल सिंचित क्षेत्रफल - 100.28 लाख हेक्टे.
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र - 152.52 लाख हेक्टे. है।
- कुल बुवाई वाला क्षेत्र - 154 लाख हेक्टे. है।
- कुल पड़त भूमि - 10.68 लाख हेक्टे. है।
- कृषि सघनता - 150%
- खाद्यान्न उत्पादन - 278 लाख मैट्रिक टन
- कुल उत्पादन के अन्तर्गत रकबा - 14 लाख हेक्टेयर
- दूध उत्पादन - 88.38 लाख टन
- मत्स्य उत्पादन - 96.26 हजार टन
- खाद्यान्न फसल - धान, मक्का, गेहूँ
- कुल रकबा - 137 लाख हेक्टेयर
- कुल उत्पादन - 278 लाख मैट्रिक टन
- कुल खाद्यान उत्पादन- 340.87 लाख मैट्रिक टन में है।
- सोयाबीन उत्पादन - 44.48 लाख मैट्रिक टन में है।
- गन्ना उत्पादन - 5.28 लाख मैट्रिक टन में है।
- कपास उत्पादन - 13.48 लाख मैट्रिक टन में है।
- चावल का ओसत उत्पादन - 2628 किलो ग्राम प्रति हेक्टे. है। (2014-2015 में)
- गेहूँ का ओसत उत्पादन - 3,115 किलो ग्राम प्रति हेक्टे. है। (2014-2015 में)
- ज्वार का ओसत उत्पादन - 1951 किलो ग्राम प्रति हेक्टे. है। (2014-2015 में)
- चना का ओसत उत्पादन - 1115 किलो ग्राम प्रति हेक्टे. है। (2014-2015 में)
- सोयाबीन का ओसत उत्पादन - 753 किलो ग्राम प्रति हेक्टे. है। (2014-2015 में)
- गन्ना का ओसत उत्पादन - 5127 किलो ग्राम प्रति हेक्टे. है। (2014-2015 में)
- कपास का ओसत उत्पादन - 1271 किलो ग्राम प्रति हेक्टे. है। (2014-2015 में)

❑❑❑❑❑❑

# मध्यप्रदेश के खनिज

मूलतः खनिज शब्द का अर्थ है खनि+ज। अर्थात खान से उत्पन्न। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खानों से खोदकर निकाले जाते हैं। अतः खनिज होने के लिए उस पदार्थ को कठोर व क्रिस्टलीप होना आवश्यक है। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइड इत्यादि।

- मध्यप्रदेश का खनिज उत्पादन में झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद तृतीय स्थान है।
- मध्यप्रदेश का हीरा, डायस्फोर, पाइरोफिलाइट तथा तांबा, अयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है।
- खनिज उत्पादन में राजस्व की दृष्टि से सीधी (सिंगरौली सहित) प्रथम स्थान पर तथा शहडोल (अनूपपुर सहित) द्वितीय स्थान पर है।
- राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से कोयला प्रदेश का प्रमुख खनिज है।
- नेशनल मिनरल डेवलपमेंट द्वारा राज्य में **हीरे** का उत्खनन किया जाता है।
- मध्यप्रदेश में **बॉक्साइट** का सर्वप्रथम उत्खनन कटनी में वर्ष 1908 में किया गया था।
- प्रदेश में **लोह अयस्क** का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जापान एवं जर्मनी को किया जाता है।
- राज्य के मैंगनीज को ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, अमेरिका को निर्यात किया जाता है।
- राज्य में सिंगरौली के कोयले की परत (136 मी. मोटी) विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है।
- प्रदेश में मैंगनीज **आर्कियन युग** की चट्टानों में पाया जाता है।
- प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र **सोहागपुर, सिंगरौली, मोहपानी, कोरार क्षेत्र, पाथाखेड़ा** आदि हैं।
- खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश का देश में **चौथा स्थान** है। जबकि खनिजों के उत्पादन मूल्य एवं राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से **दूसरा स्थान** है।
- झारखंड पहले स्थान पर है। प्रदेश में वर्तमान में 25 प्रकार के मुख्य खनिजों का उत्पादन हो रहा है।
- हीरा उत्पादन राष्ट्र में सिर्फ मध्यप्रदेश में ही हो रहा है। इसके अलावा चूना पत्थर, ताम्र अयस्क, स्लेट एवं पायरोफिलाइट में भी मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है।
- इसके अतिरिक्त कोयला, बाक्साइट, ताम्र अयस्क, डोलोमाइट, लेटराइट तथा राक फास्फेट का भी वृहद उत्पादन हो रहा है। लौह अयस्क, सिलिका बालू, केओलिन, केलसाइट फायर क्ले, डायस्पोर, पायरोफिलाइट, वर्मीकुलाइट, क्वार्ट्ज, स्टीयटाइट आदि खनिजों का भी उत्पादन हो रहा है।
- मुख्य खनिजों के अलावा राज्य के सभी जिलों में गौण खनिजों का भी उत्पादन होता है, जिनका भवन, सड़क, रेलपथ, पुल तथा नहर निर्माण आदि में भी उपयोग किया जाता है।

**मध्यप्रदेश में निम्नलिखित खनिज हैं-**

### लौह अयस्क

- मध्यप्रदेश में सिर्फ मण्डला, बालाघाट, जबलपुर, ग्वालियर जिले के कुछ क्षेत्रों में ही लौह अयस्क भण्डार पाये जाते हैं ।
- म.प्र. में प्रमुख लौह भंडार कैम्ब्रियन पूर्व युग की चट्टानों की तहों के रुप में मिलते हैं । इन चट्टानों का कायान्तरण नहीं हुआ है ।
- हेमाटाइट प्रकार के भांडार ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, धार तथा उज्जैन में पाए जाते हैं ।
- इनके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों में लैटेराईट तथा अन्य चट्टानों के बीच लौह अयस्क निक्षेपण मिलते हैं।

### मैंग्नीज

- मध्यप्रदेश में मुख्यतः छिंदवाड़ा तथा बालाघाट में मैंगनीज मिलता है ।
- मध्यप्रदेश में मैंगनीज का प्रमाणित ंडार 196.2 लाख टन है ।
- बालाघाट में मैंगनीज अयस्क का कुल संचित भंडार 181 लाख टन है जिसमें से 65 लाख टन उत्तम प्रकार का है जो 21 क्षेत्रों में बिखरा है ।
- इन निक्षेपणों में धात्विक मात्रा 41.50 प्रतिशत तक है । प्रारंभ में यहाँ के खनिज निक्षेपण छोटी-छोटी पहाड़ियों के रुप में थे, जिनमें उत्खनन सरल था। यहाँ अब भी

अधिकतम उत्खनन सतह पर होता है। इन क्षेत्रों में निक्षेपण गहराई तक है।

- छिंदवाड़ा में अनुमानिक भंडार 150 लाख टन है जो काचीथाना, गैमुख, सीतापुर, छोटी, गोवारी व धोना में बिखरा है बालाघाट, छिंदवाड़ा का उत्खनन क्षेत्र रेलवे लाइनों द्वारा मुख्य लाइनों से जुड़ा है, जिससे उत्पादन तथा निर्यात में सुविधा होती है।
- बालाघाट-छिंदवाड़ा के अतिरिक्त झाबुआ और खरगौन में कुछ मात्रा में मैंगनीज मिलता है ।
- झाबुआ जिले में मैंगनीज क्वार्टजाइट के साथ मिलता है। तथा खनिज की मात्रा भी अधिक है ।

## बॉक्साइट

- बॉक्साइट, एल्यूमीनियम का अयस्क है ।
- मध्यप्रदेश के पश्चिमी तथा दक्षिणी जिलों में बॉक्साइट के भंडार मिले हैं, जिनमें मंडला, शहडोल, जबलपुर और रीवा प्रमुख है।
- जिसका उपयोग कोरबा के एल्यूमीनियम कारखाने में होता है ।
- जबलपुर जिले के कटनी, टिकरी तथा टिकुरिया में लगभग 5.35 लाख टन बॉक्साइट के भंडार मिले हैं ।
- शहडोल में बॉक्साइट का उत्खनन अमरकंटक में होता है, जो मिर्जापुर (उ.प्र.) के रेनकूट एल्यूमिनियम कारखानों को भेजा जाता है ।

## चीनी मिट्टी

- मध्यप्रदेश में चीनी मिट्टी की वस्तुएँ बनाना एक पुराना उद्योग है ।
- लम्हेटा धार में सफेद से बादामी रंग तक की मिट्टी मिलती है, जो लगभग स्वच्छ केओलिन है तथा जलने पर सफेद हो जाती है ।
- ग्वालियर जिले में केओलिन नाकुमपहाड़ी तथा अंत्री के उत्तर में दो छोटी पहाड़ियों पर मिलती है । नाकुम पहाड़ी की मिट्टी ग्वालियर पाटरीज में उपयोग की जाती है ।
- शहडोल, सतना, सीधी, बैतूल में भी अब चीनी मिट्टी का उत्पादन होने लगा है ।

## अग्नि मिट्टी (फायर क्ले)

- यह मिट्टी अधिकतम कोयले की खानों मे मिलती हैं।
- मध्यप्रदेश में गौंडवाना युग की चट्टानों में इसके निक्षेपण मिलते हैं ।
- जबलपुर जिले के दुबार तथा पिपरिया स्थानों में पायर क्ले के निक्षेपण मिले हैं ।
- नरसिंहपुर जिले में साली चौका, मानेगाँव के दक्षिण में, सोनेरी इत्यादि स्थानों में फायर क्ले मिलती है । छिंदवाड़ा जिले में मुरिया के निकट फायर क्ले की 6 मीटर मोटी तह मिली है ।
- शहडोल में अमदरी, बरौदी तथा चन्दिया स्टेशन के निकट भी यह मिट्टी मिली है ।
- बरौदी की तहों की मोटाई 12 मीटर तक है । जबलपुर तथा शहडोल में भी इसका उत्पादन होता है । वर्तमान में जबलपुर, पन्ना तथा शहडोल में इसका उत्खनन होता है।

## कोरण्डम

- कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद आने वाला कोरण्डम एल्युमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइट है ।
- इसका उपयोग समतल शीशे और क्वार्ट्ज सतह इत्यादि के घिसने में होता है ।
- मध्यप्रदेश में कोण्डरम सीधी जिलें में मिलता है। कोरण्डम का उत्खनन पीपरा तथा परकोटा में होता है, जहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियों की महीन कणों वाली तथा राखी, बैंगनी और गुलाबी रंग की चट्टानों में कोरण्डम मिलता है।

## हीरा

- यहाँ हीरे की खआनें दो समानान्तर पेटियों में है, जो उत्तर- पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है । इनमें अधिक महत्वपूर्ण पेटी पन्ना जिलें में कोटारिया से मंझगाँव सतना जिले तक गई है ।
- दूसरी पेटी अपेक्षाकृत संकरी है तथा रीवा के पठार तक सकारिया में झंडा जिला सतना तक फैली है । इस समय पहली पेटी में खुदाई होती है । पन्ना रियासत के अतिरिक्त इस प्रदेश में भूतपूर्व अजयगढ़, बिजावर तथा चरखारी रियासत के हिस्से आते हैं ।
- मझगाँव खदानों में प्रत्येक 100 टन चट्टान में 11.7 कैरेट हीरे मिलते हैं, जबकि मैदानी खदान में 25.8 कैरेट तक हीरे मिले हैं ।
- यहाँ पाई जाने वाली आग्नेय चट्टानों में हीरे मिलते हैं ।
- साधारणतः हीरा युक्त तहों तक पहुँचने के लिए 9 से 15 मीटर तक खुदाई की जाती है, हीरायुक्त तह की मिट्टी को धोकर सुखाया जाता है फिर उसमें हीरे खोजे जाते हैं ।
- पन्ना की खदानों से नंगो तथा औद्योगिक कार्यों, दोनों के उपयुक्त पत्थर प्राप्त होता है ।

KOTHARI INSIGHT

- उत्खनन का कार्य नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा कराया जाता है ।
- पन्ना जिले में कुल अनुमानित भंडार 1001 हजार कैरेट है ।

### गेरु

- गेरु में फेरिक ऑक्साइड होती है जो चिकनी मिट्टी अथवा महीन बालू के साथ मिली होती है । मध्यप्रदेश में प्राचीन काल से ही गेरु उत्खनन का कार्य होता आ रहा है एवं अब भी मध्यप्रदेश भारत में अग्रणी है।
- पन्ना, सोहावल, नागोड़ तथा कोठी गेरु के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें सतना जिले की बेहट की खान है। इसके अतिरिक्त सेमरिया तथा बरोली में भी उत्तम श्रेणी का पीला तथा लाल गेरु निकाला जाता है ।
- सतना जिले में नारो पहाड़ी पर भी उत्खनन होता है । जबलपुर जिले में जौली, झलवारा तथा गोगरा में प्राचीन एवं महत्वपूर्ण खाने हैं ।
- नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट की खानों से गेरु निकाला जाता है । भोपाल सीहोर सड़क तथा भोपाल-रायसेन सड़क पर भी गेरु मिलता है ।

### क्वार्ट्ज तथा सिलिका बालू

- काँच बनाने में क्वार्ट्ज अथरा सिलिका बालू का उपयोग होता है ।
- अति उत्तम बालू में 99 प्रतिशत से अधिक सिलिका होती है । सिलिका बालू की पेटी बाँदा और इलाहाबाद जिलों (उ.प्र.) से दक्षिण में रीवा तक फैली है, जहाँ से नैनी (इलाहाबाद) के काँच के कारखानों के लिए बालू जाती है।
- मध्यप्रदेश में 135 लाख टन संचित भंडार है, जो 105-86 वर्ग मील में फैला है ।
- रीरा क्षेत्र में चेनी तथा हथौड़ी से बड़ी चट्टाने तोड़ी जाती है।
- जोड़ो दरारों तथा सतह के निकट लौह मात्रा के कारण बालू पीली हो जाती है, अतः उसे धोना आवश्यक होता है । इस क्षेत्र के अतिरिक्त मुरैना से भी सिलिका बालू निकाली जाती है, यहाँ का अनुमानित भंडार 83.30 लाख टन है । बालाघाट का भंडार 131 लाख टन है ।
- देवार तथा जबलपुर मे भी सिलिका बालू का उत्पादन होता है। गोविंदगढ़ (रीवा), दमोह तथा झाँसी में अन्य संचित भंडारों की आशा है । ग्वालियर तथा भोपाल में मल्लाजपुर एवं नसरुल्लागंज में भी सिलिका बालू के भंडार हैं ।

### फेलस्पार

- मध्यप्रदेश में फेलस्पार, जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है ।
- जबलपुर जिले में लम्हेटा घाट पर फेलस्पार का उत्खनन हो रहा है, यह न केवल जबलपुर के चीनी मिट्टी उद्योग में काम आता है, बल्कि भारत के विभिन्न भागों को भेजा जाता है ।
- छिंदवाड़ा जिले के बोरगाँव तथा भीधीखेरा में इसका उत्खनन हो रहा है।
- फेलस्पार का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, तामचीनी की वस्तुएँ तता काँच बनाने में होता है ।

### चूने का पत्थर

- मध्यप्रेदश में चूने के पत्थर के विशाल संचित भंडार हैं ।
- यहाँ चूने का पत्थर उत्तम श्रेणी का होता है, जिसमें 40-45 प्रतिशलत चूने की मात्रा होती है।
- चुने का पत्थर कैल्केरियस चट्टानों का प्रमुख प्रतिनिदि हैं ।
- इसमें केल्सियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है ।
- जिन चट्टानों में मैग्रेशियम कार्बोनेट होता है ऐसे चूने के पत्थर को डोलोमाइट कहते हैं ।
- यदि चूनें के पत्थर का रुपान्तरण होता है तो इस चट्टान में रके बन जाते हैं । तथा रुपान्तरित चट्टान को संगमरमर कहते हैं ।
- मध्यप्रदेश में 6316 करोड़ टन चूने के पत्थर तथा डोलोमाइट के भंडार हैं ।
- जबलपुर में कटनी, मुंडवाड़ा क्षेत्र उत्खनन का पुराना केन्द्र है । कैमूर सीमेंट के कारखाने की खदानें बढ़पारा मेहगाँव, खलवारा, कटनी व कैमूर में है।
- निमाड़, झाबुआ और दार जिलों में विभिन्न युगों के चूने के पत्थर मिलते हैं ।
- सतना और जबलपुर में अधिक उत्पादन मुख्यतः सीमेन्ट के कारखानों के कावण हैं ।
- इसके अतिरिक्त मुरैना तथा सीहोर में तथा उत्खनन होता है।

### सिलिमैनाइट

- सिलिमैनाइट का उपयोग रिफेक्टरी उद्योग में होता है। विंध्य प्रदेश में कोरण्डम के साथ सिलिमैनाइट पीपरा में मिलता है ।

- सीधी जिले में पीपरा के निकट सिलिमैनाइट सतह पर पाया जाता है, जहाँ लगभग 101,00 टन संचित भंडार हैं।

**स्टीऐटाइट**

- स्टीऐटाइट, टाल्क और सोप स्टोन एक ही खनिज के विभिन्न नाम हैं।
- मध्यप्रदेश में झाबुआ, नरसिंहपुर तथा जबलपुर जिलों में स्टीएटाइट मिलता है।
- इसका उपयोग बिजली के सामान बनाने तथा प्रयोगशाला की मेजों की ऊपरी सतह इत्यादि के लिए होता है।
- इसका पावडर पेंट बनाने के काम आता है।

**ताम्र अयस्क (तांबा)**

- औद्योगिक विकास के ळिए अयस्क नितान्त महत्वपूर्ण तत्व है।
- देश के कुल ताम्र अयस्क भंडार का 22 प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश में विद्यमान हैं।
- ताम्र अयस्क मुख्यतः बालाघाट जिले में मलाजखंड क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है।

**पायरोफिलाइट डायस्पोर**

- इसका उपयोग कीटनाशक, जन्तुनाशक औषधि के निर्माण, बर्तन निर्माण एवं संगमरमर के समान आकर्षक फर्श निर्माण के लिए किया जाता रहा है।
- यह छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी में पाया जाता है।
- छतरपुर, चीमकगढ़ व शिवपुरी में इसका खनन किया जाता है।

**डोलोमाइ**

- यह खनिज भालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, देवास, दुर्ग, ग्वालियर, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, शहडोल, सीधी, सतना, सिवनी जिलों में पाया जाता है।
- वर्तमान में यह खनिज कुल जमा 1666 मिलियन टन है। यह इस्पात संयंत्रों में उपयोगी है।

**रॉक फॉस्फेट**

- देश के कुल रॉक फॉस्फेट भंडार का लगभग 15.43 प्रतिशत भाग म.प्र. में उपलब्ध है।
- यह झाबुआ, छतरपुर और सागर जिले में पाया जाता है। राज्य में रॉक फॉस्फेट की सभी किस्मों की कुल जमा मात्रा 45 मिलियन टन ऑकी गई है।
- यह खनिज उर्वरक एवं रासायनिक उद्योग में काम आता है वर्तमान में झाबुआ व छतरपुर में यह उत्खनित हो रहा है।

**क्वार्टजाईट**

- यह खनिज ग्वालियर में पाया जाता है।
- यह ताप प्रतिरोधक ईंट, सिरेमिक्स एवं कॉंच इत्यादि निर्माण में उपयोगी है।

**बैराइट**

- इस खनिज के बारे में अनुमान है कि यह म.प्र. से करीब 1.93 लाख टन निकाला जा रहा है।
- म.प्र. में यह देवास, धार, झाबुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर, शिवपुरी सीधी व टीमकगढ़ जिलों में उत्खनित किया जाता है। रबर, कागज, चमड़ा, पेण्ट्स और रासायनिक उद्योग आदि के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है।

**सिंलिका**

- यह उपकरण निर्माण के काम आता है। म.प्र. में यह छतरपुर, मुरैना, दतिया, जबलपुर, देवास, धार, रायसेन, रीवा, सीहोर, शहडोल और शिवपुरी में पाया जाता है। धार व देवास में भी सिलिका बालू के भांडार मिले हैं यह कास्मेटिक्स, कलर्स, टेक्सटाइल कागज और रबर निर्माण में उपयोगी है।

**अभ्रक**

- म.प्र. में अभ्रक बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, मंदसौर, नरसिंहपुर, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़ जिलमें में मिलता है।
- यह विद्युत ताप का कुचालक है। इसलिए विद्युतीय सामग्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

**फ्लोराइड**

- यह खनिज जबलपुर में पाया जाता है। इसके कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत स्टील उद्योग में उपयोग मे लाया जाता है।

**सोना**

- स्वर्ण धातु की म.प्र. में कोई बड़ी प्राप्ति नहीं है। राज्य में बालाघाट जिले में अनेक स्थानों की नदियों की रेत में सीमित मात्रा में स्वर्ण कण पाए जाते हैं।
- म.प्र. में खनिज की विपुल सम्पदा है, किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि उनका उचित दोहन किया जाए, उन्हें संरक्षित किया जाए तथा नियोजित काल में खनिज निक्षेपण के सर्वेक्षण एवं उत्खनन की और विशेष ध्यान दिया जाए, क्योकि म.प्र. के महत्वपूर्ण खनिजों के उत्खनन से सम्पूर्ण राष्ट्र के उद्योगों के विकास द्वार खुलते हैं।

KOTHARI INSTITUTE

## कोयला

- राष्ट्र के कुल कोयला भंडारों का 14.49 प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश में विद्यमान हैं ।
- यहाँ के प्रमुख कोयला भंडार शहडोल, सीधी, बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है, किन्तु इन्हें दो भागो में विभक्त किया गया है- (1) दक्षिणी रीवा (2) सतपुड़ा श्रंखला।
- राज्य में कोयले की 1/3 मात्रा विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है ।

## प्रमुख कोयला भण्डार

**वितरण की दृष्टि से कोयला भंडारों को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है-**

1. मध्य भारत क्षेत्र, 2. सतपुड़ा क्षेत्र ।

**मध्यभारत क्षेत्र**

1. **उमरिया क्षेत्र-** यह सबसे छोटा क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग्र किलोमिटर है । जो उमरिया नगर के समीपवर्ती क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ 18.7 करोड़ टन कोयले के संचित भंडार हैं । इसमें कोयले की 6 तह मिलती है, जिसमें चार तहों में उत्खनन संभव है । इनमें से दूसरी तह में उत्खनन हो रहा है । यहाँ कोयले की तहों की मोटाई 1.5 मीटर से 2.5 मीटर है । उमरिया स्टेशन इसी क्षेत्र में स्थित है ।
2. **सिंगरौली क्षेत्र -** यह मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है । यह दक्षिणी सीधी से दक्षिणी मिर्जापुर (उ.प्र.) तक 2500 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में विस्तृत है । इस क्षेत्र के बराबर युगीन सैलो में कोयला विद्यमान है । इस क्षेत्र में कोयले की परतों की मोटाई 1.5 मीटर से 2 मीटर तक है, जिसमें 48 प्रतिशत कोयला मिलता है । यहाँ कोकिंग कोयले के भी भंडार है। कटनी-मोरवा रेलवे लाइन के बन जाने के इस क्षेत्र में कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

   यहाँ की प्रमुख खानों में तिपझरिया, मुखाई, नवानगर, परारी एरं मोरवा आदि हैं । इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 1963 ई. से कोयला उत्खनित कर रहा है। यहाँ पजरेह व झिंगुरदा की भी प्रमुख खाने हैं। इस क्षेत्र में सिंगरौली सुपर तापीय विद्युत गृह निर्मित किया गया है। चुर्क रेलवे स्टेशन लगभग 64 कि.मी. उत्तर में पड़ता है। यहाँ कोयले की अनेक तह मिलती है, इस क्षेत्र में उत्तर श्रेणी का कोयला पाया गया है ।
3. **कोरार क्षेत्र-** उमरिया के लगभग 11 किलोमीटर उत्तर के कोरार क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग किलोमीटर है । यहाँ चार तह मिलती हैं, जो 1.02 से 2.4 मीटर तक मोटी है ।
4. **जोहिला नदी क्षेत्र -** यह क्षेत्र कोरार के दक्षिण में बीरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन के निकट पड़ता है, जो कटनी-बिलासपुर रेलवे लाइन के समीप जोहिला नदी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 39 कि.मी. है। इसमें कोयले की कुल 6 मी. मोटी तह है, यहाँ उत्खनन कार्य प्रंभ हो गया है। इस क्षेत्र की कोयला खाने कैमोर की सीमेंट फैक्टरी के अधिन हैं । यहाँ उत्तम किस्म का कोयला मिलता। यहाँ का कोयला बीरसिंहपुर पाली तथा नीरोजाबाद रेलवे स्टेशन से वितरित किया जाता है ।
5. **सोहागपुर क्षेत्र -** सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यह क्षेत्र दक्षिणी रीवा कोयला क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । जो भूतपूर्व रीवा राज्य (शहडोल जिला) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4142 वर्ग कि.मी. है । इसमें 406 करोड़ टन कोयले के संचित भंडार है। इस क्षेत्र में तालचेर, बराबर एवं लमेटा नामक भागों की शैलों में कोयला मिलता है। नदी एवं नालों द्वारा अपरदित क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है ।

   यहाँ कोयले की श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तम होती जाती है । इस क्षेत्र के उपक्षेत्रों में ढगराखंड बिजुरी क्षेत्र कोतमा रेलवे स्टेशन के समीप, बुढ़ार तथा चिरमिरी क्षेत्र आदि उल्लेखनीय है । इन सभी क्षेत्रों में खुली खनन विधि से कोयला निकाला जाता है । इस क्षेत्र में कोयले की कई तह है, जिनमें प्रथम श्रेणी का कोयला भी है । बुढ़ार, अमलाई तथा धनपुरी क्षेत्र में 1.5 मी. 4.6मीत तथा 6.7 मटीर मोटी तह मिली है । इस क्षेत्र के दक्षिण भाग से होती हुई कटनी-बिलासपुर रेलवे लाइन जाती है जिससे यहाँ की खदानों का कोयला बाजारों में भेजा जाता है।

**1. मोहदानी -**

- इस क्षेत्र का अन्रेषण तथा खनिज उत्खनन पिछली शताब्दी के आरंभ में शुरु हो गया था यहाँ 0.9 मी. तथा 5.4 मी. तक मोटी चार तह मिली है।
- यद्यपि यहाँ का कोयला साधारण प्रकार का है, किन्तु मुंबई जबलपुर रेलवे लाइन के निकट होने के कारण यहाँ का उत्खनन लाभप्रद तथा वितरण सुविधाजनक रहा है ।

- सन् 1920 के बाद यहाँ का उत्पादन कम होने लगा, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बंगाल का एक टन कोयला यहाँ के 1.25 टन कोयले के बराबर होता है।

**2. शाहपुर तरा क्षेत्र -**

- यह क्षेत्र बैतूल और होशंगाबाद के बीच तवा नदी की घाटी में पड़ता है ।
- खोज से ज्ञात हुआ है कि पथखेड़ा में तीन तह. जो 1.2, 1.8 तथा 5.9 मी. मोटी है तता 59137 मी. की गहराई तक है, यह क्षेत्र बैतूल इटारसी रेलवे लाइन से 11-16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।
- इस क्षेत्र में अन्य छोटी-छोटी खाने सोनादा, गुरमुण्ड, मर्दानपुर, ब्राह्मणपारा-काद तथा तान्दसी हैं । स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों से कभी-कभी कोयला निकाला जाता है तथा कोयला क्षेत्र में ही सारणी नामक स्थान पर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसको इस क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है ।
- दक्षिण सतपुड़ा में कान्हन तथा पेंच घाटी की खाने आती हैं जो बैतूल से छिंदवाड़ा तक फैली हैं ।

**3. कान्हन घाटी क्षेत्र**

- इसमें दमुआ- कानि छपार, घोरावारी नीमखेरा, निनारा, दातला- जमाई तथा हिंगन देवी क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- प्रारंभ में दमुआ खदान में 2 से 4.5 मी. मटी तह से कोयला निकाला जाता था जो साधारण श्रेणी का था तत्पश्चात् दमुआ-कालीन छपार शैल दृश्यांश की टीम तथा घोरावारी तहों से हिरदागढ़ खदा में उत्खनन प्रारंभ हुआ। घोरारारी तह लगभग 4.5 मी. मोटी है ।
- उसके नीचे क्रमशः 4.5 तथा 3 मी. मोटी तह हैं ।
- पनारा- जिनोर क्षेत्र में पुनः घोरावारी तह मिलती है ।
- यहाँ से जिनौर के निकट जिलोर देव खान में उत्खनन होता है । दातला जमाई क्षेत्र की खदान डोगरिसा में है तथा हिंगला देवी क्षेत्र खदान घोघरी के निकट है, जिसका कोयला अपेक्षतया निम्न श्रेणी का है ।

**4. पेंच घाटी क्षेत्र**

- पेंच घाटी के कोयला क्षेत्र कान्हन क्षेत्र के ही भाग हैं। कोयले की तह बरकुही, चाँदामेटा में परासिया तथा पेंच तक 18 कि.मी. लम्बे क्षेत्र में फैली है।
- इसके अतिरिक्त कुछ बिखरे हुए क्षेत्र गजन गेह, रेतिया तथा सिरगोरा में मिलते हैं जहाँ कोयले की नई तहें मिलती है, किन्तु केवल चार तहों से ही उत्खनन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है । तहों की मोटाई 1.5 से 3.6 मी. तक है ।

**खनिजों के खदान क्षेत्र**

| खनिज | विशिष्ट खदान/क्षेत्र |
|---|---|
| मैंगनीज | भर्वेली (बालाघाट) |
| ताँबा | मलाजखण्ड (बालाघाट) |
| कोयला | सोहागपुर (शहडोल) |
| चूना पत्थर | मुडवारा (कटनी) |
| हीरा | हिनौता (पन्ना), मझगँवा (सतना), अंगोरा (छतरपुर), |
| बाक्साइट | अमरकंटक (अनूपपुर) |
| ग्रेफाइट | बैतूल |
| कोरण्डम | पीपरा - परकोटा (सिंगरौली) |
| संगमरमर | भेड़ाघाट (जबलपुर) |
| फेल्सपार | लम्हेटाघाट (जबलपुर) |
| सोपस्टोन (सेलखड़ी) | भेड़ाघाट (जबलपुर) |

**राज्य से खनिज निर्यात**

| खनिज | कहाँ किया जाता है |
|---|---|
| मैंगनीज | अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस |
| लोहा | जर्मनी, जापान |
| कोयला (सिंगरौली का) | उत्तरप्रदेश |
| ताँबा | राजस्थान |
| क्लिंकर (चूना) | भटिण्डा (पंजाब) |

| | भूगर्भीय संरचना | प्राप्त खनिज |
|---|---|---|
| 1. | सौसर- सकोली श्रेणी विंध्यन | मैंगनीज |
| 2. | विन्ध्यन - कड़प्पा श्रेणी | हीरा |
| 3. | विन्ध्यन - बिजावर श्रेणी | चूना पत्थर, डोलोमाइट |
| 4. | गैण्डवाना कल्प | कोयला, सोपस्टोन. |
| 5. | चिल्पी श्रेणी (विन्ध्यन- दक्कन ट्रैप) | बाक्साइट |

# मध्यप्रदेश के उद्योग

किसी विषय क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण / उत्पादन या वृहद रुप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्मों को उद्योग कहते हैं। उद्योग के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर प्राप्त होते हैं जिससे लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार होता है और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है।

## प्रमुख उद्योग

| उद्योग | स्थान |
|---|---|
| सिक्योरिटी पेपर मिल | होशंगाबाद |
| नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल | नेपानगर (खंडवा) |
| करेंसी प्रिंटिंग प्रेस | देवास |
| भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स (भेल) | पिलानी (भोपाल) |
| एल्केलॉयल फैक्ट्री | नीमच |
| रेलवे कोच फैक्ट्री | भोपाल |
| गवर्नमेंट आर्डिनेन्स फैक्ट्री | जबलपुर (खमरिया) |
| गन कैरिज फैक्ट्री | जबलपुर |
| हैवी व्हीकल फैक्ट्री | जबलपुर |
| हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट | मलाजखंड (बालाघाट) |
| गवर्नमेंट पोस्ट एवं टेलीग्राफ वर्कशॉप | जबलपुर |
| एल्कोहाल एवं कार्बन डाइ-ऑक्साइड प्लांट | रतलाम |
| मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड | भोपाल |
| मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड | गोसलपुर (जबलपुर) |
| म.प्र. एग्रो मौरारजी फर्टिलाइजर | गुना |

## कृषि आधारित उद्योग

- **चीनी उद्योग-** भोपाल, सीहोर, मंदसौर, जावरा, सारंगपुर, बरलाई, आलोट।
- **चावल मिल-** इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा।
- **दाल मिल** इंदौर, उज्जैन, सागर।
- **वनस्पति घी - उद्योग** गंज बासौदा, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर।
- **सूती कपड़ा उद्योग-** इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन।
- **कृत्रिम रेशे के कपड़े के उद्योग-** इंदौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन, देवास।

## कृषि उद्योग विकास निगम के उद्योग

- फल सब्जी संरक्षण एवं प्रक्रिया इकाई- भोपाल।
- जीवाणु खाद्तय संयंत्र- भोपाल
- दानेदार मिश्रित खाद्य- होशंगाबाद
- कीटनाशक संयंत्र- बीना
- ऑयल मिल - मुरैना

### वन आधारित उद्योग

- **कागज उद्योग-** नेपानगर, होशंगाबाद, शहडोल, भोपाल, सतना, ग्वालियर।
- बीड़ी उद्योग - जबलपुर।
- लकड़ी चीरने का उद्योग- जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंजला।

### खनिज आधारित उद्योग

- **सीमेंट उद्योग-** धार, सतना, मुरैना, कैमूर, नीमच आदि।
- बानमौर सीमेंट फैक्ट्री (1922) कटनी।
- कैमूर फैक्ट्री (1923) कटनी।
- सतना सीमेंट वर्क्स (1959) सतना।
- नीमच सीमेंट फैक्ट्री (1980-81) मंदसौर।
- हीरा उद्योग - पन्ना।
- चीनी मिट्टी उद्योग - ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम।
- फायर क्ले- जबलपुर, ग्वालियर, कटनी
- उर्वरक कारखाने- झाबुआ, गुना।

### उद्योगों के विकास हेतु निर्मित संस्थाएँ

**संस्था - मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम**

मुख्यालय - भोपाल (1965)

कार्य - बड़े तथा मध्य श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना।



KOTHARI INSTITUTE

**संस्था - मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम**

मुख्यालय - भोपाल (1969)

कार्य - सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना।

**संस्था - मध्यप्रदेश वित्त निगम**

मुख्यालय - इन्दौर

कार्य - निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद देना।

**संस्था - मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम**

मुख्यालय - भोपाल (1969)

कार्य - उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उनके कच्चे माल को बाजार में खपाना।

**संस्था - म.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड**

मुख्यालय - भोपाल

कार्य - खादी उद्योग को बढ़ावा देना।

**संस्था - म.प्र. हैंडलूम संचालनालय**

मुख्यालय - भोपाल

कार्य - हैंडलूम तथा पावरलूम उद्योगों के लिए पूँजी उपलब्ध कराना।

**संस्था - मध्यप्रदेश हस्तशिल्प मंडल**

मुख्यालय - भोपाल

कार्य - हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना हेतु वित्तीय मदद।

**संस्था - मध्यप्रदेश वस्त्रोद्योग**

मुख्यालय - इन्दौर (1970)

कार्य - सूती वस्त्र कपड़ा मिलों का संचालन करना है।

**संस्था - मध्यप्रदेश माइनिंग कार्पोरेशन**

मुख्यालय - भोपाल

कार्य - बहुमूल्य खनिजों की खोज, खुदाई व व्यापार की व्यवस्था करना है।

**संस्था - म.प्र. एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन**

मुख्यालय - भोपाल

कार्य - कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में सहायता।

**संस्था - मध्यप्रदेश निर्यात निगम**

मुख्यालय - भोपाल (1977)

कार्य - छोटे स्तर के उद्योगों के उत्पादन के निर्यात की व्यवस्था करना।

**संस्था - जिला उद्योग केन्द्र**

मुख्यालय - म.प्र. के प्रत्येक जिले में स्थित है।

कार्य - उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना।

## औद्योगिक कॉम्पलैक्स

1. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलैक्स- इन्दौर
2. एग्रो कॉम्पलैक्स - छिंदवाड़ा
3. स्टेनलेस स्टील कॉम्पलैक्स - सागर
4. लैदर कॉम्पलैक्स- देवास
5. ऑटो क्लस्टर कॉम्पलैक्स - इंदौर

- राज्य का प्रथम रत्न परिष्कृत केन्द्र जबलपुर है।
- राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन इंदौर में स्थापित किया गया था।
- राज्य में क्रिस्टल आईटी पार्क की स्थापना इंदौर में की गई है।
- राज्य में जूट उद्योग सतना एवं आनमलाई में स्थापित किया गया है।
- महीन कागज बनाने का कारखाना इंदौर में है।
- अखबारी कागज बनाने का कारखाना बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित है।
- राज्य में बिजली के भारी उपकरण बनाने का कारखाना वर्ष 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड (BHEL) के नाम से भोपाल में स्थापित किया गया है।
- प्रदेश में घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में है।
- राज्य में नागदा में कृत्रिम रेशा बनाया जाता है।
- देश का प्रथम ग्रीन फील्ड सेज इंदौर में स्थापित किया गया है।
- राज्य में बानमोर, कैमूर, सतना, नीमच, मेहर प्रमुख सीमेंट उद्योग केन्द्र है।

## कृषि उद्योग केन्द्र

| क्र. | उद्योग केन्द्र | स्थान |
|---|---|---|
| 1. | डेयरी फार्म | बाबई (होशंगाबाद) |
| 2. | पोषण आहार संयंत्र | धार |
| 3. | कीटनाशक संयंत्र | बीना |



KOTHARI INSTITUTE

| | | |
|---|---|---|
| 4. | जीवाणु खाद संयंत्र | भोपाल |
| 5. | ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र | मुरैना |
| 6. | फल संवर्द्धन इकाई | भोपाल |
| 7. | यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र | बाबई (होशंगाबाद) |
| 8. | स्ट्राबोर्ड मिल | शाजापुर |

➤ मध्यप्रदेश में उद्योग निगम, मृगनयनी के नाम से 10 एम्पोरियम संचालित करता है। यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रायपुर, भिलाई, जबलपुर, रीवा, उज्जैन कोलकाता और नई दिल्ली में स्थापित है।

## म.प्र. की औद्योगिक नीति

**औद्योगिक विकास नीति- 1972**

➤ विकसित एवं पिछड़े जिलों का पुनःवर्गीकरण हेतु योजना।

➤ ऐसे तहसील जहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है वहां एक से 10 करोड़ की लागत से नया उद्योग लगाया गया।

**नवीन औद्योगिक नीति - 1988**

➤ विकसित एवं पिछड़े जिलों का वर्गीकरण किया गया।

➤ क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने हेतु उद्योग विहीन विकासखंडों में अतिरिक्त सुविधा देने का प्रावधान।

➤ ST/SC/BPL/ महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान।

**उद्योग संवर्धन नीति - 2004**

➤ औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु कार्ययोजना।

## उद्योग संवर्धन नीति - 2010 (संशोधन)

**उद्देश्य-**

1. औद्योगीकरण की दर को तीव्र करना।
2. मध्यप्रदेश में निवेश के वातावरण को बनाए रखना।
3. स्थानीय रोजगार में वृद्धि।

**प्रमुख प्रावधान -**

1. उद्योगों को कर छूट जैसी राहत पूर्ववत जारी रहेगी।
2. स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सहायता।
3. उद्योगों में न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना अनिवार्य ।
4. इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट फंड (IISD) की स्थापना। (10 करोड़ प्रतिवर्ष शासन जमा करेगा)।
5. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (DMIC) में चार इन्वेस्टमेंट्स नोड्स।
6. औद्योगिक विकास केन्द्रों में दोहरी कर प्रणाली समाप्त।
7. निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सहायता।
8. सड़क, जल, बिजली विकास करने पर संबंधित उद्योग को कुल लागत का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन।

**फूड पार्क**

1. बाबई- होशंगाबाद
2. पिपरिया- होशंगाबाद
3. बोरगांव- छिंदवाड़ा
4. जगाखेड़ी - मन्दसौर
5. निमरानी- खरगोन
6. मालनपुर - भिण्ड
7. मानेरी - मंडला

❐❐❐❐❐❐

KOTHARINSTITUTE

# मध्यप्रदेश में ऊर्जा

**किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा है। क्योंकि उससे एक पहिये को घुमाया जा सकता है। जिससे बिजली पैदा की जा सकती है।**

- प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केन्द्र भोपाल में स्थित है।
- प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता ताप विद्युत ऊर्जा साधन पर है।
- मध्यप्रदेश के भोपाल जिले के कस्तूरबा ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है।
- राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 50474 है।
- राज्य में विद्युत का सर्वाधिक उपभोग (घटत क्रम में) क्रमशः उद्योग, कृषि एवं घरेलू कार्यों में होता है।
- राज्य में विद्युत का उत्पादन सर्वप्रथम ग्वालियर रियासत में 240 केवी की स्टीम टर्बानि से वर्ष 1905 में प्रारंभ हुआ था।
- स्वतंत्रता के बाद देश में प्रथम विद्युत मंडल की स्थापना मध्यप्रदेश में हुई थी।
- राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ इंदौर जिले में हैं।
- लेसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की स्थापना इंदौर में की गई है।
- राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना सर्वप्रथम इंदौर में स्थापित किया गया था।
- राज्य में झाबुआ जिले के गांवों को विद्युत सौर ऊर्जा से प्रदान की जा रही है।
- खरगोन जिले में हाइड्रेम जल पम्प का प्रयोग किया जाता है।
- बेढ़न (सिंगरौली) को राज्य की ऊर्जा राजधानी कहते हैं।
- राज्य में गुना, मंदसौर, गोपालपुरा (रतलाम), देवास देवड़ा (मंदसौर) तथा अठाना (नीमच) में विंड मानिटरिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- राज्य में महिला गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर (ग्वालियर) में स्थापित किया गया है।
- राज्य में सर्वाधिक ताप विद्युत विंध्याचल परियोजना द्वारा उत्पादित की जाती है।

## इंदिरा गृह ज्योति योजना

- राज्य के सभी गरीब परिवारों को कम दर पर आसानी से बिजली देने के उद्देश्य से यह योजना शुरु की है।
- इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली की खपत करते हैं तो उसे मात्र इसे लिए 100 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट के समयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के लिए आयोग द्वारा टेरिफ आदेश में निर्धारित श्रेणी LV 1.2 की उपश्रेणी (ii) के अनमीटर्ड समयोजन के लिए लागू दर से बिलिंग की जायेगी।
- शहरी क्षेत्रों में अनमीटर्ड हितग्राहियों की सबसीडी के दावे वितरण कम्पनी अधिकतम मात्रा 75 यूनिट प्रति माह की खपत से प्रस्तुत कर सकेगी।

**दस्तावेज-** श्रमिक पंजीयन हो, आधार कार्ड, समग्र आई.डी.

**पात्रता-** मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। 100 यूनिट से कम खपत करता हो। सबला योजना का लाभार्थी हो।

## इंदिरा किसान योजना

- प्रदेश के 10 हार्सपॉवर तक के स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को 700 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की फ्लैट दर से विद्युत प्रदान की जायेगी।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के पास 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले एवं 5 हार्सपावर तक के कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदान की जायेगी।

## मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल

- मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2005 में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन किया और उसे पांच कंपनियों में विभाजित कर दिया ।

**1. म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लि. (Transco) गठन - 2001**

स्वायत्त - 1 जून 2005 से

कार्य- अंतर्राज्यीय विद्युत आपूर्ति

KOTHARI INSTITUTE

**2. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. (Discom)**

गठन - 2002

मुख्यालय - भोपाल

स्वायत्त - 1 जून 2005 से

कार्य- आबंटित क्षेत्र में विद्युत वितरण करना

संभाग - (1) भोपाल (2) होशंगाबाद (3) ग्वालियर (4) चंबल

**3. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. (Discom)**

गठन - 2002

स्वायत्त - 2005

कार्य - आबंटित क्षेत्र में विद्युत वितरणकरना

संभाग - (1) जबलपुर (2) रीवा (3) सागर

**4. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. (Discom)**

गठन - 2002

स्वायत्त - 1 जून 2005 से

कार्य - आबंटित क्षेत्र में विद्युत वितरणकरना

संभाग- (1) भोपाल (2) इंदौर

**5. म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी कि. (Genco)**

मुख्यालय - जबलपुर

1 जून 2005 को MPSEB का पुनर्गठन करके एक स्वायत्त कंपनी (म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि.) बनाया गया।

30 अगस्त 2012 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन 3725 मेगावाट

**6. म.प्र. विद्युत नियामक आयोग**

मुख्यालय - भोपाल

गठन- 1998

उद्देश्य- विजली दरों का युक्तियुक्तकरण करना एवं बिजली उद्योग में दक्षता और मितव्ययिता लाना।

7. **म.प्र. पॉनर मैनेजमेंट कमपनी लि. जबलपुर**

2006 में राज्य सरकार ने म.प्र. विद्युत मंडल के पॉवर ट्रेडिंग कार्य को अलग करके Tradco (M.P. Power Trading Co.) का गठन किया।

2012 में इसका नाम बदल कर M.P. Power Management Co. किया गया ।

इसका कार्य विद्युत खरीद करके कंपनियों को विद्युत आपूर्ति करना है।

❒❒❒❒❒❒

KOTHARI INSTITUTE

# मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था (Economy) - उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र में अर्थशास्त्र का गतिज चित्र है।

मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन की विधिवत शुरुआत भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है, क्योंकि प्रदेश का गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ।

देश को प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य के खटकों ने अलग-अलग योजनाएँ प्रस्तुत की थी परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य के घटकों द्वारा संयुक्त योजना प्रस्तुत की गई।

**मध्य प्रदेश : पंचवर्षीय योजनाएँ**

| | |
|---|---|
| **1. योजना -** | प्रथम |
| **योजनाकाल -** | 1951-56 |
| **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रूपये) | 67.3 |
| **वास्तविक व्यय** (करोड़ रूपये) | 83.66 |
| **विशेष क्षेत्र / लक्षित विकास दर** | कृषि |
| **2. योजना -** | द्वितीय |
| **योजनाकाल -** | 1956-61 |
| **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रूपये) | 190 |
| **वास्तविक व्यय** (करोड़ रूपये) | 148.92 |
| **विशेष क्षेत्र / लक्षित विकास दर** | उद्योग |
| **3. योजना -** | तृतीय |
| **योजनाकाल -** | 1961-66 |
| **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रूपये) | 300 |
| **वास्तविक व्यय** (करोड़ रूपये) | 148.92 |
| **विशेष क्षेत्र / लक्षित विकास दर** | सिंचाई |
| * **योजना -** | वार्षिक योजना |
| **योजनाकाल -** | 1966-69 |
| **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रूपये) | 178.82 |
| **वास्तविक व्यय** (करोड़ रूपये) | 167.79 |
| **विशेष क्षेत्र / - लक्षित विकास दर** | - |
| **4. योजना -** | चतुर्थ |
| **योजनाकाल-** | 1969-74 |
| **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रूपये) | 455.25 |
| **वास्तविक व्यय** (करोड़ रूपये) | 481.11 |
| **विशेष क्षेत्र** | स्थायी विकास कार्यक्रम |
| **5. योजना-** | पांचवी |
| **योजनाकाल-** | 1974-75 से 1978-79तक |
| **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रूपये) | 1379.79 |
| **वास्तविक व्यय** (करोड़ रूपये) | 1437.39 |
| **विशेष क्षेत्र** | कृषि विकास |
| **6. योजना -** | छठी |
| **योजनाकाल-** | 190-81से 1984 -85 |
| **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रूपये) | 3800 |
| **वास्तविक व्यय** (करोड़ रूपये) | 3872.27 |
| **विशेष क्षेत्र** | कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र |
| **7. योजना-** | सातवीं |
| **योजनाकाल-** | 1985-86 से 1989-90 |
| **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रूपये) | 7000 |
| **वास्तविक व्यय** | 6574 |
| **विशेष क्षेत्र** | कृषि व सिचाईं |
| * **योजना-** | वार्षिक योजना |
| **योजनाकाल-** | 1990-91 से 1991-92 |
| **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रूपये) | 4426 |

KOTHARI INSTITUTE

| | | |
|---|---|---|
| | **वास्तविक व्यय** (करोड़ रुपये) | 3525.38 - |
| | **विशेष क्षेत्र** | - |
| 8. | **योजना-** | आठवीं |
| | **योजनाकाल-** | 1992-93 से 1996-97 |
| | **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रुपये) | 15000 |
| | **वास्तविक व्यय** (करोड़ रुपये) | 12252.21 |
| | **विशेष क्षेत्र** | ग्रामणी विकास |
| 9. | **योजना-** | नवीं |
| | **योजनाकाल-** | 1997-98 से 2001-02 |
| | **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रुपये) | 20075 |
| | **वास्तविक व्यय** (करोड़ रुपये) | 17425 |
| | **विशेष क्षेत्र** | सर्वांगीण विकास |
| 10 | **योजना-** | दसवीं |
| | **योजनाकाल-** | 2002-07 |
| | **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रुपये) | 33724.96 |
| | **वास्तविक व्यय** (करोड़ रुपये) | 33874 |
| | **विशेष क्षेत्र** | समग्र विकास (7% विकास दर) |
| 11 | **योजना-** | ग्यारहवीं |
| | **योजनाकाल-** | 2007-12 |
| | **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रुपये) | 69788 |
| | **वास्तविक व्यय** (करोड़ रुपये) | - |
| | **विशेष क्षेत्र** | समावेशी विकास (7% विकास) दर |
| 12 | **योजना-** | बारहवीं |
| | **योजनाकाल-** | 2012-17 |
| | **अनुमोदित परिव्यय** (करोड़ रुपये) | 201862 |
| | **वास्तविक व्यय** (करोड़ रुपये) | - |
| | **विशेष क्षेत्र** | सतत एवं तीव्र समावेशी विकास |

### ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 12)

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यव्स्था को गति प्रदान करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को लागूकियाहै।इस योजना का कुल अनुमोदित परिव्यय रु 69, 788 करोड़ रखा गया है, जो कि पिछली योजना से लगभग दोगुना है। प्रदेश सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के लिए लक्षित विकास दर 7.6% निर्धारित की थी। प्रदेश की ग्यारहवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे

- 0-6 वर्ष के आयु समूह का लिंगानुपात 950 प्रति हजार करना।
- सिचाई की क्षमता को बढ़ाकर 10.61 लाख हेक्टेयर करना।
- सूचना एवं संचार तकनीक का त्वरित विकास करना ।
- ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्तरीय अधोसंरचना का विकास करना।
- कृषि क्षेत्र में 5% की वृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर हासिल करना ।
- गरीबी रेखा के स्तर को 38% तक बढ़ाना तथा सक्षारता में लिंगभेद को 14% तक लाना ।
- जनसंख्या वृद्धि दर को सन् 2012 तक 1.62% तक लाना।
- एनीमिया एवं कुपोषण में 30% की कमी लाना।
- शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- शिशु मृत्यु दर को 40, मातृत्व मृत्यु दर को 125 तथा कुल प्रजनन दर को स्तर तक लाना।
- समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उत्थान पर जोर देना।

## मध्य प्रदेश योजना आयोग

राज्य के सर्वांगीण विकास एवं संसाधनों का आकलन कर उनका प्रभावी उपयोगी सुनिश्चित करने तथा योजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयनं मूल्यांकन व पुनरावलोकन करने के उद्देश्य से राज्य योजना मण्डल का गठन 24 अक्टूबर, 1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया था ।

21 सितम्बर, 2007 को इसका नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किया गया है।

KOTHARI INSTITUTE

राज्य का मुख्यमन्त्री इसका अध्यक्ष तथा योजना मन्त्री उपाध्यक्ष होता है।

**राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-**

- राज्य के संसाधनों का आकलन एवं इनके समुचित उपयोग हेतु योजनाएँ तैयार करना।
- जिला योजना तैयार करने एवं इसको राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतुअधिकारियों को सहायता प्रदान करना।
- राज्य की अर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना एंव क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतू सुझाव देना।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का पुनरावलोकन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना और आवश्यकतानुसार नीतियाँ / उपायों में ऐसे समायोजनों की अनुशंसा करना।
- योजनाओं की प्राथमिकताएँ निर्धारित करना।
- योजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने के लिए गठित विभिन्न वित्तीय समितियों की बैठकों में भाग लेकर योगदान देना ।

## मध्य प्रदेश : प्रमुख योजनाएँ

**लाड़ली लक्ष्मी योजना -** प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ की स्थिति में सुधार लाने, अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना आरम्भ की गई है।

योजना 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त जन्मी बालिकाओं के लिए है। योजना के प्रमुख लाभ निम्न हैं।

- हितग्रही के नाम पर लगातार 5 वर्षों तक 6000 के राष्ट्रीय बचत - पत्र क्रय किए जाएँगे।
- बालिका के कक्षा 6ठी में प्रवेश लेने पर रु 2000, कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर रु 4000 तथा कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रु 7500 का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा।
- कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के पश्चात् आगामी 2 वर्ष तक रु 200 प्रतिमाह का भुगतान बालिका को किया जाएगा।
- बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पश्चात् हुआ हो।
- योजना के मध्य अर्थात् 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व बालिका के आवेदन पर उस दिनांक तक देय राशि का समय पूर्व भुगतान किया जाएगा, शर्त यह होगी कि बालिका की आयु 18 वर्ष की हो, कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित हो एवं 18 वर्ष उपरान्त उसका विवाह हुआ हो।
- योजना का लाभ लेने के लिए क्षेत्र की आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

**जननी सुरक्षा योजना-** इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल, 2005 को निर्धनता रेखा से नीचे जीवन- यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए की नई ।

यह योजना 19 वर्ष से अधिक आयु की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए हैं। इस योजना के तहत सरकारी या निजी अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती महिला को रु 1400 तथा इसके लिए प्रोत्साहित करने वाली महिला को रु 1000 दिए जाते है।

इसके साथ ही प्रसव का सारा खर्च भी वहन किया जाता है। इस योजना के द्वारा प्रदेश सरकार ने मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में सफलता प्राप्त की है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना -** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना सन् 2005 में शुरु की गई थी ।

2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना कर दिया गया। इस योजना में कार्य करने योग्य व्यक्ति को माँगने पर 15 दिन के अन्दर काम प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। कार्य करने योग्य व्यक्ति ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड बनवाकर काम माँग सकता है।

काम माँगने पर 15 दिन के अन्दर उसे काम देना पड़ेगा । अन्यथा उसे निर्धारित रोजगार भत्ता देना पड़ेगा। काम करते हुए दुर्घटना होने पर रु 25 हजार की क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी सरकार ने किया है।

**नि : शुल्क साइकिल वितरण योजना-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को प्राइमरी स्तर से आगे शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस योजना में सभी वर्गों की ऐसी बालिकाओं को मुफ्त साइकिल दी जाती है, जिन्होने किसी दूसरे गाँव के स्कूल में कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो।

यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। अभी तक 16. 50 लाख साइकिले इस योजना के तहत वितरित हो चुकी है।

**इन्दिरा आवास योजना -** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज



KOTHARI INSTITUTE

संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2005-06 से ग्राम पंचायतें कार्य की प्रगति के आधार पर 2 किस्तों में हितग्राही को आवास निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराती हैं। इस योजना का लाभ विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विकलांग आदि पात्र लोगों को दिया जाता है।

पात्रता का निर्धारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

---

**खेत - तालाब योजना -** इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास के लिए सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सभी वर्गों के किसानों को यह योजना लाभ पहुँचाती है। राज्य सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी दी जाती है। किसान अपनी जमीन पर तालाब बनवाकर वर्षा जल का संचय करते हैं।

जिससे भूमिगत एवं सतही जल की उपलब्धता बनी रहती है। अभी तक प्रदेश में एक लाख तालाब इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं।

---

**बलराम ताल योजना-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का कृषि कार्यों हेतु संचय करना है। इस योजना में बलराम ताल बनवाने हेतु सरकार द्वारा कुल लागत का 25% या अधिकतम रु 50 हजार तक सब्सिडी दी जाती है।

इस योजना का लाभ 25 मई, 2007 के बाद नामांकन कराने वाले किसानों को दिया जाता है। एक बलराम ताल के द्वारा 50 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकती है।

अभी तक प्रदेश में 7158 बलराम तालों का निर्माण हो चुका है।

---

**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुई फसल की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति देना है।

इस योजना का लाभ फसल विशेष के लिए बैंक कर्ज लेने वाले किसानों तथा कुएँ के लिए कर्ज लेने वाले किसानों को दिया जाता है।

योजना का लाभ छोटे एवं सीमान्त किसानों को दिया जाता है।

---

**कपिलधारा योजना-** इस योजना का उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार लाना तथा कृषि उत्पादन में स्थिरता लाना है।

इस योजना के लाभार्थी परिवारों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना में सिंचाई सुविधा के लिए नए कुएँ, तालाबों की खुदाई, चेक डैम, आदि का निर्माण किया जाता है।

इस योजना के फलस्वरुप किसानों के कृषि उत्पादन की अनिश्चितता एक हद तक समाप्त हो जाती है।

---

**गाँव की बेटी योजना -** इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशली लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर सहायता करना है।

इस योजना के तहत 12 वीं कक्षा को प्रथम श्रेणी से पास करने वाली ग्रामीण लड़कियों को 10 महीने तक रु 500 प्रति महीने दिए जाते हैं।

अभी तक रु 60 हजार ग्रामीण लड़कियाँ इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इस योजना से लड़कियों को आगे अध्ययन करने में मदद मिलाती है।

---

**प्रतिभा किरण योजना -** इस योजना का उद्देश्य ऐसे शहरी बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में सुधार लाना है, जिन्होने कक्षा 12 वीं प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद उसी वर्ष उच्च कक्षा में प्रवेश ले लिया है।

इस योजना में पात्र बालिका को दस महीनों के लिए रु 300 प्रति माह तथा तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रु 750 प्रति माह प्रोत्साहन राशि के रुप में दिए जाते हैं।

अब तक इस योजना स 3224 शहरी लड़कियाँ लाभ प्राप्त कर चुकी है।

---

**विक्रमादित्य नि : शुल्क शिक्षा योजना -** इस योजना का उद्देश्य सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा लागत के प्राप्त करने में मदद करना है।

इस योजना का लाभ ऐसे बीपीएल परिवार के छात्रों को दिया जाता है, जिन्होंने कक्षा 12वीं कम-से-कम 60% अंकों से पास की हो तथा उनके पालकों की वार्षिक आय पालकों की वार्षिक आय रु 42 हजार से कम से कम हो।

इस योजना से अभी तक 5433 छात्र लाभ प्राप्त कर चुके है।

---

**दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना-** इस योजना की शुरुआत सितम्बर, 2004 में सभी श्रेणी के बीपीएल परिवारों से सम्बन्धित रोगियों के लिए चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई ।

इस योजना में एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को रु 20 हजार मूल्य तक की चिकितसा जाँच और उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रत्येक लाभार्थी परिवार को एक व्यवसाय कार्ड दिया जाता है, जिसमें परिवार एवं रोगी का विवरण दर्ज होता है। अभी तक प्रदेश में इस योजना से लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या 97.220 है।

---

**बीमारी सहायता योजना-** इस योजना के तहत एक बीपीएल

परिवार से सम्बन्धित रोगी को रु 1.50 लाख की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना में रु 25 हजार से लेकर रु 75 हजार तक की सहायता राशि प्रभारी मन्त्री एवं कलेक्टर के द्वारा तथा रु 75 हजार स लेकर रु 1. 50 लाख तक की राशि स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा मन्जूर की जाती है। योजना से गरीबों को बड़ी राहत मिली है।

**दीनदयाल चालित अस्पताल योजना-** इस योजना की शुरुआत जून 2006 में राज्य के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गई।

इस योजना के तहत एक मोबाइल वैन जो एक डॉक्टर, स्टाफ एवं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों से युक्त रहती है, आदिवासी बहुल गाँवों में रोगियों को चिकित्सा उपचार प्रदान करती है।

**मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना -** योजना की उद्देश्य गरीब, जरुरतमन्द, निराश्रित परिवारों को अपनी बेटियों, विधवाओं या तलाकशुदा के विवाह के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है।

यह वित्तीय मदद सामूहिक विवाह समारोह द्वारा विवाह की सही उम्र में लड़की का विवाह करने पर दी जाती है।

वित्तीय मदद के तहत रु 10 हजार दिए जाते हैं, जिसमें से रु 9 हजार घर के सामान खरीदने के लिए जाते हैं।

इस योजना में सभी धर्मों के विवाह एक ही सामूहिक विवाह समारोह में सम्पन्न कराए जाते हैं, जो कि साम्प्रादियक सौहार्द को भी बढ़ावा देता है

**मुख्यमन्त्री मजदूर सुरक्षा योजना -**इस योजना का उद्देश्य कृषि मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उन्हें जरुरत और संकट के समय सुरक्षा प्रदान करना है।

इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष तक के कृषि मजदूरों को दिया जाता है।

इस योजना में मजदूर परिवार की गर्भवती महिला को प्रसव खर्च के साथ-साथ 6 मजदूरी सप्ताह भी दिए जाते हैं, तथा गर्भवती महिला के पति को 2 सप्ताह का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। मजदूरों के बच्चों को कक्षा एक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

**मुख्यमन्त्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना -** यह योजना वर्ष 2008-09 में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इन वर्गों को कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए की।

इस योजना में इन वर्गों द्वारा स्वरोजगार स्थापना हेतु रु 25 लाख तक की वित्तीय मदद दी जाती है।

**मुख्यमन्त्री अन्नपुर्णा योजना -** इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। इस योजना में नीले राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकान से प्रति परिवार 20 किग्रा खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है।

कार्ड धारकों को गेहूँ रु 3 प्रति किलो तथा चावल रु 4.50 प्रति किग्रा दिए जाते हैं।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 65 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है।

**मुख्यमन्त्री आवास योजना -** यह योजना राज्य के बेघर परिवारों को आवास कराने के उद्देश्य से सन् 2007 में शुरु की गई थी।

यह योजना उन लोगों के लिए है, जो इन्दिरा आवास योजना के दायरे में नहीं आते हैं।

**मुख्यमत्री पेयजल योजना-** मुख्यमंत्री पेयजल योजना का उद्देश्य 500 से अधिक और 1000 से कम आबादी वाले ऐसे गाँवो के पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है, जो किसी भी पीने के पानी के स्त्रोत से रहित है।

इस योजना के तहत अभी तक 1500 गाँवो में रु 5 करोड़ का लागत से 1200 पीने के पानी क स्त्रोतों का विकास किया गया है।

यह योजना राज्य के सभी 52 जिलों में क्रियान्वित है।

**मुख्यमन्त्री ग्राम सड़क योजना -** यह योजना वर्ष 2010-11 में शुरु की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य श्रेणी के 500 से कम आबादी वाले गाँवों और आदिवासी बाहुल्य 250 से कम आबादी वाले गाँवों को सड़क मार्ग से जोड़ना है।

यह योजना ऐसे गाँवो के लिए शुरु की गई है, जो प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं है।

**अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन-** इस मिशन की शुरुआत 24 दिसम्बर, 2010 को बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु की गई है।

इसका उद्देश्य सन् 2015 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 94.2 से घटाकर 60 प्रति हजार जीवित बच्चे करना है।

इसके अलावा सन् 2015 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गम्भीर कुपोषण की दर को 12.6% से 5% तक लाना तथा सन् 2020 तक इसको नगण्य करना है।

**राम रोटी योजना -** प्रदेश के शहरी गरीबों को भरपेट भोजना मुहैया कराने के लिए 25 सितम्बर, 2010 को राम रोटी योजना की शुरुआत की गई ।

यह योजना इन्दौर, भोपाल,जबलपुर एवं ग्वालियर में चलाई जा रही है। नगर निगम द्वारा इस योजना के तहत गरीबों को मात्र पाँच रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

**श्याम प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना -** इस योजना की शुरुआत 21 सितम्बर, 2010 को की गई।

इस योजना में 12वीं कक्षा की परीक्षा में 80% से अधिक अंक पाने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

इसके तहत कृषि संकाय में प्रथम 500, विज्ञान में प्रथम 2500, वाणिज्य में प्रथम 1000 तथा कला संकाय में प्रथम 1000 तक स्थान पाने वाले 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को मिलेगी, जिनके माता- पिता की वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम होगी।

**एकलव्य शिक्षा विकास योजना -** इस योजना की शुरुआत 15 नवम्बर,2010 को तेन्दूपत्ता व्यवसया से जुड़े परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु की गई है।

इस योजना का लाभ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़मुन्शियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबन्धकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा।

इस योजना के अन्तर्गत लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जिन्होंने पिछले शिक्षा सत्र में कम-से-कम 80% अंक या समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो।

इस योजना में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों रु 12 हजार, गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को रु 20 हजार तथा व्यावसायिक कोर्स के छात्रों को रु 15 हजार वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

**साक्षर भारत योजना-** प्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित इस योजना का शुभारम्भ 19 अप्रैल, 2010 को किया गया।

इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु की निरक्षक महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं अध्ययनशीला समाज का निर्माण करना है।

यह योजना प्रदेश के श्योपुर, झाबुआ, मन्दसौर, मण्डला, मुरैना, कटनी,समाज का निर्माण करना है।

दतिया, बैतूल, टीकमगढ़ और खरगौन जिलों में शुरु की गई है। इस योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 10% की दर से महिला साक्षरता दर को बढ़ाना है।

इस योजना में केन्द्र एवं राज्य की भागीदारी क्रमशः 75 : 25 % के अनुपात में है।

**खुशबू परियोजना-** इस परियोजना की शुरुआत प्रदेश की केन्द्रीय जेल में कैदियों के सामाजिक पुनर्वास और उनके व्यक्तित्व सुधार के लिए की गई है।

इस परियोजना का उद्देश्य सरल और व्यावहारिक मनोवैनिक तरीकों से कैदियों की आपराधिक प्रवृत्ति को बदलना है।

इसके तरह धार्मिक साहित्य, महपुरुषों की जीवनियाँ आदि प्रेरणादायी माध्यमों के द्वारा कैदियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाता है। इस परियोजना में कैदी का चयन उसके स्वास्थ्य, रुचि, अभिव्यक्ति तथा दृष्टिकोण के परीक्षण के आधार पर किया जाता है।

**राजीव गाँधी किशोरी अधिकारिता योजना** (सबला)**-** इस योजना की शुरुआत 19 नवम्बर, 2010 को की गई।

योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के सही मानसिक व शारीरिक विकास में मदद करना है।

यह योजना मध्य प्रदेश के 15 जिलों सहित देश के 200 जिलों में शुरु की गई है।

**माता की रसोई योजना-** ग्रामीण क्षेत्रों के बेसहारा, गरीब लोगों के लिए जो भोजन का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से माता की रसोई योजना का प्रारम्भ शहडोल जिले कुदराटोला गाँव ने प्रारम्भ कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

**मुख्यमन्त्री निकाह योजना -** मुस्लिम कन्याओं के विवाह कराने के लिए जो भोजन की तरह की मुस्लिम समुदाय के लिए मुख्यमन्त्री निकाह योजना का शुभारम्भ किया गया है।

**जंगल सराय परियोजना-** यह योजना वनक्षेत्र से प्रकृति प्रेमियों को जोड़ने के उद्देश्य को लेकर 1 नवम्बर, 2011 से मध्य प्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा शुरु की गई है। मध्य प्रदेश इस योजना को प्रारम्भ करने वाला देश का पहला राज्य है।

**पंच परमेश्वर योजना -** गाँव की आधारभूत सरंचना तथा बुनियादी सुविधाओं का तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से विकास करने के उद्देश्य को लेकर 10 फरवरी, 2012 को इस योजना का शुभारम्भ किया गया है। यह योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

## अन्य तथ्य

- प्रदेश की 11 वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर 7.6% है।
- प्रदेश की 11 वीं पंचवर्षीय योजना में कुल अनुमोदित व्यय रू. 69788 करोड़ रखा गया है।
- प्रदेश की 11 वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाएँ क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवण्टित की गई है।
- प्रदेश की 11 वीं पंचवर्षीय योजना में सामान्य सेवाएँ क्षेत्र को न्यूनतम राशि आवण्टित की गई है।
- प्रदेश की 11 वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
- प्रदेश के बजट 2011-12 में सर्वाधिक राशि स्कूल शिक्षा को आवण्टित की गई है।
- प्रदेश के बजट 2011-12 में न्यूतम राशि चिकित्सा शिक्षा को आवण्टित की गई है।

# मध्यप्रदेश की जनसंख्या

**जनसंख्या**

- जनगणना संबंधी कार्य "भारत सरकार" द्वारा किया जाता है।
- म.प्र. की प्रथम जनगणना वर्ष 1981 में हुई थी।
- जनगणना कार्य "जनसंख्या अधिनियम 1948" से प्रारंभ हुआ।
- म.प्र. की 15वीं जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी।
- म.प्र. में जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को मनाया जाता है।
- जनगणना कार्य प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात किया जाता है।
- विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
- वर्ष 2001 की जनगणना 21वीं सदी की प्रदेश की पहली जनगणना है।

**जनगणना - 2011**

- म.प्र. की जनसंख्या 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809 है।
- पिछले एक दशक में प्रदेश की आबादी में 20.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

## वर्ष 2001 व 2011 की तुलना

| | वर्ष 2001 | वर्ष 2011 |
|---|---|---|
| जनसंख्या - | 6,03,48,023 | 7,26,26,809 |
| जनसंख्या वृद्धि दर | 24.46% | 20.35% |
| लिंगानुपात | 920 / 1000 | 951 / 1000 |
| लिंगानुपात (नगरीय) | 898 / 1000 | 918 / 1000 |
| लिंगानुपात (ग्रामीण) | 927 / 1000 | 936 / 1000 |
| लिंगानुपात (शिशु) | 932 / 1000 | 918 / 1000 |
| साक्षरता | 63.7% | 69.3% |
| साक्षरता (पुरुष) | 76.1% | 78.7% |
| साक्षरता (महिला) | 50.3% | 59.2% |
| जनसंख्या (0-6 वर्ष) | 1,07,82,219 | 1,08.04,395 |

- म.प्र. का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला - **इन्दौर (32 लाख 76 हजार 697)**
- म.प्र. का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला - **हरदा (5 लाख, 70 हजार 465)**
- सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले - **इन्दौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा**
- न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले - **अलीराजपुर**

## लिंगानुपात

- प्रदेश का - 1000 : 931
- ग्रामीण का - 1000 : 936
- शहरी का 1000 : 918

**सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले -**

- बालाघाट (1000 : 1021 )
- अलीराजपुर (1000 : 1011)
- मंडला (1000 : 1008)
- डिण्डोरी (1000 : 1002)
- झाबुआ (1000 : 990)

**न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले -**

- भिण्ड (1000 : 837)
- मुरैना (1000 : 840)
- ग्वालियर (1000 : 864)
- दतिया (1000 : 873)
- शिवपुरी (1000 : 817 )

## जनसंख्या घनत्व

- प्रदेश का जनघनत्व - 236/किमी$^2$.

**सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले -**

- भोपाल (855)
- इंदौर (841)
- जबलपुर (473)
- ग्वालियर (446)
- मुरैना (394)

KOTHARI INSTITUTE

**न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले-**

- डिण्डोरी (94)
- श्योपुर (104)
- पन्ना (142)
- बैतूल (157)
- रायसेन (157)

## साक्षरता

**वर्ष 2001 व 2011 में तुलना**

| | वर्ष 2001 | वर्ष 2011 |
|---|---|---|
| 1. व्यक्ति (कुल) | 63.7% | 69.32% |
| 2. पुरुष | 76.1% | 78.73% |
| 3. महिला | 50.3% | 59.24% |

**सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले-**

- जबलपुर (81.017%)
- इन्दौर (80.87%)
- भोपाल (80.37%)
- बालाघाट (77.09%)
- ग्वालियर (76.65%)

**न्यूनतम साक्षरता वाले जिले-**

- अलीराजपुर
- झाबुआ
- बड़वानी
- श्योपुर
- धार

**जनसंख्या वृद्धि दर -**

- प्रदेश की 20.35% है।

**सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या दर वाले जिले-**

- इंदौर (32.9%)
- झाबुआ (30.7%)
- भोपाल (28.6%)
- सिंगरौली (28.0%)
- बड़वानी (27.6%)

**न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले-**

- अनूपपुर (12.3%)
- बैतूल (12.9%)
- छिंदवाड़ा (13.0%)
- मन्दसौर (13.2%)
- बालाघाट (13.6%)

**शहरी व ग्रामीण जनसंख्या -**

- प्रदेश की 7.26 लाख है।
- ग्रामीण - 5,25,57,409 (72.37%)
- शहरी- 2,00,69,405 (27.63%)

**सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाला जिला -**

- झाबुआ (31.7%)
- ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर - 18.4%

**सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला-**

- रायसेन (46.8%)
- नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर - 25.6%

**शिशु जनसंख्या-**

- शिशु जनसंख्या से तात्पर्य 0-6 वर्ष के आयु के बच्चों से है।
- कुल शिशु जनसंख्या- 1,05,48,295 है।
- बालक - 55,16,957 (पुरुष जनसंख्या का (14.5%)
- बालिका - 50,31,338 (महिला जनसंख्या का (14.4%)
- शिशु लिंगानुपात - 912

**सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जिले -**

- झाबुआ - 20.3%
- आलीराजपुर - 19.8%
- बड़वानी - 18.8%
- सिंगरौली - 17.3%

**न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जिले-**

- जबलपुर 11.7%
- बालाघाट 12.2%
- भोपाल - 12.4%
- इन्दौर - 12.5%

**न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले-**

- मुरैना - 825
- ग्वालियर - 832
- भिण्ड - 835
- दतिया- 852

**सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले-**

- अलीराजपुर - 971
- डिण्डोरी - 970
- मण्डला - 965
- बालाघाट - 961

□□□□□□

KOTHARI INSTITUTE

# मध्यप्रदेश की राज्य व्यवस्था

मध्यप्रदेश पूरे देश में पहला राज्य है जहाँ 73वें संविधान संशोधन का पालन करते हुए एक नया पंचायत राज अधिनियम प्रभावशील किया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना कर दी गई है।

➤ प्रदेश में विभाजन से पूर्व 45 जिला पंचायत, 459 जनपद पंचायत, 30, 922 ग्राम पंचायतें थी।

➤ वर्तमान में म.प्र. में 10 संभाग, 52 जिले, 313 जनपद पंचायत, 23023 ग्राम पंचायत, 16 नगर पंचायत, 100 नगर पालिकाएँ तथा 264 नगर पंचायतें हैं।

➤ संविधान के प्रावधानों और उसकी भावना के अनुरुप, प्रत्येक स्तर की पंचायत में सभी पदों एवं स्थानों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण भी किए गए हैं। प्रत्येक आरक्षित और सामान्य वर्ग में कम से कम एक तिहाई स्थान और पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं। नई पंचायत राज प्रणाली में अब सभी वर्गों की और महिलओं की पूरी-पूरी भागीदारी रहेगी।

➤ पंचायत के ऊपर वर्णित स्वरूप के कारण काफी संख्या तीनों में पंच सदस्य एवं पदाधिकारी संभवतः प्रथम बार निर्वाचित होकर कोई लोक पद धारण करेंगे।

➤ मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में ही तीनों स्तर की पंचायतों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र के लिए उत्तरदायित्व कर्त्तव्य और अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्रीजी ने स्वयं स्पष्ट किया है कि शक्ति स्त्रोत पंचायत . अर्थात् पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र के विकास, उत्थान और प्रगति के लिए तो उत्तरदायी होगी ही अपने-अपने क्षेत्र का स्व-प्रशासन भी करेंगी।

➤ पंचायतों के पदादिकारीगण, सदस्य एवं पंच और सभी कर्मचारी उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्व का भलीभाँति, सही और सक्षमता से निर्वहन कर पाएँ इसके लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों व अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश और आदेश दिए है।

➤ नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों तथा पंचायत कर्मचारियों के लिए तीन प्रकार के प्रशिक्षण की यौजना बनाई जा रही हैं। प्रथमतः ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच और सचिवों को उनके कर्त्तव्यों, उत्तरदायित्वों, कार्यकलापों आदि के बारे में परिचय कराने के लिए दिशा निर्देश का एक सप्ताह या उसके कुछ कम अवधि के सघन परन्तु समग्र परिचयात्मक प्रशिक्षण शिविर जनपद एवं जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। दूसरे ऐच्छिक, आधार पर नामांकन प्राप्त कर सचनित पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को क्षेत्रीय एरं राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जाएगा जहाँ उनके कर्त्तव्यों, उत्तरदायित्वों और कार्यकलापों में आने वाले विशिष्ट विषयों के बारे में यथासंभव विस्तृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरे, चयनित पदाधिकारियों आदि को प्रशासन अकादमी भोपाल एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में विशिष्ट विषोयं के गहन प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकार अल्पावधि और दीर्घकाल के प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजनाएँ बनाई जा रही है।

### 73वें सविधान संशोधन की विशेषताएँ

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामों का चहुंमुखी विकास तथा लोकतंत्र को गाँवो के स्तर तक पहुँचाने के लिए पंचायतराज के अंतर्गत विकास के प्रयास प्रारंभ किए गए। प्रत्येक राज्य ने पंचायतराज व्यवस्था को अपने-अपने तरीके से अपनाया तथा ग्रामीण विकास की गतिविधियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाने लगा। प्रत्येक राज्य में अपने-अपने तरीके से होने से पंचायतराज को लागू करने की विधि में एकरूपता नहीं रह सकी थी।

➤ केन्द्र सरकार ने पंचायतराज संस्थाओं को संगठित और अधिक जिम्मेदारी देने के उद्देश्य से भारत के संविधान में संशोधन किया। इस संशोधन से 24 अप्रैल 1993 के बाद पूरे राष्ट्र में पंचायतराज संस्थाओं को एकरूपता मिली।

➤ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो प्रावदान किया गया है उनको दो बागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम वे संविधान है जिन्हें प्रत्येक राज्य को आवश्यक रूप से लागू करने होंगे, दूसरे कुछ ऐसे प्रावधान है, जिसने संबंध में राज्य विधान मंडल को निर्णय लेकर उन्हें लागू करना होगा।

**73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है-**

➤ देश में पंचायतराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राज्य सरकारों को अपने राज्य में पंचायतराज की स्थापना करना अनिवार्य हो गया है।

➤ प्रत्येक राज्य में पंचायतराज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा। पूरा करने के छःमाह के अंदर आगामी पंचायतों का घठन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल के बीज में किन्ही कारणों से भंग होती है और इसके भँग होने की दशा में छह माह से कम समय बचता है, तो बाकी बचे समय (जो छह माह से कम है) के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। यह भी प्रावदान है कि यदि किसी भंग पंचायत के चुनाव होता है तो उसकी अवधि उतने ही बचे समय के लिए होगा जैसे कि पंचायत भंग न हुई होती (धारा 243ई)।

➤ ग्राम सभाओं को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है तथा इसे राज्य विधानमंडल के द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई है।

➤ प्रत्येक राज्य में तीन स्तरीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। (धारा 243 बी)

➤ ग्राम पंचायत के पंच, जनपद पंचायत के सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा होगा। जनपद क्रमशः जनपद तथा जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव की विधि राज्य विधान मंडल के द्वारा निर्धारित की जाएगी। (धारा 243 बी)(5)

➤ यदि राज्य विधान मंडल के द्वारा तय किया जाए तो लोगसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों को जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत की सदस्यता दी जा सकती है, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में यह जिला अथवा जनपद पंचायत क्षेत्र पूरी तरह अथवा आंशिक रुप में शामिल हो।

इन सदस्यों को जनपद एवं जिला पंचायतों जैसी भी स्थिति हो की बैठकों में मतदान का अधिकार भी होगा। (धारा 243 सी)

➤ प्रत्येक पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पद आरक्षित किए जाएँगे इन आरक्षित पदों का अनुपात पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या तथा पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। यह आरक्षण सीधे निर्वाचित होने वाले पदों के लिए ही होगा। इन आरक्षित पदों में से कम से कम एक तिहाई पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए होंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों में कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य विधानमंडल को पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। (धारा 243-डी, 243-एफ)

➤ प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत, जनपद तथा जिला पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने और इन योजनाओँ पर अमल करने के लिए शक्तियों तथा दायित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इन शक्तियों एवं दायित्वों का निर्धारण राज्य के विधान मंडल द्वारा किया जाएगा। (धारा 243 जी)

➤ पंचायतराज संस्थाओं को अपने आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए कर लगाने तथा उसे प्राप्त करने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। राज्य विधान मंडल इन अधिकारों का निर्धारण तथा लगाए जाने वाले करों को परिभाषित करेंगे (धारा 243 एच)

➤ प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग गठित करने का प्रावदान किया गया है। यह आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष में पंचायतों के बीच टैक्स, ड्यूटी टोल टैक्स आदि के प्राप्त राशि के बँटवारे का प्रावधान करेगी तथा पंचायतो की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव देगा (धारा 243 ई)

➤ राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायतों में लेखों के रख-रखाव तथा उसके अंकेक्षण के बारे में प्रावधान करने का अधिकार है। (धारा 243 जे)

➤ प्रत्येक राज्य में पंचायतराज संस्थाओं के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। (धारा 243 के)

➤ समग्र विकास तथा सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए पंचायतों को शक्तियाँ एवं दायित्व देने के संबंध में धारा 243 जी में प्रावधान किया गया है, इसके तहत निर्णय लेने का अधिकार राज्य विधान मंडल को होगा।

**संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय**

1. कृषि, कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुए।
2. भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण ।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल फैलाव का विकास।
4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन।
5. मत्स्यपालन ।
6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित करते हुए लघू उद्योग।
9. खादी ग्राम तथा कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवास।
11. पेयजल।
12. ईंधन तथा चारा।
13. सड़क, पुल, पुलिया, पार-घाट, जलमार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन।
14. विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण।
15. पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन योजना।
17. प्राथमिकता तथा माध्यमिक विद्यालय को सम्मिलित करते हुए शिक्षा।
18. तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवहारिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक कार्य कलाप।
22. बाजार तथा मेले ।
23. अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र तथा औषधालय को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य तथा स्वच्छता।
24. परिवार कल्याण ।
25. महिला एवं बाल विकास।
26. विकलांगो तथा मानसिक रुप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण ।
27. कमजोर वर्गों का कल्याण विशेषतः अनुसूचित जाति और जनजाति का ।
28. लोक वितरण पद्धति।
29. सामुदायिक अस्तियों का संधारण ।

**म.प्र. पंचायती राज अधि. 1993 की विशेषताएँ**

प्रदेश में नवंबर 1993 में हुए चुनाव के बाद गठित विधानसभ के द्वारा 30-12-1993 को म.प्र. पंचायतराज अधिनियम पारित किया गया । इसे 24 जनवरी 1994 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई। 25 जनवरी 1994 मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावशील हो गया। इस अधिनियम में कुछ संशोधन करते हुए 30 मई, 1994 को अध्यादेश जारी किया गया है। जहाँ जिस अधिनियम के बारे चर्चा की जा रीह है वह संशोधन समेप की जा रही है। **म.प्र. पंचायतराज अधिनियम 1993 की विशेषताएँ निम्नानुसार हैं-**

➤ महामहिम राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी कर ग्राम या ग्राम के समूह को इन अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में परिलक्षित किया जाएगा (धारा-3)

➤ प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम सभा होगा। इस ग्रामसभा का सदस्य हर व्यक्ति होगा जिसका नाम इस ग्राम की मतदाता सूची में हो। ग्रामसभा का वर्ष में कम से एक सम्मेलन किया जाना आवश्यक होगा। (धारा 6) (1)

➤ ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, खंड के लिए, जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया गया है। (धारा 8)

➤ प्रत्येक पंचायत की कार्य अवधि पंचायत के पहले सम्मेलन की तारीख से 5 वष7 की होगी, जब तक कि इसे समय से सबसे कानूनन विद्यटिप न किया जाए। इस अवधि के पूरा होने के छह माह के भीतर अगले चुनाव कराए जाना आवश्यक होगा (धारा 9-2 ख)

➤ पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष ंग से कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। (धारा 42)

➤ ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड से एक पंच होगा, जो एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच तथा एक उपसरपंच होगा और जनपद तथा जिला पंचायत के स्दतर पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिए पद होंगे।

➤ एक खण्ड के भीतर की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों का कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उसी अनुपात में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों के पद आरक्षित किए गए हैं। (धारा 17 दो)

जहाँ खण्ड में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है वहाँ खण्ड के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंच के कुल पदों के 5 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएँगे।(धारा 17, दो-2)

➤ खण्ड के भीतर सरपंचों के कुल स्थानों की संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

➤ ग्राम पंचायत का सरपंच यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उपसरपंच ऐसी जातियों, जनजातियों अथवा पिछड़े वर्गों के पंचो में से निर्वाचित किया जाएगा। (धारा 17 छः)

➤ ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच, जनपद के सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा होगा। जनपद तथा जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य अपने-अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

➤ प्रत्येग ग्राम पंचायत में उपसरपंच तथा जनपद व जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का पद होगा।

➤ यदि सरपंच या उपसरपंच लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा का सदस्य अथरा सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति हो जाता है तो वह सरपंच अथवा उपसरपंच के पद पर नहीं रह सकेगा।

➤ जनपद एवं जिला पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएँगे। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जनपद या जिला पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस जनपद या जिला पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है। (धारा 23 और 30)

➤ जिन जनपद पंचायतों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है वहाँ पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाएँगे।

जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो कि कुल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या के बीच है। इन जनपद अध्यक्ष के कुल पदों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएँगे (धारा 25, 32 (दो)

➤ ग्राम पंचायत, जनपद तथा जिला पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के अंदर इनका पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन विहित अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा। (धारा 20 (1), 34 (1)

➤ ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट रुप से विभाजित किया गया है। प्रत्येक पंचायत दिए गए कार्यों को करेंगी। (धारा 49, 50, 52)

पंचायतों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के संबंध में कुछ शिक्तियाँ प्रदान की गई है। इसके साथ-साथ भवनों के निर्माण पर नियंत्रण एवं अनुमति, सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण को खत्म करने, मार्गों का नामकरण करने, भवनों पर क्रमांक डालने तथा बाजारों और मेलों का नियमन क्रमांक डालने तथा बाजारों और मेलों का नियमन करने का अधिकार दिया गया है। (धारा 54,60 तक)

➤ पंचायत ते तीनों स्तरों पर पंचायत के कार्यों में सहयोग करने के लिए ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के समूह के लिए ग्राम पंचायत अदिकारी, जनपद और जिले के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किए जाएँगे। इन्हें वे कार्य करने होंगे जो नियम के अनुसार इन्हें सौंपे जाएँगे । (धारा 69 एवं 72)

➤ पंचायतों के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूचची 1,2 और 3 में किया गया है।

➤ पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को अधिकृत किए जाने का प्रावदान किया गया है। (धारा 84)

➤ राज्य शासन समय-समय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंचायतों की जाँच करा सकती है। (धारा 88)

➤ पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी धन या उसकी सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोग जो उनके कारण हुई है के लिए व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होंगे।

➤ किसी सरपंच अथवा उप सरपंच जनपद तथा जिले के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर अनपे पद पर नहीं रह जाएगा। इनमें शर्त यह है कि यह तीन चौथाई बहुमत तत्समय पंचायत का गठन करने वाले पंचो, सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से आधक होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पंचायत गठन के एक वर्ष तक तथा अवधि समाप्त होने के अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता है।

➤ नया निर्वाचित सरपंच प्रथम सम्मेलन की तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया माना जाएगा। बहिर्गामी सरपंच, जनपद अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पद का कार्यभार नए सरपंच, जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर तत्काल सौंप देगा (धारा 18)

➤ यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत में से एक से अधिक पद पर निर्वाचित हो जाता है तो वह निम्न प्राथमिकता क्रम से किसी एक पद पर बना रह सकेगा। शेष पदों को उसे छोड़ना पड़ेगा (धारा 41)

1. **जिला पंचायत का सदस्य**
2. **जनपद पंचायत का सदस्य**
3. **ग्राम पंचायत का सरपंच**
4. **ग्राम पंचायत का पंच**

निर्वाचन से 15 दिवस की अवधि में कोई व्यक्ति जो एक से अधिक पद पर निर्वाचित हो जाता है, एक पद पर बने रहने का अपना विकल्प देगा। यदि वह ऐसा विकल्प निर्धारित अवधि में नहीं देता है तो वह उपर्युक्त क्रम में एक पद पर पदाधिकारी रह सकेगा।

### ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत

संविधान के 73वें संशोधन के बाद तीन स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था के स्वरूप को पुरे देश में एकरुपता मिली है। ग्राम पंचायत, जनपद तथा जिला पंचायत के अधिकारों तथा कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायतों को अपने-अपने कार्य संपादित करने होंगे। इनके साथ ही इन तीनों स्तरों के कार्यों के बीच आपसी समन्वय तथा सामंजस्य भी होगा।

➤ जिला पंचायतों को अनपे जिले के सभी जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना होगा। वह समय-समय पर ग्राम पंचायतों व जनपद पंचायतों को आवश्यक मार्गदर्शन भी देंगी।

➤ जनपद पंचायतों के द्वारा जो योजनाएँ प्रस्ताव के रुप में भेजी जाएगी, उनको समेकित करना, विशेष प्रयोजन के लिए अनुदान की माँगो को राज्य सरकार की और भेजना यदि कोई ऐसी योजना है जो दो या अधिक जनपद पंचायतों की साझेदारी में है तो उसके क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन व सुझाव देना, ताकि निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो सके। अपने जिले के विकास से संबंधित क्रिया-कलापो, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण कार्यक्रम, निराश्रित महिलाओं, युवा कल्याण, बाल कल्याण कार्यक्रम, खेलकूद के संबंध में सलाह देने का कार्य जिला पंचायतों को करना है । जिला पंचायत की पूरे जिले के समग्र विकास के लिए योजना बनाने, उसे लागू करने तथा वित्तीय साधन इकट्ठा कनरे का जिम्मेदारी है। सर्वागीण विकास की अवधारणा में जनपद पंचायतों ग्राम और जिले के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्राम पंचायतों के स्तर पर बनाई गई विकास के कार्यक्रम की वार्षिक योजनाओं को जनपद पंचायत स्तर पर एकीकृत करते हैं। राज्य सरकार तथा जिला पंचायतों के अनुमोदन से अन्य सौंपे गए कार्यों को सम्पादित करना जनपद पंचायत की जिम्मेदारी में शामिल है। आवश्यक होने पर जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों को शेष कार्य करने के लिए निर्देश दे सकती है।

➤ ग्राम पंचायतें प्रत्येक विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। योजना किसी भी स्तर से क्यों न बनाई जाए उसे लागू ग्राम पंचायत के स्तर पर किया जाता है। विकेन्द्रित विकास की व्यवस्था के अंतर्गत अब ग्राम पंचायत के स्तर पर स्थानीय आवश्यकता और जरूरत के आधार पर योजनाओं का खाका तैयार कर इसे जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत की स्वीकृति तथा वित्तीय साधन उपलब्ध करवाने के लिए भेजा जाएगा।

➤ पंचायत राजय व्यवस्था में ग्राम पंचायतो, जनपद तथा जिला पंचायतों के अपने-अपने दायित्व और अधिकार निश्चित किए गए हैं। इससे प्रत्येक पंचायत को अपने-अपने कार्य स्वतंत्रता पूर्व करने का अवसर मिल गया है, परन्तु इसके साथ इन कार्यकलापों की निगरानी के लिए विहित अधिकारी रके गए हैं। जिला पंचायते, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के कार्यों के ऊपर निगरानी रखेंगी और यदि आवश्यक हुआ तो निर्देश भी दे सकेगी।

➤ ग्राम पंचायतें, जनपद तथा जिला पंचायत से आवस्यकतानुसार सहयोग तथा मार्गदर्शन माँग सकती है। इस प्रकार पंचायत राज के तीनों स्तर पर जहाँ एक ओर अपने-अपने कार्य़ करने की स्वतंत्रता है, वहीं वे दूसरे के कार्य के लिए आवश्यक सहयोग तथा मार्गदर्शन करती है।, जिससे आपसी तालमेल बना रहता है।

### ग्राम सभा

एक गाँव या एक से अधिक गाँव मिलाकर एक ग्रामसभा का गठन किया जाएगा। ग्रामसभा के सदस्य वह व्यक्ति होंगे जिनका नाम उस गाँव की मतदाता सूची में शामिल (अंकित) होगा।

**सम्मेलन (बैठक)**

ग्राम सभा का सम्मेलन वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक रुप से किया जाएगा। सचिव, ग्राम पंचायत ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाएगा। यदि ग्रामसा के एक तिहाई से अधिक सदस्य लिखित में माँग करते हैं तो 30 दिन के अंदर विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तथा आवश्यक प्रस्ताव रखने के लिए ग्रामसभा की मतदाता सूची में अंकित व्यक्ति हकदार होंगे। यदि जनपद पंचायत, जिला पंचायत अथवा कलेक्टर के द्वारा निर्देशित किया जाए तो भी ऐसे निर्देश के 30 दिन के अन्दर सम्लेन बुलाया जा सकेगा।

**कोरम (गणपूर्ति)**

ग्राम सभा के किसी सम्मेलन के लिए ग्रामसभा के 10 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अर्थात कुल संख्या के एक दशमां सदस्यों से गणपूर्ति होगी। परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित किए गए सम्मेलन के लिए बाद में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। (धारा 6(2)

**अध्यक्षता**

ग्रामसभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच के द्वारा की जाएगी। जब दोनों की उपस्थिति न हो तो वहाँ ग्रामसभा के सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रामसभा के उस सदस्य द्वारा की जाएगी जो सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के बुहमत से उसके लिए निर्वाचित किया जाए । (धारा 6 (4)

प्रतिवर्ष ग्रामसभा के सम्मेलन आगामी वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व अर्थात दिसंबर माह में किया जाएगा। ग्रामसभा के सम्मेलन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे।

(1) लेखाओं का वार्षिक विवरण (धारा 7 (1) ।

(2) पिछले वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट (आय - व्यय) का ब्यौरा (धारा 7 (1) ख)।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा (धारा 7 (1) ग।

(4) पिछले वर्ष के अंकेक्षण (ऑटिड का प्रविदन और उसके संबंध में किए गए निराकवण की कार्यवाही विवरण (धारा 7(1) घ) ।

(5) कोई अन्य विषय जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी इस संबंध में कोई बात रखने की अपेक्षा करें। (धारा 7(1) ड)

ग्रामसभा को यह स्वतंत्रता होगी कि उफरोक्त के अंतर्गत रखे गए समस्त अथवा किन्ही विषयों पर चर्चा केरं और ग्राम पंचायत, ग्रामसभा के द्वारा दिए गए सुझाव यदि कोई है पर विचार करेगी।

**ग्राम पंचायत के सम्मेलन के आयोजन की प्रक्रिया**

मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 44 के अनुसार ग्राम पंचायत का सम्मेलन माह में कम से कम एक बार सरपंच का सम्मेलन माह में कम से कम एक बार सरपंच के द्वारा बुलाया जाना आवश्यक है। बैठक में रखे जाने वाले ऐजेण्डा (कार्यसूची) बैठक आमंत्रित करने वाले सरपंच के द्वारा प्रसारित की जाएगी।

यदिसरपंच माह में एक बार सम्मेलन नहीं बुला पाता है तो पिछले सम्मेलन की तिथि से 25 दिन पूरे होते ही ग्राम पंचायत का सचिव सम्मेलन बुलाने की सूचना जारी करेगा।

**गणपूर्ति (कोरम)**

ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम पंचायत गठित करने वाले कुल सदस्यों के आधे से होगी। यदि बैठक में उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति न हो तो पीठासीन अधिकारी बैठक को अगली तारीख एवं रुपए के लिए स्थगित करेगा इसकी सूचना उसके द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपका दी जाएगी। इस प्रकार स्थगित सम्मेलन के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

**उपस्थिति पंजी**

बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त सदस्यों के नाम इस पंजी में लिखे जाएँगे। उसके साथ ही साथ बैठक का दिनांक, स्थान और समय भी लिखा जाएगा और उस पर उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर भी कराए जाएँगे।

**ग्राम पंचायत में जाने वाले विषय**

ग्राम पंचायत की बैठक में पिछले माह में पंचायत द्वारा प्राप्त आदमनी तथा किए गए व्यय की मदवार जानकारी ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जिस प्रकार ग्राम पंचायत में चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त अन्य विषय जो निम्नानुसार है, पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

➤ निर्माण कार्य के प्रगति विवरण पर चर्चा, ताकि सदस्यों को पंचायत क्षेत्र के निर्माण कार्य की जानकारी हो सके।

➤ फसलों की स्थिति और यदि किसी प्रकार की बीमारी या कीड़ो का प्रकोप हो तो उसके संबंध में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव पारित करना।

➤ मजदूरी की दरों की स्थिति से सदस्यों को अवगत कराना और आवश्यक चर्चा करना।

➤ ग्राम छोड़कर बाहर जाने वाले परिवारों के संबंध में कारणों और उसके प्रभावों पर चार्च कर इस प्रकार के पलायन को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना।

➤ निराश्रित पेंशन योनजा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना और उस पर चर्चा करना।

➤ हितग्राही बीमा योजना तथा फसल बीमा योजना के संबंध में जानकारियों को सदस्यों के सम्मुख रखना और उस पर चर्चा पर आवश्यक निर्णय करवाना।

➤ ग्राम पंचायत में गठित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और प्रस्तावों को बैठक में प्रस्तुत करना और उन पर चर्चा कर उन पर आवश्यक निर्णय करवाना।

➤ अन्य विषय अध्यक्षता करने वाले प्रतिनिधि को अनुमति से प्रस्तुत करवाना तथा उन पर चर्चा पर निर्णय करना। बैठक की सूचना प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत के पंचो को उनके अपने प्रस्ताव यदि कोई हो तो उन्हें लिखित में प्रस्ताव भेजने के लिए सूचित किया जाना चाहिए ताकि पंचायत के पंचो के प्रस्ताव की कार्यसूची में शामिल किए जा सके और उन पर ग्राम पंचायत की बैठक में चर्चा हो सके।

अधिनियम की धारा 45 के अनुसार एक बार अंतिम रुप से निपटाए गए विषय पर 6 माह के भीतर दुबारा विचार नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि पंचायत के तीन चौथाई, सदस्य, जिन्हें मत देने का अधिकार है, लिखित में सहमति देते हैं अथवा विहित अधिकारी के द्वारा उस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं तो इस प्रकार के विषय पर पुनर्विचार किया जा सकेगा।

**पंचायतों के कामकाज**

प्रत्येक ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49 में किया गया है, जो निम्नानुसार है-

- स्वच्छता, सफाई और न्यूमेन्स का निवारण करना।
- सार्वजनिक कुओं और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव तथा घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदाय़।
- नहाने, धोने और पालतू पशुओं को पीने के पानी का प्रदाय, पानी के स्त्रोतों का निर्माण, और रख रखाव करना।
- ग्रामीण सड़कों, पुलों, बाँधों तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य साधन तथा भवनों का निर्माण, रख रखावा।
- सार्वजनिक सड़के, संडासो, नालियों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का निर्माण, रख-रखाव और उनकी सफाई
- उपयोग में न लाए जाने वाले कुओ, अस्वच्छ तड़गों, खाइयों तथा गड्ढो को भरना और सीढ़ीदार कुओं (बावड़ियों को स्वच्छ कुओं में परिवर्तित करना ।
- ग्राम मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना।
- सार्वजनिक मार्गों या स्थानों तथा उनको स्थलों में (जो निजी सम्पत्ति न हो, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला हो चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हो या राज्य सरकार के हों) बाधाओं तथा आगे निकले हुए बाग को हटाना।
- मनोरंजनों, खेल तमाशों, दुकानों, भोजन गृहों और पेयजल पदार्थों, मिठाई, फलो, दूध, तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी और उस पर नियंत्रण ।
- मकानो, संडासो, मूत्रालयों, नालियों तथा फलश शौचालयों के निर्माण पर नियंत्रण रखना।
- सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और विकास ताकि यह भूमि ग्राम के लिए अधिक उपयोगी हो सके।
- **(क)** शवों, पशु शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों की अन्त्येष्टि के लिए स्थानों को निर्धारित करना।
  **(ख)** लावारिश शवों और पशु शवों की अत्येष्टि।
- कचरा इकच्छा करने के लिए स्थानों को चिन्हित करना।
- माँस के विक्रय तथा जाँच की व्यवस्था एवं नियंत्रण ।
- ग्राम पंचायत की सुंपत्ति का संरक्षण।
- काँजी हाऊस की स्थापना और प्रबंध और पशुओं से संबंधित अभिलेखों का रखा जाना।
- संसद द्वारा बनाई विधि द्वारा उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। चारागाहों तथा अन्य भूमियों का बनाए रखा जाना जो ग्राम पंचायतों के पास है अथवा उनके नियंत्रण में है।
- सार्वजनिक बाजारों तथा सार्वजनिक मेलों में भिन्न बाजारों तथा मेलों की स्थापना, प्रबंध और व्यवस्था करना।

- जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रखा जाना।
- जनगणना कार्य में और राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विधान के द्वारा गठित, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित सर्वेक्षणों में सहायता करना।
- रोगों के रोकथाम में सहायता करना।
- छूत के रोगों और चेचक का टीका लगने में सहायता करना तथा मनुष्यों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिए अन्य निवारण उपायों की करने में सहायता करना।
- निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता करना।
- युवा कल्याण परिवार कल्याण तथा खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाना।
- **(क)** जीरन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए.

  **(ख)** आग की रोकथाम, आग बुझाने और आग लग जाने पर संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए रक्षा समिति की स्थापना करना।
- दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करना।
- **1.** गंभीर तथा आपाती मामलों में निर्धन व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने के लिए या

  **2.** निर्धन व्यक्तियों या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की अत्येष्ठिठ करने के लिए या

  **3.** किसी निर्धन व्यक्ति क फायदे हेतु किसी अन्य ऐसे काम के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।
- **(क)** राज्य सरकार, कलेक्टर, या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के उपायों के साथ अस्पृश्यता निवारण के संबंध में दिए गए निर्देशों या आदेसों को लागू करना।

**(ख)** ऐसे कार्य करना जो राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद उसे सौपें।

**(ग)** जनपद पंचायत के पूर्वानुमोदन में ऐसे अन्य कार्य़ करना जिनका किया जाना वह वाँछनीय समजेगी।

जहाँ ऐसे कोई कार्य ग्राम पंचायत को सौंपे गए हैं। वहाँ वह राज्य सरकार जिला पंचायत या जनपद पंचायत के एजेन्ट के रुप में कार्य करेगी। इसके लिए सहायता की व्यवस्था तथा स्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की अनुसूची में सौंपे गए कर्त्तव्यों को भी पंचायत संपादित करेगी।

**ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा इस निमित बनाए जाए, ग्राम पंचायतों की-**

- घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार को नियमन करना।
- संरचनाओं तथा वृक्षों को हटाना।
- स्वच्छता, सफाई, जल प्रदाय के स्त्रोतो का रख रखाव करना।
- जल के उपयोग की नियमन करना ।
- पशुवधों का नियमन करना।
- कर्मशालाओं, कारखानों तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का विनियमन करना।
- पर्यावरण नियंत्रण सुनिश्चित करना।
- ऐसे अन्य कार्य जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन आवश्यक है, को करना।

इसके अतिरिक्त राज्य शासन उन्हें अन्य कोई कार्य दे सकती है तथा इनको सौंपे गए कार्यों को कम भी कर सकती है। उपरोक्त सभी कार्य पंचायत के स्तर पर गठित समितियाँ अथवा पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर ही किए जाएँगे।

## ग्राम पंचायतों के विकास कार्य से संबंधित उत्तरदायित्व

ग्राम पंचायतों के समस्त कार्यों का विश्लेषण पृथक से किया गया है (पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49) जिसका संबंध ग्राम के चहुंमुखी विकास से है, इनमें से विकास कार्यों के उत्तरदायित्वों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है।

- सार्वजनिक कुओ, तालाबों का निर्माण, इनकी मरम्मत संरक्षण तथा घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदाय करना।
- पशुओं के लिए स्नान तथा कपड़े धोने के लिए जल प्रदाय स्त्रोतों का निर्माण और संरक्षण ।
- ग्रामीण सड़कों, पुल, पुलिया, बाँध तथा सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और संरक्षण।
- सार्वजनिक सड़को, नालियो, तालाबों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का निर्माण व संरक्षण ।

- वृक्षा रोपण तथा पंचायत वनों का संरक्षण एवं इनके क्षेत्र को विकसित करना।
- ऐसे कृत्य जो राज्य सरकार, कलेक्टर या इस हेतु नियुक्त व्यक्ति के द्वारा निर्देश/ विसेष आदेसों के द्वारा निर्देशित किए जाएँगे।
- जनपद पंचायत के पूर्वानुमोदन में ऐसे अन्य कार्य़ जिनका किया जना विकास के लिए अतिआवश्यक समझा जाए।
- ग्राम की गलियों, रास्तों में प्रकाश व्यवस्था।
- मूत्रालय, संडास, फ्लश लेट्रीन का निर्माण एवं नियमन।
- राज्य शासन या विहित अधिकारी द्वारा सौंप गए कार्य।
- पंचायत के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराना।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले निर्धन व्यक्तियों के उत्थान का प्रयास करना व आवश्यक कदम उठाना।

इन समस्त विकास कार्यों के दायित्व की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को योजना प्रारप तैयार करना होगा। योजना प्रारुप का अर्थ है विशेष कार्य को करने से इसका लाभ किसे और कितना होगा तथा ग्राम के लिए इसकी क्या उपयोगिता होगी । इस कार्य़ पर कितना संभावित व्यय होगा तथा इस व्यय की अनुमानित राशि में से ग्राम पंचायत अपने स्वयं के साधनों से कितना व्यय कर सकेगी।

पंचायत की वार्षिक योजना के हिस्से के रुप में इन प्रस्ताव पर ग्राम सभा के अनुमोदन कराना।

## ग्राम पंचायत के आय के स्त्रोत

ग्राम पंचायत को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 77 (12) के अंतर्गत कर लगाने का अधिकार है। इनमें से कुछ कर अनिवार्य तथा कुछ विकल्प करके रुप में होंगे। अनुसूची 1 तथा अनुसूची -2

**लगाए जाने वाले अनिवार्य कर - (अनुसूची-1)**

(1) भूमियों तथा भवनों जिनका मूल्य जमीन के मूल्य को मिलाकर 6000/- रु. से अधिक है पर सम्पत्ति कर-

**(क)** यह कर राज्य सरकार ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत के स्वामित्व में भवन तथा भूमियों पर लागू नहीं होगा ।

**(ख)** धार्मिक या शैक्षाणिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भवन या भूमियों, जिसके अंतर्गत छात्रावास भवन भी शामिल होगा, पर लागू नहीं होगा।

(2) निजी शौचालयों पर कल लगाने का अधिकार होगा। इस कर की राशि घर जिसमें शौचालय है, वे स्वामी अथवा उस घर का उपयोग करने वाले के द्वारा जदी जाएगा। यह कर उस दशा में दिया जाना होगा, जबकि इन शौचालयों की सफाई की व्यवस्था पंचायत के द्वारा की जाती है।

(3) ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के अंदर कोई व्यापार या व्यवसाय करने वाले या आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों पर कर।

(4) उन व्यक्तियों पर बाजार फीस जो ग्राम पंचायत के या इसके अधीन परिसर किसी बाजार या स्थान या उसके किसी भवन / परिसर का उपयोग माल रखने अथरा विक्रय करने के लिए करते हों।

(5) ग्राम पंचायत या उसके अधीन किसी बाजार में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस ।

**लगाए जाने वाले वैकल्पिक कर / फीस : (अनुसूची - 2)**

यह कर धारा 77 (2) के अधीन जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन से लगाए जाएँगे ।

(1) भवनों पर कर जो अनिवार्य रुप से भवनों पर लगाएं जाने वाली श्रेणी में न जाते हों अर्थात जो अनुसूची -1 में शामिल नहीं है।

(2) सवारी करने, चलाने, खींचने या बोझा ढ़ोने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं, कुत्तों या सूअरों पर जो उनके स्वामी के द्वारा देय होगा।

(3) ग्राम पंचायत सीमा के किराए पर चलाए जाने के लिए उपयोग में आ रही बैलगाड़ी व साइकिल रिक्शों पर कर।

(4) सराय, धर्मशाला, विश्राम गृह वधशाला तथा पड़ाव स्थल के उफयोग के लिए फीस।

(5) जलकर जहाँ ग्राम पंचायतों के द्वारा जल प्रदाय की व्यवस्था की गई है।

(6) जल निकास पर फीस जहाँ जल निकास व्यवस्था की गई है।

(7) मंडी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर (म.प्र. उपज मंडी अधिनियम 1972) क्रमांक 24, 1973) के अर्थ के अंतर्गत खरीदे जाने वले दलाल, आढ़ितियों, तौल करने वाले या नापते वालों का कार्य करने वाले व्यक्तियों पर कर।

(8) मोटर-यानों से भिन्न यानों के स्वामियों पर देय फीस जहाँ मोटर-यानों से भिन्न ऐसे यान ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।

(9) लोक उपयोग विशेष कार्यों पर अस्थायी कर

(10) सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण या अनुरंक्षण के लिए कर तथा कुड़ा कचरा हटाने और इसको समुचित स्थान पर जलाने के लिए सामान्य सफाई कर।

(11) बैलगाड़ी तथा ताँगा स्टैंड के लिए कर ।

(12) सार्वजनिक स्थान पर अस्थाई रुप से उपयोग के लिए फीस।

(13) ग्राम पंचायत के अधीनस्थ चारागाहों में पशुओं को चराने के लिए फीस/शुल्क।

(14) कोई अन्य कर जिसे लगाने के लिए राज्य विधानमंडल को भारतीय संविधान के अधीन शक्तियाँ प्राप्त हों।

## नगर पालिका निगम संशोधन अधिनियम - 1994

म.प्र. में इससे पूर्व नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू था, जिसमें लगभग 442 धाराएँ थी। इन धाराओं में से मुश्किल से 43 धाराओं में ही संशोधन कर यह नया कानून बनाया गया है । पूराने अधिनियम को लागू हुए लगभग 38 वर्ष हो गए। इस दौरान भारत के शहरों में विस्फोट जनसंख्या के कारण विकराल समस्याएँ पैदा हुई है। 74वाँ संस्थाओं का स्वावलंबी बनाने की है, लेकिन प्रदेश सरकार के नगर निगमों के आय के स्त्रौतो कर प्रणाली जैसे आर्थिक संशोधन जुटाने वाली धाराओं को छूने तक की कोशिश न कर संविधान की मूल भावना को भूलाकर उसके साथ अन्याय नहीं किया। इससे पहले श्री राजेन्द्र धारकर की अध्यक्षता में बने आयोग ने नगर निगम / नगर पालिकाओं के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी। म.प्र. में इस समय 16 नगर निगम है। इन निगमों की जब से स्थापना हुई है उनमें से रतलाम, खंडवा, सतना, रीवा एरं कटनी के अभी तक चुनाव ही नहीं हुए थे, लेकिन 74वें संविधान संशोधन के कारण नवंबर - दिसंबर माह में इन शहरों में चुनाव हुए।

नगर पालिकाओं और निगमों का अवधि अब 5 वर्ष होगी तथा इस अवधि में दो महापौर चुने जाएंगे । एक महापौर का काल ढ़ाई वर्ष का होगा, पूर्व विधान अनुसार प्रत्येक वर्ष नया मेयर चुना जाना था मेयर काल की समयावधि बढ़ाने से निर्वाचित महापौर को शहर के विकास हेतु योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा 74वें संविधान संशोधन के प्रकाश में राज्य सरकार ने म.प्र. नगर पालिका निगम (संशोधन) अधिनियम 1994 पालित किया है। इससे पुराने अधिनियम में आमूल- चूल परिवर्तन तो नहीं हुए है, लेकिन महापौर के निर्वाचन, परिषद के कार्यकाल अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए विशेष अधिकार एल्डरमैन प्रथा समाप्त करने तथा वार्ड समितियाँ गठित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इसमें शामिल किए गए हैं।

**महापौर का पद -**

नए संशोधन कानून में एक महत्वपूर्ण तथा मौलिक परिवर्तन पर महापौर को अत्याधिक शक्तिशाली बनाया गया है। मेयर अब केवल परिषद की अध्यक्षता ही नहीं करेगी वरन् वह स्थाई समिति का भी पदन अध्यक्ष होगा, नगर निगम की असली शक्ति स्थायी समिति में होती है। इसलिए महापौर अब सम्पूर्ण विकास एवं निर्माण कार्य का संचालन स्वयं कर पाएगा। पूर्व नगर निगम कानून के अनुसार महापौर, चुने गए पार्षदों से बाहर का व्यक्ति भी हो सकता था, परन्तु नए संशोधन से अब चुने गए पार्षदों में से ही महापौर चुना जाएगा। इस प्रकार बहुमत वाले दल को अपना नेता स्वयं जिससे जनता को बहुमत वाले दल के प्रति इस तरह थोपे जाने पर आलोचना करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। अब हर दल को पार्षद हेतु उम्मीदवारी तय करने के पूर्व यह भी विचार करना होगा कि जो सक्षमता से नगर विकास कर नेतृत्व कर मैदान में उतारें। इस कानून के अनुसार शहरों के लिए महापौर के पद के आरक्षण का अलग-अलग प्रावदान भी है। कोई महिला जो अजा/जजा या पिछड़े वर्ग में से हो, का महापौर चुना जाना आवश्यक होगा।

**एल्डरमैन प्रथा समाप्त -**

म.प्र. के कार्पोरेशन विदान 1956 में एल्डरमैन चुने का प्रावधान था, लगभग 4 पार्षदों के पीछे एक एल्डरमैन चुना जाता था, नए संशोधन कानून के अनुसार यह पद्धति समाप्त कर दी गई है, इसके स्थान पर अब प्रदेश शासन स्थानीय शासन के विशेषज्ञ, व्यक्तियों को परिषद में नामजद करेगी, परन्तु इन नामजद सदस्यों के मतदान का अधिकार नहीं होगा। वे केवल सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। इससे बहुमत वाले चुने हुए पार्षदों के दल को अल्पमत में लाने का खतरा समाप्त हो गया है। परन्तु नवीनतम संशोधन अनुसार पुनः एल्डरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं।

**वृहद वार्ड समितियाँ -**

संशोधन कानून 1994 के द्वारा एक आमूल-चूल परिवर्तन यह किया गया है कि तीन लाख या उससे अदिक जनसंख्या वाले किसी नगर निगम के भीतर प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या पर एक वार्ड समिति का गठन किया गया जाएगा। अगर किसी शहर की जनसंख्या दस लाख है तो वहाँ दस वार्ड समितियाँ बनाई जाएंगी। इन वार्ड समितियों में जनसंख्या के अनुसार जो वार्ड समितियों में जनसंख्या के अनुसार जो वार्ड आएँगे उसके चुने हुए पार्षदों के अलावा दो नगरिकों को भी समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। इन दो नागरिकों का मनोनयन महापौर करेगा। वार्ड समिति का अध्यक्ष समिति की पहली बैठक में केवल चुने गए पार्षद ही करंगे और चुना हुआ पार्षद ही इन समितियों का अध्यक्ष होगा।

**चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव आयोग-**

नए संशोधन कानून के अन्तर्गत वार्डों के गठन करने का अधिकार तो राज्य सरकार को हगा। किसी भी परिस्थिति में 70 से ज्यादा वार्ड नहीं होंगे और न्यूनतम 40 होंगे। लेकिन इस अधिकार के साथ एक निर्देश । यह भी नए प्रावदान में स्पष्ट रुप से उल्लेखित है कि सभी वार्ड बराबरी की मतदाताओं की संख्या के होंगे, वार्ड का गठन आड़े टेढ़े ढ़ंग से नहीं किया जाएगा। वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र संहत (कॉम्पेक्ट)होगा अर्थात् सभी वार्ड लगभग समान मतदाताओं के समरुप तथा सीमाओं में बंधे हुए होंगे।

वार्ड गठन के पश्चात् चुनाव आयोग का काम प्रारंभ होगा। मतदाता सूची से लेकर चुनाव करवाने तक का काम एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना द्वारा किया जाएगा। वार्डों के पुनर्गठन की सूचना तुरंत राज्य शासन द्वारा चुनाव आयोग को देना होगी। राज्य सरकार ने वार्डों के पुनर्गठन में संतुलन अपने पक्ष में रखनें के उद्देश्य से ऐसा किया गया प्रतीत होता है कि जिससे यह असवैधानिक कार्य भी सिद्ध होता है। यदि इस संशोधन का दुरुपयोग किया तो वार्डों के पुनर्गठन को लेकर सरकार को संवैधनिक याचिकाओं का सामना भी करना पड़ सकता है।

किसी भी वार्ड सदस्य की मृत्यू होने या उसके स्वेच्छा से पद त्याग करने का चुनाव पद्द होने की स्थिति में राज्य सरकार को सूचित करा होगा तथा चुनाव आयोग की शेष समयावधि के लिए अविलंब चुनाव आयोग को सूचित करना होगा तथा चुनाव आयोग को शेष समयाविधि के लिए अविलंब चुनाव करवआना होंगे। इससे पूर्व ऐसे वार्ड के चुनाव वर्षों तक नहों होते थे और रिक्त स्थान ही परिषद की समयावधि भी समाप्त हो जाया करती थी।

**अतिक्रमण -**

सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में इस नए संशोधन कानून में बहुत सख्त प्रावधान तो नहीं किए गए, परन्तु पूर्व कानून से ज्यादा शक्तियाँ संबंध में आयुक्त को दी गई है और अतिक्रमण वाले व्यक्ति को छह माह के कारावास की सजा या पाँच हजार रुपए तक की जुर्माना और अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में 100 रुपए प्रतिदिन दंड का प्रावधान इस नए संशोधन में उल्लेखित है । इस संबंध में जो अपराध किया जाएगा उसके लिए आयुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाना होगी। नगर निगम की अनुज्ञा के बगैर या अनुज्ञा के प्रतिकुल निर्माण करने पर कम्पाउंडिंग तभी किया जाएगा जब वह भवन नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित करता हो या जो माजिनल खुली जगह रखी जाती है, वह फ्लोर एरिया (विहित फर्श क्षेत्र) से दस प्रतिशत ज्यादा नहीं होगी तभी कंपाउंडिंग होगा और शुल्क (शमन शुल्क) उस भवन अनुमति शुल्क के 15 गुना के कम तथा 50 गुना से अधिक होगा। 1956 में बना म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम म.प्र. की स्थापना के पश्चात् बना था। इस कानून में समय के अनुसार काफी रद्दोबदल अपरिहार्य थे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। जबकि 74वें संशोधन की मूल भावना का ध्यानार्थ शहरों में सत्ता जनता के पास पहुंचना और ऐसी संस्थाओं को स्वावलंबी बनाना है।

## प्रशासनिक परिदृश्य

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 के अनुसार 1 नवम्बर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ नामक एक नए राज्या का उदय हुआ। विभाजन के उपरान्त राज्य में 9 सम्भाग एवं 45 जिले थे परन्तु वर्तमान में प्रदेश में 52 जिले एवं 10 सम्भाग है। 10वाँ सम्भाग शहडोल का बनाया गया है। प्रदेश के होशंगाबाद सम्भाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम् कर दिया गया है।

**मध्य प्रदेश : प्रशासनिक तथ्य**

| जिले | 52 |
|---|---|
| जिला पंचायत | 52 |
| सम्भाग | 10 |
| जोन (आईजी पुलिस) | 11 |
| तहसीलें | 362 |

| | |
|---|---|
| जोन (डी आईजी पुलिस) | 15 |
| विकासखण्ड | 313 |
| पुलिस जिले (एसपी) | 51 |
| आदिवासी विकासखण्ड | 89 |
| राजस्व जिले | 52 |
| नगर | 476 |
| पुलिस कन्ट्रोल रुम | 16 |
| कुल ग्राम | 55,393 |
| पुलिस उप-सम्भाग | 161 |
| आबाद ग्राम | 52,117 |
| पुलिस थाने | 1011 |
| नगर निगम | 16 |
| पुलिस चौकियाँ | 498 |
| नगर पालिकाएँ | 100 |
| लोकसभा सीटें | 29 |
| नगर पंचायत | 263 |
| राज्यसभा सीटें | 11 |
| ग्राम पंचायत | 23,040 |
| विधानसभा सीटें | 230+1 |
| जनपद पंचायत | 313 |

## मध्य प्रदेश : प्रमुख संस्थाएँ

मध्य प्रदेश शासन ने लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा प्रशासनिक तन्त्र के साथ सहयोग एवं निगरानी रखने हेतु कई संस्थाओं की स्थापना की है। इनमें से प्रमुख संख्याएँ निम्नलिखित है

**लोकायुक्त संगठन**

लोकायुक्त संगठन की स्थापना के लिए सर्वप्रथम एक विधेयक वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक में कतिपय संशोधनों के विचाराधीन होने के कारण इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल सकी । भारत सरकार के निर्णय को आधार बनाते हुए यह विधेयक वर्ष 1980 में सशोधित रुप में विधानसभा में पेश किया गया तथा अप्रैल, 1981 में विधेयक के पारित होने तथा उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उक्त विधेयक अधिनियन के रुप में लागू हुआ।

मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप -लोकायुक्त अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत लोकयुक्त एवं उप - लोकायुक्त विशिष्ट व्यक्तियों से सम्बन्धित जाँच कर सकेंगे। प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति प्रदेश के मुख्यमन्त्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा मृत्यु या त्यागपत्र देकर, या सदन द्वारा हटाए जाने पर इनका पद रिक्त हो सकता है। उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसी तरह लोकीयुक्त अथवा उप - लोकायुक्त के पद से मुक्त होने के उपरान्त उनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन के अधीन किसी भी शासकीय पद, निगम सहकारी संस्था अथवा शासकीय कम्पनी में नहीं की जा सकती । लोकायुक्त संगठन को कार्यपालिका के प्रभाव से भी मुक्त रखा गया है।

लोकायुक्त संगठन का प्रमुख लोकायुक्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यकत रहे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नेता, प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव एवं सचिव के खिलाफ जाँच लोकायुक्त द्वारा की जा सकती है। राज्य के मुख्यमन्त्री सहित सभी मन्त्री व विधायक तथा राज्य के पदाधिकारी इसकी जाँच के दायरे में शामिल किए गए है। लोकायुक्त / उप - लोकायुक्त द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली वैसी सभी शिकायतों की जाँच की जा सकती हैं, जिनका विषय शिकायत के दिनांक से 5 वर्ष से अधिक पुराना हो ।

**राज्य सतर्कता आयोग**

भारत सरकार के द्वारा 'भ्रष्टाचार की रोकथाम ' के लिए श्री क सन्थानम की अध्यक्षता में एक समिति गाठित की गई। सन्थानम कमेटी द्वारा फरवरी, 1963 में भारत सरकार को प्रतिवेदन पेश किया गया। भारत सरकार द्वारा सन्थानम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र में सतर्कता आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके तुरन्त बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की दिशा में त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इस प्रकार 1 मर्च, 1964 को प्रदेश में विधिवत् रुप से राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। अधिसूचना के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के



KOTHARI INSTITUTE

अतिरिक्त सम्भाग स्तर पर सम्भागीय सतर्कता मण्डलों तथा जिला स्तर पर जिला सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति का प्रवाधान भी रखा गया है।

**मध्य प्रदेश मानवधिकार आयोग**

मानवधिकारों को संरक्षण के सफल क्रियान्वयन के लिए जिस तरह केन्द्र में मानवधिकार आयोग का गठन किया गया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में राज्य मानवधिकार आयोग का गठन सितम्बर, 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय भोपाल में है।

**आयोग की संरचना -** आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होते है।

**अध्यक्ष -** पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है।

**सदस्य -** आयोग में कुल चार सदस्य होते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो उच्च न्यायालय का वर्तमान में न्यायाधीश हो या रह चुका हो, दूसरा ऐसा व्यक्ति होगा, जो वर्तमान में जिला न्यायाधीश हो यो रह चुका हो तथा दो अन्य सदस्य ऐसे व्यक्ति नियुक्ति होंगे, जिन्हें मानवधिकारों से सम्बधित विषयों का ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हो।

**आयोग के कार्य**

- यदि किसी शासकीय सेवक अथवा निजी व्यक्ति के द्वारा मानवधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसा करने के लिए उकसाया गया है अथवा उसने ऐसा हनन रोकने में लापरवाही की है, तो आयोग ऐसी शिकायतों की जाँच करेगा।
- राज्य सरकार को सुचित करके किसी जेल अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन ऐसे संस्थान का, जहाँ लोगों की चिकित्सा सुधार एवं सुरक्षा हेतु निरुद्ध ठहराया जाता है, वहाँ रहने वाले लोगों की आवासीय दशाओं का निरीक्षण करना और उनके बारे में सुझाव देना। किसी न्यायालय में विचाराधीन मानवधिकार के हनन के मामले से सम्बन्धित न्यायालय के अनुमोदन से ऐसे सभी मामलों की कार्यवाही में भाग लेना।
- संविधान अथवा किसी अन्य कानून द्वारा मानवधिकार के संरक्षण के लिए दिए गए रक्षा उपायों की समीक्षा तथा उसके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में अपने सुझाव देना।
- आतंकवाद से सम्बन्धित सारे क्रियाकलापों की समीक्षा करना जो मानवधिकारों का उपयोग करने में बाधा पहुँचाते है, साथ ही उनके निराकरण के लिए उपाय सुझना।
- मानवाधिकारों से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यों को अपने हाथों में लेना एवं उसे बढ़ाया देना ।
- समाज के प्रत्येक वर्ग में मानवधिकारों सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करना तथा प्रकाशनों, संचार माध्यमों एवं संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा मानवधिकार सम्बन्धी रक्षा उपायों के प्रति समाज को सतत जागरुक करना ।
- मानवाधिकारों के क्षेत्र में क्रियाशील स्वयं - सेवा संगठनों तथा संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहन देना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ तथा केन्द्र सरकार द्वारा मानवाधिकारों की घोषणाओं को आलोक में प्रयासरत रहना।
- वैसी शिकायतें जिन पर आयोग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है।
- ऐसी घटना जिनके बारे में शिकायतें उनके घटित होने के एक साल बाद की गई हों ।
- ऐसा प्रकरण जो किसी भी न्यायालय मे अथवा किसी आयोग के समक्ष विचारधीन हो।
- ऐसी शिकायतें जो पूरी तरह समझ में न आती हों, जिसमें ओछापन दिखता हो या जो आयोग के विचार क्षेत्र के बाहर के मामलों से सम्बन्धित हों ।

**शिकायत भेजने की प्रक्रिया**

पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग के पते पर प्रार्थना पत्र देकर निः शुल्क शिकायत की जा सकती है।

## राज्य निर्वाचन आयोग

73 वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित अनुच्छेद 243 (ट) में पंचायत संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इन स्थानीय संस्थाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

मध्य प्रदेश में अगस्त, 1994 में पारित अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग एक -सदस्यीय या बहु -सदस्यीय भी

हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएँगी, परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्ही आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिसे रीति पश्चात् उसकी सेवा शर्तों, वेतन आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में स्थानीय संस्थाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना, मतदाताओं का पंजीयन करवाना, ग्राम, जनपद तथा जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों का गठन करवाना, मतदान प्रबन्धन, मतगणना सम्बन्धी कार्य, चुनाव परिणामों की घोषणा, आचार संहिता का निर्माण एवं उसका पालन करवाना, उम्मीदवारों का नामांकन तथा उन्हें चुनाव - चिह्नों का आवंटन करना आदि विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं।

## राज्य वित्त आयोग

मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन दिसम्बर, 1994 में किया गया था। राज्य वित्त आयोग का कार्यक्रम 5 वर्ष है। इसमें अध्यक्ष साहित कुल पाँच सदस्य हैं। सदस्यों की नियुक्ति मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। सदस्यों का वित्त विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ तथा स्थानीय प्रशासन का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। सदस्यों की योग्यता का निर्धारण विधानसभा द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग राज्यपाल को निम्नलिखित सिफारिशें करता है-

- पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले ऐसे करों, शुल्कों, पथ-करों और फीसों का विवरण देना।
- पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदाना।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए उपाय बताना।

अनुच्छेद 243 (स) के अन्तर्गत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी पुनर्विलोकन करता है। वह राज्यों और नगर पालिकाओं के मध्य निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर राजस्व वितरण की सिफारिश को सौंपता है

- ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगरपालिकाओं और राज्य के बीच वितरण जो इस भाग के अधीन उनके बीच किए जाने है. तथा सभी स्तरों पर ऐसे आगमों के सम्बद्ध अंशो का नगरपालिकाओं के बीच आवंटन ।
- ऐसे करों, शुल्कों,पथकारों और फीसों का निर्धारण जो नगरपालिकाओं को समनुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे।
- नगरपालिकाओं को राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान।
- राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं को वित्त पोषण के हित में वैसे विषय वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए जा सकें।

## मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

1 नवम्बर, 1956 के राज्य पुनर्गठन तथा नवीन मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद कानून 1956 की धारा 118 (3) के अनुसार मध्य प्रदेश के वर्तमान लोक सेवा आयोग का गठन दिनांक 27 अक्टूबर, 1956 को किया गया। वस्तुतः इसका गठन सन् 1957 में हुआ और सन् 1958 में आयोग ने प्रथम परीक्षा आयोजित की और तब से यह क्रम निरन्तर चला आ रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर में स्थापित है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष डी बी रेंगे (ICS) थे। आयोग का मुख्य कार्य राज्य में शासन की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निश्चित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मन्त्रिमण्डल की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अन्य किसी सदस्य को राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। आयोग के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें सरकारी सेवा का 10 वर्ष का अनुभव हो।

आयोग के किसी सदस्य की सेवा - शर्तों में उसकी सेवाकाल की अवधि के बीच कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सदस्यों का वेतन राज्य संचित निधि पर भारित होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा कर लें, के लिए होता है। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संघ या भारत के किसी भी राज्य सरकार में लाभ का

KOTHARINSTITUTE

पद ग्रहण करने से वर्जित रखा गया है। यही नही, अवकाश प्राप्ति के बाद किसी भी सदस्य को उसी राज्य लोक सेवा का दुबारा सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है और न ही अन्य किसी राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकते है। आयोग के सदस्य अपने पद का दुरुपयोग न करें और किसी प्रकार की मनमानी न करने लगें, इसके लिए संविधान में उन्हें पदमुक्त किए जाने का प्रावधान रखा है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सौपा गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार का आरोप होने पर आरोप की जाँच - पड़ताल उच्चतम न्यायालय द्वारा कराई जाती है। जाँच आरोप सिद्ध होने पर राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा उसे पदमुक्त कर सकता है।

## पंचायती राज

73 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। प्रदेश में नवीन पंचायती राज अधिनियम, 30 दिसम्बर1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया एवं 24 जनवरी, 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति के साथ अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम 1193 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है।

**ग्राम पंचायतों की स्थापना**

संविधान के 73 वें संशोधन में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए ग्राम या ग्राम समूहों को 'ग्राम' के रुप में अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य प्रत्येक वह व्यक्ति होगा, जिसका नाम उस ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज होगा। ग्राम को अधिसूचित करते समय विशेषतः यह ध्यान रखा जाएगा कि उसका क्षेत्र तथा जनसंख्या सभी दृष्टि से सुविधाजनक हो तथा क्षेत्र पंचायत एक समस्त इकाई के रुप में कार्य कर सके।

**पंचायतों का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन**

विधेयक में पंचायत के तीनों स्तरों के निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करने की निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

(1) **ग्राम पंचायत**

(क) एक हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायत में कम - से कम 10 वार्ड होंगे।

(ख) एक हजार से ऊपर की आबादी वाली ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 वार्ड होंगे।

(ग) इन सभी वार्डों की जनसंख्या सामान्यतः एक-सी होगी।

(घ) वर्तमान में प्रदेश में 23012 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं।

**(2) जनपद पंचायत**

(क) प्रत्येक 5,000की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, परन्तु 50, 000 से कम जनसंख्या वाले खण्डों में कम-से-कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किन्तु कुल निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या 25 से अधिक नहीं होगी। सभी क्षेत्रों की जनसंख्या सामान्यतः एक - सी होगी।

(ख) वर्तमान में प्रदेश 313 जनपद पंचायतें कार्यरत हैं।

**(3) जिला पंचायत**

(क) प्रत्येक 5,0000 जनसंख्या के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा।

(ख) जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम होने पर कम-से-कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किन्तु कुल निर्वाचन क्षेत्र 35 से अधिक नहीं होंगे। सभी क्षेत्रों की जनसंख्या सामान्यतः एक सी होगी।

(ग) वर्तमान में 50 जिलों में जिला पंचायतें कार्यरत हैं।

**पंचायतों के प्रमुखों का निर्वाचन**

73वें संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच के मामले निर्वाचन की व्यवस्था राज्य के विवेक पर निर्भर होगी, परन्तु जनपद तथा जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। चूँकि सरपंच के निर्वाचन में ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वार काफी गड़बड़ियाँ की जाती हैं इसलिए मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक में यह व्यवस्था दी गई है कि सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष द्वारा कराया जाएगा।

**पंचायतों में आरक्षण**

पंचायत अधिनियम 1993 में विभिन्न स्तरों की पंचायतों में अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के पंच पद में 20% तथा तीनों स्तरों की पंचायतों के प्रमुखों के 10% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था है। अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत के सदस्यों के लिए दी गई है कि जिन पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए 50% या इससे कम स्थान आरक्षित किए गए है, वहाँ 25% पद अन्य वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएँगे ।

- जिस खण्ड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से कम है, वहाँ 25% जनपद अध्यक्षों के पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे।
- जिस जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से कम है, वहाँ 25% जनपद अध्यक्षों के पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आसक्षित होंगे ।
- जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 25% स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित किए जाएँगे तथा प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

समस्त आरक्षित पदों का आवंटन चक्रानुक्रम के तहत निर्धारित किया जाएगा। पंचायत प्रमुख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का न हो तो वहाँ का उप-प्रमुख इन्हीं वर्गों का होगा। वर्तमान में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है।

**पंचायतों में सहयोजन**

हालाँकि संविधान में पंचायतों में किसी सहयोजन की व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है तथापि मध्य प्रदेश के अधिनियम में पंचायतों में सहयोजन की व्यवस्था दी गई है, जो निम्न प्रकार है

**ग्राम पंचायत-** यदि ग्राम पंचायतो के निर्वाचित सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सहकारी समिति का कोई सदस्य न हो, ग्राम पंचायत इन वार्गों के एक-एक सदस्यों का सहयोजना करेगी।

**जनपद पंचायत-** यदि निर्वाचित सदस्यों में अनुसूचित जनजाति का सदस्य सम्मिलित न हो तो इन वर्गों का एक सहयोजन होगा। इसके अनुसार खण्ड के भीतर की नगरीय संस्थाओं का एक प्रतिनिधि और खण्ड पर अधिकारिता रखने वाली कृषि उपज मण्डी समिति का एक प्रतिनिधि सहयोजित किया जाएगा। इनके अतिरिक्त सहकारी विपणन सोसायटी बैंक का एक संचालक सहयोजित होगा।

**जिला पंचायत-** यदि निर्वाचित सदस्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं हो, तो इन वर्गों के एक-एक सदस्य का सहयोजन किया जाएगा। जिला सहकारी बैंक जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष जिला पंचायत में सहयोजित होगा।

**कार्यकाल-** सभी पंचायतों का कार्यकाल अपने प्रथम सम्मेलन से पाँच वर्ष का होगा, जब तक समय से पूर्व किसी विधिक प्रक्रिया द्वारा उसे (पंचायत) विघटित न कर दिया जाए। विघटित होने पर शेष कार्यकाल के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराना प्रशासन के लिए अनिवार्य होगा। ग्राम जनपद तथा जिला पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

**पंचायत के कार्य**

ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं

- ग्रामों के असामजिक तत्वों पर रोक लगना, उनका निवारण करना।
- खतरनाक वस्तुओं के व्यापार और निर्माण पर रोक लगाना।
- आग, बाढ़ और जानमाल की रक्षा हेतु समितियों को बनाना।
- ग्राम की सड़कें, पुलिया, बाँध एवं रक्षा हेतु समितियों को बनाना।
- भवनों पर क्रमांक डालना ।
- शुद्ध पानी की व्यवस्था करना।

**प्रशासनिक परिदृश्य**

- तालाब, कुएँ व बावड़ी बनवाना एवं उनकी देख-रेख करना।
- परिवार कल्याण, युवा कल्याण एवं खेलकूद को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण की सुरक्षा करना, उनमें सुधार करना, वृक्षारोपण करना।
- खानों, फैक्ट्रियों एवं औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर नियन्त्रण रखना।
- स्वास्थ्य रक्षा हेतु सरकारी मदद को ग्राम तक पहुँचाना।
- छूत के रोगों की रोकथाम करना।
- जन्म, मृत्यु एवं शादियों का नामांकन।
- कांजी हाउस की स्थापना व देख - रेखा।
- लावारिस पशु, अपशिष्ट पदार्थ एवं अन्य हानिकारक सामग्री को नष्ट करना।
- पशुवध एवं मांस बेचने पर नियन्त्रण।

**ग्राम स्वराज**

मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के साथ ही पंचायती राज अधिनियम को अपने यहाँ प्रभावी बनाया था। समस्त प्रदेश में 'ग्राम स्वराज'व्यवस्था को 26 जनवरी, 2001 से लागू किया गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज में व्याप्त दोषों को दूर करना हैं। पंचायती राज को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण साधारण ग्राम की सामान्य गलियों तक हो।

**नगरीय प्रशासन**

प्रदेश में स्वराज शासन का प्रारम्भ स्वतन्त्रता प्राप्ति से काफी वर्ष पहले जबलपुर में 1864 ई.में नगरपालिका की स्थापना के साथ ही हो चुका था । मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1956 ई. से पूर्व महाकौशल, मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल, सिरोंज आदि भागों में अलग-अलग अधिनियमों के आधार पर नगरपालिकाओं द्वारा प्रशासन किया जाता था, लेकिन 1 नवम्बर,1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के बाद मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,1956 लागू किया गया तथा नगर निगमों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जुलाई, 1957 में गठित एक समिति की सितम्बर,9158 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 पारित किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा 74वाँ संविधान संशोधन पारित किए जाने के बाद 19 जनवरी, 1994 को लोहनी की अध्यक्षता में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग द्वारा नवम्बर-दिसम्बर, 1994 में समस्त नगर निकायों के निर्वाचन सम्पन्न कराए गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में त्रि-स्तरीय नगर निकाय विद्यमान हैं, जिन्हें सम्मिलित रुप से नगरपालिकाएँ कहकर सम्बोधित किया जाता है।

मध्य प्रदेश में त्रि-स्तरीय नगरीय निकाय हैं

1. **नगर पंचायत - संक्रमणशील क्षेत्रों में**
2. **नगरपालिका परिषद् - लघु स्तरीय क्षेत्रों में**
3. **नगर निगम - वृहद् नगरीय क्षेत्रों में**

**नगर पंचायत**

नगरीय क्षेत्र की यह प्रथम स्वायत संस्था उन संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए है, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे सभी क्षेत्रों में नगर पंचायतें गठित की गई हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से 20,000 के मध्य स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की कुल संख्या 258 है।

**नगरपालिका परिषद्**

नगरीय क्षेत्र की यह संस्था उन लघु-स्तरीय नगरीय क्षेत्रों के लिए गठित की गई है, जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधित है। नगरपालिका परिषद् के लिए जनसंखया की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वर्तमान में नगरपालिका परिषदों की कुल सुख्या 97 है।

**नगर निगम**

वर्तमान मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या 14 है। प्रदेश में नगर निगम में महापौर की व्यवस्था है जबकि, 1999 में जारी एक अध्यादेश के तहत पहले से चले आ रहे उप- महापौर के पद को समाप्त कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार निर्वाचित परिषदों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगा। कार्यकाल के मध्य में निर्वाचित परिषद् के भंग होने की स्थिति में 6 माह के अन्दर परिषद् का पुनर्निर्वाचन होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में नगर निगम के लिए महापौर तथा नगरपालिका के अध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है।

**नगर निकायों के कार्य**

नगर निकायों के कार्य निम्नलिखित हैं

**नगरीय निकायों के अनिवार्य कार्य**

सफाई, नाली निर्माण एवं रख-रखाव, सड़क की रोशनी, अग्निशमन, जल प्रदाय, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक बाजारों एवं वधशालाओं की व्यवस्था।

**विवेकाधीन कार्य**

गन्दी बस्ती सुधार, पुस्तकालय, वाचनालय की व्यवस्था, सार्वजनिक बाग, सार्वजनिक स्नानागार आदि की व्यवस्था।

**अतिरिक्त कार्य**

आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, भवन निर्माण, समाज के कमजोर वर्ग तथा विकलांगों के हितों को रक्षा करना भी नगर निकायों के कार्यों में शामिल है।

नगर निकायों को अपने कर्त्तव्यों के सुचारु रुप से निर्वाहन, हेतु कुछ अतिरिक्त अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जिनमें से निम्नलिखित अधिकार हैं- भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करना, जीर्ण-शीर्ण या अतिक्रमण वाले मकानों को गिराना, आवारा पशुओं पर नियन्त्रण करना, सार्वजनिक अतिक्रमण हटाना, गन्दगी फैलाने वालों को दण्डित करना आदि।

# मध्यप्रदेश कला एवं संस्कृति

## कला एवं संस्कृति

### माधव संगीत स्कूल

- स्थापना सन् 1918 में हुई थी।
- पं. विष्णु नारायण के भातखण्डे के मार्गदर्श में स्थापना हुई थी
- म.प्र. के धार में मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान ''फड़के स्टूडियो'' अवस्थित है।

### बघेली

- **सम्पूर्ण बघेलखण्ड में** (1) नागपंचमी पर नागरेखा चित्र (2) जन्माष्टमी पर कृष्ण चरित्र (3) अहोई अष्टमी की अहोई का चित्र (4) संझा (5) दिपावली पर लक्ष्मी -गणेश के साथ भूमि अलंकरण (6) चौक विवाह में कोहलर भित्ति चित्र (7) मगरोहन (8) झूमर (9) कोंडर सुआ-सितौली पुरइन के फूलपाती (10) घिनौती चित्र (11) बरापन छिटई छिटवा-तैलवाती का आदि बनाए जाते हैं।

### बुन्देली

- बुन्देलखण्ड में ''चौक पूरने का रिवाज'' प्रत्येक शुभ अवसर पर होता है।
- यहां पर चांवल के आटे से देहरी द्वार और आँगन में एपन बनाने की प्रथा प्रचलित है।

### निमाड़ी

- इस क्षेत्र में पारम्परिक लोकचित्रों से कहीं न कहीं प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंध रहा है।

### मालवी

- मालवा आंचल में दो तरह की लोकचित्रों की परम्परा है।

1. पर्व-त्यौहार विशेष पर बनाई जाने वाली लोक चित्रकला।
2. व्यापारिक रूप से तैयार की जान वाली विकसित लोक चित्रकला।

### अंचल - बघेलखण्ड

लोक चित्र कला - कोहलर

**विशेषता-** वैवाहिक आनुष्ठानिक भित्ति चित्र हैं।

### लोकचित्र कला

- कोहलर, बुंदेलखण्ड क्षेत्र का वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है।
- मौर मुरैला बुंदेलखण्ड एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में दीवारों पर विभिन्न रंगों से मोर के भित्तिचित्र बनाये जाते हैं।
- छठी चित्र बुंदेलखण्ड क्षेत्र में शिशु जन्म के छठवें दिन छठी माता का गेरन से भित्तिचित्र बनाया जाता है।
- पगल्या निमाड़ क्षेत्र में पहले शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है।
- दिवास, नाग, भेरूजी, सरवण, जन्माष्टमी मायामाता, मालवा क्षेत्र भी भित्तिचित्र है।

### शिल्प कला

- मिट्टी शिल्प सबसे पुरानी शिल्पकला है।
- यह कला झाबुआ, मंडला, और बैतूल आदि के मिट्टी शिल्पकारी अपनी-अपनी निजी विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

### काष्ठ शिल्प

- यह कला की परम्परा भी म.प्र. में अति प्राचीन और समृद्ध है।
- आदिम युग से ही मानव ने गाड़ी के पहिये, देवी-देवताओं की मूर्तियाँ, घरों के दरवाजे, पाटों, मुखौटे आदि के रूप में काष्ठ शिल्प निर्माण किया।
- आदिम समूहों में सभी काष्ठ में विभिन्न रूपांकर उकेरने की प्रवृत्ति सहज रूप से देखी जासकती है- कौरकू के मृतक स्तंभ मंडों और भीलों के कलात्मक दिवाण्या काष्ठ कला के श्रेष्ठ नमूने हैं।

### खराद कला

- इस कला से खिलौने एवं साजवट की सामग्री बनाई जाती है।
- यह कला श्योपुर, बुदनी घाट, रीवा तथा मुरैना में विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
- म.प्र. में खराद पर लकड़ी को सुड़ौल रूप देने की कला अति प्राचीन है।

### बाँस शिल्प

- म.प्र. में बाँस शिल्प का प्रमुख केन्द्र झाबुआ तथा मण्डला जिला है।
- तीर-धनुष को म.प्र. की वन्य जातियों (भील, पहाड़ी,

कोरवा, कमार आदि) में यह कला विशेष प्रचलित है)।

**कंघी कला**

- इसे बनाने का श्रेय मुख्यतः ''बंजारा जनजाति को जाता है।
- कंघी कला के प्रमुख केन्द्र उज्जैन, रतलाम एवं नीमच हैं।
- म.प्र. के रीवा में सुपारी पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।
- म.प्र. में लाख का काम करने वाली एक जाति नाम ही ''लखर'' है।
- ''भैरूगढ़'' उज्जैन का छीपा शिल्प विश्व विख्यात है।

**चंदेरी साड़ी**

- ये अशोकनगर जिले में स्थित है।
- यहां रेशमी तथा सूती दोनों तरह की साड़ियाँ बनाई जाती हैं।
- इस की मुख्य विशेषता पल्लू में कई रंगों की छारदार डिजाइनें भी हैं।

**महेश्वरी साड़ी**

- इस उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय महारानी देवी अहिल्याबाई को जाता है।
- महेश्वरी साड़ी की मुख्य विशेषता छोटी चौखाना चौकड़ी, कलात्मक किनार, मनमोहक पल्लू, हल्के गहरे चमकदार चाँदी और स्वर्णिम रंगों में जरी, रेशम के हथकरघा की कढ़ाई है।

**टेराकोटा शिल्प (माटीकला शिल्प)**

- इसका संबंध मण्डला जिले के गोंड, बैगा, प्रधान, धीमा, जिनवार, भूमिया और अगेरिया जनजाति से है।
- इस शिल्प में बड़ा देव तथा फुलवारी देना की प्रतिमाएँ प्रसिद्ध हैं।

**लोक गीत**

- बिरहा गायन
- **क्षेत्र-** बघेलखण्ड
- **विषय वस्तु-** श्रृंगार परक विरह गीत।
- **गायन शैली-** ऊंची टेर सहित सवाल-जवाब शैली।
- **अवसर-** किसी भी समय, सुनसान राहों में गोंड एवं बैगा आदिवासी, विवाह एवं दीपावली के शुभ अवसर पर।

**लोकनृत्य**

- बघेलखण्ड क्षेत्र में ''विहा गायन अथवा अहिराई नृत्य'' दिपावली और विवाह के अवसर पर किया जाता है।
- बघेलखण्ड क्षेत्र में राई नृत्य ढोलक, और नगरिया की थाप पर गाया जाता है। यह नृत्य अहीर जाति में विशेष प्रचलित है।
- **''रे''** नृत्य भी ढोल और नगाड़े जैसे संगीत वाद्ययन्त्र की संगीत के साथ महिलाओं के वेष में पुरुष द्वारा किया जाता है।

**भारत भवन**

- स्थापना- 13 फरवरी 1982 को।
- वास्तुकार - चार्ल्स कोरिया
- प्रमुख कलाएँ- रूपांकर, वागर्थ, अनहद, रंग-मंडल, ललित, आकार, आश्रम आदि।

**म.प्र. संस्कृति परिषद**

- स्थापना - 2002-03 में
- इस का उपाध्यक्ष राज्य के संस्कृति मंत्री होते हैं।

**कालिदास अकादमी**

- **स्थापना - सन 1977 में उज्जैन में हुई थी।**
- इसका मूल उद्देश्य साहित्य का विश्लेषणात्मक अनुशीलन, विभिन्न कला माध्यमों पर उसके समग्र प्रभाव का आंकलन, कालिदास तथा संस्कृति की अन्य गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य करती है।

**उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी**

- **स्थापना - 1979 में हुई ।**
- इस अकादमी द्वारा प्रदेश में प्रतिष्ठापूर्ण खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन संगीत समारोह, राष्ट्रीय हिन्दी नाट्य समारोह, कुमार गंधर्व संगीत समारोह, फिल्म समारोह आदि आयोजित किये जाते हैं।

**साहित्य अकादमी**

- इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य साहित्य की उन्नति और विकास में उत्प्रेरक का काम, साहित्यकारों का सम्मान तथा उसकी श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत करना है।
- साहित्य परिषद के अन्तर्गत ही सिंधी साहित्य प्रभाग तथा इकबाल साहित्य प्रभाग कार्यरत हैं।

## साहित्यकार

- **कालिदास**

प्राचीन भारत के श्रेष्ठ कवि-नाट्यकार के रूप में कालिदास की ख्याति विश्वव्यापी रही है। उन्हें उज्जयिनी नरेश विक्रमादित्य की सभा के प्रमुख रत्नों में गिना जाता है। कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएँ -



KOTHARI INSTITUTE

अभिज्ञान शाकुन्तलम, विक्रमोर्वशीयम्, मालविकास ग्निमित्रम् (तीनों नाटक), मेघदूत, कुमारसंभव, रघुवंश और ऋतु संहार (काव्य ग्रन्थ) । अभिज्ञान शाकुन्तलम को देशी और विदेशी विद्वानों ने में हलचल मच गई थी । जर्मन कवि गेटे तो इस नाटक पर मुग्ध थे। अभिज्ञान शाकुन्तलम् में महाभारत काल के दुष्यन्त और शकुन्तला की प्रेम कथा है, जबकि मालविकासग्निमित्रम एक ऐतिहासिक कथा पर आधारित नाटक है । विक्रमोर्वशीय एक संयोगपरक घटना पर आधारित है, जिसमें उर्वशी और पुरुरवा प्रथम दर्शन में ही अपनी-अपनी बाजी हार जाते हैं ।

कालिदास के काव्य ग्रंथों में रघुवंश का प्रमुख स्थान है। 'रघुवंश' में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 28 राजाओं का वर्णन है, जिनमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ और रामचन्द्र का विस्तार से वर्णन है । 'कुमारसंभव' में तारकासुर वध के लिए कुमार जन्म की भूमिका के रुप में शिव-पार्वती के विवाह का वर्णन है । मेघदूत का विश्व साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान है । इसमें कर्त्तव्य पालन में प्रमाद करने से वर्षभर के लिए निर्वासित यक्ष के विरह तथा मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेयसी तक संदेश भेजने की मनोहर कथा है ।'ज्ञतु संहार' में कालिदास ने प्रकृति को ऋतु के अनुसार छह रुपो में प्रस्तुत किया है।

➤ **भर्तृहरि**

भर्तहरि संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि और अनुभवी विद्वान थे। प्रबन्ध चिन्तामणि में उल्लेख है कि भर्तृहरि उज्जयिनी नरेश विक्रमादित्य के भाई थे । कहा जाता है कि गंधर्वसेन ने ईसवी सन् पूर्व 72 में मालवों का लोकसत्तात्मक उज्जैन में स्थापित करके भर्तृहरि को गणाधिपति बना लिया था और 12 वर्ष राज्य करके अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजय् देकर भर्तृहरि ने वैराग्य धारण कर लिया था। गंधर्वसेन की दो रानियाँ बताई जाती है, जिनमें से एक के भर्तृहरि और दूसरी से विक्रमादित्य उत्पन्न हुए थे ।

नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक की रचना करके भर्तृहरि ने संस्कृति साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान मानव जीवन में विवेकपूर्ण व्यवहार, अत्यधिक भोगवाद का विरोध और जीवन को सरस और सुखमय बनाने की दिशा में पथ-प्रदर्शन का काम करते हैं ।

➤ **भवभूति**

भवभूति संस्कृति व मूर्धन्य रुपककार के रुप में प्रसिद्ध हैं। उनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठ था और इनका जन्म विदर्भ देश में वेद विद्वानों के विख्यात कुल में हुआ था। भवभूति का समय 700 ई. के आसपास माना जाता है।

भवभूति की तीन रचनाओं का उल्लेख मिलता है । महावीर चरित मालती माधव और उत्तर रामचरित । महावीर चरित में लेखक के पूर्व पुरुषों का सम्पूर्ण विवरण मिलता है । इस रचना की कथावस्तु का आधार रामायण है, किन्तु इसमें रामायण की कथा से बहुत ही भिन्नता है। सम्पूर्ण कथाभिक्ति रावण की कपट-वृत्ति की और महावीर (राम) के विनाशार्थ उसके दुरुपायों की भूमि में खड़ी की गई है । कुछ दृश्य अनाटकीय हो गए हैं तथा वर्णनों के कारण कथा प्रवाह दुर्बल हो गया है ।

'मालती - माधव' दस अंको में है। इसकी कथा का आधार कथासरित्सागर' की पृथक-पृथक कथाएँ है, जिन्हें लेखक ने एक सूत्र में गूँथा है। इसमें मालती और माधव की प्रणय कथा का वर्णन विशेष रुप से हुआ है। 'उत्तर रामचरित भवभूति की श्रेष्ठ कृति है। कथा का आधार राम का उत्तर चरित है, जिसमें सीता के परित्याग और निर्वासन की कथा का वर्णन है। करुण रस के परिपाक की दृष्टि से यह रचना भारतीय साहित्य की अत्यंत चर्चित और श्रेष्ठ कृति है ।

➤ **बाणभट्ट**

संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। 'हर्षचरित' के अनुसार बाणभट्ट वात्स्यायन कुल में जन्में थे। उनके पूर्वज सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट ग्राम के निवासी थे। उन्हे कन्नौज नरेश हर्षवर्धन का आश्रय मिला था

हर्षचरित और कादम्बरी जैसे ग्रंथों भी बाणभट्ट रचित बताए जाते हैं। हर्षचरित में आठ अध्याय है, इसमें हर्षवर्धन के जीवन की महत्वपूर्ण बातों और घटनाओं का वर्णन है। कादम्बरी की भाँति उनका हर्षचरित भी अपूर्ण रचना है। हर्षचरित में इतिहास कम है, कल्पना अधिक है ।

कादम्बरी की कथावस्तु अत्यंत जटिल है। इसकी कथा में कथा और उस कथा में भी कथा चलती रहती है। इसकी कथा का प्रधान भाग एक तोते से कहलवाया गया है। यही तोता बाद में पुण्डरिक मुनि सिद्ध होता है। यह कथा का उप नायक है। कथा की नायिका कादम्बरी है। कहानी का श्रोता नृप शूद्रक है जो अन्त में कथा नायक चेन्द्रपीड निकलता है। आख्यायिका ग्रंथ हर्षचरित से कादम्बरी श्रेष्ट ग्रंथ है। यह गद्य रचना है, किन्तु रस, अलंकार सम्पन्न श्रेष्ठ श्रंगारिक रचना है ।

➤ **केशवदास**

ओरछा रनेश इन्द्रजीतसिंह के दरबार में राजकवि पद पर सम्मानित और राजगुर के रुप में प्रतिष्ठित केदवदास हिंन्दी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम आचार्य और महाकवि

थे। केशवदासजी ने नौ काव्य ग्रंथों की रचना की है। उनके कविप्रिया, छन्दमाला, वीरासिंहदेव चरित, विज्ञान गीता और जहाँगीर जसचन्द्रिका काव्य में केशवदास की कुछ निजी मान्यताएँ थीं ।

➤ **पद्माकर**

हिन्दी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में पद्माकर के नाम सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है।पद्माकर जी का जन्म बाँदा में संवत् 1810 में और निधन कानपुर में गंगातट पर संवत् 1890 में हुआ था।पद्माकर रचित 9 ग्रंथ बताए जाते संवत् 1890 में हुआ था । पद्माकर रचित 9 ग्रंथ बताए जाते हैं- हिम्मत बहादूर विरुदावली, जगद्विनोद, पद्माभरण, जयसिंह विरुदावली, आलीजाह प्रकाश, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। इन रचनाओं में वीर, भक्ति और रीति की प्रवृत्तियों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है तथापि वीर की अपेक्षा भक्ति भाव में और इन दनों में अधिक श्रंगार में इन्हें विशेष सफलता मिली।

➤ **भूषण**

हिन्दी साहित्य के रीतिकालीन श्रंगार की चकाचौंध में भूषण की ख्याति वीर रस के कवि के रुप में है। इनका जन्म काल संवत् 1670 है। भूषण का वास्तविक नाम अज्ञात है, कवि भूषण तो उनकी अपाधि है, जो इन्हें चित्रकुट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। वे अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, किन्तु उन्हें मनोनुकूल आश्रयदाता मिले छत्रपति शिवाजी। बुंदेलखण्ड में महाराज छत्रसाल के यहाँ भी उन्हें पर्याप्त सम्मान मिला था। भूषण का निधन संवत् 1772 में माना जाता है। भूषण रचित 'शिवराजभूषण', शिवा बवनी, और छत्रसाल दसक ग्रंथो को पर्याप्त ख्याति मिली है । इनके अतिरिक्त इनकी तीन पुस्तकें और प्रसिद्ध हैं - भूषण उल्लस, भूषण हजारा और दूषण उल्लाश। वस्तुत भूषण राष्ट्रीय स्वाभिमान और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी कवि थे। इसीलिए उन्होनें शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीरनायकों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया । इनकी कविता का प्रेरकतत्व धन लिप्सा और श्रंगारी मनोवृत्ति नहीं थी, बल्कि एक देशभक्त एवं अपार सात्विक, साहस सम्पन्न व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का अतिरेक था।

➤ **माखनलाल चतुर्वेदी**

हिन्दी साहित्य में छायावादी आंदोलन के समानांतर द्विवेदी युग की जो राष्ट्रीय काव्य-धारा विकसित हुई थी, उस धारा में ही माखनलाल चतुर्वेदी की प्राणवान रचनाओं का विकास हुआ। उनकी रचनाओं में छायावादी मनोवृत्ति और राष्ट्रीय भावधारा का सामूहिक समन्वय है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गाँव में 4 अप्रैल, 1889 को और निधन 30 जनवरी 1968 को हुआ था। सदी के आखिर में बाबई नगर के नाम मध्यप्रदेश शासक के माखन नगर कर दिया। उनकी रचनाओं के नाम हैं कृष्णार्जुन युद्ध (नाटक), हिमकिरीटिनी, हिमतरांगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूँजे धरा, मरण-ज्वार, बिजुरी काजल आँज रही, धूम्रवलन (सभी काव्य संग्रह), कला का अनुवाद (कहानी), साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे (निबंध), समय के पाँव (संस्मरण), चिंतक की लाचारी (भाषण), पाँव-पाँव (निबंध), रंगो की बोली (निबंध/गद्यकाव्य)।

➤ **समुद्रा कुमारी चौहान**

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का प्रथम स्पंदन माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में सुनाई देता है । उनके बाद 'नवीन' और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएँ इस ओजस्वी धारा को और समृद्धि प्रदान करती हैं। सुभ्रद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन् 1904 में प्रयोग में हुआ था। खण्डवा से संबंध हो जाने के कारण उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी का सम्पर्क सहज की प्राप्त हो गया। गाँधीजी के आह्वन पर कांग्रेस में शामिल हुईं। उनके पति भी अपनी वकालत छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। राष्ट्रीय आंदोलन में सुभद्राजी को जेल भी जाना पड़ा।

उनकी प्रारंभिक रचनाएँ 'सरस्वती' और 'माधुरी' जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। अपनी विशिष्टस्थान बना लिया। झाँसी की रानी कविता उनकी लोकप्रियता का स्मरणीय और गौरवशाली मानदण्ड है, तो वीरो का कैसा हो बसंत जसी प्राणवान कविता ने भारतीय जनमानस को आजाजी का दीवाना बना देने में प्रखर प्रेरणा का काम किया ।' राखी की चुनौती रचना भी उसकी इसी कोटि की कविता है। सुभ्रदाजी की कविताएँ मुकुल काव्य संग्रह में संकलित है। उनके काव्य में नारी सुलभ वात्सल्य और प्रेम के सहज रुप के दर्शन भी होते हैं। बिखरें मोती एवं उन्मादिनी उनके कथा संग्रह हैं। इन दोनों पुस्तकों पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेकसरिका पुरस्कार भी मिला था।

➤ **मुक्तिबोध**

छायावादोत्तर हिन्दी कविता को सर्वथा नवीन दिशा की ओर ले जाने वाले, साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार करके चलने वाले, गजानन माधव मुक्तिबोध की ख्याति प्रगतिवादी कवि के रूप में भी है और प्रयोगवादी कवि के रुप में भी।

मुक्तिबोध का जन्म 14 नवंबर, 1917 को श्योपुरकलाँ में हुआ था । उनकी शिक्षा उज्जैन, विदिसा, अमझेरा आदि स्थानों पर हुई। पत्रकार, संपादक और अध्यापक के रुप में वे वाराणसी, प्रयास और नागपुर में रहे । 11 सितंबर, 1964 को उनका निधन हो गया। उनकी प्रकाशित कृतियाँ है-भारत इतिहास और संस्कृति कामायानी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, चाँद का मुँह टेढ़ा है (कविता संग्रह) एक साहित्यक डायरी (निबंध संग्रह)।

➤ **बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'**

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का जन्म मध्यप्रदेश के शाजापुर में 1897 ई. में और निधन 1960 में हुआ था 'कुंकुम' 'अंपलक', 'क्वासि', 'रश्मिरेखा', 'प्राणाप्रण' और 'विनोबा स्तवन' जैसी काव्य कृतियों के अलावा उनके 'उर्मिला' प्रबंध काव्य और ' हम विषपायी जनम के' काव्य संग्रह काफी चर्चित हुए हैं। विप्लव गायन और अनल गायन जैसी रचनाओं के साथ ही उनके स्फूट गद्य लेख, आत्मकथा एवं प्रभा तथा प्रताप जैसेपत्रों के अग्रलेख और संपादकीय हिन्दी साहित्य की ओजस्वी पूँजी है ।

➤ **भवानीप्रसाद मिश्र**

भवानीप्रसाद मिश्र की गणना प्रयोगवादी कवियों में की जाती है । मिश्रजी का जन्म 23 मार्च 1914 को होशंगाबाद (म.प्र.) मे हुआ था। परिवार के वातावरण ने उन्हें अटूट आस्थावादी और कर्म के प्रति निष्ठावान बनाया 1942 से 1945 तक के जेल जीवन में उन्होनें स्वाध्याय से पर्याप्त ज्ञानार्जन किया। सेवाग्राम से निकलने वाली महिलाश्रम पत्रिका और हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना का संपादन, फिर आकाशवाणी मुंबई में सेवा की, इसी अवधि में फिल्मों से जुड़े और गीत तथा संवाद लिखे, फिर दिल्ली आए और सम्पूर्ण गाँधी वाड्मय के संपादन और प्रकाश कार्य में संलग्न हुए । उनकी प्रकाशित कृतियाँ है-गीत परोश (1956), चकित है दुःख, अंधेरी कविताएँ (1968) इनके अतिरिक्त राजपाल एण्ड संस, दिल्ली में 'भवानीप्रसाद मिश्रः आज के लोकप्रिय कवि' पुस्तक भी प्रकाशित की है। 'गाँदी पंचशक्ती' नाम से उन्होने एक महाकाव्य भी लिखा है ।

➤ **हरिशंकर परसाई**

हिन्दी के प्रख्यात व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म होशंगाबाद जिले के ग्राम जमानी में 22 अगस्त, 1924 ई. को हुआ था । इनकी निम्न पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें व्यंग्य-निबंध, व्यंघ्य कथाएँ, उपन्यास, संस्मरण, डायरी, यात्रा आदि विविध विधाओं की रचनाएँ हैं। हँसते है-रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, सदाचार, का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, तुलसीदास चंदन घिसे, निठल्लों की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंतर, विकलांग श्रद्धा का दौर, रानी नगफनी की कहानी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं है। उन्होनें विभिन्न पत्र- पत्रिकाओं में नियमित स्तंभ भी लिखे। परसाईजी का सम्पूर्ण साहित्य परसाई-ग्रंथावली के छह खण्डों में प्रकाशित हुआ है। वे 'वसुधा' और 'प्रहरी के संपादक भई रहे । उनहें अनेक पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए ।

➤ **शरद जोशी**

शरद जोशी का जन्म 21 मई, 1931 को उज्जैन में हुआ। जोशीजी का रचना संसार काफी व्यापक है। परिक्रम, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार झल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव (सभी व्यंग्य निबंध), अंधो का हाथी और एक था गथा (नाटक) मैं में और केवल मैं (उपन्यास, (तिलिस्म), (कहानी संग्रह) कृतियों के अलावा समाचार पत्रों में लिखे स्तंभो के माध्यम से वे साहित्य को पत्रकारिता के निकट लाने में भी सफल हुए। उन्होनें कवि सम्मेलनों के बीच व्यंग्य, निबंध पाठ की परम्परा भी शुरु की ।

➤ **मुल्ला रमूजी**

भारत में उर्दू साहित्यकारों और शायरों में मुल्ला रमूजी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका पुरा नाम मुहम्मद सिद्दकी मुल्ला रमूजी था। मुल्लाजी का जन्म भोपाल में 21 मई, 1896 को और देहांत 10 जनवरी, 1952 को हुआ था। मुल्ला रमूजी के प्रकाशित ग्रंथों के नाम हैं- इन्तिखाबे गुलाबी उर्दू (1921), मजमुआ गुलाबी उर्दू (1923), मिकालात गुलाबी उर्दु (1921), खोआतीन अंगूरा (1924), सवाने मुल्ला रमूजी (1926), नुकाते रमूजी हिस्सा अव्वल (1927) नुकाते रमूजी हिस्सा दूम (1928), सुबह लताफत (1930), शादी (1930) औरत जात (1931), लाठी और भैंस (1931), दीवाने मुल्ला रमूजी (1932), शिफाखाना (1932), जिन्दगी (1935), मुल्ला रमूजी (1935), गुलाबी उर्दू (1940), जंग (1945), मशाहिरे भोपाल (1946), गुलाबी शायरी (1957), इन ग्रंथों के अतिरिक्त आठ पुस्तकें और हैं जो प्रकाशित हुई थी, किन्तु अनुपलब्ध हैं। वे हैं- मशाहिरे अंगुरा, जनाने मशरकि, तारीखे अंगूरा, अकताबे अंगूरा, गाजिये आजम, दरसे इवरत, मुसाफिरखाना एवं अकताबे मशरिक।

➤ **लोक कवि जगनिक**

हिन्दी साहित्य के वीरगाधा काल के कवियों जगनिक का महत्वपूर्ण स्थान है । वे कालिंजर के राजा परमाल चंदेल

के दरबारी कवि और हिंदी के आदि कवि चंदबरदायी के समकालीन थे । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जगनिक का समय संवत् 1230 निर्धारित किया है तथा कहा है कि उन्होनें महोबे के दो देशप्रसिद्ध वीरों- आल्हा और ऊदल के वीरचरित का विस्तृत वर्णन वीरगीतामस्मल काव्य के रुप में लिखा था और उसेक आधार पर प्रचलित गीत हिन्दी भाषा भाषी प्रांतो के गाँव-गाँव में सुनई पड़ते है। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बलरसात में गाए जाते हैं। जगनिक की ख्याति उनके आल्हा खण्ड के साथ जुड़ी हुई है।

### ➤ ईसुरी

बुंदेली के महाकवि ईसुरी की बुंदेलखण्ड का जयदेव कहा जाता है। किसी भी विषय और भावभूमि पर तत्कालब छंद रचना करने की उनमें असाधारण प्रतिभा थी। वे बुंदेली लोक साहित्य के शिखर- पुरुष के रुप में समादृत हैं। ईसुरी के पूर्वज ओरछा (टीकमगढ़) के निवासी थे, किन्तु बेद में झाँसी जिलें में मेढ़कीनामक गाँव में आकर बस गए थे। मेढ़की में ही संवत् 1898 में ईसुरी का जनम् हुआ था। इनका पूरा नाम ईसुरी में है ईसुरी उपनाम का प्रयोग करते थे। बगौरा, धौर्रा, बीरपुरा और बड़ा गाँव ईसुरी के कार्यक्षेत्र रहे। यहाँ वे जमींदारों के कारिन्दा बनकर रहने लगे थे और अपनी फागों की रचना के कारण उन्हें यथेष्ट सम्मान मिलने लगा था। तत्कालीन छतरपुर नरेश ने उन्हें राजाश्रय में रखना चाहा था, किन्तु ईसुरी ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। ईसुरी का निधन संवत् 1966 में हुआ था।

### ➤ घाघ

उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में घाघ की रचनाएँ शताब्दियों से लोकप्रिय रही हैं। केवल मौखिक परम्परा में निरंतर यात्रा करके उनकी रचनाओं ने अशिक्षित लोक मानस के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का काम किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने घाग को कवि न कहकर सूक्तिकार कहा है। घाघ की ये सूक्तियाँ नीतिकथनों और कहावतों के रूप में ही प्रचलित रही हैं एवं तुकबंदियों पर आश्रित होने के कारण उनकी जीवनी-शक्ति निरंतर प्रखर बनी रही ।

### ➤ सिंगाजी

निमाड़ी लोक साहित्य में संत सिंगाजी का महत्वपूर्ण स्थान है। निमाड़ अंचल में उन्हें लोक कवि अथवा संत ही नहीं एक आलौकिक पुरष के रुप में पूजा जाता है। सिंगाजी का जन्म संवत् 1574 में पश्चिम निमाड़ जिले के खजूरी नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम भीमा तथा माता का नाम गौरीबाई था सिंगाजी के गुरु नररागेर थे, जो कबीर के समकालीन कहे जाते है। डॉ. कृष्णलाल हंस ने सिंगाजी की निधन की तिथि संवत् 1664 बताई है, जबकि पं. रामनारायण अपाध्याय ने निधन की तिथि संवत् 1616 निधारित की है ।

सिंगाजी के साहित्य का अबी तक कोई व्यवस्थित प्रकाशन नहीं हुआ है। उनका एकमात्र प्रामाणिक, ग्रंथ परचरी है । परचरी के अतिरिक्त सिंगाजी का दृढ़ उपदेषस आठरार सिंगाजी का, पंद्रह दिन, बाबा सिंगाजी की बाणावली, आत्मध्यान, सिंगाजी, की नराज जैसी लघु पाण्डुलिपियों को खोजने तथा सैकड़ो भजनों को संकलित करने का महत्वपूर्ण काम भी हुआ है।

## संगीत

### ➤ तानसेन

तानसेन का जन्म ग्वालियर में या आसपास स्थितर ग्राम बेहट में हुआ था। संभवतः वे ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। राजा रामचन्द्र के प्राप्त उपाधि से तानसेन को इनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि उनका मूल नाम इतिहास के गर्भ में छुप गया।

### ➤ उस्ताद उल्लाउद्दीन खाँ

भारतीय संगीत की एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म। अक्टूबर, 1862, को त्रिपुरा के शिफुरा गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम साधु खाँ व माता का नाम हरसुन्दरी देवी था। ये एक मामूली कृषक परिवार के ते। इनका बचपन का नाम आलम था।

नीलू गोपाल के रुप में उन्हें गुरु प्राप्त हुए। इनसे उन्होने सुर-संगीत सीखा। इसके बाद नंदबाबू से तबला व मृदंग सीखा। हाबूदत्त से, जो स्वामी विवेकानंद के बड़े भाई ते, वायलिन बजाना सीखा। उन्होनें शहनाई व अन्य वाद्य भी सीखे। उस्ताद अहमद अली खाँ से उन्होनें सरोद वादन सीखा। रामपुर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ सरोद वादक वजीर खाँ से सरोद सीखकर उन्होनें इस क्षेत्र में विपुल प्रसिद्धि प्राप्त की और यहाँ से वे आलम के उस्ताद अलाउद्दीन खाँ बन गए ।

### ➤ उस्ताद हाफिज अली खाँ

उस्ताद अलाउद्दीन के गुरु-भाई थे। इन दोनों ने ही उस्ताद वजीर अली खाँ से शिक्षा पाई। माधवराव सिंधिया ने उन्हें अपने दरबार में सम्मानित स्थान दियाथा। उस जमाने में ध्रुपद के भव्य अभिजात्यपूर्ण गायन में कोई उनकी सानी नहीं रखता था। संवत् 1972 में लगभग 80 वर्ष की आयु



KOTHARI INSTITUTE

प्राप्त कर चिर ज्योति में विलीन हो गए ।

➤ **पं. कृष्णराव**

पंडितजी का जन्म 26 जुलाई, 1893 को हुआ। उ्नहोनें संगीत की शिक्षा अपने पिता शंकर पंडित व निसार हुसैन खाँ से प्राप्त की थी । उन्होंने संगीत की अनेक किताबों की रचना की जैसे-सीगंत सरगम सार, संगीत प्रवेश भाग 1 और भाग 2, संगीत अलाप संचारी, तबला वादन शिक्षा भाग-1 और भाग -2 सितार जलतरंग वादन शिक्षा और हारमोनियम वादन शिक्षा, भाग-1 और बाग-2 प्रमुख है। पंडित कृष्णराव को अपने जीवनकाल में अपने सम्मान व प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई, जिनमें गायक शिरोमणि 'संगीत शिरोमणि, ताल सम्राट, संगीत रत्नालंकार, सुर की उपाधि प्रदान की। उ्नहें भारत शासन से पद्मभूषण व राज्य शासन के राजकीय सम्मान और तानसेन सम्मान भी प्राप्त हुए। संकेश्वर पीठ के शंकरार्चा ने 'गायन महर्षि की उपाधि दी।

➤ **राजाभैया पूँछवाले**

बालकृष्ण आनंदराव अप्टेकर का जन्म 12 अगस्त 1882 को हुआ था। उन्होनें अपने पिता से सितार की शिक्षा प्राप्त की। उन्होनें बामनराव चिखलीकर एवं बलदेवजी के गायन की शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरुओं में विख्यात ध्रुपद गायक वामनवुवा देशपांडे, लालावुवा और शंकर पंडित भी थे। उन्होंने पारम्परिक ध्रुपद गायकी में 'ध्रुपद धमार गायकी' नाम से एक ग्रंथ की रचना की, जो पारम्परिक ध्रुपद गायकी का आदर्श उपस्थित करती है। उनकी पुस्तक 'ठूमरी तरंगीनी' में पंजाबी, दीपचंदी, चाचा त्रिताल और दादरा में निबद्ध कई ठुमरियों की प्रमाणित स्वर-लिपियाँ दी गई हैं । उनकी रचना 'संगीतोपासना' इस कठिन किन्तु आश्चर्यजनक गायन शैली की अकेली पुस्तक है, जो अप्रकाशित है। स्वर्गीय पंडित रामकृष्ण ने कहा था कि राजाभैया अकेल संगीतकार हैं जो ग्वालियर की पारम्परिक गायन शैली के प्रामाणिक स्वरुप को प्रस्तुत करते हैं। 1 अप्रैल, 1956 को संगीत के इस उज्जवल सितारें का अस्त हो गया ।

➤ **उस्ताद अमीर खाँ**

उस्ताद अमीर अली खाँ का जन्म सन् 1813 में हुआ था । उनके पिता शमीर खाँ इन्दौर दरबार के वीणा व सारंगी के मशहुर वादक थे। इस तरह संगीत अमीर अली साहब को विरासत में मिला था। उन्होनें फिल्म संगीत के व्यापक प्रभाव को स्वीकार कर बैजू बाबरा, झनक - झनक पायल बाजे और गूंज उठी शहनाई नामक फिल्मों के लिए शास्त्रीय गीत तैयार किए। हिन्दुस्तानी कंठ संगीत के विजिटिंग प्रोफेसर के रुप में अमेरिका और ब्रिटेन की यात्राएँ की। बारत सरकार से उन्हें 'पद्मभूषण' की अपाधि प्राप्त हुई। सन् 1974 में उनका आकस्मिक निधन हो गया।

➤ **कुमार गंधर्व**

विख्यात संगीत मनीषी पंडित कुमार गंधर्व का ज़न्म 8 अप्रैल, 1924 को हुआ था। पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकाली कुमार गंधर्व था। उन्होनें प्रो. बी.आर. देवधर और सुश्री अजंनी बाई मातेकर से संगीत की विधिवत् शिक्ष ग्रहण की। 'अनुराग विलास' नामक पुस्तक में 136 बंदिशे दी गई हैं । देश की अनेक संस्थाओं द्वारा विभिन्न अलंकारों और उपाधियों से विभूषित पंडित कुमार गंधर्व केन्द्रीय संगीत नाटक अकादणी के राष्ट्रीय पुरस्कार, मध्यप्रदेश शासन के 'शिखर' और 'कालिदास' सम्मान और बारत शासन द्वारा 'पद्मविभूषण' से सम्मानित किए गए। 12 जनवरी, 1992 को यह महान संगीतकार हमारे बीच नहीं रहे ।

## मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य

**माच**—मालवा का पारम्परिक लोकनृत्य
**स्वांग**—बुन्देलखण्ड का पारम्परिक लोकनृत्य
**छाहुर**—बघेलखण्ड का लोक नृत्य
**गम्मत**—निमाड़ का पारम्परिक लोक नृत्य
**नौटंकी**—बुन्देलखण्ड
**अखाड़ा**—बुन्देलखण्ड
**तेजाजी की कथा**—मालवा
**रासलीला**—निमाड़
**लकड़बग्घा**—बघेलखण्ड के आदिवासियों के द्वारा

## मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले

- **सबसे बड़ा मेला**—उज्जैन का कुम्भ मेला (प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है) वर्ष 2004 मार्च-अप्रैल में लगा था।
- **जागेश्वरी देवी का मेला**—गुना
- **नागाजी का मेला**—पोरसा (मुरैना)
- **रामलीला**—भाण्डेर (दतिया)
- **अमरकण्टक का शिवरात्रि मेला**—शहडोल
- **काना बाबा का मेला**—सोदालपुर (होशंगाबाद)
- **कालू जी महाराज का मेला**—पिपल्या खुर्द (निमाड़)
- **कालका मन्दिर मेला**—धार
- **आधाता का मेला**—खण्डवा
- **माघ घोघरा का मेला**—सिवनी
- **गरीबनाथ बाबा का मेला**—शाजापुर के अवन्तीपुर बरोडिया ग्राम,
- **चाँदी देवी का मेला**—सीधी घोघरा ग्राम

## मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व और उत्सव

1. गणगौर—मालवा
2. संजा व मामुलिया—निमाड़

3 नीरजा—मालवा
4. घड़ल्या—अधिकांश मध्य प्रदेश
5. सुआटा—बुन्देलखण्ड
6. हरेली या हरीरी—अधिकांश मध्य प्रदेश, विशेषतया मालवा
7. मेघनाद—गोंड
8. भगोरिया—भील
9. जबारा—बुन्देलखण्ड
10. लारूकाज—गोंडो द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। यह पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक है।
11. रतन्नवा—मण्डला जिले के बैगा आदिवासियों का यह प्रमुख त्यौहार है।

## मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव, महोत्सव, समारोह, पर्व

- **ओरछा उत्सव, टीकमगढ़**—लोकनृत्य एवं लोक संस्कृति का प्रदर्शन
- **अलाउद्दीन खाँ समारोह, मैहर**—तीन दिवसीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम
- **उस्ताद अमीर खाँ समारोह, इन्दौर**—सांस्कृतिक कार्यक्रम
- **कालिदास समारोह, उज्जैन**—राग प्रदर्शन, परिसंवाद एवं चित्र प्रदर्शनी
- **खजुराहो समारोह, छतरपुर**—सात दिवसीय नृत्य कार्यक्रम
- **चित्रकूट समारोह, चित्रकूट**—रामनवमी उत्सव कार्यक्रम
- **चक्रधर स्मृति समारोह, इन्दौर**—सांस्कृति कार्यक्रम
- **तानसेन समारोह, ग्वालियर**—शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम
- **ध्रुपद समारोह, भोपाल**—गायन एवं संगीत कार्यक्रम
- **निमाड़ उत्सव, महेश्वर ( खरगौन )**—लोककला, संस्कृति, नृत्य आदि का प्रदर्शन

  **पद्माकर स्मृति समारोह, शाहपुर, देवास**—सांस्कृतिक कार्यक्रम

  **गजरथ महोत्सव, गुना**—जैन धर्म का महोत्सव

  **भगोरिया उत्सव, झाबुआ**—जनजातीय उत्सव

  **भोपाल उत्सव, भोपाल**—सृजनात्मक कला-प्रदर्शन
- **मध्य प्रदेश उत्सव**—प्रत्येक वर्ष दिल्ली में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम
- **माखन लाल चतुर्वेदी समारोह, खण्डवा**—सांस्कृतिक कार्यक्रम
- सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह,
- **जबलपुर**—सांस्कृतिक कार्यक्रम
- **बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, शाजापुर**—विभिन्न कार्यक्रम
- **युवा महोत्सव**—अलग-अलग स्थान पर प्रत्येक वर्ष जागो उठो, रुकों नहीं के आह्वान के साथ

  इन पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है—

## मध्य प्रदेश के समारोह उत्सव (एक नजर में)

| क्र. सं. | समारोह/उत्सव | आयोजन स्थल |
|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश उत्सव | दिल्ली |
| 2. | भोपाल उत्सव | भोपाल |
| 3. | ध्रुपद समारोह | भोपाल |
| 4. | तानसेन समारोह | ग्वालियर |
| 5. | अलाउद्दीन समारोह | मैहर |
| 6. | मालवा उत्सव | इन्दौर, मान्डू, उज्जैन |
| 7. | कालिदास समारोह | उज्जैन |
| 8. | अमीर खाँ समारोह | इन्दौर |
| 9. | खजुराहो समारोह | खजुराहो |
| 10. | तुलसी उत्सव | चित्रकूट |
| 11. | माखनलाल चतुर्वेदी समारोह | खण्डवा |
| 12. | पद्माकर स्मृति समारोह | सागर |
| 13. | चक्रधर स्मृति समारोह | इन्दौर |
| 14. | बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' स्मृति समारोह | शाजापुर |
| 15. | सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह | जबलपुर |
| 16. | ओरछा उत्सव | (टीकमगढ़) |
| 17. | निमाड़ उत्सव | खण्डवा |

## साहित्यिक एवं ललित कला अकादमियाँ

| साहित्यिक एवं ललित कला अकादमी | स्थापना | मुख्यालय |
|---|---|---|
| मध्य प्रदेश कला परिषद् | 1952 | भोपाल |
| मध्य प्रदेश साहित्य परिषद् | 1954 | भोपाल |
| मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी | 1969 | भोपाल |
| मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी | 1976 | भोपाल |
| मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी | 1977 | उज्जैन |
| उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादमी | 1979 | भोपाल |
| मध्य प्रदेश सिन्धी अकादमी | 1983 | भोपाल |
| अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी | 1984 | भोपाल |
| मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी | 1985 | भोपाल |
| मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी | 1987 | भोपाल |
| स्वतन्त्रता संग्राम स्मारक भवन | 1997 | भोपाल |
| म.प्र. आदिवासी लोक कला परिषद् | 1980 | भोपाल |
| इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय | 1956 | खैरागढ़ |
| रविन्द्र भवन | | भोपाल |
| मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम | | भोपाल |
| इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय | 1985 | भोपाल |
| मध्य प्रदेश माध्यम | 1985 | भोपाल |
| पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय | 1956 | भोपाल |
| मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद् भोपाल | 1 अप्रैल,2003 | |
| भारत भवन | 13 फर.1982 | भोपाल |

❑❑❑❑❑❑

KOTHARI INSTITUTE

# शिक्षा एवं स्वास्थ्य

मध्य प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से एक उन्नत राज्य है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी (चिकित्सकीय/इंजीनियरिंग) शिक्षा का काफी विकास हो चुका है। राज्य गठन (1956) के समय साक्षरता का प्रतिशत मात्र 10% था, वहीं वर्ष 2011 में 69,32% हो चुका है। जिसमें पुरूष साक्षरता 80.5% और महिला साक्षरता 60.0% है।

**शिक्षा**

- राज्य में 1,05,592 से अधिक प्राथमिक शिक्षा केन्द्र (शासकीय, निजी सभी) संचालित है।
- मध्य प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन का अनुपात निरन्तर बढ़ रहा है, साथ ही बढ़ती कक्षाओं में शिक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति भी धीरेशिक्षा एवं स्वास्थ्य धीरे-धीरे कम हो रही है।
- राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल को यूनेस्को ने **मेगा यूनिवर्सिटी** का दर्जा दिया है।
- मुक्त विश्वविद्यालय में 15 देशी और 13 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की सुविधा है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं।
- देश में एकमात्र भारतीय सूचना संस्थान इलाहाबाद में है। 2 ऐसे संस्थान जबलपुर और कांचीवरम में प्रस्तावित।
- यूएनडीपी और विश्व बैंक दोनों ने शिक्षा गारण्टी योजना को विकास का कामयाब अन्तराष्ट्रीय मॉडल माना है।

**मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय**

| क्र.सं. | विश्वविद्यालय | स्थिति | स्थापना वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय | सागर | 1946 |
| 2. | रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय | जबलपुर | 1957 |
| 3. | विक्रम विश्वविद्यालय | उज्जैन | 1957 |
| 4. | जीवाजी राव विश्वविद्यालय | ग्वालियर | 1964 |
| 5. | देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय | इन्दौर | 1964 |
| 6. | जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय | जबलपुर | 1964 |
| 7. | अवधेश प्रता सिंह विश्वविद्यालय | रीवा | 1967 |
| 8. | बरकतुउल्ला विश्वविद्यालय | भोपाल | 1970 |
| 9. | माखनलाल चुतर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय | भोपाल | 1991 |
| 10. | महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय | चित्रकूट (सतना) | 1991 |
| 11. | राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय | भोपाल | 1991 |
| 12. | राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय | भोपाल | 1997 |
| 13. | राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | भोपाल | 2000 |
| 14. | इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) | अमरकण्टक, अनूपुर | 2008 |
| 15. | संगीत विश्वविद्यालय | ग्वालियर | 2008 |
| 16. | महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय | उज्जैन | 2008 |
| 17. | राजमाता विजयाराजे सिन्धिया कृषि विश्वविद्यालय | ग्वालियर | 2008 |
| 18. | महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (अशासकीय विश्वविद्यालय), नेपियर टाउन, कटनी | जबलपुर | 2009 |
| 19. | पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय | जबलपुर | 2010 |
| 20. | हिन्दी विश्वविद्यालय | भोपाल | प्रस्तावित |
| 21. | बौद्ध विश्वविद्यालय | साँची | प्रस्तावित |

KOTHARI INSTITUTE

- मध्य प्रदेश की पुरूष साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता से कम है।
- राज्य में राजीव गाँधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना 4 जनवरी, 1994 को की गई थी।
- मध्य प्रदेश में शिक्षा गारण्टी योजना 1 जनवरी, 1997 से लागू हुई है। यह योजना ऐसे जहाँ एक किलोमीटर तक प्राथमिक शिक्षा की सुविधा नहीं है, तथा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जहाँ 25 बच्चे तथा सामान्य क्षेत्र जहाँ 40 बच्चे हैं समुदाय की माँग पर 90 दिन के अन्दर सरकार एक स्कूल आरम्भ करने की गारण्टी देती है।
- मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में विद्यालय को भागीदारी बनाने के लिए 'शंखनाद योजना' आरम्भ की गई है।
- मध्य प्रदेश का एकमात्र 'दन्त चिकित्सा महाविद्यालय'इन्दौर में है।
- कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना वर्ष 2005 में शुरु।
- मध्यप्रदेश में आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं ग्वालियर, इन्दौर,जबलपुर,रीवा, उज्जैन,बुरहानपुर और भोपाल।
- पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर जिलें में स्थित है, जो सागर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत क्रियान्वित है।
- यह राज्य देश का प्रथम राज्य है जिसके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ने ईस्टर्न विश्वविद्यालय अमेरिका (अर्थात् किसी विदेशी विश्वविद्यालय) के साथ अध्ययन अधायपन व अनुसन्धान सम्बन्धी परस्पर सहमति (एम ओ यू ) हस्ताश्रक्षर कर कीर्तिमान स्थीपित किया।
- राज्य में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल में स्थित है।
- साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में केन्द्रशासित प्रदेश एवं राज्यों को मिलाकर दूसरे स्थान पर है।

**मध्य प्रदेश के कृषि महाविद्यालय**

| क्र. | कृषि विश्वविद्यालय | स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय | जबलपुर |
| 2. | कृषि महाविद्यालय | इन्दौर |
| 3. | कृषि महाविद्यालय | ग्वालियर |
| 4. | आर.ए. के कृषि महाविद्यालय | सीहोर |
| 5. | कृषि महाविद्यालय | मन्दसौर |
| 6. | कृषि महाविद्यालय | रीवा |
| 7. | कृषि महाविद्यालय | खण्डवा |
| 8. | कृषि महाविद्यालय | गंजबासौदा (विदिशा) |
| 9. | उद्यानिकी महाविद्यालय | मन्दसौर |

## चिकित्सा संस्थान

- प्रथम मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में वर्ष 1946 में स्थापित हुआ था।
- गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर-राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज।
- महात्मा गाँधी मेमोरियल मेडिकल-कॉलेज, इन्दौर।
- एस.एन मेडिकल कॉलेज, रीवा।
- गाँधी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर।
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सागर, वर्ष 2008 में स्थापित।
- यूनानी चिकिस्ता महाविद्यालय राज्य का एक मात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर।
- नर्सिंग महाविद्यालय राज्य का एक मात्र नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर में है।
- कैंसर चिकित्सालय मध्य प्रदेश में 3 कैंसर हॉस्पिटल हैं- इन्दौर, जबलपुर और ग्वालियर।
- मानसिक चिकित्सालय इन्दौर (बाणगंगा) और ग्वालियर।
- वेटरिनरी कॉलेज, जबलपुर, महू (इन्दौर के निकट) में।
- आयुर्वैदिक महाविद्यालय ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इन्दौर, बुरहानपुर और उज्जैन।
- डेण्टल कॉलेज एक मात्र शासकीय डेण्टल कॉलेज इन्दौर में है।
- राज्य में 19 होम्योपैथिक कॉलेज है जिनमें से मात्र एक ही शासकीय है शेष निजी हैं।



KOTHARI INSTITUTE

➤ एम्स मध्य प्रदेश में दिल्ली स्थिति 'एम्स' के अनुरूप उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त राजमाता विजयाराजे सिन्धिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS) की स्थापना भोपाल में की गई है।

## प्रौद्योगिकी संस्थान

➤ **सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान-** मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ग्वालियर में कार्यरत है जबकि सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जबलपुर में प्रस्तावित है।

➤ **उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान-** सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य राज्य शासन ने इस संस्थान की स्थापना शाहपुरा झील, भोपाल से कुछ दूरी पर 1995 में की।

➤ **इंजीनियरिंग कॉलेज** मध्य प्रदेश में कुल 64 इंजीनियरिंग कॉलेज और 27 पॉलिटेक्निक हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में मात्र 8 शासकीय हैं जबकि 5 स्ववित्त पोषित हैं और शेष शासकीय अनुदान प्राप्त है।

➤ **शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज** ये 8 है। सर्वप्रथम जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन्दौर (GSITS) रीवा, विदिशा (सम्राट अशोक टेक्नॉलाजी संस्थान), उज्जैन, भोपाल में 2 (NMACT और शासकीय महाविद्यालय) हैं।

➤ मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (MACT) भोपाल को रीजनल इंजीनियरिंग का॔लेज का दर्जा प्राप्त है।

## स्वास्थ्य

राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2000 को क्रियान्वित किया गया है जिसके तहत त्रि-स्तरीय स्वास्थ्य संरचना को नया रूप देकर स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के विकास `मं तेजी लाई जा रही है। नीति के तहत पांच हजार आबादी (ऐआदिवासी क्षेत्र में तीन हजार) पर एक उपस्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान है व प्रत्येक 30,000 की आबादी पर (आदिवासी क्षेत्र में 20,000) एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान है। तथा प्रत्येक 1.20 लाख की आबादी पर (आदिवासी में अस्सी हजार) पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान है। वर्तमान स्थिति में (2009) राज्य में 8834 उपस्वास्थ्य केन्द्र 1156 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 333 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। राज्य में 57 सिटी डिस्पेंसरी, 7 टीबी उपचार केन्द्र व 2 टीबी सेनेटोरियम संचालित हैं।

### विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम व योजनाएँ

➤ **कुष्ठ नियन्त्रक कार्यक्रम-** केन्द्र सरकार की सहायता से कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम राज्य में संचालित हैं। वर्ष 2007 में 2.2 लाख रोगियों की जाँच कर उनमें से पीडित 19 हजार रोगियों का इलाज किया गया।

➤ **पल्स पोलियो कार्यक्रम-** विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत विश्वव्यापी पोलियो अभियान का एक प्रमुख केन्द्र भारत है। 1995-96 से राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक भाग`क रूप में मध्य प्रदेश में भी यह अभियान वर्ष 2007 तक अनवरत रूप से जारी रहा।

➤ **राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम-** विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 90 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में मलेरिया रोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

➤ **अन्धत्व निवारण कार्यक्रम-** दृष्टिहीनता की दर में कमी लाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ही विश्व बैंक की सहायता से मोतियाबिन्द नियन्त्रण प्रोजेक्ट वर्ष 1994-2000 के मध्य 8 वर्षों तक चलाया गया। इसके तहत लगभग 18.3 लाख ऑपरेशन किये गेय ।

➤ **परिवार कल्याण एवं टीकारण कार्यक्रम-** स्वैच्छिक धार पर चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में भी नसबन्दी, निरोध प्रयोग के प्रोत्साहन, गर्भवती महिलाओं को टिटनेस ऑक्साइट के टीके तथा शिशुओं को डी.टी.पी. टिटनेस, मिजल्स, बी.सी.जी. के टीके लगाए जाते हैं।

➤ **दीनदयाल अन्तयोदय उपचार योजना-** यह योजना 25 सितम्बर 2004 से प्रारम्भ। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शासकीय अस्पताल में भती होकर इलाज करने पर निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा प्रति रविवार प्रति वर्ष रू. 20 हजार की सीमा तक उपलब्ध कराए

जाने का प्रावधान है।

- **जननी सुरक्षा योजना-** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से जननी सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश में 15 अगस्त, 2005 से प्रारम्भ की गई। अतः राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को बन्द कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अब सभी गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख सेअधिक प्रसव कराए जा चुके हैं।
- **दीनदयाल चलित अस्पताल योजना-** दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रदेश में दूरस्थ तथा अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रओं में स्वास्थ्य की तुरन्त सुविधा मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से मई ,2006 में प्रारम्भ की गई।
- **राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम-** प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम का संचैालन 40 मलेरिया यूनिटों के माध्यम से किया जा रहाॅ ह। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया औषधि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 9 जिलों में वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।
- **परुनरीक्षित क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम-** वर्ष 1998 से प्रदेश में पुनरीक्षित क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया था तथा चरणबद्ध योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में अब यह कार्यक्रम संचैालित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माह 6000 रोगियों का डॉट के अन्तर्गत उपचार प्रारम्भ किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम-** टीकाकरण कार्यक्रम के अनतर्गत मुख्य रूप से एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को छः जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, हैपेटाइटिस बी एवं खसरे के टीके लगाए जाते हैं। प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 19 लाख बच्चों को यह टीके लगाए जाते हैं।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-** आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति की प्रक्रिया मं तथा नागरिकों के जीवन-स्तर सुधार करने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) वर्ष 2005 में प्रारम्भ किया था, मिशन वर्ष 2012 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों, गरीबों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए उत्तम स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या एवं आम व्यकित् को उन्नत स्वास्थ्य परिचर्या सुलभ कराना है।
- **आशा-** प्रत्येक ग्राम में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) का चयन कर प्रशिक्षित किया गया है।

❑❑❑❑❑❑



KOTHARI INSTITUTE

# मध्यप्रदेश में पुरस्कार

**कालिदास सम्मान**
- स्थापना - वर्ष 1980-81 में
- क्षेत्र - रूपंकर कला, रंगकर्म, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य।
- राशि - 2 लाख रूपये ।

**तानसेन सम्मान**
- स्थापना - वर्ष 1980-81 में
- क्षेत्र- शास्त्रीय संगीत
- राशि- 2 लाख रूपये
- सम्मान- प्रथम- हीराबाई बड़ोदकर, बिस्मिल्ला खाँ, पं. कृष्णराव

**तुलसी सम्मान**
- स्थापना - वर्ष 1983-84 में ।
- क्षेत्र - लोक एवं पारम्परिक कलाएँ ।
- राशि - 2 लाख रूपये ।
- सम्मान - प्रथम हरिजी कैशव एवं गिरराज प्रसाद।

**लता मंगेशकर सम्मान**
- स्थापना - वर्ष 1984-85 में
- क्षेत्र- सुगम संगीत
- राशि- 2 लाख रूपये
- सम्मान - प्रथम - नौशाद

**इकबाल सम्मान**
- स्थापना - वर्ष 1986-87
- क्षेत्र - ऊर्दू साहित्य
- राशि- 2 लाख रुपये

**महात्मा गाँधी सम्मान**
- स्थापना - वर्ष 1995-96 में।
- क्षेत्र - सामाजिक कार्य (गाँधी दर्शन के अनुरूप)
- राशि - दस लाख रुपये ।
- सम्मान- प्रथम- कस्तूरबा गाँधी स्मारक ट्रस्ट (इंदौर)

**देवी अहिल्या सम्मान**
- स्थापना - वर्ष 1996-97
- स्थापना- पारम्परिक लोक एवं जनजाति कला (महिला)
- राशि - 2 लाख रूपये
- सम्मान- प्रथम - तीजन बाई

**किशोर कुमार सम्मान**
- स्थापना- वर्ष 1997-98
- क्षेत्र-फिल्म निर्देशन, अभिनय, संवाद लेखन व गीत लेखन
- राशि- 2 लाख रुपये
- सम्मान- प्रथम - ऋषिकेश मुखर्जी

**अमृता शेरगिल फेलोशिप**
- क्षेत्र- चित्रकला
- अवधि- 1 वर्ष

**चक्रधर फेलोशिप**
- क्षेत्र- चित्र कला
- अवधि- एक वर्ष

**मुक्तिबोध फेलोशिप**
- क्षेत्र- साहित्य
- अवधि- एक वर्ष

**श्रीकान्त वर्मा फेलोशिप**
- क्षेत्र - साहित्य
- अवधि - 1 वर्ष

**उस्ताद अलाउद्दीन संगीत फेलोशिप**
- क्षेत्र- संगीत
- अवधि - एक वर्ष

**पत्रकारिता से सम्बन्धित व्यक्ति**
- स्व. माणिकचन्द्र बाजपेयी
- स्व. गणेश शंकर विद्यार्थी
- स्व. सत्यनारायण श्रीवास्तव
- स्व. राजेन्द्र माथुर
- स्व. महेन्द्र चौधरी
- जगत पाठक
- स्व. विद्यानिवास मिश्र

**कबीर सम्मान**
- स्थापना- वर्ष 1986-87 में
- क्षेत्र - भारतीय कविता
- राशि- 3 लाख रुपये
- सम्मान- प्रथम - अली सरदार जाफरी

**मैथलीशरण गुप्त सम्मान**
- स्थापना- वर्ष 1987-88 में
- क्षेत्र - हिन्दी कविता
- राशि- 2 लाख रूपये
- सम्मान- प्रथम शमशेर बहादुर सिंह

**कुमार गंधर्व सम्मान**
- स्थापना- वर्ष 1992 - 93 में
- क्षेत्र - युवा शास्त्रीय संगीतकार
- राशि- एक लाख रुपये
- सम्मान- प्रथम - अजय चक्रवर्ती

**शरद जोशी सम्मान**
- स्थापना- वर्ष 1992-93 में
- क्षेत्र - हिन्दी व्यंग्य लेखन
- राशि- 1 लाख राशि
- सम्मान- प्रथम- हरिशंकर परसाई

**मध्यप्रदेश में पद्मश्री से पुरस्कृत व्यक्ति (2018-19)**

श्री बाबूलाल दहिया (कृषि)
श्री प्रताप सिंह हर्दिया (मेडिसिन) ऑप्थलमोलॉजी
श्री कैलाश मडबैया (साहित्य और शिक्षा)
श्री महेश शर्मा (सामाजिक कार्य - आदिवासी कल्याण)



KOTHARI INSTITUTE

# सामान्य ज्ञान

# General Knowledge

KOTHARI PUBLICATION, LLP, INDORE

# भारतीय इतिहास (Indian History)

**इतिहास का प्रयोग विशेषतः दो अर्थों में किया जाता है। एक है प्राचीन अथवा विगतकाल की घटनाएँ और दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारणा।**

**इतिहास शब्द का तात्पर्य हैः यह निश्चित था।**

**इतिहास का आरंभ पद्य अथवा गद्य में वीरगाथा के रूप में हुआ।**

**भारत में इतिहास के स्रोत हैं- ऋग्वेद और अन्य वेद जैसे यर्जुवेद, सामवेद, अर्थववेद, ग्रंथ, इतिहास, पुराणस्मृति, आदि इन्हें इतिहास सामग्री कहते हैं।**

**भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है - प्राचीनकाल, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत।**

## प्राचीन भारत

- प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है- धर्मग्रंथ, इतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातात्विक संबंध साक्ष्य।
- भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है जिसके संकलनकर्ता महाऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है।
- वेद 4 हैं- ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद हैं।
- ऋगवेद में दस मंडल 1028 सुक्तियाँ एवं 10462 ऋचाएँ हैं।
- विश्वामित्र द्वारा रचित ऋगवेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता साविवि त्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है।
- सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है।
- यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है।
- सामवेद गायी जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
- अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद में रोग, निवारण, तंत्र-मंत्र, जादू, टोना का उल्लेख मिलता है।
- सबसे प्राचीन वेद ऋगवेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है।

## हड़प्पा सभ्यता

- **सिन्धु सभ्यता का विस्तार-** सिन्धु सभ्यता पश्चिम में मकरान तट प्रदेश पर स्थित 'सुतकागेंडोर' से पूर्व में जिला मेरठ के आलमगीर-पुर तक और उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में किम सागर-संगम पर दाइमाबाद (गुजरात) तक फैली थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मिस्त्र या सुमेरियन सभ्यता से कही विशाल थी।
- 1750 ई. पूर्व के आसपास तक सिन्धु संस्कृति के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहन जोदड़ों नष्ट हो चुके थे, परन्तु दूसरे स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति का ह्रास धीरे-धीरे हुआ और ह्रासोन्मुख स्थिति में गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उ.प्र. तक के सीमान्तों में यह सभ्यता लम्बे समय तक जीवित रही।
- हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मुहरें है।
- हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक रेडियो कार्बन सी-14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ई. पूर्व से 1700 ई. पूर्व मानी गयी है।
- दिसम्बर 2014 में भिरड़ाणा (हरियाणा) को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है।
- हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। यद्यपि कुछ विद्वान इसे **ताम्र-पाषाणिक सभ्यता** भी कहते हैं।
- हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल से ज्ञात होने के कारण इसे **हड़प्पा सभ्यता** कहते है।
- चार्ल्स मैसन ने सन् 1826 में हड़प्पा नामक स्थान पर स्थित विशाल टीलों के बारे में लिखा था।
- सैन्धव मुहरें आयताकार, बेलनाकार एवं वर्गाकार है।
- कांस्य काल की अन्य समकालीन मान्यताओं की भाँति ही सैधव सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था।
- मिट्टी की पट्टियों में अंकित सुमेरीय अभिलेखों में दिल्मुन या तिल्मुन को 'सूर्योदय' या साफ सुथरे नगर' और 'हाथियों का देश कहा गया है।
- अधिकांश मुहरें सेलखडी (अलबास्टर जंगजराहत) की बनी हैं।
- सर्वप्रथम खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी (नया नाम साहीवाल) पंजाब पाकिस्तान।

KOTHARINSTITUTE

## मोहनजोदड़ो

- खुदाई-1922 राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिन्ध के तट पर लरकाना पाकिस्तान जिले में हुई।
- शील का पैमाना केवल दो स्थानों मोहनजोदड़ो व लोथल से मिला है।
- सूती व ऊनी कपड़े का साक्ष्य मिला है।
- पशुपति शिव की मूर्ति तथा पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है।
- नर्तकी की कांस्य मूर्ति मधुच्छिष्ट विधि (**Lost Wax**) के सांचे में ढालकर बनायी गयी थी।
- मेलूहा को सिन्ध में स्थित मोहनजोदड़ों माना जा सकता है।
- **प्रोटो-** आस्ट्रोलायड या काकेशियन जाति के तीन सिर मिले
- यहां के भवनों के अधिकांश दरवाजे आम सड़कों की ओर नहीं बल्कि गली की ओर खुलते थे।
- कूबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहरें मिली है।
- बर्तन पकाने के 6 भट्ठे पाये गये हैं। बर्तन बिना आकृति वाले हैं। एक बर्तन पर नाव का चित्र जो लापरवारही से बनाया गया है।
- मुद्राओं पर स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है।
- जालीदार अलंकरण युक्त मिट्टी का बर्तन मिला है।
- मोहन जोदड़ों को सिन्ध का नखलिस्तान या सिन्ध का भाग कहते है।
- शतरंज की छोटी-छोटी गोटियां मिली हैं।

## लोथल

- **खुदाई-** 1955 रंगनाथ राव द्वारा भोगवा नदी पर, खंभात की खाड़ी में।
- नाव की आकार की दो मोहरें तथा बन्दरगाह मिला।
- बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियाँ तथा मोहरें भी मिली हैं।
- 'युगल शवाधान' की प्राप्ति जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में है, और वे करवट लेटे हुए हैं।
- चावल के अवशेष मिले है।
- यहाँ से फारस की मुहरें मिली है।
- अन्न पीसने की चक्की मिली है।
- हाथी दाँत का पैमाना तथा एक शील का पैमाना मिला।

## सुरकोतदा

- सुरकोतदा (गुजरात) से लकड़ी की बड़े आकार की कब्र मिली है, जो अपने तरह की अकेली है।
- सुरकोतदा में बैल की पहिएदार एक मृण्मूर्ति मिली है।
- सुरकोतदा में घोड़े की हड्डियां मिली है।

### अन्य

- बनवाली (हरियाणा) में मिट्टी के हल मिले हैं। जौ भी मिला है।
- चन्हूदडो (सिन्ध) में मनके बनाने वाले शिल्पियों की दुकाने मिली है, एक जला हुआ कपाल मिला है। चार पहियों वाली गाड़ी मिली है।

## कालीबंगा

- खुदाई- बी.बी.लाल द्वारा घग्घर नदी पर (राजस्थान)।
- हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले है।
- प्राक् हड़प्पा व हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक अवस्थाओं के दर्शन होते है।
- यहां के घर कच्ची ईटों के बने हैं।
- मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर मिली है।
- काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं।
- यहाँ से अग्निकुंड या हवनकुंड के साक्ष्य मिले हैं।

**सिन्धु सभ्यता के ज्ञात स्थलों में से केवल 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है- 1. हड़प्पा 2. मोहनजोदड़ों 3. चन्हूदड़ो 4. लोथल 5. कालीबंगा 6. बनवाली**

- रंगपुर (गुजरात, कठियावाड़ प्रायद्वीप) और रोजरी से हड़प्पा संस्कृति की उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं।
- सिन्धु सभ्यता में स्त्री मृण्मूर्तियाँ सबसे अधिक मिली है। अतः इससे अनुमान होता है कि वहाँ मातृसत्तात्मक प्रणाली थी।
- **बिटुमन-** यह एक ऐसा पदार्थ था जिसका लेप करने से पानी आदि का रिसाव रुक जाता है। यह प्लास्टर के समान दीवार पर लेप दिया जाता था, ताकि पानी बाहर न निकल सके।

## वैदिक सभ्यता

### महावीर स्वामी और जैन धर्म

- जन्म-540 B.C., वैशाली के कुण्ड ग्राम में, वंश-ज्ञातृक गोत्र-कश्यप, 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की तपस्या के बाद जुम्भिकाग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान साल वृक्ष के नीचे प्राप्त किया। मृत्यु-468 B.C.
- 23वे तीर्थंकर काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे।
- पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रन्थ कहा जाता था। इन्होंने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया।
- महावीर का विवाह यशोदा नामक एक राजकुमारी के साथ हुआ।
- महावीर की माता त्रिशला लिच्छवि राजा चेटक की

बहन थीं।
- महावीर ने अपने बड़े भाई नन्दिवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में गृहत्याग किया था।
- महावीर को जैन धर्म का संस्थापक एवं ऋषभदेव को आदि प्रवर्तक माना जाता है।

### सिद्धान्त

1. **सम्यक आचरण-** सांसारिक विषयों के प्रति समभाव।
2. **सम्यक दर्शन-** सत् में विश्वास करना।
3. **सम्यक ज्ञान-** शंका विहीन वास्तविक ज्ञान।

- **वर्धमान-** रागद्वेष से मुक्त होने के कारण पिता द्वारा दिया गया नाम।
- **श्रमण-** भय और शंका के स्थान पर निश्चल रहते थे अतः सुख दुःख से रहित थे, इसलिए यह नाम दिया गया।
- **अर्हत भिक्षु-** यह नाम देवताओं ने दिया।

## अणुव्रत

- **वर्धमान के प्रथम शिष्य जमोली/जमालि थे।**
- प्रथम जैन भिक्षुणी चम्पानरेश दधिवाहन की पुत्री चम्पा थी।
- जैन धर्म में आत्मा को माना गया था, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी था।
- भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र में महावीर की घोर तपस्या का वर्णन मिलता है।
- **गुप्तकाल में दो जैन ग्रन्थ मिले हैं-** इनमें एक मथुरा में कुमार गुप्त प्रथम का 426 ई. का। दूसरा कहौम में स्कन्दगुप्त का-461 ई. का है।
- राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, इन्द्र तृतीय तथा इन्द्र चतुर्थ जैन मतावलम्बी थे। अमोघवर्ष ने 'कविराज मार्ग' (कन्नड़) की रचना की थी।
- जैन संघ के सदस्य चार वर्गों में विभक्त थे- भिक्षु, भिक्षुणी श्रावक तथा श्राविका।
- मल्लों की राजधानी पावा का वर्तमान नाम पोखरपुर है।

  **पंच अणुव्रत** - अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अस्तेयाणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, अपरिग्रहाणु व्रत।
- महावीर के शिष्य गौतम इन्द्रभूति ने आगे चलकर 'केवलिन' प्राप्त किया।
- श्वेताम्बर मत के ग्रन्थ अर्द्धमागधी प्राकृत में 6वीं शताब्दी में लिखे गये, जिन्हें अंग कहते हैं।
- दिगम्बर मत के ग्रन्थ ईसा की दूसरी शताब्दी में संस्कृत में लिखे गये, जिनको 'वेद' के नाम से जाना जाता है।
- महावीर के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष सुधर्मन को बनाया गया।
- हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि 'नन्द' (शूद्रवंशी) जैन धर्म के अनुयायी थे। यह अभिलेख कलिंगराज खारवेल का है।
- जैन ग्रन्थ 'भगवती सूत्र' में सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
- ऐतिहासिक दृष्टि से 'वसुदेवहुंडी', 'वृहतकथासूत्रभाष्य' 'आवश्चयक-चूर्णि','कालिका पुराण' तथा 'कथाकोष' अत्यन्त महत्वपूर्ण जैनग्रन्थ हैं। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ हेमचन्द्रकृत 'परिशिष्टपर्वन' है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई।

### जैन संगीतियाँ

| क्र. | नाम | समय | स्थान | अध्यक्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम | चौथी शताब्दी ईसापूर्व | पाटलिपुत्र | स्थूलभद्र |
| 2. | द्वितीय | तीसरी शताब्दी ई.पू. | वल्लभी | आर्यस्कान्दिल |
| 3. | तीसरी | 513 या 526 ई. | वल्लभी | क्षमाश्रमण |

### बौद्धधर्म

- गौतम बुद्ध का जन्म 563 ई. पूर्व के लगभग कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था।
- ये शाक्यवंश के सूर्यवंशी क्षत्रिय तथा गौतम गोत्र के थे।
- इनकी माता का नाम माया देवी, पिता का नाम शुद्धोधन था।
- इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था।

**गौतम बुद्ध के जीवन की घटनायें**

1. **गृह त्याग की घटना-** महाभिनिष्क्रमण
2. **ज्ञान प्राप्त होने की घटना-** सम्बोधि
3 **उपदेश देने की घटना-** धर्मचक्रप्रवर्तन
4. **निर्वाण-** महापरिनिर्वाण

- **बुद्ध के समय प्रसिद्ध गणराज्य–** वत्स, अवन्ति, मगध, कोसल। उनकी राजधानियाँ क्रमशः कौशाम्बी, उज्जयिनी, राजगृह, श्रावस्ती थी।

### बौद्ध संगीतियाँ

- **प्रथम बौद्ध संगीति-** यह बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में मगध के शासक अजातशत्रु इसकी अध्यक्षता महाकश्य ने की थी।
- **द्वितीय बौद्ध संगीति-** इसका आयोजन कलाशोक/ काकवर्ण के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष वाद वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष सबाकामि थे। यह महासभा पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेदों को दूर करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।

- **तृतीय बौद्ध संगीति-** यह सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकराम विहार ने बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्त तिस्स ने की थी। इसमें महासांधिक मतों का खण्डन किया गया तथा अपने सिद्धान्तों को ही बुद्ध के मौलिक सिद्धान्त घोषित किया गया।
- **चतुर्थ बौद्ध संगीति-** यह कुषाण शासक कनिष्क-1 के राज्य काल में कश्मीर के कुण्डलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी। इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष था। इसी संगिति में हीनयान तथा महायान नामक दो सम्प्रदायों का जन्म हुआ।
- गौतम के जन्म के समय बिम्बिसार व मृत्यु के समय अजातशत्रु मगध का राजा था।
- सारनाथ में बुद्ध ने कौंडिन्य आदि 5 ब्राम्हणों को प्रथम उपदेश दिया और वहीं संघ की स्थापना की।
- गौतम को **निरंजना** नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ।
- बौद्ध धर्म का मूलाधार चार आर्यसत्य हैं- दुख, दुख समुदाय, दुखनिरोध और दुख निरोध गमिनी प्रतिपदा अर्थात् अष्टांगिक मार्ग।
- गौतम बुद्ध के जीवन सम्बन्धी 4 दृश्य अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, **ये क्रमशः इस प्रकार हैं-**

1. **पहला दृश्य-** एक वृद्ध पुरुष
2. **दूसरा दृश्य-** एक रोगग्रस्त पुरुष
3. **तीसरा दृश्य-**एक मृत शरीर
4. **चौथा दृश्य-** एक प्रसन्न शरीर सन्यासी

- **'नत्ति'-** इसे प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव को तीन बार पढ़ा जाता था। कोई आपत्ति न होने पर उसे स्वीकृत माना जाता था।
    - **अनुसावन-** संघ सभा में जो पाठ होता था।
    - **गुल्हक-** गुप्त मतदान।
    - **विवतक-** प्रत्यक्ष मतदान।
- **उपासक-** गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाला।
- महायान का प्राचीनतम या पहला ग्रन्थ 'ललितविस्तार' है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन की कथा वर्णित है।
- इस ग्रन्थ का उपयोग सर एडविन अरनाल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य की रचना The Light of Asia में किया है।
- **बुद्ध का जीवन से संबंध-**
    1. **हाथी-** बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक।
    2. **साँड-** यौवन का प्रतीक।
    3. **घोड़ा-** गृह-त्याग का प्रतीक।
    4. **शेर-** समृद्धि का प्रतीक।
- द लॉइट ऑफ एशिया का हिन्दी अनुवाद आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने **'बुद्धचरित'** नाम से किया।
- बुद्ध की पहली मूर्ति अमरावती में प्रथम शताब्दी ई. पू. में बनायी गयी थी।
- गौतम का अन्तिम संस्कार कुशीनारा में रामसंभाग सरोवर के किनारे किया गया।

**अश्वघोष की तीन संस्कृत रचनायें हैं-**

1. बुद्ध चरित - इसमें बुद्ध की जीवनी है (महाकाव्य)
2. सौन्दरानन्द - खण्डकाव्य
3. सारिपुत्रप्रकरण - नाटक

- अशोक ने अपने साम्राज्य के समस्त धर्मों को 5 शीर्षकों में वर्गीकृत किया था-

**(i) संघ (बौद्धधर्मानुयायी), (i) ब्राह्मण। (iii) आजीवक, (iv) निर्ग्रन्थ या जैनी (v) अन्य सम्प्रदाय**

- थेरवाद का सबसे महत्वपूर्ण सम्प्रदाय **'सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय'** था। इसके संस्थापक **राहुल भद्र** थे। इसका केन्द्र पहले मथुरा में था। बाद में **गान्धार** तथा **कश्मीर** के क्षेत्रों में फैल गया। **चीन** में सुरक्षित एक गाथा के अनुसार यह कश्मीर में था।

## बौद्ध ग्रन्थ

- **विनय पिटक-** नियम और आचरण से सम्बन्धित।
- **सुत्त पिटक-** इसमें 5 निकाय हैं।

  **(क) दीर्घ निकाय-** बुद्ध से सम्बन्धित लम्बे उपदेशों का संग्रह है। साथ ही उन परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनसे प्रेरित होकर बुद्ध ने उनका प्रवचन किया।

  **(ख) मज्झिमनिकाय-** छोटे-छोटे उपदेश हैं।

  **(ग) संयुक्त निकाय-** तत्सम्बन्धित विषयों पर संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है।

  **अंगुत्तर निकाय-** 2000 से अधिक कथनों का संक्षिप्त संग्रह है। यह हीनयान का ग्रन्थ है। 16 महाजनपदों का उल्लेख इसी में मिलता है।

  **(घ) खुद्दक निकाय-** इसमें गद्य की स्फुट रचना का उल्लेख है।
- अभिधम्मपिटक
- अर्द्धसैद्धान्तिक ग्रन्थों में सबसे प्रमुख **'मिलिन्दपन्हों' है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन (नागार्जुन) तथा यूनानी बैक्ट्रियन राजा मिनान्डर (मिलिन्द) के मध्य हुए विवाद का वर्णन है।**
- **'सुजन मैत्रेय'** जो भावी बोधि सत्व हैं, बोधिसत्व के रुप में पूजित हैं।
- महायान के दो दार्शनिक वर्ग थे- (1) **'माध्यमिक'**

इनका मूलग्रन्थ है, **'माध्यमिककारिका'** (नागार्जुन) (2) **'योगाचार'** इस वर्ग में असंग सबसे प्रमुख हैं।

- असंग **'सूत्रालंकार'** इस सम्प्रदाय का सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ है।
- योगाचार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाओं में लंकावतारसूत्र प्रमुख है।
- **आयागपट्ट-** यह जैन धर्म से सम्बन्धित है। इसमें श्रद्धांजलियाँ लिखी हुई हैं।
- **जातक कथायें-** इसमें गौतम बुद्ध के 550 पूर्वजन्मों से सम्बन्धित कथायें।
- **पांच बुद्ध- (1) कुकुच्छानन्द (2) कनक भन्जन (3) काश्यप (4) शाक्य मुनि** (गौतम बुद्ध यही है) **(5) मैत्रेय-** भावी बुद्ध

  अन्तिम बुद्ध सामन्तभद्र होंगे। इन दोनों के चित्र बोरो बुदुर (स्तूप जावा) में हैं।
- चीन में बौद्ध गुफाओं को 'तून हुआन' कहते हैं तथा बौद्ध मन्दिरों को **पैगोडा** कहते हैं।

## मौर्य साम्राज्य

डॉ. डी. आर. भण्डारकर ने केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसका इतिहास लिखा है।

- अशोक के लेख 5 प्रकार के है- 1. शिलालेख 2. लघुशिलालेख 3. स्तम्भलेख 4. लघु स्तम्भलेख 5. गुहालेख।

**(i) शिलालेख-** ये कुल 14 हैं, और ये निम्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं-

1. **मानसेहरा** (हजारा जिला, पाकिस्तान)
2. **शहबाजगढ़ी (पेशावर, पाकिस्तान)-** दोनों खरोष्ठी लिपि में हैं।
3. **कालसी** (देहरादून उ.प्र.)
4. **गिरिनार** (काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास गिरनार की पहाड़ी)
5. **धौली** (उड़ीसा के पुरी जिले में) (कलिंग प्रान्त के लिए अलग से आदेश प्रजावित किए गये हैं)
6. **जौगढ़** (उड़ीसा के गंजाम जिले में)
7. **एर्रगुडि** (आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में)
8. **सोपारा** (महाराष्ट्र के थाना जिले में)

**(ii) लघु शिलालेख-** लघु शिलालेख 13 हैं-

1. **रूपनाथ** (जबलपुर म.प्र.)
2. **गुजर्रा** (दतिया म.प्र.)
3. **सासाराम** (शाहाबाद-बिहार)
4. **भाब्रू** (जयपुर-राजस्थान)
5. **मस्की** (रायचूर - आन्ध्रप्रदेश)
6. **ब्रह्मगिरि** (चीतलदुर्ग-कर्नाटक)
7. **एर्रागुडी** (कुर्नूल - आन्ध्रप्रदेश)
8. **जटिंग रामेश्वर** (चीतलदुर्ग - कर्नाटक)
9. **गोविमठ** (मैसूर - कर्नाटक)
10. **पालकि गुंडु** (मैसूर - कर्नाटक)
11. **राजुल मंडगिरि** (कुर्नूल - आन्ध्र प्रदेश)
12. **अहरौरा** (मिर्जापुर उ.प्र.)

**(iii) स्तम्भ लेख-** ये 7 है और 6 स्थानों से मिले हैं-

1. **टोपरा (दिल्ली)-** यह प्रारम्भ में उ.प्र. के सहारनपुर जिले में गढ़ा था। फिरोजशाह तुगलक ने इसे दिल्ली लाया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख खुदे हैं। शेष स्तम्भों पर केवल 6 अभिलेख हैं।
2. **दिल्ली (मेरठ)-** यह भी पहले, मेरठ में था, बाद में फिरोज तुगलक दिल्ली ले आया।
3. **लौरिया अरराज** (चम्पारन - बिहार)
4. **लौरिया नन्दनगढ़** (चम्पारन बिहार)
5. **रमपुरवा** (चम्पारन, बिहार)
6. **प्रयाग-** यह पहले कौशाम्बी में था तथा बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। इसमें अशोक की रानी कारूवाकी द्वारा जारी आदेश वर्णित है। इसी में बाद में समुद्रगुप्त के राजकवि व मंत्री हरिषेण द्वारा समुद्रगुप्त की जीवनी एवं विजयों का उल्लेख किया है।

**(iv) लखु स्तम्भ लेख-**

1. **साँची** (रायसेन म.प्र.) **2. सारनाथ** (वाराणसी उ.प्र.)
3. **कौशाम्बी** (इलाहाबाद उ.प्र.)
4. **रुम्मिनदेई** (नेपाल की तराई में स्थित)
5. **निग्लीवा** (निगलिसागर नेपाल की तराई)

- तक्षशिला, अफगानिस्तान के जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान में एक-एक अभिलेख मिले हैं जो अरमेइक लिपि में हैं।
- अफगानिस्तान में कन्धार के समीप शरकुना में एक अभिलेख ऐसा मिला है, जो यूनानी और आरमेइक दोनों लिपियों में हैं। यह दुभाषिय लेख है।
- सप्तम स्तम्भ लेख में जो सबसे लम्बा है, में अशोक ने संघ; आजीवकों और निर्ग्रन्थों का भी वर्णन किया है।
- मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्धशाक्य कहा हैं।
- अशोक के 12वें शिलालेख में वचोगुति (वाणी पर संयम) का निर्देश है।

**(v) गुहा- लेख**

इसकी भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। तक्षशिला से

आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कन्धार के पास शारे-कुना नामक स्थान से यूनानी तता आरमाइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है।

3. **कौशाम्बी** (इलाहाबाद उ.प्र.)

## मौर्यकाल में कर व्यवस्था

- राजा **'भाग'** के अतिरिक्त अन्य कर भी लेता था जो **'बलि'** कहालाता था।
- संकट कालीन अवस्था में कौटिल्य ने राजा को **'प्रणय'** वसूल करने का अधिकार दिया था।
- **पिण्डकर-** इसे राजा पूरे गाँव से वर्ष में एक बार वसूल करता था।
- **सेनाभक्तकर-** सेना के प्रयाण के समय प्रजा से तेल और चावल के रूप में लिया जाता था।
- **औपायनिक-** विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट।
- **पार्श्व-** अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाता था।
- **कौष्ठेयक-** सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाया जाने वाला कर।
- **परिहीनक-** सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा की गयी हानि के बदले में हर्जाने के रूप में लिया जाता था।
- **ध्रुवाधिकरण-** भूमिकर संग्रहकर्त्ता था।
- **रज्जु-** भूमि की नाप के समय जो कर लिया जाता था।
- **बिवीत-** पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था।
- **सेतु-** फल-फूल पर लिया जाने वाला कर।
- **भाग-** किसानों की भूमि से लिया जाने वाला भूमिकर।

## मौर्य शासन व्यवस्था

### अष्टादश तीर्थ

- **केन्द्रीय अधिकारी तंत्र-** अर्थशास्त्र में सबसे ऊँचे स्तर के अधिकारियों को **तीर्थ** कहा गया है। ऐसे 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है-
- **मंत्री तथा पुरोहित-** प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे।
- **समाहर्ता-** राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। यह एक प्रकार से आधुनिक गृहमंत्री और वित्तमंत्री था।
- **प्रदेष्टा-** फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था।
- **नायक-** सेना का संचालक।
- **व्यावहारिक-** दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश।
- **दण्डपाल-** सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी।
- **अर्थशास्त्र के 'अध्यक्ष प्रचार'** अध्याय में 27 अध्यक्षों का उल्लेख हैं। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे यथा मंत्रियों के निरीक्षण में कार्य करते थे-
- **पण्पाध्यक्ष-** वाणिज्य का अध्यक्ष।
- **सीताध्यक्ष-** कृषि विभाग का अध्यक्ष।
- **लक्षणाध्यक्ष-** मुद्रावनीति पर नियंत्रण रखने वाला।
- ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य 'गोप' नामक कर्मचारी किया करते थे। गोप पूरे 10 गाँवों के ऊपर शासन करते थे।

## मौर्यकालीन सिक्के

- **सोने के सिक्के को 'निष्क या सुवर्ण'** कहा जाता था।
- चाँदी के सिक्कों को कार्षापण या धरण कहा जाता था।
- ताँबे के सिक्के माषक कहलाते थे।
- ताँबे के छोटे सिक्कों को **काकणी** कहा जाता था।
- ये सिक्के शासकों, को काकणी कहा जाता था।
- अर्थशास्त्र के अनुसार वार्षिक ब्याजदर 15% होती थी।
- **सुदर्शन झील का निर्माण-** रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के गवर्नर (सौराष्ट्र के गवर्नर) पुष्यगुप्त ने चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के गवर्नर यवनराज तुपाष्प ने उसमें नहरें निकलवायी थी।
- स्कन्दगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसकी फिर मरम्मत करवायी, तथा इसके तट पर एक विष्णु मन्दिर का निर्माण करवाया।
- अशोक ने अभिलेख खुदवाने की परम्परा डेरियस से सीखी थी।

## गुप्तकालीन सभ्यता

- वैष्णव धर्म, गुप्त राजाओ का राजधर्म था और राजकीय भाषा संस्कृत थी।
- गुप्तकाल का सबसे सुन्दर शिवलिंग लोह (म.प्र.) से प्राप्त हुआ है।
- देवगढ़ झाँसी में विष्णु का मन्दिर है।
- भूमरा (म.प्र.) में शिव मन्दिर है।
- नचना कुठार में पार्वती मन्दिर है।
- तिगवाँ (म.प्र.) में विष्णु मन्दिर है।
- देवगढ़ झाँसी के दशावतार मन्दिर में ही सर्वप्रथम शिखर बनाया गया था।
- चित्रण प्रणाली के आधार पर चित्रकला को दो कोटियों में बाँधा जाता है-

  (i) **फ्रेस्को** (गीले प्लास्टर पर)

  (ii) **टेम्परा** (सूखी सतह पर)

KOTHARI INSTITUTE

- **रिलीफ पेटिंग-** दीवारों पर उभरी मूर्तियों इत्यादि पर जो नियंत्रण किया जाता है उसे रिलीफ पेंटिंग कहते हैं।
- **चित्रपट-** जो चित्र कपड़ों के ऊपर बनाये जाते थे।
- **चित्रफलक-** कभी-कभी काठ के टुकड़ों के ऊपर चित्रकला का अंकन किया जाता था। यही चित्रफलक कहलाते हैं।
- अजन्ता की गुफा में अब मात्र 6 गुफाओं में चित्र बाकी - पहली, दूसरी, नवी, दशवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं।
- 17वीं नं. की गुफा में माता-पुत्र का चित्र अत्यन्त सुन्दर है। इसी गुफा में एक दूसरा चित्र है, जिसमें एक राजा एक स्वर्ण हंस की बाते सुन रहा है।
- 16 वीं गुफा में सबसे सुन्दर चित्र मरणासन्न राजकुमारी का है।
- सुंगयून के अनुसार हूणों का प्रथम शासक तिगिन था।
- कामन्दक के नीतिशास्त्र में गुप्तवंश के शासन का वर्णन है।

## पाल वंश

- पाल वंश का संस्थापक गोपाल नामक क्षत्रिय युवक था। इसने 750-770 ई. तक शासन किया (बंगाल में)। इस वंश ने लगभग 400 वर्षों तक राज्य किया।
- पाल नरेश धर्मपाल (770-810) ने कन्नौज में चक्रायुध के गद्दी पर बैठने के उसने एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, पवन, अवन्ती, गान्धार एवं कीर के राजा सम्मिलित हुए थे।
- धर्मपाल ने ही बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
- पाल-वंश के पतन का कारण था- चन्देल वंश, कलचुरि-वंश तथा कुछ स्थानीय वंशो का उदय।
- महीपाल प्रथम को द्वितीय पाल-साम्राज्य का संस्थापक भी कहते हैं।
- पाल नरेश रामपाल (1077-1120) ने 'रामवती' नामक नगर की स्थापना की थी। इस राजा ने अपने मामा की मृत्यु के शोक में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 1161 में मदन पाल (1144-1161) की मृत्यु के बाद पाल-राज्य नष्ट हो गया।
- गोविंद पाल, पालवंश का अंतिम राजा था।

## चौहान / चाहमान-वंश

- चन्द्रवरदायी ने इस वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किये गये यज्ञ-कुंड से बताई है। चाहमान वत्सगोत्री थे। अभिलेखों में इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है।
- चाहमानवंश की एक शाखा ने 7वीं सदी में शाकम्भरी में अपना राज्य स्थापित किया। इस शाखा की स्थापना का श्रेय वासुदेव को दिया जाता है। इस वंश का सर्वप्रथम राजा दुर्लभ राज प्रथम (8वीं सदी उत्तरार्ध) था। यह प्रतीहार-वंश के वत्सराज का सामन्त था।
- सिंहराज (9वीं शदी पूर्वार्द्ध) ने ही सर्वप्रथम 'महिराजाधिराज' की उपाधि धारण की। चाहमान राजा अजय राज (12वीं सदी पूर्वार्द्ध) ने अजय मेरु (अजमेर) नगर की स्थापना की थी।
- इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विग्रहराज चतुर्थ (1153-1163) था। इसी ने तोमर वंश से ढिल्लिका (दिल्ली) छीनी थी। इनकी उपाधि थी- 'महाराजाधिराज परमेश्वर'। उसकी सभा में सोमदेव नामक विद्वान रहता था।
- तराइन के द्वितीय युद्ध (1192) में पृथ्वीराज तृतीय सरस्वती के तट पर पकड़े गये। कालान्तर में मुहम्मद गोरी ने उनकी हत्या करवा दी। उनकी सभा में पृथ्वीराज विजय' का रचयिता जयानक रहता था।

## चन्देल वंश

- प्रतिहार-वंश के पतन के बाद मध्य भारत में चन्देल वंश का उदय हुआ। इनका मूल प्रदेश बुन्देलखण्ड था। प्रारम्भ में ये गुर्जर-प्रतिहारों के सामन्त थे।
- जनश्रुति के अनुसार इस वंश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक राजा चन्द्रवर्मन हैं। परन्तु अभिलेखों के अनुसार सर्वप्रथम ऐतिहासिक राजा नन्नुक है। जयशक्ति नामक चन्देल राजा के नाम से चन्देल-राज्य को 'जैजाक भुक्ति' भी कहते हैं।
- चन्देल नरेश धंग (950-1002) ने ही सर्वप्रथम कन्नौज के प्रतिहार वंश के विरुद्ध अपने वंश की स्वतन्त्रता घोषित की थी। उसने प्रयाग में डूबकर अपना प्राणोत्सर्ग किया था। इसकी उपाधि 'महाराजधिराज' थी। धंग सुबुक्तगीन के विरुद्ध बनी संघसेना (जयपाल के नेतृत्व) में सम्मिलित था। इसी तरह धंग का पुत्र गण्ड (1002-1017) भी आनन्द पाल की संघ सेना में सम्मिलित था।
- इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा विद्याधर (1017-1029) था।
- इस वंश का अन्तिम महत्वपूर्ण राजा परमर्दी (1163-1202) था। आल्हा एवं ऊदल दो वीर योद्धा इसी राजा के शासन में रहते थे। इस राजा को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। 1202 में कुतुबुद्दीन ने

कालिंजर पर कब्जा कर लिया। उसी समय परमर्दी की मृत्यु के पश्चात इस वंश का अन्त हो गया।

## परमार वंश

- यह वंश राष्ट्रकूटों की ही एक शाखा थी। इनकी राजधानी धारा नगरी थी उपेन्द्र इस वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा माना जाता है।
- परमार-वंश का सर्वप्रथम स्वतन्त्र राजा सीयक द्वितीय था। मुंज (972-995) अपने वंश का बड़ा पराक्रमी राजा था। इस राजा के अनेक नाम मिलते है- वाक्पति, उत्पलराज।
- मुंज की सभा में पद्मगुप्त (नवसाहसांकचरित), दशरूपकार धनंजय, धनिक (दशरूपावलोक), हलायुध, अमितगति आदि विद्वान रहते थे। मुंज ने धारा में अपने नाम से एक तालाब का निर्माण कराया 'मुंज सागर'।
- भोज की सभा में धनपाल, उब्बट, इत्यादि विद्वान् रहते थे। राजा भोज ने भोजपुर नगर तथा भोजसर तालाब का निर्माण कराया था।

## पल्लव वंश

- पल्लव वंश क्षत्रिय वंश था। तमिल भाषा में 'पल्लव' का अर्थ होता है- 'लुटेरा'। इस वंश की राजधानी कांची थी। प्रारम्भिक पल्लव राजाओं में 'शिवस्कन्दवर्मन्' था। इसका काल लगभग 275 ई. माना जाता है।
- सिंहविष्णु (575-600) के शासन काल में भारवि (किरातार्जुनीय) नामक कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाता था। इस राजा की उपाधि थी- अवनिसिंह'।
- पल्लव-चालुक्य संघर्ष महेन्द्रवर्मन (600-630) के काल में शुरु हुआ। चालुक्यवंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय ने महेन्द्र वर्मन को पराजित कर दिया। महेन्द्रवर्मन् ने मोहिन्द्र-तड़ाग तथा 'मताविलास प्रहसन नामक ग्रन्थ का निर्माण किया था।
- पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम (630-669) था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में मार डाला। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने 'बातापिकोंड' की उपाधि धारण की। नारसिंह वर्मन ने प्रमुख बन्दरगाह मामल्लपुरम् में अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया था।
- नरसिंह वर्मन द्वितीय में (695-722) काँची के कैलाशनाथ मन्दिर और मामल्लपुरम् में 'शोर' मन्दिर का निर्माण कराया था। दण्डी कवि भी इसी राजा की सभा में रहता था। इसकी उपाधि थी राजसिंह, आमभक्त शंकर भक्त।
- नन्दिवर्मन् द्वितीय (730-800) में काँची के प्रसिद्ध मन्दिर-वैकुण्ठ पेरुमल का निर्माण कराया था। इसी के समय में प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य तिरुमंगइ आलबार हुआ था। 897ई. में पल्लव राज्य चोलराज्य में मिल।

## चालुक्य-वंश

- पृथ्वीराज रासो में चालुक्य की उत्पत्ति यज्ञकुंड से बताई गयी है। अभिलेखों में इन्हें चन्द्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है।
- **इनकी तीन प्रमुख शाखाएँ थी-** (क) बादामी के पश्चिमी चालुक्य (550-750) राष्ट्रकूटों के उदय से अन्त, (ख) कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य (950-1100) राष्ट्रकूटों के पतन के बाद इनका उदय। (ग) वेंगों के पूर्वी चालुक्य (600-1200)।
- बादामी (वातापी) के चालुक्य वंश की स्थापना सर्वप्रथम पुलकेशिन प्रथम ने किया था। इसने बीजापुर जिले में अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर वहीं बादामी के किले का निर्माण किया।
- वातापी का संस्थापक कीर्तिवर्मन प्रथम को कहा जाता है।

## पुस्तकें

- हेरोडोटस के इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है।
- भारतीय इतिहास का जनक 'वेदव्यास' को कहा जाता है।
- कल्हण की 'राजतरंगिणी' पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थ है।
- **चचनामा-** यह ग्रन्थ अरबों के सिन्ध विजय का इतिहास है, और मौलिक रूप में अरबी में लिखा गया है। 'मुहम्मद अली बिन अबूबक्र कूफी' ने 'नासिरुद्दीन कुबाचा' के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया, और उसी शासक को समर्पित किया। इसका लेखक अज्ञात है।
- भक्खर के मीर मुहम्मद मासूम रचित 'तारीखे हिन्द' उपनाम 'तारीखे मासूमों' 1600 ई. में लिखी गई। इसमें सिन्ध का विस्तृत इतिहास, अरबों की विजय से अकबर के शासनकाल तक है। मुख्यतया 'चचनामा' पर आधारित है।
- अबी सईद रचित **''जैनुल अखबार''** ग्रन्थ में मूलतः ईरान का इतिहास है, किन्तु इससे महमूद गजनवी के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है।
- **''अबुलफजल मुहम्मद बिन हुसैन अल बहरी''** रचित

'तारीखे मसूदी' में महमूद गजनवी तथा मूसद का इतिहास वर्णित है। दरबारी जीवन तथा दरबारियों के कुचक्रों का अच्छा चित्रण है।

- अल्बरुनी रचित 'तारीखे अलहिन्द' अथवा "तहकीके हिन्द" अथवा 'किताबुल हिन्द' की भाषा अरबी है। अल्बरुनी का वास्तविक नाम अलबरेहान मुहम्मद था। अपने युग का महान विद्वान था। उसने भारत में रहकर संस्कृत, हिन्दू धर्म तथा दर्शन का अध्ययन किया। उसने अनेक अरबी ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया।
- **ताजुल-म-आसिर (सैनिक अभियानों का मुकुट)-** लेखक 'हसन निजामी'। यद्यपि इसमें असंगत विवरण हैं, लेकिन बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिस से सम्बन्धित ऐतिहासिक विवरण सर्वप्रथम इसी कृति में मिलता है।
- **तबकात-ए-नासिरी-** मिनहाज-उस-सिराज लेखक है। लेखक सुल्तान नासिरुद्दीन के शासन काल में मुख्य काजी और 'सदर-ए-जहान' था। इसकी कृति में इस्लाम मुसलमान समुदाय और सन् 1259 ई. में मंगोलों के आक्रमण का सामान्य इतिहास वर्णित है। यह सुल्तान के संरक्षण में रहता था।
- **अमीर खुसरो** (1253 से 1325)- जन्म बदायूँ के पास पटियाल में। आरम्भ में यह बलवन के सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद के सेवा में रहा।

### खुसरों की पुस्तकें-

(1) **किरान-उस-सादेन-** 1289 में लिखी गयी।
(2) **मिफ्त-उल-फुतूह-** 1291 में लिखी गयी।
(3) **खजाइन-उल-फतूह** या **तारीखे अलाई**।
(4) **आशिका-** इसका सम्बन्ध गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवलरानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खाँ की प्रेमकथा से है।
(5) **नुहसिपर-** इसमें हिन्दुस्तान तथा वहाँ के लोगों का अच्छा चित्रण मिलता है।
(6) **गलकनामा-** ऐतिहासिक मसनवी है।

- **फतुहाते-फिरोजशाही-** फिरोज तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह, सुल्तान फिरोज तुगलक की संज्ञा से इस ग्रन्थ की रचना की गयी थी।
- **जिया-उद्दीन बर्नी-** (1) तारीख-ए-फिरोजशाही- 1259 से 1359 तक के इतिहास का वर्णन है।
  (2) **फतवा-ए-जाहाँदारी-** इसमें राजनीतिक एवं धार्मिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है।
- **शम्स-ए-सिराज-ए-अफीक-** यह फिरोज तुगलक के संरक्षण में था। इसकी रचनायें हैं- **(1) तारीख-ए-फिरोजशाही। (2) फतुहाते फिरोजशाही।**
- **ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी-** 'फतुह-अए-सलातीन' यह पद्य में हैं। ये मुहम्मद तुगलक के विरोधी थे। अतः इस ग्रन्थ में मुहम्मद तुगलक की कटु आलोचना की गयी है। बहमनशाह के दरबार में इसकी रचना की गयी। बहमनशाह बहमनीराज का संस्थापक था और उसने मुहम्मद तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया था।
- **इब्नबतूता-** मोरक्को वासी 1333 ई. में मु. तुगलक के शासन काल में दिल्ली आया। 8 वर्ष तक दिल्ली का काजी रहा था। 1342 ई. में चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। भारत में सती प्रथा का यथार्थ-वर्णन इसी ने किया है। इसकी पुस्तक 'रेहला' है।
- **याहिया बिन अहमद सरहिन्दी-** इसकी पुस्तक 'तारीखे मुबारक शाही' (1388 से 1434 तक का वर्णन है) सैय्यद शासक मुबारक शाह को समर्पित है।
- **जौहर आफताबची-** 'तज किरात उल वकायत, या तारीखे हूमायूँ। आफ ताबची हुमायूँ का सेवक था।

# मध्यकालीन भारत

## सन् 800-1200 तक

### मेहमूद गजनवी

- 932 ई. में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनवी साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गजनवी थी।
- महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया।
- महमूद गजनवी 1001 ई. में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था।
- इसमें जयपाल की पराजय हुई थी।
- महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ई. में सोमनाथ मंदिर पर हुआ।
- अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फरूखी मेहमूद गजनवी के दरबार में रहते थे।
- महमूद गजनवी भारत का प्रथम शासक था, जिसने 'सुल्तान' की उपाधि धारण की थी।
- विजारत (वजारत) के सिद्धान्त की स्थापना पूर्णतया गजनवी राजवंश की स्थापना से हुई।

### मुहम्मद ग़ौरी

- तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ई. में मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध किया था। जिसमें मुहम्मद गौरी की पराजय हुई थी।

- तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ई. में मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध किया था। जिसमें मुहम्मद गौरी की विजय हुई थी।
- चन्दावर का युद्ध 1194 ई. में मुहम्मद गौरी ने जयचंद के विरुद्ध किया था। जिसमें मुहम्मद गौरी की पराजय हुई थी।

## सल्तनत काल

- लाख-बख्श 'कुतुबुद्दीन ऐबक' को कहा जाता था।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दासवंश की स्थापना की। लाहौर तथा दिल्ली उसकी राजधानियाँ थी।
- ऐबक अनौपचारिक रूप से 24 जून 1206 ई. में गद्दी पर बैठा, परन्तु उसकी सत्ता को औपचारिक मान्यता तीन वर्ष बाद गोरी के वैध उत्तराधिकारी महमूद से प्राप्त हुआ। इन वर्षों में यह 'मलिक' ब 'सिपहसालार' की पदवी पर ही रहा।
- कानूनी दृष्टि से बंगाल के गयासुद्दीन और इल्तुतमिश दोनों समान थे, और खलीफा के नायब थे।
- मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खाँ का 1221 ई. में इल्तुतमिश के काल में आक्रमण हुआ।
- **मामुलक**- स्वतन्त्र माता-पिता से उत्पन्न पुत्र जो दास बन गया हो
- अमीर खुसरो ने प्रशंसा करते हुए अपनी मसनवी किरान-उस-सादेन में दिल्ली को 'हजरत-ए-दिल्ली' का नाम दिया।
- **कुतुबमीनार-** ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नामक सूफी सन्त की स्मृति में बनवाया गया था।
- सुल्तान नसिरुद्दीन महमूद-फकीर के समान जीवन व्यतीत करता था
- अढ़ाई दिन का झोपड़ा (मस्जिद) अजमेर में स्थित है।
- सबसे पहले सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था इल्तुतमिश ने स्थापित की
- फिरोज तुगलक ने अपने खुत्बों में दिल्ली के सुल्तानों की सूची में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं सम्मिलित किया है। ऐबक का कोई सिक्का नहीं मिला है।
- **अक्ता-प्रणाली-** मुहम्मद गोरी ने सबसे पहले अक्ता प्रणाली की शुरुआत की, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे संस्थात्मक रूप प्रदान किया। आगे चलकर यह प्रशासन का प्रमुख अंग हो गयी।
- इल्तुतमिश के सिक्के नागरी और अरबी लिपि में लिखे होते थे। सिक्कों पर हिन्दुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे- शिव का नन्दी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे।
- रजिया की हत्या कैथल (पंजाब) में हुई थी।
- बलवन पहला शासक था जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया।

### कर -

- **विस्वा-** भूमि नापने की ईकाई, इसे अलाउद्दीन खिल्जी ने शुरू की।
- **कुतुबुद्दीन ऐबक ने खम्स और खिराज के बीच** अन्तर को लागू किया।
- **उश्र-** मुसलमान भूमिधरों की उस भूमि पर लगाया जाता था, जिसकी सिंचाई प्राकृतिक साधनों से होती थी। यह उपज का 1/10 होता था।
- **खराज-** गैर मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाता था। इसकी दर 1/10 से 1/2 तक थी।
- **खम्स-** युद्ध में लूट के धन के 1/5 को कहते थे। 4/5 भाग सैनिकों का होता था। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक ने इसको उलट दिया था।
- **जकात-** धार्मिक कर जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था। यह कर कुछ निश्चित मूल्य से अधिक की सम्पत्ति पर ही लिया जाता था। सम्पत्ति का यह भाग जो इससे मुक्त था। 'निशाब' कहलाता था। इसकी दर 1/40 थी। यह कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाता था।
- **जजिया-** यह गैर मुसलमानों धार्मिक कर था।
- **टंका-** (चाँदी का सिक्का 175 ग्रेन का) तथा **जीतल** (ताँबे का सिक्का) दोनों सिक्कों को इल्तुतमिस ने चलवाया। ये शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के थे।

### बलबन के कथन-

- "राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है, और समस्त मनुष्य जाति में उसके समान कोई नहीं है।"
- "एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित रहता है।"
- "राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य शब्द या क्रियाकलाप को मान्यता दें और प्रशंसा करें।"
- "जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ, तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है।"

### अलाउद्दीन के कथन

- "मैं ऐसे आदेश देता हूँ जिन्हें मैं राज्य के लिए कल्याणकारी और लाभप्रद समझता हूँ। लोग असावधान

और अशिष्ट होते है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें आज्ञाकारी बनाने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ।''
- मैं नहीं जानता कि यह वैध है या अवैध, जो मैं राज्य के लिए हितकारी अथवा आपदाकाल के लिए हितकारी समझता हूँ, वह मैं आज्ञा दे देता हूँ।'' (बयानाकेकाजी से अलाउद्दीन खिल्जी का कथन)
- ''राजा का कोई सगा सम्बन्धी नहीं होता।''
- ''यद्यपि मैंने इल्म (विद्या) तथा किताब (कुरान) नहीं पढ़ी हैं, तथापि मैं मुसलमान वंश का एक मुसलमान हूँ।''

## जलालुद्दीन खिलज़ी के कथन

- ''क्षणभंगुर राज्य के लिए मैं एक भी मुसलमान का वध नहीं करना चाहता हूँ। (जलालुद्दीन खिलजी)
- ''मैं मुसलमान के सिर के प्रत्येक बाल को रणथम्भौर जैसे सैंकड़ों किलों से भी मूल्यवान मानता हूँ'' (जलालुद्दीन खिलजी)

## विजय नगर साम्राज्य

- विजयनगर की राजधानी के अवशेष **'हम्पी'** (कर्नाटक) से मिले हैं।
- विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय था, इसे 'आन्ध्रभोज' कहा जाता है।
- 'माधव विद्यारण्य' इन्होंने हरिहर एवं बुक्का को हिन्दू धर्म में पुनः दीक्षित किया था। ये काम्पिल्य के निवासी थे। मुहम्मद तुगलक के समय इन्हें बन्दी बनाकर दिल्ली ले जाया गया था।
- विजयनगर का पहला शासक हरिहर प्रथम था।
- विजयनगर के शासक वैष्णव धर्म के संरक्षक थे।
- वेदों के टीकाकार सायण का आविर्भाव काल यही था।
- विजय नगर के शासक शैव देवता विरुपाक्ष के नाम पर शासन करते थे।
- कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच रायचूर दोआव क्षेत्र पर अधिकार को लेकर विजय नगर और बहमनी के बीच विवाद होता था।
- देवराय द्वितीय के समय सबसे पहले मुसलमानों को सेना में भर्ती किया गया था।
- 'यवनराज स्थापनाचार्य' की उपाधी कृष्णदेव राय ने धारण की थी।
- तेनाली रामकृष्ण- यह कृष्णदेवय राय के दरबार में रहते थे। 'पांडुरंग माहात्म्य' इनकी पुस्तक का नाम था।
- देवराय द्वितीय संगमवंश का महानतम शासक था।
- तेलगू कवि 'श्रीनाथ' देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था।
- **'हजारा मन्दिर'** और **विट्ठल स्वामि मन्दिर** को कृष्णदेव राय ने बनवाये थे।
- लेपाक्षी (आन्ध्र प्रदेश) यहाँ विजय नगर के मन्दिरों के अवशेष मिलते हैं।
- **'नागलपुर'** नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी
- बाबर से पूर्व भारत में तोपों का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के बीच हुए युद्ध में हुआ था। यह 1367 में बुक्का प्रथम और बहमनी सुल्तान मुजाहिद के बीच हुआ था।
- ''अब मैं तुमसे बदला चुका लिया खुद अब मेरे साथ चाहे जो कुछ करे'' निजाम शाह का कथन है जब उसने रामराय को हराया।
- विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार महानवमी था।

## धार्मिक आन्दोलन

- भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख 'श्वेताश्वेत्तर उपनिषद' में मिलता है।
- हिन्दू धर्म इस्लाम के सम्पर्क में मात्र व्यक्तिगत साधना का केन्द्र न रहकर सामूहिक साधना का रूप धारण करने लगा था। इस प्रयास में वैष्णव धर्म ने भागवत् सम्प्रदाय के रूप में भक्ति आन्दोलन का सूत्रपात किया। उसी के अनुसरण पर अन्य धर्मों ने भी अपने में संशोधन एवं परिवर्धन किये। शैव एवं शाक्त धर्म वैष्णव से प्राचीन थे।
- वैष्णव धर्म पर पांचरात्र मत का भी प्रभाव पड़ा। हिन्दू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकाराचार्य (788-820) ने स्मृति सम्प्रदाय की स्थापना की, जिससे पंचवेदोपासना का निधान है।
- इस्लाम धर्म में शरा एवं बेशरा दो कोटियाँ हैं। शरा सनातनी है और बेशरा मस्तमौला भारतीय सूफी मुख्यतः सम्प्रदाय के है।
- भक्ति आन्दोलन की विचारधारा के अग्रप्रवर्तक वैष्णव आचार्य रामानुज थे (12वीं सदी)। वल्लभाचार्य कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। भक्ति-आन्दोलन के सबसे महान सन्त चैतन्य थे।

**6 विभिन्न वेदान्त सम्प्रदाय प्रकट हुए-**

(1) शंकराचार्य का अद्वैत सम्प्रदाय।
(2) माधवाचार्य या आनन्दतीर्थ का द्वैत सम्प्रदाय।
(3) रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत सम्प्रदाय।
(4) निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत सम्प्रदाय।
(5) विष्णु स्वामी का शुद्धद्वैत सम्प्रदाय

(6) चैतन्य का अचिन्त्य भेदाभेद सम्प्रदाय

- रामनन्द (लगभग 300 ई.) भक्ति आन्दोलन को दक्षिण से उत्तर लाये। ये राघवानन्द के शिष्य थे। संभवतः वे पहले वैष्णव उपदेशक थे, जिन्होंने हिन्दी में उपदेश दिया। **शिष्य- धन्ना (जाट), सेनदास (नाई), रैदास (चर्मकार), कबीर (जुलाहा), पीपा (राजपूत)**

**इनके अनुयायी दो समूहों में विभक्त हुए-**

(1) रूढ़िवादी - तुलसीदास (2) सुधारवादी-कबीर

- **कबीर-** (1398 से 1518) जन्म वारणसी में, प्रमुख अनुयायी धरणीदास थे। इन्होंने ही कबीरपन्थ की "धर्मदासी सम्प्रदाय" की स्थापना की (म.प्र. के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में)
- **रैदास-** कबीर के समकालीन थे। चित्तौड़ की रानी **'झाली'** इनकी शिष्य हो गयी थी। इनके अनुयायियों ने रैदास पन्थ की स्थापना की थी। कबीर से भिन्न इन्होंने किसी की आलोचना नहीं की। मीराबाई भी रैदास की शिष्या थी।
- **दादू दयाल-** (1544-1603) ये अहमदाबाद के धुनिया जाति के थे। इन्होंने "निपख आन्दोलन" चलाया। ब्रज और अवधी में दोहे लिखे। कबीर के समान जाति-पाति का विरोध किया।
- **रज्जब-** (1567-1683) ये संस्थान के सांगनेर के थे।
- **तुलसीदास-** (1532-1633) वैष्णव और शैव का समन्वय किया था। ये समन्वयवादी थे।
- **सूरदास-** (1498-1583) ये ब्रज के क्षेत्र के थे।
- **मीराबाई**- (1486-1546) राठौर वंश की राजकुमारी तथा सिसोदिया वंश की महारानी।
- **चैतन्य-** (1486-1533) नदिया बंगाल। भक्ति आन्दोलन के सबसे महान सन्त। कीर्तन परम्परा के जन्मदाता कीर्तन द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित की।
- **शंरदेव-** (1449-1569) असम में भक्ति आन्दोलन का प्रचार किया।

## मुगल साम्राज्य 1526-1857

- **बाबरनामा-** बाबर की आत्मकथा।
- बाबररनामा का दूसरा नाम तुजुक-ए-बाबरी'। इसकी भाषा तुर्की।
- **हुमायूँनामा-** रचनाकार- गुलबदन बेगम है। इसकी भाषा-फारसी थी।
- 'तारीख-ए-शेर–शाही' लेखक : अब्बास खान सरवानी- भाषा-फारसी। शेरशाह तथा अफगानों का वर्णन है।
- **अकबरनामा-** लेखक अबुल फजल है। इनकी भाषा-फारसी।
- **आइने अकबरी-** विषय वस्तु की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित हैं। यह अकबर नामा का तीसरा भाग है।
  (1) साम्राज्यिक संस्थान। (2) सैनिक व्यवस्था
  (3) सरकारी अधिकारी एवं राजस्व व्यवस्था।
  (4) हिन्दुओं की विभिन्न धारणायें।
  (5) अकबर की सूक्तियाँ तथा स्वयं का परिचय।
- अकबर नामा में अकबर की जीवनी मिलती है, आइने अकबरी में अकबर कालीन इतिहास मिलता है।
- **जहाँगीरनामा अथवा तुजुक-ए-जहाँगीरी अथवा 'तारीख-ए-सलामी'–** लेखक जहाँगीर है। यह आत्मकथा है। इसकी भाषा-फारसी।
- **पादशाहनामा अथवा बादशाहनामा-** यह तीन विद्वानों द्वारा लिखा गया।
  (A) मुहम्मद अमीन कजवीनी। (B) जलालुद्दीन तबातबाई। (C) अब्दुल हमीद लाहौरी।
  इसकी भाषा- फारसी। इसमें शाहजहाँ के शासन काल का इतिहास लिखा गया है।
- **मुन्तखब-उल-लुबाब-** लेखक 'खाफी खाँ' (मुहम्मद हासिम आलीखाँ) इनकी भाषा-फारसी। यह ग्रन्थ औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहाँदार शाह, फर्रूखियर और मुहम्मद शाह के शासन काल का वर्णन मिलता है।
- **मेगास्थनीज-** ग्रन्थ- इण्डिका।

### बाबर

- मुगलवंश का संस्थापक बार था।
- 1526 ई. में पानी पत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था।
- 1527 ई. में खानवा का युद्ध (राणा सांगा), 1528 ई. में, चंन्देरी का युद्ध (मेधनी राय) तथा 1529 ई. में घाघरा का युद्ध (1529 में जल एवं थल दोनों में लड़ा गया। यह मध्ययुग का पहला ऐसा युद्ध था। जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था।
- बाबर 'मुबइयान' नामक पद्य शैली का जन्मदाता था।
- चारबाग प्रणाली की शुरुआत- बाबर ने की थी।

### हुमायूँ

- **'दीनपनाह'** नगर का निर्माण हुमायूँ ने 1533 में दिल्ली में करवाया था।
- **चौसा का युद्ध-** (25 जून 1539 ई.) हुमायूँ तथा शेरखाँ के बीच हुआ था। शेरखाँ ने विजयी होकर शेरशाह की उपाधि धारण की थी।

## शेरशाह

- **बिलग्राम / कन्नौज का युद्ध** (16 मई 1540) शेरशाह से हुमायूँ पराजित।
- दक्षिण बिहार के शासक बहारखाँ ने फरीद को 'शेरखाँ' की उपाधि प्रदान की।
- झेलम और सिन्धु नदी के बीच खोखर प्रदेश था। खोखरों को हराकर शेरशाह ने वहाँ रोहतास नामक एक दुर्ग का निर्माण कराया था।.
- कालिंजर की विजय (1545 ई.) कालिंजर का शासक कीर्तिसिंह था। यह शेरशाह का अन्तिम अभियान था।
- शेरशाह के शासनकाल में वर्तमान (NHII) (राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 2) ग्रांड ट्रक रोड को 'सड़क-ए-आजम' के नाम से पुकारा जाता था।
- अलाउद्दीन के बाद इस्लाम शाह ने सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की थी।
- "न्याय के अभाव में कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकता, तथा दण्ड के बिना न्याय भी संभव नहीं है।"- शेरशाह
- "मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को लगभग खो ही दिया था"- शेरशाह का कथन, (मारवाड़ के किले के सम्बन्ध में)।
- शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि की माप करायी थी।

## अकबर

- अकबर का जन्म 13नव. 1542ई. में अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। इनकी माता-हमीदा बैगम (शिया)।
- उस समय अकबर की अवस्था मात्र 13 वर्ष थी।
- मुहम्मद आदिलशाह सूरी के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके **'विक्रमादित्य'** की उपाधि धारण की।
- **पर्दाशासन या 'पेटीकोट' शासन-** अकबर ने 1560 में बैरमखाँ को संरक्षक पद से हटा दिया। 1560-62 तक अकबर धाय माँ माहमंगा के प्रभाव से रहा। इस काल को "हरम का शासन" या 'पेटीकोट शासन' कहते हैं।
- 1575 ई. में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने वाद-विवाद के लिए एक इबादत खाना का निर्माण कराया था। **अतः अकबर ने अन्य धर्मानुयायियों को भी इबादत खाना में भाग लेने की अनुमति दे दी-**
- **हिन्दू धर्म-** पुरुषोत्तम और देवी प्रमुख थे।
- **निसार-** नये वर्ष, नौरोज तथा राज्याभिषेक के अवसर पर जहाँगीर ने नये सिक्के चलाने की प्रथा शुरु की। इन सिक्कों का 'निसार' कहते थे।
- अकबर के खुत्बे को **फैजी** ने लिखा था।

### अकबर के नौ रत्न

1. **मुल्ला दो प्याजा-** बुद्धिमत्ता तथा वाकपटुता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और प्याज के अत्यधिक प्रेमी थे। उनको इसीलिये 'मुल्ला दो प्याजा' की उपाधि दी गई।
2. **हमीम हुमाम-** सम्राट की पाठशाला के प्रधान पदाधिकारी जो अकबर के व्यक्तिगत मित्र भी थे।
3. **अब्दुल रहीम खानखाना-** अकबर के संरक्षक बैरम खाँ के पुत्र थे जो फारसी, तुर्की तथा हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान थे। इन्होंने बाबर की आत्म कथा 'तुजुके बाबरी' का तुर्की भाषा में फारसी भाषा में अनुवाद किया। इनके कार्यं से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें 'खानखाना' की उपाधि प्रदान की थी,
4. **अबुल फजल-** 'आइन-ए-अकबरी' तथा 'अकबर नामा' उनके अमूल्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। वे एक कुशल सेनानायक भी थे।
5. **तानसेन-** बचपन से ही इन्हें गायन व संगीत से विशेष लगाव था। इन्हें दरबार का राजकवि बनाया गया।
6. **राजा मानसिंह-** सन् 1561 ई. सम्राट अकबर की सेना में इन्हें सेनापति का पद प्राप्त हुआ।
7. **राजा टोडरमल-** इसने शेरशाह के शासनकाल में उसकी भूमि व्यवस्था के सुधारों में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। अकबर के शासनकाल में भूमि-व्यवस्था के कारण इन्हें बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई।
8. **फैजी-** अबुल फजल के भाई उच्च कोटि के 'राज कवि' तथा साहित्यकार थे। इन्होंने गणित के 'लीलावती' नामक ग्रन्थ का फारसी में अनुवाद किया।
9. **बीरबल-** उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण उनकी वाकपटुता थी।

- 1582 में अकबर ने 'दीन-ए-इलाही' धर्म को चलाया। इसका अर्थ ईश्वरीय धर्म है। यह धर्म रहस्यवाद, अध्यात्मविद्या तथा प्रकृति पूजा का सम्मिश्रण था।
- "मैं इस्लाम को जानता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ, मैं हिन्दुत्व के बारे में जानता हूँ और उसके लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन मैं इस नये धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता इसलिए मैं इसे अपना नहीं सकता"- मानसिंह का कथन।
- अकबर के समय में दक्षिण के चार प्रधान राज्य थे- अहमद नगर, गोलकुंडा, बीजापुर, खानदेश।
- अकबर प्रथम सम्राट था जिसे काबुल पर विजय मिली (1581 ई.)
- **काकशाल विद्रोह-** 1580 में बंगाल और बिहार में हुआ था, टोडरमल और अजीजकोका के संयुक्त प्रयासों से इसे दबा दिया गया।

KOTHARI INSTITUTE

- लाहौर की बादशाही मस्जिद की रूपरेखा, दिल्ली की जामा मस्जिद से मिलती जुलती है।

## कृषि-भूमि प्रबन्ध

अकबर ने जो कृषि-भूमि पद्धति लागू की उसे 'टोडरमल बन्दोबस्त' या 'दहसाला प्रबन्ध' पुकारा गया। टोडरमल पद्धति के अन्तर्गत समस्त कृषि योग्य भूमि की सही पैमाइश की गई। पैमाइश के लिए रस्से के स्थान पर लोहे की जंजीरों में बंधे बांसों का प्रयोग किया गया।

**पैदावार की दृष्टि से कृषि योग्य सम्पूर्ण भूमि का वर्गीकरण चार वर्गों में किया गया-**

- **पोलज,** वह भूमि होती थी, जिसमें निरन्तर खेती हो सकती थीं, वर्ष में दो फसलें बोयी और काटी जाती थी।
- **पटौती,** वह भूमि होती थी, जो दो या तीन वर्ष लगातार खेती करने के बाद एक वर्ष के लिए उपजाऊ होने के लिए परती छोड़ दी जाती थी।
- **चाचर,** वह भूमि होती थी जो कृषि योग्य होने के लिए तीन या चार वर्ष के लिए परती छोड़ दी जाती थी।
- **बंजर,** सबसे निम्नकोटि की भूमि थी। इस भूमि को 5 या इससे अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ देना पड़ता था।

## मराठों का उत्कर्ष और शिवाजी

- मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे।
- शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर की पहाड़ी (शिवनेर दुर्ग) में हुआ था।
- शिवाजी की प्रथम विजय **तोरण का किला** (1646 में) थी।
- शिवाजी की अन्तिम विजय कर्नाटक की विजय 1778 ई. में हुई।
- शिवाजी के संरक्षक गुरु कोणदेव थे।
- गुरु रामदास ने 'दासबोध' नामक ग्रन्थ की रचना की।
- शिवाजी की माता जीजाबाई थी।
- 1659 में बीजापुर में अफजल खाँ की शिवाजी द्वारा हत्या।
- शिवाजी ने सूरत को दो बार लूटा- 1664, 1670 में।
- **पुरन्दर की सन्धि** 11 जून 1665 में औरंगजेब के सेनापति राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई।
- जयसिंह एक महान खगोलशास्त्री था। उसने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन तथा बनारस में बेधशालाएं स्थापित करवायी। इसने 1699 से 1743 तक 44 वर्षों तक शासन किया।
- विधवाओं के पुनर्विवाह पर पेशवाओं द्वारा लगाया गया कर 'पतदाम' कहलाता था।
- छापामार पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने शुरु किया था, तथा उसके बाद मीर जुमला ने दक्षिण में इसका प्रयोग किया। इसका सर्वाधिक प्रयोग बीजापुर तथा गोलकुंडा के युद्ध में हुआ।
- 24 सितम्बर 1674 को निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा तांत्रिक विधि से पूरक अभिषेक करवाया गया।
- शिवाजी की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी।
- शिवाजी ने कोलंबो में अपना प्रधान जल बेड़ा बनाया था।
- औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में पंचहजारी का पद दिया था।
- बाजीराव I का सम्बन्ध मस्तानी बेगम से था, मस्तानी को राजा छत्रसाल ने बाजीराव I को भेंट स्वरूप दी थी।
- बालाजी बाजीराव (1740 से 1761) जो तृतीय पेशवा था, को 'नाना साहब' भी कहा जाता था।
- **खरदा का युद्ध** (1793) निजाम और मराठों के बीच में हुआ था। इसी युद्ध में सर्वप्रथम महिला सिपाहियों ने निजाम की तरफ से युद्ध किया था।
- अन्तिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था।
- **मराठा राज्य-** मराठा राज्य का उदय सत्रहवीं शताब्दी के मध्य उस समय हुआ जब औरंगजेब के अत्याचारों से तंग आकर हिन्दू जनता उससे भयभीत थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी ने अपनी राजनैतिक चतुराई और छापामार युद्ध पद्धति से अनेक प्रदेश जीते। किन्तु शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य कमजोर हो गया।

**शिवाजी (1674-80 ई.)-** उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले व माता का नाम जीजाबाई था। दादा कोणदेव ने शिवाजी को अस्त्र-शस्त्र तथा घुड़सवार की शिक्षा दी। शिवाजी ने एक स्वतन्त्र हिन्दू राज्य की स्थापना करने का जीवन में लक्ष्य बनाया। सर्वप्रथम शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी दुर्ग पर कब्जा किया। शीघ्र ही उन्होंने रायगढ़, सिंहगढ़, पुरन्दर और कल्याण पर अपना अधिकार कर लिया। बीजापुर के सेनापति अफजल खाँ ने सन्धि के बहाने शिवाजी की हत्या का षड्यन्त्र रचा किन्तु शिवाजी ने होशियार रहकर उसी की हत्या (बघनख से) कर डाली। आय का मुख्य साधन चौथ (आय का 1/4) सरदेशमुखी (1/10) कर होता था। वे कट्टर हिन्दू थे किन्तु अन्य धर्मों के प्रति उदार थे।

**शम्भाजी (1680-1689)-** शिवाजी की मृत्यु के पश्चात् उनका पुत्र शम्भाजी मराठा राज्य को गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने अचानक आक्रमण करके शम्भाजी तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और फिर उनका वध करवा दिया।

**राजाराम (1689-1700 ई.)-** शम्भाजी की निर्मम हत्या के बाद उसके छोटे भाई राजाराम को राज्य सिंहासन पर बैठाया और उसके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठों ने अपना संघर्ष जारी रखा। किन्तु दुर्भाग्यवश अधिक दिनों तक जीवित न रह सका और 1700 ई. में राजाराम की मृत्यु हो गई।

**ताराबाई (1700-1707)-** राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया। उसने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को सिंहासन पर बैठा कर संरक्षिका के रूप में शासन करने लगी। अधिकांश दुर्गों पर उसने पुनः अधिकार स्थापित कर लिया।

**शाहूजी (1708-48)-** 1708 में शम्भाजी के पुत्र शाहुजी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुरशाह ने मुक्त कर गद्दी पर बैठाया किन्तु शाहू की विलासिता के कारण वास्तविक सत्ता पेशवाओं के हाथ में चली गयी।

**पेशवा (1713-1818)** पेशवा भी मराठा ही थे जिन्होंने 1713 से 1818 तक राज्य किया।

**बालाजी विश्वनाथ (1713-20 ई.)-** सन् 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। पेशवा ने 1717 ई. में सैयद भाइयों से सन्धि कर ली और मराठा-संघ की स्थापना की।

**बाजीराव प्रथम (1720-40 ई.)-** बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा हुआ। उसने राजपूतों से गठबन्धन कर लिया। मालवा तथा गुजरात को अपने अधिकार में कर लिया। उसने मुगलों और हैदराबाद के निजाम को पालखेड़ा के युद्ध में परास्त किया और 50 लाख रुपया युद्ध का हर्जाना प्राप्त किया। बाजीराव ने पुर्तगालियों को पराजित कर के सालसट तथा बेसीन के द्वीपों पर अधिकार कर लिया।

**बालाजी बाजीराव (1740-61 ई.)-** बाजीराव प्रथम के पश्चात् बालाजी बाजीराव पेशवा हुआ। मराठों ने श्रीरंगपट्टम और कृष्णा नदी के दक्षिण में सभी प्रान्तों को जीत लिया। सम्पूर्ण बिजापुर का प्रान्त औरंगाबाद, बीदर का कुछ भाग तथा अन्य कई जिले प्राप्त कर लिये। इससे दक्षिण में मराठों की शक्ति काफी बढ़ गयी। उत्तरी भारत में पेशवा के भाई रगुनाथराव ने दिल्ली तक धावा मारा और अहमदशाह अब्दाली के प्रतिनिधि को मार भगाया। इसके पश्चात मराठा सेनाओं ने पंजाब पर अधिकार स्थापित कर लगभग सम्पूर्ण भारत को जीत लिया। 1761 में अहमदशाह अब्दाली ने पेशवा के विरुद्ध पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में युद्ध किया जिसमें पेशवा की पराजय हुई।

**माधवराव (1761-72)-** पानीपत की हार के बाद हैदराबाद का निजाम, मैसूर का हैदरअली और अंग्रेज, मराठों को दुर्बल समझकर अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे रहे। 1772 ई. में इसकी मृत्यु हो गई। माधवराव के बाद उसके भाई नारायणराव को पेशवा बनाया गया किन्तु 1773 में उसकी हत्या कर दी गई। माधवराव क्योंकि निःसन्तान था अतः पेशवा पद के लिए झगड़ा हो गया। नाना फडनवीस ने रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव को पेशवा बनाया और स्वयं सर्वेसर्वा बना। उसने टीपू सुल्तान को और फिर हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। 1800 में नाना फडनवीस की मृत्यु हो गई जिससे मराठा संघ का अंत हो गया और छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये। बाजीराव ने भागकर अंग्रेजों की शरण ले ली। 1803 में अंग्रेजों से बेसीन की संधि की। अंग्रेजों के प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए उसे 1817 में अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में उसकी हार हुई और मराठा राज्य छीन लिया गया। पेशवा को वार्षिक पेंशन और जागीर दे दी। इस प्रकार मराठों का अन्त हो गया।

# आधुनिक भारत का इतिहास

## यूरोपीयों का आगमन

- 'ब्लूवाटर पालिसी' का संबंध अलमीडा से था।
- 1493 में पुर्तगाली कम्पनी को व्यापार के लिए अनुमति दी थी।
- मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थांतरित किया। बंगाल प्रान्त की पहले राजधानी ढाका थी।
- समुद्री तोता (कान्हों जी आंग्रे) को कहा जाता था।
- मीरकासिम ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया।
- मीरकासिम ने एक और कर 'खिजरीजमा' जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छिपाया जाता रहा, भी प्राप्त

किया।

- **बक्सर का युद्ध** (1764)। अंग्रेजी कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में तथा इसमें मीर कासिम, शाहआलम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तीनों की सम्मिलित सेना ने अंग्रेजों से युद्ध किया।
- अलीनगर की सन्धि- नवाब शुजाउद्दोला और अंग्रेजों के बीच हुई थी।
- मुर्शीद कुलीखाँ ने स्वतन्त्र बंगाल रियासत की स्थापना की थी।

**द्वैध शासन व्यवस्था के अन्तर्गत बंगाल के शासन को दो भागों में बाँट दिया गया–**

(1) प्रशासन का सारा काम नायब नाजिम देखता था।

(2) नायब दीवान भू-राजस्व और सिविल जस्टिस होता था।

- नायब नाजिम मनसद की तरफ से होता था तथा नायब दीवान अंग्रेजों की तरफ से होता था। बंगाल के लिए मुहम्मद रजा को तथा बिहार के लिए राजाशितब राय को दीवान के पद पर नियुक्त किया गया।
- पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आये 1510 में और सबसे बाद में गये (1961 में)।

**विदेशियों के भारत आने का क्रम निम्न हैं-**

1.पुर्तगाली 2. अंग्रेज 3. डच 4. डेनिश (जेन) 5. फ्रांसीसी 6. स्वीडिश

- पंचसाला बन्दोबस्त (1772 से 77 तक) की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था।
- 1773 में 'रेग्यूलेटिंग ऐक्ट' आया था। इसी ऐक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गयी। इसका न्यायाधीश **एलिजा एम्पे** था।
- भारत में जो प्रथम व्यक्ति जो पहला गवर्नर तथा गवर्नर जनरल दोनों हुआ वारेन हेस्टिंग्स था। क्योंकि 1773 के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से बंगाल के गवर्नर को ही भारत का गवर्नर बना दिया गया।
- 'बोर्ड ऑफ रेवेन्यू' का गठन वारेन हेस्टिंग्स ने उस समय किया जब ईस्ट इंडिया कम्पनी दीवानी का कार्य कर रही थी, 1787 में इसे पुनर्गठित किया गया।
- 'बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल' का गठन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया। बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल का प्रथम अध्यक्ष हेनरी डण्डस था। 1859 में बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल का विलय 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स' परिषद में कर लिया गया। लार्ड एलेनबरा बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल का अन्तिम अध्यक्ष था।

## भारत में ब्रिटिश शक्ति का अभ्युदय

- 1498 में वास्कोडिगामा नामक व्यक्ति आया था। जिसने कालीकट और कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोल ली।
- आल्मीडा (1505-1509) पुर्तगाली वस्तियों का प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया। उसने सामुद्रिक शक्ति सुदृढ़ की और पुर्तगालियों की सुरक्षा के लिये कई दुर्ग बनाये।
- आल्मीडा के बाद अलबुकर्क (1509-15) पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बनकर भारत आया।
- उसने 1510 में बीजापुर राज्य से गोवा छीन लिया और उसने इसे पुर्तगाली भारत के साम्राज्य की राजधानी घोषित किया।
- 1661 में पुर्तगालियों ने बम्बई का टापू इंग्लैण्ड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी केथरीन से विवाह करने के समय दहेज के रूप में दे दिया।
- 1670 में प्रिंस चार्ल्स ने बम्बई कम्पनी को दे दिया।
- 1602 में 'डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की स्थापना की इसे 21 वर्षों के लिए पूर्व से व्यापार करने युद्ध छेड़ने, सन्धि करने, दुर्ग बनाने का अधिकार मिला।
- 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बोयना पर अधिकार कर लिया। और धीरे-धीरे पुर्तगालियों को मलय जल डमरुमध्य, तथा इण्डोनेशिया द्वीपों से मार भगाया।
- डच भारत से नील, कच्चा रेशम, सूती कपड़े, शोरा और अफीम निर्यात करते थे।
- मर्चेन्ट एडवेंचर्स नामक सौदागरों के समूह ने 1599 में पूरब के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने कम्पनी की स्थापना की।
- 31 दिसम्बर 1600 को रानी एलिजावेथ ने इस कम्पनी को शाही सनद तथा पूरब के साथ व्यापार करने का अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किया।
- कम्पनी ने 1608 में तय किया कि भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक कोठी खोली जाय।
- कम्पनी ने सबसे पहली कोठी 1613 में सूरत में स्थापित की।
- अंग्रेजों ने 1623 तक भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपत्तम में कोठियाँ स्थापित कर ली थी।
- 1640 में मद्रास नगर की स्थापना की, और आत्मरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जिसका नाम 'सेन्ट फोर्ट जार्ज' रखा।

- 1651 में बंगाल में व्यापार विस्तार करने के ध्येय से हुगली में भी एक कोठी खोली गयी।
- औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् 1715 में कम्पनी ने मुगल दरबार में जान सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा।
- इस शिष्ट मंडल में विलियम हैमिल्टन नाम का एक शल्य चिकित्सक भी था। जो मुगल सम्राट फर्रुखशियर को एक भयंकर रोग से स्वास्थ्य लाभ कराने में सफल हुआ।
- 1664 में राज्य के संरक्षण में फ्रांसीसी व्यापारिक कम्पनी स्थापित हुई।
- इस कम्पनी ने सूरत 1668 तथा मछलीपत्तम- 1669 में अपनी व्यापारिक कम्पनियाँ स्थापित की।
- बंगाल में हुगली के तट पर चन्द्रनगर 1690-92 में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई।
- पांडिचेरी की नींव 1764 में मार्टिन क्रो ने डाली।
- 1721 में मॉरीशस, 1725 में मालावार समुद्र तट पर स्थित माहे, 1739 में कारोमण्डल तट पर कालीकट नामक स्थानों पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया।

## आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध

**खोड का युद्ध (1707)-** शाह व उसकी चाची ताराबाई के मध्य। शाहु विजयी।

**शंकर खेड़ा का युद्ध (1724)-** दक्कन में नवनियुक्त मुगल वाइसराय मुबारिज खान व निजामुल मुल्क के मध्य। मुबारिज खान मारा गया।

**भोपाल का युद्ध (1737)-** बाजीराव I एवं मुगलों के बीच। निजाम मुगलों की ओर से लड़ा। मुगल सेना पराजित।

**करनाल का युद्ध (24 फरवरी 1739)-** मुहम्मद शाह के नेतृत्व में, मुगल सेना एवं नादिरशाह के मध्य, परिणाम नादिरशाह के पक्ष में।

**घरिया का युद्ध (1740)-** बिहार के उपगवर्नर अलीवर्दी खान एवं बंगाल के नवाब सरफराज खान के बीच, अलीवर्दी खान विजयी।

**प्रथम कर्नाटक युद्ध (1746-48)-** ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सेना के मध्य, मद्रास पर फ्रांसीसियों द्वारा कब्जा किन्तु ''एक्सला शैपेल की संधि'' के तहत वापस। इसमें सेंट टोम का युद्ध अति महत्वपूर्ण जिसमें कर्नाटक के नवाब की बड़ी सेना को फ्रांस की आधुनिक शस्त्रास्त्रयुक्त छोटी सेना द्वारा पराजित।

**द्वितीय कर्नाटक युद्ध (1749-54)-** शुरुआती दौर में फ्रांसीसियों ने डूप्ले के नेतृत्व में आंशिक सफलता प्राप्त किया किन्तु अन्ततः अंग्रेजों की महत्वपूर्ण विजय एवं एक अस्थायी शांति सन्धि सम्पन्न।

**तृतीय कर्नाटक युद्ध (1758-63)-** फ्रांस द्वारा 1758 में सेंट डेविस का किला हस्तगत, किन्तु 1760 में वान्डीवाश की लड़ाई में शर्मनाक हार और अंग्रेजों की विजय। यद्यपि 1763 की पेरिस की सन्धि के द्वारा पाण्डिचेरी एवं कुछ अन्य क्षेत्र फ्रांस को वापस।

**प्लासी का युद्ध (23 जून, 1757)-** क्लाइव के नेतृत्व में कम्पनी सेना ने मीर जाफर को साथ लेकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, मीरजाफर नवाब बना, सिराजुद्दौला का अन्त हो गया।

**पानीपत की तीसरी लड़ाई (1 जनवरी 1761)-** विश्वासराव का नेतृत्व एवं सदाशिव राव भाऊ के सेनापतित्व में मराठों एवं अहमदशाह अब्दाली के मध्य, मराठा सेना की पराजय। इस युद्ध में रुहेल खण्ड के नजीबुद्दौला एवं अवध के नवाब शुजादउद्दौला ने अहमदशाह अब्दाली का पक्ष लिया।

**बक्सर का युद्ध (1764)-** मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया तथा मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की निजामत एवं दीवानी का अधिकार प्राप्त।

**सिन्दखेड़ का युद्ध (1775)-** निजाम एवं मराठों के मध्य, निजाम द्वारा प्रस्ताव तथा कुछ क्षेत्र मराठों को समर्पित।

**प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-69)-** इस युद्ध में हैदर अली मद्रास के काफी करीब पहुँच गया। अन्ततः 1769 में मद्रास सरकार द्वारा अपमान जनक संधि।

**द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध (1780-84)-** 1782 में युद्ध के समय हैदर अली का अन्त। अनन्तर टीपू सुल्तान द्वारा नेतृत्व ग्रहण दोनों पक्षों को आंशिक सफलता। अन्ततः मार्च 1784 में मंगलोर की संधि।

**तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1789-92)-** 1792 में टीपू की पराजय, युद्ध की समाप्ति। श्रीरंगपट्टम की संधि (1792) के द्वारा टीपू द्वारा मैसूर का आधा राज्य अंग्रेजों को सुपुर्द।

**चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799)-** श्रीरंगपट्टनम् में टीपू की युद्ध के दौरान मृत्यु, साथ ही सम्पूर्ण मैसूर पराजय पर अंग्रेजों का अधिकार एवं उनकी इच्छा पर पुराने वाडियार वंश की स्थापना।

**प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82)-** अंग्रेजों द्वारा रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए मराठों से संघर्ष, अंग्रेजी सेना की हार हुई और सिंधिया की मध्यस्थता से 1782 ई. में सालबाई की संधि।

**द्वितीय आंग्ल-मराठा सन्धि (1803-06)-** इस युद्ध में मराठों का प्रभाव कम हो गया।

**तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-19)-** सितकल्डी में भोंसले किर्की में बाजीराव एवं महीदपुर में होल्कर की पराजय, कोटेगाँव में पेशवा की दूसरी पराजय, तथा असीरगढ़ का किला ध्वंश।

**नेपाली युद्ध (1814-16)-** गोरखों एवं अंग्रेजों के मध्य, 1816 की सांगौली की संधि के साथ समाप्त।

**प्रथम आंग्ल-सिक्ख युद्ध (1845-46)-** फिरोजशाह, अलीवाल, मुदकी तथा सुबराव के सभी चार युद्धों में सिक्खों की पराजय, 1846 की लाहौर सन्धि द्वारा युद्ध का अन्त।

**द्वितीय आंग्ल-सिक्ख युद्ध (1848-49)-** जनवरी 1849 में गुजरात नामक स्थान पर युद्ध में सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा सिक्खों की पराजय, पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय।

**प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध (1824-26)-** अंग्रेजों की लगातार सफलता के अनन्तर वर्मा द्वारा विवश होकर यनडबू की सन्धि।

- द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध (1852)- अंग्रेजों की सफलता, तथा पीगू एवं निचले बर्मा पर कब्जा।
- तृतीय आंग्ल-बर्मा युद्ध (1885)- 13 नवम्बर 1885 को अंग्रेजी आक्रमण, बर्मा के शासक द्वारा उसी माह आत्मसमर्पण, अनन्तर बर्मा को पूर्णतया अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाना।
- प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध (1839-42)- इस युद्ध में अग्रेजों की विशेष क्षति।
- द्वितीय आंग्ल-अफगान (1876-80)- इस युद्ध में भी अंग्रेजों को विशेष लाभ नहीं।

## प्रमुख आन्दोलन

**सन्यासी विद्रोह-** 1770 में भीषण अकाल पड़ा। उससे तथा कम्पनी के पदाधिकारियों की कठोरता को लोगों ने विदेशी राज्य की देन समझा। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे, प्रतिबन्धों में सन्यासी लोग बड़े क्षुब्ध हुए तथा वारेन हेस्टिंग्स एक लम्बे अभियान के बाद ही इस विद्रोह को दबा पाया था। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चन्द्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनन्दमठ में किया है।

**चुआर तथा हो का विद्रोह-** अकाल तथा बढ़े हुए भूमि कर तथा अन्य आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने हथियार उठा लिए, दल भूमि, कैल्नापाल, ढोलका तथा वाराबूमि के राजाओं ने मिलकर 1768 ई. में विद्रोह कर दिया, तथा 'आत्मविनाश की नीति' अपनायी। यह प्रदेश 18वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों तक उपद्रव ग्रस्त रहा।

**कोल विद्रोह-** छोटा नागपुर के कोलों ने अपना (1820-1836) क्रोध उस समय प्रकट किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया 'मुण्डो' से छीन कर मुस्लिमों, कृषकों तथा सिक्खों को दी गयी। यह विद्रोह राँची, सिंहभूमि, हजारी बाग, पालामऊ तथा मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गया। एक दीर्घ कालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के बाद ही जहाँ शान्ति स्थापित हो सकी।

**संथाल विद्रोह-** राजमहल जिले के सन्थाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदार तथा साहूकारों की वसूली कि विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया तथा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में कम्पनी के शासन के अन्त करने की घोषणा कर कर दी तथा अपने आप को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। सरकार ने इन लोगों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शान्ति स्थापित की।

**अहोम विद्रोह-** 1828 में अहोम लोगों ने "गोमधर कुँवर" को अपना राजा घोषित कर दिया, तथा रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनायी।

**खासी विद्रोह-** कम्पनी ने पूर्व दिशा में जयन्तिया तथा पश्चिम में गारों पहाड़ियों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग की योजना भी बनायी तथा इसके लिए बहुत से अंग्रेजी, बंगाली तथा अन्य लोग वहाँ भेजे गये। ननकलों के राजा तीरत सिंह ने इसे हस्तक्षेप का विरोध किया, तथा गारों साम्पती, तथा सिंहपो लोगों की सहायता से विदेशी लोगों को निकालने का प्रयत्न किया। शीघ्र ही इसने अंग्रेज विरोधी लोकप्रिय आन्दोलन का रुप धारण कर लिया।

**फरैजी तथा पागल पंथियों का विद्रोह-** पागलपंथ एक अर्द्धधार्मिक सम्प्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। विद्रोहियों ने गारों की पहाड़ियों तक उपद्रव किया तथा यह क्षेत्र 1840-1850 तक उपद्रव ग्रस्त बना रहा। फरैजी लोग बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी शरीयत उल्ला द्वारा चलाये गये सम्प्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक परिवहन का प्रतिपादन करते थे। शरीयत उल्ला के पुत्र दादूमिया (1819-60) ने बंगाल से अंग्रजों के शरीयत उल्ला के पुत्र बनायी। यह सम्प्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने गुजारों पर अत्याचारों के विरोध में था। फरैजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलते रहे, तथा अन्त में इस सम्प्रदाय के अनेक अनुयायी बहावी उपदल में सम्मिलित हो गये।

## किसान आन्दोलन

**1859-60 का नील आन्दोलन-** अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया। उनमें सबसे जुझारु और सबसे बड़े पैमाने पर फैला था, बंगाल में नील आन्दोलन। शोषण के खिलाफ यह किसानों की सीधी लड़ाई थी। सारे झगड़े की जड़ यह थी कि नील उत्पादक बिना पैसा दिए ही रैयतों को नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। नील आन्दोलन की शुरुआत सितम्बर 1859 में नदिया जिले के गोविन्दपुर गाँव में हुई। 1860 के अन्त तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह समाप्त हो गयी।

**पाबना विद्रोह 1873-76-** जमींदारों और काश्तकारों ने लगान की दरें कानूनी सीमा से भी ज्यादा बढ़ा दी थी। काश्तकारों को जमीन पर कब्जे के जो अधिकार मिले थे उससे काश्तकारों को वंचित रखने की साजिशें भी जमींदार कर रहे थे।

- जमींदारों ने किसानों के दमन के जो तरीके अपना रखे थे, उनमें से कुछ के खिलाफ कानून बनाने का वचन भी सरकार ने दिया। 1885 में **बंगाल काश्तकारी कानून** एक तरह से खानापूर्ति मात्र थी।

**1875 का दक्कन उपद्रव-** महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और किसान महाजनी के शिकंजे में फंसे थे, ज्यादातर महाजन बाहर से आये गुजराती और मारवड़ी थे, ये तरह-तरह से किसानों का शोषण करते थे। इसकी शुरुआत 1874 में सिरुर तालुका के करडाह गाँव में हुई वहाँ गाँव वालों ने बाहरी महाजनों का बहिष्कार शुरु कर दिया।

- 1873-77 में न्यायमूर्ति रानाडे के नेतृत्व में 'पूना सार्वजनिक सभा' ने 'भू-राजस्व समझोता अधिनियम 1867' के खिलाफ पूना और 1875 के विरोध की शक्ति बनकर सामने आया।

## भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय

- भारत की पहली राजनीतिक संस्था 1838- लैण्ड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता थी।
  **उद्देश्य-** जमींदारों के हितों की रक्षा करना।
- 1843- बंगाल ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन।
  **उद्देश्य-** प्रशासनिक सुधारों के लिए।
- 1866- ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (दादा भाई नौरोजी)
  **उद्देश्य-** भारतीय समस्याओं पर विचार करने के लिए तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए।
- लिटन के प्रतिक्रियावादी कार्यों ने इसके उदय में सहायता की जैसे- दिल्ली दरबार, आर्म्स एक्ट आदि।
- 1876 इण्डियन एसोसिएशन- सुरेन्द्र नाथ बनर्जी।
  **उद्देश्य-** भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सिविल सर्विस आन्दोलन चलाया।

## भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

| | | |
|---|---|---|
| **स्थापना** | - | 28 दिसम्बर 1885 |
| **स्थान** | - | **बम्बई** (गोकुलदास तेजपाल भवन) |
| **संस्थापक** | - | एलन आक्टेवियम ह्यम। |
| **अध्यक्ष** | - | व्योमेश चन्द्र बनर्जी। |
| **कुलप्रतिनिधि**- | | 72 |

- इसमें 1886 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इण्डियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया।
- 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 'ब्रिटिश समिति' स्थापित हुई जिसका उद्देश्य ब्रिटेन में भारत के पक्ष में जनमत तैयार करना था।
- कांग्रेस की इसी ब्रिटिश समिति ने 1890 में 'इंडिया' नामक एक पत्रिका निकाली।
- 1893 में "गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी समारोह महाराष्ट्र में तिलक द्वारा शुरु किया गया।
- 1904 में "इण्डियन ऑफीसियल ऐक्ट' पास करके प्रेस की स्वतन्त्रता की सीमा निर्धारित कर दी गई।
- कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की घोषणा की तथा यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया।
- 1905 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इसमें सर्वप्रथम स्वराज की माँग की गयी। अध्यक्ष- दादाभाई नौरोजी।
- **गाँधी इरविन पैक्ट** को 'दिल्ली समझौते' के नाम से भी जाना जाता है।
- मुस्लिम लींग- आगा खाँ, ढाका के नवाब सलीमुल्ला खाँ अजीमुल्ला तथा नवाब मोहसिन उलमुल्क ने इसकी स्थापना की।
- **मार्ले मिन्टो सुधार-** नरमपंथियों को सन्तुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 में इण्डियन काउन्सिल के जरिये संवैधानिक रियायतो की घोषणा की। मार्ले भारत सचिव, मिन्टो वायसराय था।

(A) हिन्दू मुसलमानों के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी।

(B) नरमदल वालों ने मारले-मिन्टों सुधारों का स्वागत किया जबकि उग्रदल वालों ने इसका बहिष्कार किया।
(C) मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन तथा पृथक निर्वाचन का समर्थन किया।

- 'अलहिलाल' आजाद का पत्र था।
- 1859 में 'सोमप्रकाश' पत्र बंग्ला भाषा में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने निकाली थी।
- अमृत बाजार पत्रिका 1868 में मोतीलाल घोष-बग्ला में और 1878 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी।
- मराठा-अंग्रेजी भाषा में 1881 में प्रकाशित, केशरी का प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में केशरी के सम्पादक आगरकर तथा मराठा के सम्पादक 'केलकर' थे। बाद में दोनों समाचार पत्रों का स्वामित्व तथा सम्पादन तिलक के हाथों आ गया। ये बम्बई से निकालते थे।
- इन्दु प्रकाश के संस्थापक रानाडे। यह बंग्ला तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था।
- यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन, गाँधी जी के पत्र थे।
- 'इण्डिपेन्डेन्ट' मोतीलाल नेहरु का पत्र था।
- हिन्दुस्तान टाइम्स- के. पणिक्कर का था।
- हमदर्द-उर्दू में प्रकाशित होता था।
- कामरेड- अंग्रेजी (मु. अली जिन्ना)।
- गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में कानपुर में 'प्रताप पत्र' निकाला।
- 'गदर' को गदर पार्टी ने निकाला। सेनफ्रांसिसको 1913 में।
- होमरूल की स्थापना सबसे पहले तिलक ने की अप्रैल 1916 महाराष्ट्र। इसके बाद एनीबेसेन्ट ने इसकी स्थापना की।
- 1916 में तिलक के प्रयत्न ने नरमदल तथा गरमदल में मेल मिलाप हो गया। 1915 में गोखले की मृत्यु।
- 'इण्डियन लिबरल फेडरशन' 1918 में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया।
- 20 अगस्त 1917 को माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा यही आगे चलकर गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट 1919 बना। इसी से द्वैध शासन (प्रान्तो में) की शुरुआत हुई।
- 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग में जनरल डायर ने एक सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना के लिए तीन व्यक्ति जिम्मेदार थे- डायर, जनरल ओ डायर जेटलैण्ड।

## महात्मा गाँधी

- 1915 में दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्षों के बाद भारत लौटे थे।
- 1916 में 'अहमदाबाद' में साबरमती आश्रम की स्थापना की।
- गाँधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
- चम्पारन सत्याग्रह 1917 में। बिहार के किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करने तथा पैदावार को निश्चित दरों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था तथा गाँधी जी, मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी तथा महादेव देसाई के नेतृत्व में यह आन्दोलन सफल रहा।
- गाँधी जी 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों तथा मिल मालिकों के झगड़े के बीच हस्तक्षेप किया।
- **खेड़ा सत्याग्रह-** भूराजस्व से सम्बन्धित।
- फरवरी 1919 में गाँधी जी ने 'सत्याग्रह सभा' की स्थापना की।
- **खिलाफत आन्दोलन-** प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के पद में कटौती कर दिया।जिसके कारण मुहम्मद अली तथा मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में 1919 में खिलाफत आन्दोलन को प्रारम्भ किया गया। अंग्रेजों से माँग की गयी कि वे मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करें।
- 31 अगस्त 1919 को 'खिलाफत दिवस' मनाया गया।
- अली बन्धुओं (मु. अली मौलाना शौकत अली) मौलाना आजाद, हकीम अजमल खाँ, तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक 'खिलाफत कमेटी' बनी।
- 1 नवम्बर 1919 को प्रथम खिलाफत सभा बुलाई गई। एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूलों कॉलेजों तथा आदालतों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।
- 31 अगस्त 1920 को असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।
- असहयोग आन्दोलन का खर्च चलाने के लिए 'तिलक स्वराज फंड' की स्थापना हुई।
- कलकत्ता अधिवेशन (एक विशेष अधिवेशन था) में सर्वप्रथम असहयोग का प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद नागपुर के पूर्ण कालिक अधिवेशन में इसको पारित किया गया था।
- दिसम्बर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया।

KOTHARI INSTITUTE

- 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस के एक जुलूस ने थाने में आग लगा दी जिसमें एक थानेदार तथा 21 सिपाही जीवित जल गये। चौरी-चौरा की घटना से गाँधी जी को बड़ा दुःख हुआ। 12 फरवरी को वारदोली प्रस्ताव द्वारा असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया गया।

## स्वराज्य दल

- दिसम्बर 1922 में चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरु ने कांग्रेस से अलग होकर 'स्वराज दल' बनाया इस दल के अध्यक्ष चितरंजनदास तथा सचिव मोतीलाल नेहरु थे।
- 1923 के चुनाव में स्वराज्य दल को सैन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के 101 स्थानों में से 42 स्थानों पर विजयी मिली। मध्यप्रान्त में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला बंगाल में सबसे बड़े दल के रुप में उभरे, बम्बई तथा उ.प्र. में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली।

### अन्य

- 1917 में ''हिन्दू महासभा'' की स्थापना हुई।
- कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 1925 में हुआ।
- 1924 में 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' की स्थापना हुई। इस संस्था के लोगों ने 1925 में 'काकोरी षड्यन्त्र' किया।
- 1928 में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' हो गया।
- दिसम्बर 1928 में 'आल इण्डिया यूथ कांग्रेस' की स्थापना हुई।
- एम. एन. राय (मानवेन्द्रनाथ राय) कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे।
- दादा भाई नौरोजी द्वितीय कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल में शामिल होने वाले भारती थे।
- 1928 में 'पब्लिक सेफ्टी बिल' पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ई. को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में बम फेका।
- अप्रैल 1930 को सूर्यसेन (मास्टरदा) के नेतृत्व में क्रान्तिकारियों ने चटगाँव के सरकारी शस्त्रागार पर आक्रमण किया।
- 23 मार्च 1931 को भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर में फाँसी दे दी गयी।
- जतिन दास- 73 दिन की भूख हड़ताल करके लाहौर जेल में 13 दिसम्बर 1931 में मर गये।
- 23 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चन्द्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गये।
- जुलाई 1934 में भारतीय समाजवादी दल अवैध घोषित कर दिया गया।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वारदोली में किसान सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया। इसी सत्याग्रह पर महिलाओं ने इनको 'सरदार' की उपाधि दी थी।
- पूर्ण स्वराज्य- 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरु को अध्यक्ष बनाया गया, तथा एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। 31 दिसम्बर1929 की मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर स्वतन्त्रता के नवग्रहीत झण्डे को फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को 'प्रथम स्वतन्त्रता' दिवस के रूप में मनाया जाना निश्चित किया गया।
- सविनय अवज्ञा आन्दोलन- महात्मा गाँधी ने वायसराय को पत्र लिखकर 11 माँग प्रस्तुत की जिन्हें स्वीकार न किए जाने पर उन्होंने ''सविनय अवज्ञा आन्दोलन'' प्रारम्भ करने का निश्चय किया।
- वायसराय ने गाँधी जी की मांग पर कोई विचार नहीं किया जिसके कारण कांग्रेस कार्यकारिणी ने गाँधी जी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने की आज्ञा प्रदान की।
- 12 मार्च 1930 को गाँधी ने अपने समर्थको के साथ साबरमती आश्रम से डांडी की 200 मील की पदयात्रा प्रारम्भ कर दी।
- गाँधीजी 24 दिनों में डांडी पहुँचे और वहाँ उन्होंने स्वयं नमक तैयार किया और नमक कानून को तोड़ा। गाँधी जी, सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- 6 अप्रैल की सुबह नमक कानून तोड़ा गया।
- खान अब्दुल गफ्फार खान के संगठन ''लाल कर्ती'' ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्तों में सरकार का विरोध किया।
- ब्रिटेन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हेतु 12 दिसम्बर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने केवल द्वितीय 'गोलमेज' सम्मेलन में भाग लिया।

## गाँधी-इर्विन पैक्ट

- तेज बहादुर सप्रू, श्री जयकर तथा भोपाल के नवाब के प्रयास से गाँधी और सरकार में 1931 में समझौता हुआ, जिसे गाँधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं।

- इसी समझौते में निश्चय किया गया कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। सितम्बर 1931 में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गये। वहाँ मुस्लिम लींग तथा अन्य दलों के प्रतिनिधि भी पहुँचे। इस सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हो सका।
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजेमैकडोनाल्ड ने 1932 में साम्प्रदायिक निर्णय (कम्प्यूनल एवार्ड) की घोषणा की जिसके अनुसार अश्पृश्य जातियों को हिन्दुओं से अलग मानकर उन्हें पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया।
- गांधी ने इसका विरोध किया (यरवदा जेल, पूना में) आमरण अनशन शुरु कर दिया बाद में सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया और गाँधी जी ने अनशन तोड़ दिया।
- 1931 का करांची अधिवेशन मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के लिए स्मरणीय है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की।
- 1932 ई. में लन्दन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में परिणामस्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम पास हुआ।

## भारत सरकार अधिनियम 1935

1. भारत सररकार अधिनियम 1935 द्वार देश स्तर पर एक संघ और प्रान्तीय स्तर पर स्वायत्तता के आधार पर प्रान्तों के लिए नई सरकारी पद्धति स्थापित करने की व्यवस्था की गयी। प्रान्तों को स्वायत्तता दे दी गयी, तथा केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गयी।
2. 1935 के ऐक्ट के तहत 1937 में 11 प्रान्तों में चुनाव हुए, जिसमें सात प्रान्तों में कांग्रेस ने सरकार बनायी तथा दो प्रान्तों में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनायी। केवल पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार थी।

- 1. सितम्बर 1939 को द्वितीय विश्वयुद्ध शुरु हो गया, और अंग्रेज सरकार ने बिना भारतीयों की सलाह लिए ब्रिटेन की ओर से भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध में सभी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया।
- 1936 में 'भारतीय किसान सभा' की स्थापना हुई।
- 1940 में मुस्लिम लींग ने एक प्रस्ताव पारित करके 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में देश के विभाजन तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् एक मुस्लिम राज्य के निर्माण की योजना प्रस्तुत की।
- इसी अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया।

**PAKISTAN शब्द का मतलब है-**

- P- पंजाब A- अफगानिस्तान K- कश्मीर S- सिन्ध TAN- बलूचिस्तान।
- पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे।
- मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लींग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
- भारत छोड़ों आन्दोलन- 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने बम्बई में 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' स्वीकार किया। इसी समय गाँधीजी ने "करो या मरो" का नारा दिया। 'भारत छोड़ा' का नारा सरदार पटेल ने दिया था। 9 अगस्त 1942 को गाँधी जी सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार। इसी बीच सुभाष चन्द्र बोस ने आई. एन. ए. (आजाद हिन्द फौज) का गठन किया।
- 1943 में सुभाष चन्द्र बोस ने 'जयहिन्द' का नारा सिंगापुर में दिया।
- जापान के विश्वयुद्ध में हार जाने का कारण I. N. A. को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
- दिल्ली के लाल किले में आजाद हिन्द फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया तथा सभी लोगों (शाहनवाज, प्रेम सहगल और जी. एस. ढिल्लो) को रिहा कर दिया गया। इनकी वकालत करने पं. नेहरु, के. एन. काटजू, तेजबहादुर सप्रू गये। दोनों इलाहाबाद के थे।

## कैबिनेट मिशन योजना

■ 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेटफोर्ट क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, व पेथिक लारेंस थे।

**कैबिनेट मिशन ने विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया और निम्न सुझाव रखा -**

- भारत में संघ राज्य की स्थापना की जाय जिसमें देशी नरेशों के राज्य भी सम्मिलित थे।
- भारत के लिए संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तथा निर्वाचन की तरीका भी निश्चित किया गया।

- एक अन्तरिम सरकार का गठन किया जाये, जिसमें सभी राजनैतिक दलों के सदस्य हों।

■ सभी राजनैतिक दलों ने कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों को स्वीकार कर लिया।

■ 2 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम मंत्रिमण्डल का गठन हुआ। पहले मुस्लिम लीग इससे अलग रही, किन्तु बाद में इसमें शामिल हो गयी।

■ 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता डॉ. सचिदानन्द सिन्हा ने की।

## माउण्ट बेटन योजना

- मार्च 1947 में लार्ड वेवेल को वापस बुला लिया गया, और लार्ड माउन्ट बेटन वायसराय बनकर भारत आये।
- 3 जून 1947 को माउन्ट बेटन ने भारत को दो देशों भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करने की योजना प्रस्तुत किया।
- 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने ''भारतीय स्वतन्त्रता अधिनिय 1947 पारित कर दिया,
- 18 जुलाई और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया।

## प्रमुख संस्थाएँ और समितियाँ (संस्थापक)

- कलकत्ता मदरसा **(वारेन हेस्टिंग्स - 1781)**
- एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल **(सर विलियम जोंस-1784)**
- जैकोविन क्लबः भारत **(टीपू सुल्तान)**
- आत्मीय सभा **(राजा राममोहन राय -1814)**
- ब्रह्म समाज **(राजा राममोहन राय-1828)**
- तत्वबोधिनी सभा **(देवेन्द्र नाथ टैगोर-1839)**
- यंग बंगाल आन्दोलन **(विलियन डेरोजियो-1826)**
- ब्रिटिश सार्वजनिक सभा **(दादा भाई नौरोजी-1843)**
- बालिका विद्यालय पुणे **(ज्योतिबा फूले-1851)**
- सत्यशोधक समाज **(ज्योतिबा फुले)**
- सत्यप्रकाश गुजरात **(महर्षि दयानंद सरस्वती)**
- प्रार्थना समाज (केशवचंद्र के सहयोग से **आत्माराम पांडुरंग)**
- आर्यसमाज **(स्वामी दयानन्द-1875)**
- ईस्ट इंडिया एसोसियेशन लन्दन **(दादा भाई नौरोजी- 1866)**
- इंडियन एसोसियेशन **(सुरेन्द्र नाथ बनर्जी-1876)**
- पूना सार्वजनिक सभा **(जस्टिस एम.जी. रानाडे)**
- अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज **(सर सैयद अहमद खाँ-1875)**
- देव समाज **(सत्यानन्द अग्निहोत्री-1887)**
- वेद समाज **(के. के. श्रीधरालु नायडू-1872)**
- रामकृष्ण मठ **(स्वामी विवेकानन्द-1897)**
- मुस्लिम लींग **(आगाखाँ, सलीम उल्ला और मुहम्मद अली जिन्ना - 30 दिसम्बर 1906 में ढाका में)**
- गदर पार्टी **(लाला हरदयाल, करतार सिंह- 1913)**
- अभिनव भारत **(विनायक दामोदर सावरकर-1904)**
- होमरूल लींग-I महाराष्ट्र **(बी. जी. तिलक-1916)**
- होमरूल लींग-II **(ऐनी बेसेन्ट-1916)**
- सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी **(गोपाल कृष्ण गोखले-1905)**
- विश्वभारती **(रवीन्द्रनाथ टैगोर-1918)**
- शान्ति निकेतन **(रवीन्द्रनाथ टैगोर)**
- साबरमती आश्रम **(महात्मा गाँधी-1916)**
- थियोसोफिकल सोसायटी **(मैडम ब्लावट्स्की एवं कर्नल अकाट ने न्यूयार्क में (1875), भारत में 1886 में अड्यार में शुरुआत)**
- अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन **(एम.एम. जोशी-1920)**
- हरिजन संघ **(महात्मा गाँधी -1932)**
- बहिष्कृत हितकारिणी सभा **(बीआर अम्बेडकर-1924)**
- स्वराज्य दल **(मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास-1922**
- साइंटिफिक सोसायटी **(सर सैयद अहमद)**
- मोहम्मडन लिटरेसी सोसायटी **(अब्दुल लतीफ)**
- खुदाई खिदमतगार **(अब्दुल गफ्फार खाँ-1837)**
- रहनुमाई मजदयासान **(दादा भाई नौरोजी)**
- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया- **एम.एम.राय-1920)**
- अनुशीलन समिति **(पुलिन बिहारी दास-1902)**
- देवबन्द स्कूल **(मौलाना अबुल कलाम आजाद)**
- फारवर्ड ब्लाक **(सुभाष चन्द्र बोस- 1939)**
- आजाद हिन्द फौज **(रास बिहारी बोस-1942)** मोहनसिंह के नेतृत्व में

## ब्रिटिश गवर्नर जनरल

- **लार्ड क्लाइव (1757-1760 एवं 1765-67)-** (ग) प्लासी का युद्ध (23 जून 1757) क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर देशद्रोही मीरजाफर को नवाब बनाया। फलस्वरूप बंगाल की वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गयी, जिससे क्लाइव भारत में ब्रिटिश



KOTHARI INSTITUTE

साम्राज्य का संस्थापक कहलाया।

• **बक्सर का युद्ध (22 अक्टूबर, 1764)-** बंगाल के मीरकासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्द ने मिलकर बक्सर में अंग्रेजों का सामना किया, किन्तु सभी पराजित हुए। फलस्वरूप अंग्रेज बंगाल, बिहार, और उड़ीसा के स्वामी हो गये (इलाहाबाद की सन्धि)। अब अंग्रेजों के हाथ में व्यापारिक शक्ति के अतिरिक्त राजनीतिक शक्ति भी आ गई।

- **वारेन हेस्टिंग्स (1772-85)-** (ग) दूसरा मैसूर युद्ध (1780-84)- मैसूर में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई जिससे पुत्र टीपू ने युद्ध जारी रखा। बाद में मंगलोर की सन्धि हो गई।

  • **प्रथम मराठा युद्ध (1775-82)-** अंग्रेजों ने मराठा सरदार फड़नवीस को हराया और फलस्वरूप सालसिट और बेसीन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।

  • **बंगाल में द्वैध शासन का अन्त किया-** चुंगी और अनेक करों में कमी की। मुद्राओं के उचित व्यवस्था हेतु टकसाल बनाई। दीवानी और फौजदारी आदालतों की स्थापना की।

  • पिट्स इंडिया एक्ट (1784) लागू हुआ, जिसके अनुसार कम्पनी की सम्पूर्ण गतिविधियों और भारत में उसके प्रशासन को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया।

- **लार्ड कार्नवालिस** (1786-93) एवं (1805) (ग) तीसरा मैसूर युद्ध (1790-72)- टीपू सुल्तान युद्ध में अंग्रेजों से हार गया जिसके फलस्वरूप श्रीरंगपट्टम की सन्धि हुई। और टीपू को आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा। (ग) भूमि का अस्थाई बन्दोबस्त (निश्चित लगान) 1793 में किया।
- **सर जॉन शोर (1793-98)-** उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई।
- **लार्ड वेलेजली (1798-1805)-** (i) चौथा मैसूर युद्ध (1799)- इसमें टीपू हार गया और मैसूर से मुस्लिम शासन समाप्त हो गया (ii) **द्वितीय मराठा युद्ध (1803-05)-** अंग्रेजों ने नागपुर के भोंसले (मराठा) और ग्वालियर के सिंधिया (मराठा) को संयुक्त रूप से पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया तथा 'बेसीन की सन्धि की। (iii) वेलेजली ने सभी देसी राजाओं के साथ 'सहायक संधियाँ' करके उनके राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने में इसका बड़ा श्रेय है। वेलेजली अपने को 'बंगाल का शेर' कहता था।
- **सर जॉर्ज बालों (1805-1807)-**बैलोर में सिपाही विद्रोह।
- **लार्ड मिन्टो प्रथम (1807-1813)-** रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच 'अमृतसर की संधि 1809' में की।
- **लार्ड हेस्टिंग्ज (1813-1823)-** पिंडारियों का दमन, मराठा शक्ति, अंतिम रूप से नष्ट कर दी गई। मालाबार, कोयम्बटूर, कनारा, मदुरै एवं डिडिंगुल में रैयतवाड़ी एवं महलवारी दोनों की मिली जुली भू-प्रणाली लागू की गई। नई न्याय प्रणाली तथा प्रेस पर पहले से चला आ रहा प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया।
- **लार्ड विलियम बैटिंक (1828-35)-**(i) सती प्रथा का अन्त कराया (ii) मानव बलि एवं 'बाल हत्या' बन्द कराई (i) प्रेस को स्वतन्त्रता प्रदान की। (iv) शिक्षा को आधुनिकतम बनाने के लिए मैकाले की अनुशंसा के आधार पर उसमें सुधार किया।
- **चार्ल्स मेटकॉफ (1835-36)-** प्रेस पर सभी प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया।
- **लार्ड हार्डिंग (1844-48)-** प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46) एवं लाहौर की संधि।
- **लार्ड डलहौजी (1848-56)-** (i) डॉक्ट्रियन ऑफ लेप्स अर्थात् हड़पने की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार यदि किसी देशी राजा का पुत्र न हो तो बिना अंग्रेजी अनुमति के वह किसी को गोद नहीं ले सकता और इस प्रकार उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो जाता।

  (ii) बम्बई से थाना तक प्रथम रेल लाइन बनी और डाक व तार व्यवस्था में सुधार हुआ।

  (iii) स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाई।

  (iv) सार्वजनिक निर्माण विभाग का संगठन किया।

  (v) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की और स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया।
- **लार्ड कैनिंग (1856-58)-** अंतिम गवर्नर जनरल जिसने ईरानियों के साथ युद्ध किया एवं सर्वप्रथम कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। 1857 का विद्रोह इसी के समय हुआ।

❏❏❏❏❏❏

# भारतीय संस्कृति (Indian Culture)

## भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नयन

### अमीर खुसरो

- ये एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे।
- इनका जन्म सन 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था।
- इनका वास्तिवक नाम **"मुहम्मद हसन"** था।
- इन्होंने आठ सुल्तानों का शासन देखा।
- अमीर खुसरो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दी, हिन्दवी और फारसी में एक साथ लिखा।
- अमीर खुसरो को **"तोता-ए-हिन्द"** के उपनाम से जाना जाता है।
- इनके गुरु **हजरत निजामुद्दीन ओलिया** थे।

### पैगम्बर मुहम्मद साहब

- जन्म 570 ई. में मक्का (सऊदी) में हुआ था।
- इनकी स्मारक समाधि मस्जिद-ए-नबवी, मदीना, हेजाज सऊदी अरब में है।
- उनकी प्रसिद्धि का कारण "इस्लाम के पैगम्बर" है।

### गुरुनानक देवजी

- इनका जन्म 15 अप्रैल 1469, में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी (पंजाब-पाकिस्तान) में हुआ था।
- इनका उत्तराधिकारी "गुरु अंगद देवजी" थे।
- उनकी भाषा "बहता नीर" थी जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द शामिल थे।

### तानसेन

- तानसेन या मियां तानसेन या रामतनु पाल हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता था।
- इनकी शैली "हिन्दुस्तानी" शास्त्रीय संगीत है।
- इनकी प्रसिद्ध नगरी "ग्वालियर" के नाम से प्रसिद्ध है।
- तानसेन के आरंभिक काल में ग्वालियर पर कलप्रिय राजा मानसिंह तोमर का शासन था।
- इनके प्रमुख ग्रंन्थ- संगीतसार, राममाला और श्री गणेश स्त्रोत।

### गोतम बुद्ध

- इनका जन्म 563 ईसवी पूर्व लुम्बनी (नेपाल) में हुआ था।
- इनके पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, पत्नी राजकुमारि यशोधरा और बेटा राहुल था।
- इनका सम्बंध इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल से था।
- महामिनिष्क्रमण - गृह त्याग
- ज्ञान की प्राप्ति - केवल्य
- धर्म-चक्र प्रवर्तन - उपदेश
- महापरिनिर्वाण - मृत्यु
- **उपदेश-** उन्होंने दुःख, इसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया।

### अष्टांगिक मार्ग

- **सम्यक दृष्टि-** चार आर्य सत्य में विश्वास करना।
- **सम्यक संकल्प-** मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना।
- **सम्यक वाक-** हानिकारक बातें और झूठ न बोलना।
  **सम्यक कर्म-** हानिकारक कार्य न करना।
- **सम्यक जीविका-** कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार करना।
- **सम्यक प्रयास-** अपने आज को सुधरने की कोशिश करना।
- **सम्यक स्मृति-** स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना।
- **सम्यक समाधि-** निर्वाण पाना, स्वयं का परमानंद है।

### स्वामी विवेकानन्द

- इनका जन्म 12 जनवरी, 1863 को हुआ।
- इनका वास्तविक नाम नरेद्रनाथ दत्त था।
- उन्होंने शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा को सम्बोधित किया था।
- इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे।
- इनका साहित्यिक कार्य राज योग (पुस्तक) है.
- इनका दर्शन- आधुनिक वेदांत है।

### कथन-

- "दिल्ली अभी दूर है"- यह कथन हजरत निजामुद्दीन ओलिया का है।
- "राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग-अलग नाम है- कबीरदास

### ईसा मसीह

- इनका जन्म जेरूशेलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था।

KOTHARI INSTITUTE

- इनके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं।
- इनके प्रथम शिष्य- एंड्रूस एवं पीटर थे।

**महावीर**

- भगवान महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 540 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुण्डलपुर में इक्ष्वांकु के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और त्रिशुला के चैत्र शुक्ल तेरस में हुआ था।
- उनकी पत्नि यशोदा थी।
- उनके अन्य नाम- वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति
- पाँच सिद्धांत- अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
- शिक्षाएँ- अहिंसा, अपरिग्रह, अजेक्तावाद
- ये 24 वें तीर्थकार थे।

**शास्त्रीय संगीत**

- शास्त्रीय संगीत के 'क्लासिकल म्यूजिक' भी कहते हैं।
- शास्त्रीय संगीत ध्वनि प्रधान होता है, शब्द-प्रधान नहीं।
- इस संगीत की परम्परा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र (प्रथम लिखित प्रमाण) और इससे पहले सामवेद के गायन तक जाती है।
- मंतग मुनि की वृहदेशी और सारंगदेव रचित यह महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है।

  **संगीत रत्नाकार - इसमें कई तालों का उल्लेख है-**
- 11वीं और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम सभ्यता के प्रासर ने उत्तर भारतीय संगीत की दिशा को नया आयाम दिया।
- इसी समय कुछ नई शैक्षिक भी प्रचलन में आई जैसे खयाल, गजल आदि और भारतीय संगीत का कई नई वाद्यों से परिचय हुआ जैसे - सरोद, विस्तार आदि।

## लोक कला शौली एवं लोक नृत्य

- **महाराष्ट्र-** रंगोली, तमाशा, लावणी, कोरकू
- **गुजरात-** डांडिया, गरबा, पणिहारी
- **राजस्थान-** माण्डना, तेराताली, घूमर
- **आन्ध्र प्रदेश-** कलमकारी, घण्टा मर्दाला,
- **असम-** केली गोपाल, बिहू, वैशाख बिहू
- **हिमाचल प्रदेश-** बच्चा नग्मा, थाली, छपेली (लोक नृत्य)
- **पश्चिम बंगाल-** अल्पना, बाउल, कीर्तन (लोक नृत्य)
- **उत्तर प्रदेश-** चौका पूरना, नौटंकी (लोक नृत्य), कजरी (लोक नृत्य)
- **हरियाणा-** फुलकारी
- **पंजाब-** भांगड़ा, गिद्धा
- **बिहार-** अरपन, जटा-जटिन
- **छत्तीसगढ़-** पण्डवानी
- **कर्नाटक-** यक्षगान
- **मिजोरम-** चेरोकॉन
- **मणिपुर-** लाई हरीबा
- **नागालैण्ड-** कुमीनागा
- **ओडिशा-** छाऊ
- **जम्मू एवं कश्मीर -** राउफ
- **तमीलनाडु -** कारागम

## भारतीय शास्त्रीय संगीत की पद्धतियाँ

- **हिन्दुस्तानी संगीत -** यह शास्त्रीय संगीत, उत्तर भारत में प्रचलित हुआ।
- **इसमें निम्न राग हैं-** यमन, बूपाल, बसंत, बागेक्षी, मुल्तानी, बहर, हिंडोल, काफी।

**कर्नाटक संगीत**

- यह दक्षिण भारत में प्रचलित संगीत है।
- यह राण हंसध्वनि प्रमुख कर्नाटक संगीत में से एक है।

## शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ

- **ग्वालियर घराना-** हिन्दुस्तानी संगीत, ध्रुपद गायकी, खयाल गायिकी।
- **पटियाला घराना-** बड़े गुलाम अली।
- **बनारस घराना-** सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी।
- **सुगम संगीत-** लता मंगेश्कर, हेमन्त कुमार, मुहम्मद रफी, किशोर कुमार।
- **शास्त्रीय संगीत -** सामदेव से लिया गया है।
- **कर्नाटक संगीत का पीतमाह-** पुरन्दर दाजस, त्यागराज, श्यामा शास्त्री
- **शास्त्रीय गायन-** मल्लितार्जुन मंसूर
- **हिन्दुस्तानी गायक-** पण्डित भीम सेन जोशी, गुलाम अली, जहीरुद्दीन
- **गजल गायित्री-** हीराभाई वरोडकर, पीनाज मसानी
- इसका जन्म अमीर खुसरो है।

**शैली**

- **ध्रुपद शैल-** का आरम्भ स्वामी हरिदास ने किया।
- तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बाबा
- **खायाल शैल-** हिन्दुस्तानी संगीत, इसे ग्वालियर घराने द्वारा प्रारम्भ किया गया।
- **पडवाणी शैली-** ऋतु वर्मा
- **हिन्दुस्तानी संगीत शैली-** ध्रुपद शैली, तराना, धमार
- **चित्रकला-** बेगम अख्तर, अमृता शेरगिल
- **संगीतज्ञ-** विष्णु दास शिराली
- **बांसुरी-** पन्नालाल घोष

## शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ

### भारतनाट्यम-

- भरतनाट्यम या चधिर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है।
- यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है।
- इस नृत्य शैली के प्रेरणास्त्रोत चिदंबरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से आते हैं।
- भारत नाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है।
- यह बीसवीं सदी के शुरु में ई.कृष्ण अय्यर और रुकमणी देवी के प्रयासों से पुनः स्थापित किया गया।
- भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा जाता है- समभंग, अभंग, त्रिभंग

### कथकली

- केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। जो सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है।
- कथकली का अर्थ एक कथा का नाट्क या एक नृत्य नाटिका।
- इस नृत्य में "मुखोटे" का प्रयोग किया जाता है।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कथकली को पुनजीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया।
- **नर्तक/नर्तकी-** मृणालिनी साराभाई, महाकवि वल्लतोम

### कत्थक

- इसका विकास उत्तर भारत में हुआ।
- इस नृत्य के प्रमुख दो घराने हैं- लखनऊ घराना, जयपुर घराना।
- **नर्तक/नर्तकी-** सितारा देवी, बिरजू महाराज, शोभाना नारायण, गोपीकृष्ण मालविका सरकार

### ओडिशी

- इसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है।
- इस नृत्य का उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिला लेखो, कोणार्क के सूर्य मंदिर के केन्द्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है।
- इस नृत्य में विष्णु के आठवें अवतार कृष्ण के बारे में कथाएँ बताई जाती है।
- **नर्तक/नर्तकी-** प्रियांवदा मोहन्ती, इन्द्राणी, रहमान, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, माध्वी मुदगल।

### मणिपुरी

- इस नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव सम्प्रदाय के साथ विकसित हुआ।
- महिला "रास" नृत्य राधा-कृष्ण की विषयवस्तु पर आधारित है।
- **नर्तक/नर्तकी-** दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्धा (झावेरी बहनें)

### मोहिनी अट्म

- इस नृत्य का संबंध केरल से है। इसे कथकली से आधुनिक माना जाता है।
- इसका संबंध भगवन विष्णु से है।
- मूलभूत नृत्य ताल चार प्रकार के होते हैं: तगानम, जगानम, धगानम और सामीक्षम।
- **नर्तक/नर्तकी-** रागिनी देवी, भारती शिवाजी

### कुचिपुड़ी

- इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है।
- इसका मूल नाम कुचेलापुरी था
- यह एक देवनृत्य है।
- **नर्तक/नृत्की-** स्वप्न सुन्दरी, राधा रेड्डी, बाला सरस्वती

### कुटियाट्म

- इसका संबंध केरल से है।

**नोट-** ओट्टनतुल्लन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है।

## वाद्ययंत्र और अनेक वादक

- **संतूर-** यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है जिसे सुफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्ययंत्र में से एक है।
  - कलाकार- पं. शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी।
- **बांसुरी-** बाँसुरी वादक भारतीय वाद्यों में से एक बाँसुरी बजाने वाले को कहा जाता है।
  - कलाकार- हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष।
- **तबला-** भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक तालवाद्य है जो मुख्य रूप से द. एशियाई देशों में प्रचलित है।
  - यह बाजा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रचलित है।
  - कलाकार- जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्खा, साबिर खान, पं. किशन महाराज, पं. ज्ञान प्रकाश घोष।
- **सरोद-** सरोद भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्ययंत्र में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है।
  - कलाकार- अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता।

## चित्रकला एवं मूर्तिकला

- चित्रकला की मुगल शैली का प्रारम्भ ''हुमायू'' ने किया था।
- मुगलकालीन शासकों में जहाँगीर के शासन काल को ''चित्रकारी'' का स्वर्णकाल कहा जाता है।
- जहाँगीर को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है।
- ''अबुल हसन'' ने मुगल शैली को विश्वप्रसिद्ध चित्र ''बैलगाड़ी का चित्रण किया था।
- मुगल चित्रकला शैली की विशेषताएँ - युद्ध दृश्य, पशु-पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण है।
- सुप्रसिद्ध चित्र **''बनी-ठनी''** किशनगढ़ शैली पर आधारित है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य से ''कांगड़ा चित्रकला शैली'' का संबंध है।
- कागड़ा चित्रकला शैली में ''पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक-नायिकाओं के चित्रों की प्रधानता रहती है।
- गुजराती चित्रकला शैली में ''प्राकृतिक रचनाओं'' के चित्रों की प्रधानता रहती है।
- बिसर राज्य से ''मधुबनी चित्रकला'' का संबंध है।
- हरियाणा राज्य से ''फुलकारी कला'' का संबंध है।
- आंध्रप्रदेश राज्य से ''कलमकारी कला'' का संबंध है।
- पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मूगल स्कूल और कागड़ा स्कूल का संबंध चित्रकला शैली से है।
- पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है।
- एफ.एम. हुसैन प्राचीन कला परम्पराओं को पुनजीवित करने के लिए इंडियन सोसायटी ऑफ ओरिएण्टल आर्ट'' की स्थापना की थी।
- चित्रकला की मुगल कल्प ''भारतीय लखु चित्रकला'' की रीढ़ है।
- कालीघाट कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा।
- प्रसिद्ध मीनाकारी ''थेला कला'' का संबंध प्रतापगढ़ से है।
- राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरम्भिक मुख्य केन्द्र बिन्दू ''बूंदी'' है।
- राजस्थान की प्रसिद्ध ''ब्लू पॉटरी'' की दस्तकारी का उद्भाव ''पर्शिया'' से हुआ।
- भीमबेटका ''गुफाओं के शैल चित्र'' के लिए प्रसिद्ध है।
- ''गंधार शैली'' की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा धर्मचक्र है।
- भीमबेटका से भारत में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं।
- एलोरा गुफा चित्रों में से सबसे पुरानी चित्रकला है।
- मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का समिश्रण था।
- अजन्ता गुफाओं में ''विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव तथा उनका जीवन वृत तथा भगवान महावीर की मूर्तियों को दर्शाती है।
- गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाएँ निर्मित की गयी।
- अजंता चित्रकारी में जातक निरूपित किया गया है।
- अकबर के दरबार में दसवंत, अब्दुस्समद, बसावन थे।

### राजा रवि वर्मा

- इनका संबंध केरल (त्रावणकोर) राज्य से है।
- ये पेशे से ''चित्रकार'' है।
- इनकी प्रमुख पेंटिंग ''हंस दम्यती'' है।

### नंदलाल बोस

- ये पेशे से चित्रकार थे।
- कृतियाँ - उमा की तपस्या, शिव-पार्वती, बसंत प्रणाम।

### उस्ताद मंसूर खाँ

- उस्ताद मंसूर खां मुगल शासक जहाँगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे।

### जैमिनी राय

- इनका संबंध ''चित्रकला से है।
- इन्होंने भारतीय चित्रकला में **''पुनरूज्जीवनवादी''** विचारधारा का पवर्तक किया।

### रविन्द्रनाथ ठाकुर (टैगोर)

- इनका संबंध ''चित्रकला से है।
- **इनकी कृति** - औरत

### अवनीन्द्रनाथ ठाकुर (टैगोर)

- इनका संबंध ''चित्रकारी'' से है।
- **कृतियाँ**- शाहजहाँ का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता कलम के पत्ते पर अश्रुकण, वनसामग्री, भारत माता।

### अमृता शेरगिल

- इनका संबंध ''चित्रकारी से है।
- **इनकी कृतियाँ**- ''अलिफैन्ट्स बाथिंग इन ग्रीन पुल।
- इनका संबंध ''हंगरी (देश)'' से है।



KOTHARI INSTITUTE

### सतीश गुजराल

- इनका संबंध "चित्रकारी" से है।
- **इनकी कृति -** काला चाँद

### लिओनार्डो द विन्ची

- इनका संबंध "चित्रकारी" से है।
- इनका संबंध "इटली" से है।
- **इनकी कृति -** मोनालिसा है।

### पिकासो

- इनका सम्बंध "चित्रकारी" से है।
- **इनकी प्रसिद्ध कृति -** गुएरनिका है।

### शरण रानी

- इनका संबंध **"चित्रकला"** से है।

## विश्व के प्रमुख धर्म

- भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण है।
- जैनधर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी है।
- जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है।
- इनका आधारभूत बिन्दू अहिंसा को माना गया है।
- स्वायवाद जैनधर्म का मूलाधार था।
- जैन साहित्य का संबंध आगम से है।
- बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे।
- भरहुत भूमि का संबंध बौद्ध धर्म से है।
- लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है बौद्धों का।
- बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है।
- बौद्धों का पवित्र साहित्य त्रिपिटक है।
- सिक्ख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे।
- सिक्खों के अंतिम गुरु गुरुगोविन्द सिंह थे।
- गुरु रामदास ने अमृत सरोवर नामक एक नये नगर की स्थापना की थी।
- गुरु अर्जुन सिंह ने हरमंदिरसाहिब (स्वर्ण मंदिर) की स्थापना की।
- सत्संग प्रथा की नीव गुरु अमरदास जी ने की थी।
- पारसी धर्म के प्रवर्तक जोरोस्टर थे।
- शिन्तो धर्म के प्रवर्तक मिकादो है।
- कन्फ्यूस्यिस धर्म के प्रवर्तक कुंग-फू-सू हैं।
- शंकराचार्य ने चार मठो की स्थापना **बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगोरी और द्वारिका** में की थी।
- मक्खलि पुत्र गोशाल आजीवक धर्म के प्रवर्तक ते।
- लिंगायत धर्म के संस्थापक **वासव** को माना जाता है।
- सिलसिलाह संबंधित है सूफी मत से ।
- यहूदी धर्म के संस्थापक **पैगम्बर मूसा** थे।
- दिन-ए-इलाही धर्म अकबर ने शुरु किया था।
- भारत में इसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम सेंट थॉमस ने किया था।
- जरथुष्ट्र धर्म संबंधित है पारसियों से।
- मोईनुद्दीन चिश्ती को चिश्ती परम्परा के संस्थापक माना जाता है।
- तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नही यह श्रीमदभगवत में कहा गया है।
- यजुर्वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है।
- **वेदप्रयी के अंतर्गत** "ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को शामिल किया गया है।
- गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है।
- अथर्ववेद में जादुईमाया और वशीकरण का वर्णन है।
- सर्वप्रथम शुद्र की चर्चा ऋग्वेद ग्रन्थ में मिलती है।
- यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों मिलता हैं।
- अजतो माँ सदगम सुक्ति का संबंध ऋग्वेद से है।

## भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक

- भारतीय दर्शन की आरम्भिक विचारधारा है- सांख्य दर्शन
- सांख्य दर्शन को प्रतिपादित कपिल द्वारा किया गया है।
- योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है।
- वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद है।
- मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है।
- लोकायत दर्शन का प्रतिपादक चार्वक है।
- द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक निम्बकाचार्य है।
- द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य है।
- अद्वैत वेदांत के प्रतिपादित शंकराचार्य ने किया।
- भागवत धर्म का प्रमुख आधार है विशिष्टताद्वैता।
- पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी।
- न्याय दर्शन का लेखक है- गौतम

## भारत के प्रमुख पर्व-त्योहार एवं मेले

- सरहुल पर्व का सम्बंध झारखण्ड राज्य से है।
- कर्मा पर्व का सम्बन्ध बिहार-झारखण्ड राज्य से है।
- **"ओणम्"** केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है।
- **"पोंगल"** तामिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है।
- **"भोगाली बिहु"** असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है।
- **"रंगोली बिहू"** पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है।

- **''वैशाखी''** पंजाब राज्य का त्यौहार है।
- **''गुडी पर्व''** महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है।
- **''विशु पर्व''** केरल राज्य में मनाया जाता है।
- **''उगादी पर्व''** कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है।
- **''युगादी''** नववर्ष गुजरातियों का पर्व है।
- **''लोसांग उत्सव''** सिक्किम में मनाया जाता है।
- **''नौरोज त्योहार''** का संबंध पारसी से है।
- कालचक्र उत्सव का संबंध बौद्ध धर्म से है।
- पूरी रथ यात्रा कृष्ण, सुभद्रा व बलराम के सम्मान में निकाली जाती है।
- पैगम्बर मुहम्मद सहाब के जन्म दिन के उपलक्ष्य में **''ईद-उल-मिलादुन्नबी''** त्यौहार मनाया जाता है।
- सूफी संत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में मनाया जाता है।
- ईसा मसीह के पुनर्जिवित होने की स्मृति में **इस्टर** त्यौहार मनाया जाता है।
- **बिहू असम** राज्य का प्रमुख त्यौहार है।
- उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली बरसाना में मनाई जाती है।
- कैलादेवी मेला करौली (राजस्थान) में मनाया जाता है।
- जल्लीकट्टू नामक त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है।
- संत कबीर के सम्मान में **''मगहर महोत्सव''** वर्ष 1990 में प्रारम्भ किया था।
- मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया- पारसियों से।
- **हरेला** एक त्यौहार है।

## भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारे

- सप्तरथ मंदिर ''महाबलीपुरम'' में अवस्थित है।
- स्वामी नारायण मंदिर (अक्षरधाम) गाँधीनगर में स्थित है।
- ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है।
- तिरूपति मंदिर आंद्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
- दिलवाड़ा मंदिर (माउन्ट आबु) राजस्थान में स्थित है।
- होयसलेश्वर का मंदिर हेल्विड में स्थित है।
- कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है।
- बद्रीनाथम, द्वारिका, पूरी व रामेश्वरम् हिन्दुओं के चार धाम तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है।
- चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर करणीमाता मंदिर है।
- अढ़ाई दिन की झोपड़ी अजमेर में स्थित है।
- भारत का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर ''श्रीरंगा मंदिर ''तिरुचिरापल्ली'' है।
- मार्तण्ड सूर्य मंदिर जम्मू व कश्मीर में स्थित है।
- खजुराहो के मंदिर का संबंध हिन्दू धर्म तथा जैन धर्म से है।
- द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में स्थित है।

\- विश्वनाथ मंदिर माउन्ट आबू पर्वत पर स्थित है।

- भोजशाला मंदिर (धार) की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती देवी है।
- चित्रगुप्त स्वामी मंदिर उज्जैन में स्थित है।
- महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था।
- एलोरा के प्रसिद्ध ''शिव मंदिर'' का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था।
- एलोरा पहाड़ियाँ औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में स्थित है।
- यहाँ का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है।
- बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था।
- दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण **शाहजहाँ** ने करवाया था।
- दिल्ली स्थित लोटस बहाई धर्म से संबंधित है।
- प्रसिद्ध तिरूपाल मंदिर हम्पी में स्थित है।
- वृहदेश्वर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।
- पलिताना मंदिर  भावनगर (गुजरात) में स्थित है।

## भारत के सांस्कृतिक केन्द्र

- प्रख्यात सांस्कृतिक केन्द्र ''भारत भवन'' भोपाल में स्थित है।
- भारतीय नाट्य संस्थान नई दिल्ली में स्थित है।
- राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है।
- संगीत नाट्य अकादमी वर्ष 1953 में नई दिल्ली में स्थापित की।
- एशियाटिक सोसायटी वर्ष 1984 से कोलकाता में स्थित है जिसकी स्थापना **विल्यिम जोन्स** ने की थी।
- भारत महोत्सव वर्ष 1982 में शुरु किया गया था।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान वर्ष 1816 में स्थापित की जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना वर्ष 1961 में की गई।

## भारत में शिक्षा का विकास

- भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा **वुड डिस्पैच** (1954) को कहा जाता है।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई



KOTHARI INSTITUTE

- शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-19) ने दिया।
- भारतीय शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश कोठारी आयोग ने की थी।
- 10+2+3 शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986 द्वारा लागू की गयी)।
- वर्ष 1987-88 ई. में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम शुरु हुआ था।
- इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएँ जुटाना। एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना। सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना।
- मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम होल्ट विल्सन ने दिया।
- भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय **अन्नामलाई** में स्थिति है।
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 ई. में नई दिल्ली में हुई थी।
- केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है।
- विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।
- शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने **सैडलर आयोग** वर्ष 1917 में स्थापित किया गया।
- कोठारी कमीशन की स्थापना 1964-66 ई. के दौरान हुई थी इसमें त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी।

## भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल

- गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है।
- रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है।
- शेरशाह का मकबरा **सासाराम** में स्थित है।
- श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र पटना में स्थित है।
- ख़ुदाबख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है।
- पवनार आश्रम विनोबा भावे द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया।
- डल-हौजी पर्वतीय सैरगाह हिमाचल प्रदेश में स्थिति है।
- लेसडाउन पर्वतीय नगर उत्तराखण्ड में स्थित है।
- आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है।
- **शालीमार बाग और निशात बाग** श्रीनगर में स्थित है।
- विवेकानंद रॉक मेमोरियल रामेश्वरम में स्थित है।
- प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है।
- गोलघर पटना में स्थित है।
- वैलूर मठ कोलकत्ता में स्थित है।
- वृन्दावन गार्डेन मैसूर में स्थित है।
- बुलन्द दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है।
- हाथी गुफा ओडिशा राज्य में स्थित है।
- एत्मादौला का मकबरा आगरा में स्थित है।
- अकबर का मकबरा सिकन्दरा में स्थित है।
- जहाँगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है।
- मैरिना बीच चैन्नई में स्थित है।
- मुसम्मन बुर्ज आगरा में स्थित है।
- राष्ट्रपति भवन रायलसीमा पहाड़ियों पर स्थित है।
- महारैली लौह स्तम्भ नई दिल्ली में स्थित है।
- शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है।
- डायमंड हार्बर और साल्ट-लेक-सिटी कोलकत्ता में स्थित है।
- बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है।
- गिर वन सिंह सेंक्चुआरी के लिए प्रसिद्ध है।
- श्री अरबिंदों आश्रम पांडिचेरी में स्थित है।

❑❑❑❑❑❑

**1. निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिन्दुस्तान का तोता कहा था-**
(अ) मलिक मुहम्मद जायसी (ब) रस खान
(स) अमीर खूसरो✓ (द) अमीर हसन

**2. निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है-**
(अ) कथक✓ (ब) मणिपुरी
(स) ओडिसी (द) कथक कली

**3. सितारा देवी का संबंध है-**
(अ) मणिपुरी नृत्य से (ब) कथक नृत्य से✓
(स) भारत नाट्यम से (द) कथक कली

**4. बिहू का संबंध है-**
(अ) महाराष्ट्र (ब) गुजरात
(स) असम✓ (द) मणिपुर

**5. सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है-**
(अ) सितार (ब) तबला
(स) वीणा✓ (द) सरोद

**6. रजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं-**
(अ) नर्तक (ब) चित्रकार✓
(स) कवि (द) गायक

**7. भारतीय दर्शन की आरंभिक विचार धारा है-**
(अ) सांख्य✓ (ब) मीमांसा
(स) वैशेषिक (द) चार्वाक

■■■■■■■■■■■■■■■

# भारतीय भूगोल (Indian Geography)

- भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्द्ध का देश है तथा देशान्तरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्द्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है।
- भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में $8^0 4'$-$37^0 6'$ उत्तरी अक्षांश और $68^0 7'$-$97^0 25'$ पूर्वी देशान्तरों के बीच स्थित है।
- भारत की आकृति चतुष्कोणीय है एवं इसका क्षेत्रफल 32 लाख 87 हजार 263 किमी. है।
- भारत के पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब सागर एवं अरब प्रायद्वीप स्थित है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां बड़ा देश (2.43%) है।
- रुस, कनाडा, चीन, सं.रा. अमेरिका, ब्राजील एवं आस्ट्रेलिया भारत से बड़े देश हैं।
- भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किमी. है एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किमी है।
- $82^1/_2$ पूर्वी देशान्तर इसके लगभग मध्य से (इलाहाबाद की नैनी से) गुजरती है। यह देश का मानक समय है।
- भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किमी है।
- मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किमी. है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय 7516.6 किमी. है।

**भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार निम्नवत् हैं-**

(i) बांग्लादेश- 4096.7 किमी.
(ii) भारत- चीन - 3488 किमी.
(iii) भारत- पाक - 3323 किमी.
(iv) भारत- नेपाल- 1751 किमी.
(v) भारत- म्यांमार - 1643 किमी.
(vi) भारत- भूटान- 609 किमी.
(vii) भारत- अफगानिस्तान 106 किमी.

- इस प्रकार भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है।
- भारत एवं चीन की सीमा को मैकमहोन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ई. में शिमला में निर्धारित की गई थी।
- भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरण्ड रेखा है, जो 1986 में सर डूरण्ड द्वारा निर्धारित की गई थी।
- भारत और पाकिस्तान के बीच 'रेडक्लिफ रेखा' है, जो 15 अगस्त 1947 को सर एस.रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी।

**सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य निम्नवत है-**

(i) **चीन सीमा** - जम्मू-कश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
(ii) **नेपाल सीमा** - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पं बंगाल, सिक्किम
(iii) **भूटान सीमा** - सिक्किम, पं बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश
(iv) **म्यांमार सीमा** - अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर
(v) **बांग्लादेश सीमा** - पं. बंगाल, असम, मेघालय, पंजाब, जम्मू-कश्मीर
(vi) **अफगानिस्तान सीमा** - जम्मू - कश्मीर

- दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जलसन्धि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है।
- श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है।

## देश के चतुर्दिक अन्तिम सीमा बिन्दु

- **दक्षिणतम बिन्दु** - इंदिरा प्वांइट (ग्रेट निकोबार द्वीप)
- **उत्तरतम बिन्दु**- इंदिरा कौल (जम्मू-कश्मीर)
- **पश्चिमोत्तम बिन्दु** - गौर मोता (गुजरात)
- **पूर्वोत्तम बिन्दु** - किबियु (अरुणाचल प्रदेश)
- **मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा**- कन्याकुमारी $8^0 4'$ अक्षांश
- भारत का दक्षिणतम बिन्दु इंदिरा प्वाइंट (पिगमिलियन प्वाइंट) भूमध्य रेखा से 876 किमी दूर है।
- कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, यह 8 राज्यों से होकर जाती है- राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पं बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोराम।
- भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर (TerritorialSea) आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है।
- स्थानीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल (Internal water) कहते हैं।
- अविच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone) की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मिल आगे तक है।

KOTHARI INSTITUTE

इस क्षेत्र में भारत को साफ-सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं।

- देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नये द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूटी मिली है।
- आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। 'पंम्वन द्वीप' आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। पम्वन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं स्थित है।

**भारत के शीर्ष पांच क्षेत्रफल वाले राज्य हैं-**

(i) राजस्थान (342239 वर्ग किमी.)
(ii) मध्यप्रदेश (308245 वर्ग किमी.)
(iii) महाराष्ट्र (307713 वर्ग किमी.)
(iv) उत्तर प्रदेश (240928 वर्ग किमी.)
(v) जम्मू-कश्मीर (2,22,236 वर्ग किमी.)

**भारत के शीर्ष पांच तट वाले राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश हैं-**

(i) अंडमान निकोबार द्वीप (1962 किमी.)
(ii) गुजरात (1600 किमी.)
(iii) आंध्र प्रदेश (970 किमी.)
(iv) तमिलनाडु (907 किमी.)
(v) महाराष्ट्र (720 किमी.)

## भारत के भू-आकृतिक प्रदेश

**भारत के चार प्रमुख भू-आकृतिक प्रदेश निम्नवत् हैं-**

(i) उत्तर पर्वतीय मैदान
(ii) उत्तर का विशाल मैदान
(iii) प्रायद्वीप पठारी भाग
(iv) मरूस्थलीय प्रदेश
(v) समुद्री तटीय मैदान

## उत्तर का पर्वतीय एवं पहाड़ी प्रदेश

- इसकी स्थिति देश के उत्तरी सीमांत के सहारे सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है।
- इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किमी. है।
- यह नवीन मोड़दार पर्वत माला है।

**उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों को चार प्रमुख समानान्तर पर्वतीय श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।**

### ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालयः

- ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय सबसे उत्तर में हैं।
- इसकी लंबाई 965 किमी, चौड़ाई 40 से 225 किमी. है।
- इस श्रेणी की औसत ऊँचाई 3100-3700मी. है।
- इसके अंतर्गत की कारकोरम, कैलाश, भास्कर एवं लद्दाख पर्वत श्रेणियां आती हैं।
- भारत की सबसे ऊँची चौटी $k^2$ या गॉडविन ऑस्टिन (8611मी.) काराकरोम श्रेणी को सर्वोच्च चोटी है।
- सियाचीन बाल्टोरा, बैफो तथा हिस्पर काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े हिमनद हैं।
- ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बनी है। यहाँ पर टार्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं।
- यह श्रेणी सतलज सिंधु एवं सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है।
- लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर राकापोशी है जो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है।
- ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय से **हिट्ल्ज लाईन** के द्वारा अलग होती है।
- काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी एवं इसकी सहायक श्योक के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है।

### वृहद् हिमालय

- यह हिमालय का सबसे उन्नत अविच्छिन एवं सुदूर उत्तरी श्रेणी है।
- यह उत्तर में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2500 किमी. तक है।
- इस श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियां पाई जाती हैं।
- यहा माउंट एवरेस्ट (8848 मी.) कंचनजंघा (8598 मी.) मकालू (8484 मी.) धौलागिरि (8172 मी.) मनसालू (8598 मी.) चो- ओयू (8153 मी.) नंगा पर्वत (8126 मी.) अस्तपूर्ण, हरामोल, नंदा देवी आदि।
- इस श्रेणी में कई दरें भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं, जोजिला, बुर्जिला, बारा लाचा, शिपकीला, नीति, लिपूलेख, नाथूला, जीपला आदि।
- गंगा, यमुना नदियों का उद्गम स्थल इसी श्रेणी में है।
- वृहद हिमालय भाज्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है।

### लघु हिमालय या मध्य हिमालय

- यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण एवं शिवालिक हिमालय के उत्तर में समानान्तर रुप से फैली है।
- इस हिमालय की श्रेणी की औसत चौड़ाई 80-100 किमी. एवं औसत ऊँचाई 1828 से 3000 मीटर तक है।
- यह पर्वत प्री-कैम्ब्रियन तथा पौलियोजोइक चट्टानों से बना है। इस श्रेणी में स्टेट, चूना-पत्थर, क्वार्टज, आदि चट्टानों की अधिकता पाई जाती है।

- लघु हिमालय की सबसे प्रमुख एवं लंबी श्रेणी पीरपंजाल श्रेणी है।
- पीरपंजाल श्रेणी झेलम और व्यास नदियों के बीच 400 किमी. लंबाई में फैली है।
- इस श्रेणी के दक्षिण-पूर्व की ओर धौलाधार श्रेणी है, जिस पर शिमला नगर स्थित है। महाभारत मसूरी और नागटिब्बा अन्य लघु श्रेणियां हैं।
- मध्य और महान हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी स्थित है।
- इस श्रेणी के अन्य घाटियों में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां प्रमुख हैं।
- मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच मेन सीमान्त दरें (Main Bounder Fault) पायी जाती है।
- इस श्रेणी के निचले भाग में देश के प्रसिद्ध पर्वतीय स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान-शिमला, मसूरी, नैनीताल, चकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित है।

### शिवालिक हिमालय या उप हिमालय

- यह हिमालय की सबसे दक्षिणी या बाहरी सीमा है जिसे वाह्य हिमालय भी कहते हैं।
- यह पोतवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक विस्तृत है।
- यह श्रेणी 15 से लेकर 50 किमी. तक चौड़ी एवं 900 से 1200 मीटर तक ऊँची है। इस श्रेणी की कुल लंबाई 2400 किमी. है।
- शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियां एवं अरुणाचल प्रदेश में डाफना, भिरी, अवोर, और मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।
- इस श्रेणी में अल्प प्रमुख घाटियां हैं, जम्मू में उधमपुर और कोटली, उत्तराखंड और हिमाचल में कोटा, पातली, चुम्बी, किर्यादा, कोटरी आदि।

## उत्तर भारत का विशाल मैदान

- हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात उसके दक्षिण तथा प्राचीन शैलों से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में दोनों उच्च स्थलों से निकलने वाली नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है।
- यह मैदान धनुषाकार रुप में 2414 किमी. की लंबाई में देश के 7.5 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र पर विस्तृत है।
- इसकी चौड़ाई पश्चिम में 480 किमी. तथा पूर्व में महज 145 किमी. है।

**इस मैदान में धरातलीय भू-आकृति के आधार पर दो विशेष भाग हैं-**

(i) **बांगर प्रदेश:** यह मैदान का ऊँचा भाग है, जहाँ सामान्य रुप से नदियों के बाढ़ा का जल नहीं पहुंच पाता। यहां प्राचीनतम कॉप मिट्टयां पाई जाती हैं।

- बांगर प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता।
- सतलज के मैदान एवं गंगा के ऊपरी मैदान में बंगार की अधिकता है।

(ii) **खादर प्रदेश:**

- इस भू-भाग में नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। इसे नदियों के बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं।
- खादर प्रदेश की मृदाएं कृषि की दृष्टि से विशेष उपजाऊ होती हैं।
- निम्न गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र की घाटी एवं डेल्टाई क्षेत्रों में खादर मृदाएं पायी जाती हैं।
- गंगा के विशाल मैदान के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 16 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय पठार फैला है।

## प्रायद्वीपीय पठार

- आर्कियन काल की चट्टानों से बना यह देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्राचीन भौतिक प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का भाग है।
- इसकी लंबाई राजस्थान से कुमारी अंतद्वीप तक लगभग 1700 किमी. एवं गुजरात से प.बंगाल तक चौड़ाई किमी. एवं गुजरात से प.बंगाल तक 1400 किमी. है।
- उसकी उत्तरी सीमा पर अरावली राजमहल कैमूर एवं शिलांग की पहाड़ियां हैं।
- प्रायद्वीप पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट हैं।
- दक्षिणी भाग में इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है।

**विन्ध्य श्रेणी तथा $21^0$ से $24^0$ उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की भ्रंश घटियां प्रायद्वीप पठार को दो असमान भागों में विभक्त करती है-**

(i) मध्यवर्ती उच्च भूमियां एवं
(ii) दक्कन का पठार

### मध्यवर्ती उच्च भूमि

- इसका विस्तार नर्मदा एवं सोन घाटी के उत्तर में उत्तर भारत के विशाल मैदान तक लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है।

**इसके प्रमुख उपविभाग निम्नवत हैं-**

(i) **अरावली श्रेणी:**

- अरावली श्रेणी द.प.से उ.पू. की ओर गुजरात (पालनपुर)

KOTHARINSTITUTE

से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक 800 किमी. की लंबाई में फैली है।

- आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर (1722मी.) इसकी सर्वोच्च चोटी है।
- अरावली पर्वत श्रेणी एक प्रमुख जल विभाजक भी हैं। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियां निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती पूर्व की ओर की प्रमुख नदी बनास है जो चंबल में मिलकर गंगा में गिरती है।
- अरावली पुरा कैम्ब्रियन युग में एक विशाल मोड़दार पहाड़ी थी। किन्तु दीर्घकाल तक अपरदन होने के कारण अब अवशिष्ट पहाड़ी के रुप में ही शेष हैं।
- अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियां उदयपुर के निकट जारगा पहाड़ियां (1431 मी.) टोडगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियां, अलवर के निकट हर्षनाथ पहाड़ियां तथा उत्तर में दिल्लीरिज के नाम से विख्यात हैं।
- अरावली श्रेणी प्री कैम्ब्रियन क्वार्टजाइट, नीस एवं शिष्ट शैलों से निर्मित हैं।

**(ii) पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमिः**

- यह उबड़-खाबड़ और विषम भाग है, जो एक पथरीले पठार के रुप में उदयपुर से ग्वालियर के बीच में फैला हुआ है।
- चंबल, सिन्ध, बनास, काली सिन्धु इस भाग की प्रमुख नदियाँ हैं।

**(iii) बुंदेल खंड-बघेलखंड का पठारः**

- बुंदेलखंड नीस से निर्मित यह भाग ग्वालियर पठार विन्ध्यन कगार व यमुना नदी के बीच स्थित है।
- इस क्षेत्र में सोपानी वेदिकाएं, ग्रेनाइट व बालू के डिब्बे व गड्ढों की बहुलता है। उसकी ऊँचाई 500-600 मीटर है।
- बेतवा व केन इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं।

**(iv) मालवा का पठारः**

- लावायुक्त काली मिट्टी से निर्मित यह क्षेत्र नर्मदा घाटी और अरावली श्रेणी व विन्ध्य क्षेत्र के मध्य एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में विस्तृत है।
- बेतवा, पार्वती, काली, सिन्धु, माही तथा चम्बल इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं।
- उत्तरी भाग को चंबल और उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्डो के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है जो देश का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है।

**(v) विन्ध्य कगारः**

- बुंदेलखंड एवं विन्ध्याचल श्रेणी के बीच एक कगारी भूमि के रुप में स्थित एक उबड़-खाबड़ आर कटा-छटा क्षेत्र है। कठोर बलुवा पत्थर यहां की प्रमुख चट्टान हैं।

**(vi) विन्ध्याचल श्रेणीः**

- यह श्रेणी नर्मदा घाटी के उत्तर में गुजरात से सासाराम (बिहार) के बीच 1050 किमी. की लंबाई में फैली है।
- यहां अवसादी शैलों की प्रधानता है। लाल बलुवा पत्थर जैसी इमारती पत्थर भी यहां पायी जाती है।
- यह श्रेणी एक जलविभाजक भी हैं।
- यह भाग नर्मदा और सोन जैसी भ्रंश घाटियों का क्षेत्र है।

**(viii) नर्मदा घाटीः**

- यह घाटी पूर्वी-पश्चिम लगभग 1312 किमी. की लंबाई में विन्ध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच फैली हुई है।
- यह नदी एक संकरें भ्रश घाटी में अमरकंटक से बहते हुए बीच-बीच में प्रपाती मार्ग बनाती है और पश्चिम में रामपीपली श्रेणी होते हुए तटीय मैदान में उतर जाती है।
- कपिल धारा, दूधधारा, सहस्यधारा, धुआंधार जैसे दर्शनीय प्रपात एवं संगमरमर की घाटी इसी नदी के अपवाह क्षेत्र में है।

**(vii) सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्रः**

- पूर्व-पश्चिम लंबाई में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के बीच उठा हुआ ब्लॉक पर्वत है।
- मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी अमरकंटक ।
- अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी निकलती है।
- धूपगढ़ के समीप स्थित पचमढ़ी मध्यप्रदेश का प्रमुख स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान है।
- इस क्षेत्र में नीस और बैसान्ट शैलें प्रमुख रूप से मिलती हैं।

## प्रायद्वीपीय भारत एवं दक्कन का पठार

- दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है।
- यह त्रिभुजाकार पठार पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, सतपुड़ा मैकाल व राजमहल पहाड़ियों के बीच 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है।
- इस पठार के आधार प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। इसमें जीवाशम रहित ग्रेनाइट नीस, बैसाल्ट, चूना पत्थर तथा क्वार्टज शैलें मिलती हैं।

### पश्चिमी घाट

- पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के अरब सागरीय तट के समान्तर पश्चिमी किनारे पर 1600 किमी. की लंबाई में विस्तृत है।
- पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी न होकर प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है।
- पश्चिमी घाट उत्तरी मध्य व दक्षिण साह्याद्रि में बँटा है।
- कालसुवाई (1664 मी.) उत्तरी सह्याद्रि की एक अन्य महत्वपूर्ण चोटी है।
- कुद्रेमुख (1664मी.) मध्य सह्याद्रि महत्वपूर्ण चोटी है।
- नीलगिरि की पहाड़ी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है।
- दोदाबेट्टा (2637 मीटर) नीलगिरि की सबसे ऊँची चोटी एवं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है।
- अन्नामलाई की पहाड़िया नीलगिरि के दक्षिण में है, यह सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है।

### पूर्वी घाट

- पूर्वी तटीय मैदान के समान्तर महानदी से नीलगिरि तक 1300 किमी. की लंबाई में पूर्वी घाट का विस्तार है।
- महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने इस भाग को खण्डित कर दिया है। इस कारण यह अलग-अलग पहाड़ियों के रुप में मिलता है।
- उत्तर से दक्षिण की ओर यहां की प्रमुख पहाड़ियां हैं, शेवराय, जवादी, तटलामलाई, पालकोंडा एवं नीलगिरि।
- पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी महेन्द्रगिरि है (1501 मी.)।

## भारत के द्वीप

- अरब सागर के द्वीप प्रवाल भित्तियों के जमाव हैं जो ज्वालामुखी द्वीपों पर संग्रहित हैं।
- उसके अलावा गंगा के मुहाने, मन्नार की खाड़ी एवं पूर्वी व पश्चिमी तटों के सहारे डेल्टाओं जमाओं से निर्मित कई अपतटीय द्वीप हैं।

### बंगाल की खाड़ी के द्वीप

- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं।
- नारकोंडम सुसुप्त व वैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
- मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है।
- अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट सैंडल (732 मी.) है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। लैंडफौल द्वीप अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है।
- निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट धुलियर है।
- डंकनपास छोटे अंडमान व बड़े अंडमान के बीच स्थित है।
- $10^0$ चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है।
- भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन प्वाइंट (इंदिरा प्वांइट) ग्रेट निकोबार पर स्थित है।
- पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है।

### अरब सागर के द्वीप

- लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं।
- अन्ट्रोल द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जबकि अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है।
- कावारती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। कावारत्ती, मिनिकॉय द्वीप से $9^0$ चैनल द्वारा अलग होता है।
- मिनिकॉय द्वीप $8^0$ चैनल द्वारा मालद्वीप से अलग होता है।
- लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से 10 पर ही आबादी है।
- खम्भात की खाड़ी में दीवद्वीप 12 किमी.लंबा द्वीप है।
- खम्पात की खाड़ी में द्वीवद्वीप 12 किमी. लंबा द्वीप है।
- नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर खादियाबेट एवं अलियाबेट मुख्य द्वीप हैं।
- एलीफेण्टा द्वीप मुंबई के पास है।
- सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा है।

### अन्य द्वीप

- हुगली के मुहाने पर गंगा सागर एवं न्यूमूर द्वीप है।
- व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी के मुहाने पर, श्री हरिकोटा द्वीप (आंध्र प्रदेश), परिकुड द्वीप (चिल्का झील) पंबन, क्रोकोडाइल एवं अडुण्हा, (मन्नार की खाड़ी), भटकला, सेण्ट मेरी, पित्रनकाक (मंगलौर तट), पिरम, मैंसला (काठियावाड़), दीव, वैदा, नौरा, पिरवन, करुबभर (कच्छ तट), अंजीदीव (गोवा), व्यापिन (कोच्ची तट)।
- कच्छ के 42 द्वीप मैरिन नेशनल पार्क के भाग हैं।
- हेयर द्वीप तूतीकोरन के निकट है।

## भारत के अपवाह तंत्र

- अपवाह का अभिप्राय जलधाराओं एवं नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से है।
- अपवाह तंत्र को विकसित करने वाले कारकों में संरचना भूमि की ढाल जल की मात्रा, जलप्रवाह का वेग और आकार प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

**भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है-**

1. हिमालय की नदियां 2. प्रायद्वीपीय नदियां

## सिंधु अपवाह तंत्र

- सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है।
- सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किमी. है।
- सिंधु नदी के बायीं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पांच नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाव और झेलम सबसे प्रमुख हैं।
- सिंधु नदी अपने ऊपरी भाग में विशाल गार्ज का निर्माण करती हैं। गुंजी गार्ज (5181 मी.) विश्व की सबसे गहरी गार्ज है।
- सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है।
- भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम और चेनाव के 20 प्रतिशत जल का ही उपयोग कर सकता है।

### झेलम नदी

- झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के निकट (कश्मीर) में है।
- भारत में इसकी लंबाई 400 किमी. एवं अपवाह क्षेत्र 28490 किमी. है।
- मुजफ्फराबाद एवं मंगला के बीच यह नदी भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ बहती है।
- त्रिमू के पास यह चेनाब नदी में मिल जाती है।

### चेनाब नदी

- चेनाब नदी का उद्गम लाहुल जनपद में बड़ा लाचा दर्रे के निकट है।
- हिमालय प्रदेश में इस नदी को चन्द्रभाग के नाम से जाना जाता है।
- चेनाब की कुल लंबाई 1180 किमी. है एवं भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 26755 वर्ग किमी. है।
- यह नदी किश्तवार के निकट पीरपंजाल श्रेणी में गहरा गार्ज बनाती है।

### रावी नदी

- रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट (बंगाहल बेसिन) है।
- भारत में उसकी कुल लंबाई 725 किमी. एवं अपवाह क्षेत्र 5957 वर्ग किमी. है।
- यह नदी धौलाधार श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करती है।
- यह सरायसिंधु (मुल्तान) के पास चेनाब से मिलती है।

### व्यास नदी

- व्यास नदी रोहतांग दर्रे पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है।
- उसकी कुल लंबाई 470 किमी. एवं अपवाह क्षेत्र 25900 वर्ग किमी. है।
- यह हरिके के निकट सतलज में मिल जाती है।

### सतलज नदी

- यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल से निकलती है।
- इस नदी की कुल लंबाई 1500 किमी. (भारत में 1050 किमी.) है एवं भारत में अपवाह क्षेत्र 24087 वर्ग किमी. है।
- भाखड़ा-नांगल परियोजना हरिके एवं साहिद नहर तंत्र इसी नदी पर बने हैं।

## गंगा अपवाह तंत्र

- गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मी. की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है।
- देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है।
- अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ हिमानी है अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा व गंगा विष्णु प्रयाग के पास मिलती हैं।
- गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व क्रमवत् है- रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी।
- इसके दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, सोन एवं महानंदा प्रमुख हैं।
- बांग्लादेश में गंगा पहले पद्मा और आगे मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण (गंगा-ब्रह्मपुत्र) का डेल्टा 81500 वर्ग किमी.) करती है।

## ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र

- ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है। जिसे तिब्बत में 'सांगपों' कहा जाता है।

- विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र तीन देशों तिब्बत (चीन) भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है।
- दो सहायक नदियों दिहांग एवं लोहित से मिलने के बाद यह 'ब्रह्मपुत्र' के नाम से असम घाटी में बहती है।
- जब बांग्लादेश में दाहिनी ओर तिस्ता नदी इससे मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है।
- अंत में यह पद्मा में विलीन हो जाती है जो बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है।
- ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किमी. (भारत में 1346 किमी.।
- यह नदी असम में मंजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।

## अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां

### नर्मदा नदी

- नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक शिखर से होती है। नर्मदा की लंबाई 1312 किमी.।
- नर्मदा के अपवाह क्षेत्र का 87% भाग मध्य प्रदेश में 11.5% गुजरात में एवं 1.5% महाराष्ट्र में है।
- इसके उत्तर में विन्ध्यांचल पर्वत एवं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, इनके बीच में यह भ्रंश घाटी में बहती है।
- तवा, बरनेर, शक्कर, हिरान, मान, कोलार, बुढ़नेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां है।
- इसके द्वारा अनेक जलप्रपातों का निर्माण किया गया है, जिनमें कपिलधारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा, दुग्धधारा आदि प्रमुख हैं।
- भड़ौच (गुजरात) के निकट ज्वारनद मुख (एश्चुअरी) का निर्माण करते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
- नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है।

### ताप्ती नदी

- यह मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी (762मी. ऊंचाई) से निकलती है।
- यह सतपुड़ा एवं अजंता पर्वतों के बीच अंश घाटी होकर प्रवाहित होती है।
- इसकी प्रमुख सहायक नदी पूरणा है।
- यह नर्मदा के समान्तर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर खंभाता की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती भी एश्चुअरी बनाती है।
- इसके मुहाने पर सूरत सबसे प्रमुख नगर है।
- काकरापार एवं उकाई परियोजनाओं के द्वारा इसके जल का उपयोग होता है।
- ताप्ती नदी 740 किमी. लंबी है।
- ताप्ती बेसिन का 79% भाग महाराष्ट्र में 15% भाग मध्यप्रदेश में एवं 6% भाग गुजरात में पड़ता है।

### साबरमती नदी

- साबरमती पश्चिम-वाही तीसरी प्रमुख नदी है जो राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खम्भात की खाड़ी में गिरती है।
- यह 320 किमी. लंबी है और इसका अपवाह क्षेत्र 21895 वर्ग किमी. है।
- अहमदाबाद इस नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर है।
- हमवती, मेशवा, वन्नाक आदि प्रमुख सहायक नदियां है।

## बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां

### महानदी नदी

- महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है।
- महानदी 858 किमी. लंबी है एवं इसका अपवाह क्षेत्र 141589 वर्ग किमी. है।
- महानदी के अपवाह क्षेत्र का 53% भाग छत्तीसगढ़ में एवं 4% भाग मध्यप्रदेश में है।
- महानदी की प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, मांद, ईब, जोंक, ब्राह्मणी एवं वैतरणी नदियां हैं।
- महानदी कटक के निकट डेल्टा बनाती है।
- हीराकुंड, टिकमपारा व नराज इस नदी पर स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं है।
- महानदी पाराद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है।

## भारत की प्रमुख झीलें

| झील | राज्य |
|---|---|
| राजसमंद झील | राजस्थान |
| पिछौला झील | राजस्थान |
| डीडवाना झील | राजस्थान |
| पुलिकट झील | तमिलनाडु |
| ऊटी झील | तमिलनाडु |
| हुसैन सागर झील | आंध्र प्रदेश |
| नागार्जुन सागर | आंध्र प्रदेश |



KOTHARI INSTITUTE

| | | |
|---|---|---|
| • | सांभर झील | राजस्थान |
| • | पंचपद्रा झील | राजस्थान |
| • | डल झील | जम्मू-कश्मीर |
| • | बूलर झील | जम्मू-कश्मीर |
| • | पन्पांग झील | जम्मू-कश्मीर |
| • | लोकटक झील | मणिपुर |
| • | नैनीताल | उत्तराखंड |
| • | अष्टामुडी झील | केरल |
| • | सांगमी झील | सिक्किम |
| • | चिल्का झील | उड़ीसा |
| • | राक्षसताल | उत्तराखंड |
| • | सूरजकुण्ड | हरियाणा |
| • | रेणुका झील | हिमाचल प्रदेश |
| • | लोनार झील | महाराष्ट्र |
| • | बेम्बनाड झील | केरल |
| • | करंजी झील | कर्नाटक |
| • | कुक्काराहल्ली झील | कर्नाटक |

# भारतीय कृषि

## भारत की प्रमुख फसलें

### चावल

- यह एक उष्णकटिबंधीय फल है जिसके लिए भारत की मानसूनी जलवायु एक उपयुक्त स्थिति है।
- यह खरीफ फसल है जिसे गर्म और आर्द्र जलवायु में उगाना और लाभकारी है।
- भारत में सकल बोई गई भूमि के 23% भाग पर चावल की खेती होती है।
- खाद्यान्न उत्पादन में चावल हेतु प्रयुक्त कुल क्षेत्र 47% है।
- विश्व में चावल के अंतर्गत कुल क्षेत्र के आधार पर भारत में 28% क्षेत्रफल आता है। इस आधार पर सर्वाधिक चावल क्षेत्र भारत में है।
- विश्व में उत्पादन के आधार पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन तथा दूसरे स्थान पर भारत।
- चावल की किस्में जो हाल में विकसित की गई हैं- IR-8, IR-20, जया, पूसा, साबरमती, रत्ना, रटना, कावेरी इत्यादि।
- राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र कटक (उड़ीसा) में है।

### गेहूं

- भारत में चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान।
- भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर और कुल बोए गए क्षेत्र में 13.14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है।
- हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा।
- देश में गेहूं का 35% उत्पादन उ.प्र. में होता है।
- भारत में विश्व का 12% गेहूं उत्पादन होता है।
- शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है।
- रबी की फसल होने के कारण सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है।

### ज्वार

- मोटा अनाज की श्रेणी में ज्वार आते हैं।
- इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा जलोढ़ अथवा चिकनी मिट्टी है।
- सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है।
- कर्नाटक और मध्यप्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः आते हैं।
- द.राज्यों में यह खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में बोया जाता है।
- उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है।

### बाजरा

- ज्वार से भी शुष्क परिस्थितियों में बाजरे का उत्पादन कृषि की जाती है।
- भारत के प. तथा उ.प्र. भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है।
- यह एकल और मिश्रित फसल के रुप में बोया जाता है। यह देश के लगभग 5.2% भाग पर बोया जाता है।
- प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य-महाराष्ट्र, गुजरात, उ.प्र., राजस्थान हरियाणा।

### मक्का

- खाद्य फसल व चारा फसल दोनों है,जो निम्न कोटि की मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायवीय परिस्थिति में उत्पन्न होती है।
- भारत के कुल बोये गए क्षेत्र में 3.6% भाग में बोई जाती है।
- यह पूर्वी और उ.पूर्वी भारत को छोड़ देश के सभी हिस्से में पायी जाती है।
- मक्का हेतु सबसे उपयुक्त मृदा नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी है।

### जौ

- मोटा अनाज है जिसे शुष्क व बुलई मिट्टी में बोते हैं।

KOTHARI INSTITUTE

- शीत या नमी सहन करने की क्षमता अधिक होती है।

**दालें**

- प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के स्त्रोत
- फलीदार फसलों की श्रेणी में आते हैं।
- नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाते हैं।
- भारत विश्व का 20% दाल उत्पन्न करता है।
- दालों की अधिकतर खेती दक्कन, पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर प. क्षेत्रों व शुष्क भागों में की जाती है।
- चना और अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं।
- रबी, फसल और जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दालें आती हैं।
- सर्वाधिक दलहनी फसलें महाराष्ट्र में उगायी जाती है।
- दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत विश्व में प्रथम है।

**चना**

- उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। जो देश के मध्य पश्चिम ओर उत्तर पश्चिम भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है।
- इस फसल को उगाने के लिए मात्र एक या दो बार हल्की बारिश तथा कम से कम सिंचाई की जरूरत होती है।
- हरियाणा व पंजाब में हरित क्रांति के प्रचार से चने की उत्पादकता में कमी आई है।
- म.प्र., उ.प्र., महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।

**अरहर/तूर**

- लाल चना या पिजन पी के नाम से जानते हैं।
- मध्य व दक्षिण भारत में शुष्क परिस्थितियों में बोई जाती है।
- भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी 2-3% है।
- इसका एक तिहाई $^1/_3$ उत्पादन महाराष्ट्र करता है।
- अन्य उत्पादक राज्य उ.प्र., गुजरात, कर्नाटक है।

**तिलहन**

- खाद्य तेल निकालने हेतु तिलहन की कृषि की जाती है।
- मालवा पठार, मरवाड़ा, गुजरात, राजस्थान
- आंध्र प्रदेश तेलंगाना, रायलसीमा भारत के प्रमुख तिलहन उतपादन क्षेत्र है।
- मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं।
- भारत विश्व का 17% मूंगफली उत्पादन करता है। यह रबी की फसल है।
- गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं।
- तोरिया और सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं। जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा आदि।
- यह भारत के मध्य व उ.प.भाग में रबी ऋतु में बोई जाती हैं।
- सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है।
- सोयाबीन अधिकतर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में होती है।
- सूरजमुखी की फसल का सांद्रण कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है।

**रेशेदार फसलें**

- कपास व जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसल है।
- कपास उष्ण कटिबंधीय फसल है। यह देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है।
- अमेरिकन कपास को देश के उत्तर प.भागों में "नरमा" कहते हैं।
- विश्व के तीन प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चीन, अमेरिका, पाकिस्तान।
- यह विश्व के समस्त कपास उत्पादन का 8.3% भाग का उत्पादन करता है।
- कुल बोये गए क्षेत्र का 4.7% क्षेत्र कपास के अंतर्गत है।
- भारत में कपास के तीन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उ.प्र. भारत-पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, प.- गुजरात, महाराष्ट्र, द.- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु
- जूट रेशेदार फसल है। जिसे बोरे, रस्सियाँ, कपड़े आदि बनाए जाते हैं।
- 71% जूट का उत्पादन प.बंगाल करता है।

**गन्ना**

- यह एक उष्ण कटिबंधीय फसल है।
- वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है।
- भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादक-महाराष्ट्र व गुजरात है।
- द.भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश में सिंचाई वाले भागों में की जाती है।
- विश्व में गन्ना उत्पादक देशों में ब्राजील के बाद भारत का स्थान दूसरा है।

- लगभग विश्व के 23% गन्ने का उत्पादन भारत में है।
- भारत में उ.प्र. लगभग 40% गन्ना उत्पादन करता है।
- द.में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। जहां इसका उत्पादन स्तर अधिक है।

**चाय**

- एक रोपण कृषि है।
- चाय की पत्तियों में कैफिन और टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है।
- उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की यह देशज फसल है।
- यह उष्णआर्द्र कटिबंधीय जलवायु तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित क्षेत्रों की फसल है।
- भारत में चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी से शुरु की गई।
- बाद में यह प.बंगाल के उप हिमालयी भागों (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूचविहार जिलों) में प्रारंभ की गई।
- द.भारत में यह प.घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों पर निचले ढालों पर की जाती है।
- चाय के निर्यात में भारत का श्रीलंका और चीन के पश्चात् विश्व में तीसरा स्थान आता है।
- असम देश का आधे से अधिक चाय पैदा करता है।

**कॉफी**

- कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है।
- कॉफी के बीजों से कॉफी बनाई जाती है।
- कॉफी की तीन किस्में भारत में है।- अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका
- भारत में अरेबिका कॉफी की किस्म सर्वाधिक मिलती है।
- भारत विश्व का लगभग 5% कॉफी उत्पादन करता है।
- भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन में 6वां स्थान है।
- देश में 2/3 कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है।

**भारत में भू-राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू-उपयोग वर्गीकरण क्षेत्र वन परिभाषा-** वनों को दो स्तरों पर परिभाषित करते हैं। वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वास्तविक क्षेत्र। वर्गीकृत वन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा सीमांकित कर विकसित किए जाते हैं। जबकि वास्तविक वन क्षेत्र प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं।

**गैर-कृषिगत भूमि**

- बस्तियों, अवसंरचना, गैर कृषिगत कार्यों हेतु प्रयुक्त भूमि
- यह मुख्यतः द्वितीयक व तृतीयक कार्यकलापों से संबंधित क्षेत्र है।

**बंजर भूमि (व्यर्थ भूमि):** वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी के आधार पर भी ठीक नहीं की जाती।

**स्थायी चारागाह क्षेत्रः** ग्राम पंचायत और सरकारी स्वामित्व की भूमि साझा सम्पत्ति के रुप में विकसित। इसमें थोड़ा का क्षेत्र निजी स्वामित्व में आता है।

**विविधतर फसल व उपवन क्षेत्रः** वह भूमि जो पिछले पांच वर्ष से अधिक समय तक परती हो।

**वर्तमान परती भूमि :** वह भूमि जो कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है।

**पुरातन परती भूमिः** वह भूमि जो कृषि योग्य है तथा एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष कम समय तक कृषि रहित हो।

**निवल बोया गया क्षेत्रः** वह भूमि जिसपर फसलें उगाई व काटी जाती है।

**रक्षित संचित कृषिः मुख्य उद्देश्य**

- आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाता है।
- वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है।

**उत्पादक सिंचाई कृषिः उद्देश्य**

- फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है।
- जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक है।

**शुष्क भूमि खेती**

- भारत में ऐसी कृषि उन क्षेत्रों में की जाती हैं जिसमें वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम है। रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार (चारा फसलें)

**आर्द्र भूमि कृषि**

- यहां जल की आवश्यकता अधिक होती है। ये प्रदेश बाढ़ व मृदा अपरदन का सामना करते हैं। चावल, जूट, गन्ना इत्यादि। ताजे पानी की जल कृषि भी कहते हैं।

**स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं-**

- व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों को उगाना।, कृषि गहनता को बढ़ावा, कृषि योग्य बंजर या परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना।
- 1966 में "हरित क्रांति" की शुरुआत की गई तथा गेहूं की मैक्सिको किस्म और चावल की फिलिपींस किस्म कृषि के लिए उपलब्ध हुई।

- संवैधानिक संशोधन सहकारी समितियों में सशक्तिकरण से जुड़ा है।
- वर्ष 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि, पशुपालन जलकृषि को प्रोत्साहन देना।
- 1950-53 में जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया।
- 1960 में भू-दान आंदोलन हुआ।
- भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्बनिक खेती (Orgnic Agriculture) की शुरुआत की गई।
- कार्बनिक खेती के जनक अल्बर्ट हावार्ड माने जाते हैं।
- 10वीं पंचवर्षीय योजना से राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना की शुरुआत की गई।
- कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है।
- "जीरो फार्मिंग"(Zero Farming) कार्बनिक कृषि की ही एक प्रक्रिया है। जिसमें पहले तीन वर्ष तक खेतों में उर्वरक व कीटनाशक न डालकर जमीन पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है।
- 2009 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने मेगा फूड पार्क (Mega Food Park) योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का रुपांतरण करना है।
- इसमें खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखला में फसलों को नष्ट होने से बचाना, कच्चे माल की निरंतर पूर्ति को सुनिश्चित करना है।
- **गेतूल सूद-** एशिया का पहला मेगा फूड पार्क है।
- कृषि एवं संवर्द्धित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा) 1986 में अस्तित्व में आया।
- एपिडा का कार्य कृषि उत्पादों का संकट बीजों को विकसित करना, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना और निर्यात वृद्धि है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) में चावल, गेहूं, दलहनों का उत्पादन 10, 8 और 2 मि. टन करना है।
- सूक्ष्म कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMMI): 2006 से शुरु

### भारतीय कृषि की समस्याएं

- अनियमित मानसून • निम्न उत्पादकता
- वित्तीय संसाधनों में बाध्यताएं • ऋण ग्रस्तता
- भूमि सुधारों में कमी • वाणिज्यिकी करण की धीमी प्रगति • भूमि की निम्नीकरण

## भारतीय पशु संसाधन

- मिश्रित कृषि में कृषि व पशुपालन साथ-साथ होता है।
- विश्व में सर्वाधिक मवेशी भारत में हैं।
- उत्तर प्रदेश मवेशी पालन में प्रथम जबकि मध्यप्रदेश दूसरा है।
- भारत विश्व में भैंस नस्लों की गुणवत्ता में सर्पोवरि है।

### भेड़

- भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में छठा स्थान है।
- यहां मेरिनों भेड़ का आयात किया जाता है।
- हस्साडेल व कोरियाडेल भेड़ों की वर्णसंकट नस्ल है।
- हरियाणा के हिसार जिले में केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है।
- राजस्थान में अंबिकानगर तथा सूरतगढ़ में केन्द्रीय भेड़ अनुसंधान है।

### बकरियां

- बकरियां "गरीबों की गाय" कही जाती हैं।
- चम्बा, गड्डी (हिमाचल प्रदेश), कश्मीरी पश्मीना (कश्मीर), बीतल (पंजाब), सूरती, दकनी (प्रायद्वीपीय भारत) की कुछ प्रभाव नस्लें हैं।
- "मोहेर" बकरी की वर्णसंकट नस्ल है।
- जमुनापारी (यू.पी.) सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है।

### मुर्गीपालन

- मुर्गियों की प्रमुख देशी नस्ल उ.प्र., आंध्र प्रदेश की "असील" चिटगांव (प.बंगाल) धगूस (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक)
- सबसे अधिक मुर्गीपालन आंध्र प्रदेश।
- देशी नस्ल असील, धूगस, चिटगांव।
- (NAFED) राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर मुर्गी प्रजनन फार्म स्थापित किए गए है।
- 2009-10 केन्द्र प्रायोजित कुकुट विकास योजना शुरु की गई।

### मत्स्यन

- भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है।
- ताजे जल की मछलियों में उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है।
- इसका सर्वाधिक उत्पादक प.बंगाल है।
- आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्रमशः इसके बाद है।

- केरल सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक राज्य है।
- गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इसके बाद है।
- झींगा पालन में आंध्रप्रदेश का प्रथम स्थान है।
- मुम्बई में केन्द्रीय मत्स्य अनुसंधानशाला है।
- अवरोही क्रम मत्स्य उत्पादन का केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
- **मोती देने वाली मछलः** मन्नार की खाड़ी, सौराष्ट्र कच्छ, पम्बन चैनल से

## बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ

- भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के अंतर्गत नहरें, कुएं, नलकूप डीजल, तालाब आदि आते हैं।
- सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता के आधार पर प्रकृति निर्धारित की जाती है।

| परियोजनाएं | क्षमता |
|---|---|
| **लघु सिंचाई परियोजनाएं** | 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपसेट इत्यादि आते हैं। 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन शुरु की गई। |
| **मध्यम सिंचाई परियोजनाएं** | 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच। नहरें प्रमुख हैं। |
| **वृहत सिंचाई परियोजनाएं** | 10000 हेक्टेयर से अधिक। बांध इसके उदाहरण हैं। |

बड़ी और मध्यम परियोजनाएं देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

### दामोदर घाटी परियोजना

- स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है।
- इसका विस्तार झारखण्ड और प. बंगाल में है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परि. (1933) के आधार पर 1948 में इसका विकास किया गया।
- 1948 से दामोदर वैली कोऑपरेशन (DVC) की शुरुआत हुई।
- दामोदर नदी छोटानागपुर की पहाड़ियों से निकलकर प.बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है।
- इस परियोजना पर तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत बांध बनाए गए।
- बोकारो, दुर्गापुर, चन्द्रपुरा, पतरातू में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया।

### भांखड़ा नांगल परियोजना

- यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है।
- संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध (226 मी.) है।
- गोविंद सागर बांध (हिमाचल प्रदेश) इसी पर है।
- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित हैं।

### रिहंद बांध परियोजना

- सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बांध बनाया गया।
- बांध के पीछे "गोविन्द वल्लभ पंत सागर" नामक कृत्रिम झील बनाई गई।
- "गोविन्द वल्लभ पंत सागर" भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
- यह मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है।

### हीराकुंड बांध परियोजना

- उड़ीसा संभलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है तथा संसार का सबसे लंबा बांध है।

### गंडक परियोजना

- यह भी नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है।
- इनमें मुख्य नहर गंडक पर बने वाल्मिकी नगर बैराज से निकाली गई है।

### कोसी परियोजना

- यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है।
- विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को "उत्तरी बिहार का शोक" कहा जाता है।
- मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज (नगर) से निकाली गई है।
- भविष्य में इस योजना के शक्ति गृहों को दामोदार घाटी परियोजना के शक्तिगृहों से मिलाकर नेटवर्क बनाने की भी योजना है।

### इंदिरा गांधी (राजस्थान नहर) परियोजना

- इस परियोजना में रावी और व्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है।
- व्यास नदी पर पोंग नामक बांध नहर है। जिससे उ.प्र. राजस्थान के गंगा नगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जाती है।

### चंबल परियोजना

- यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्यप्रदेश व राजस्थान ने यह परियोजना संयुक्त रुप से बनाई गई है।
- इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश से गांधी सागर



KOTHARI INSTITUTE

बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं।

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है।

### नागार्जुन परियोजना

- यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है।
- बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नाम ''नागार्जुन स्तर'' रखा गया।

### तुंगभद्रा परियोजना

- यह आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के सहयोग से कृष्णा की सहायक तुंगभ्रदा नदी पर मल्लपुरम् के निकट बनाया गया है।

### मयूराक्षी परियोजना

- छोटा नागपुर पठार के उत्तर-पूर्वी भाग की एक छोटी नदी मयूराक्षी के मसानजोर नामक स्थान पर बांधकर झारखंड को बिजली से और प.बंगाल को सिंचाई की नहरों से लाभान्वित किया जा रहा है।
- इसे 'कनाडा बांध' भी कहते है।

### शरावती परियोजना

- यह परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना नदी पर है।
- मुंबई-पुणे औद्योगिक क्षेत्र को यहीं से बिजली भेजी जाती है।

### बगलिहार परियोजना

- यह परियोजना जम्मूकश्मीर में चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है।
- इसके निर्माण को 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन माना जाता है।
- हाल ही में भारत के पक्ष को स्वीकारते हुए बांध की ऊंचाई 1मी. घटाने को कहा गया।

### किशनगंगा परियोजना

- यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर 330 मेगावाट की जल-विद्युत परियोजना है।
- इस पर भूमिगत सुरंग बनाने की भी बात है।
- झेलम नदी पर ही बनाई जा रही बुलर बैरेपे परियोजना को लेकर दोनों देशों में विवाद है।
- पाकिस्तान इसे 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है।

### केन बेतवा लिंक परियोजना

- इसका शुभारंभ 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत किया गया।
- इस परियोजना का नाम 'अमृत क्रांति परियोजना' है।
- इसे उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में चलाया जा रहा है।
- इसकी क्षमता लगभग 9 लाख हेक्ट की सिंचाई की है।
- इस पर 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

### सरदार सरोवर परियोजना

- मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है।
- यह नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है।
- इसमें कुल 6 बहुउद्देशीय, 5 जलविद्युत, 15 सिंचाई परियोजना हैं।
- पूर्ण होने पर यह भारत का सबसे बड़ी कमान क्षेत्र विकसित परियोजना होगी।
- इसका उद्देश्य सिंचाई के अलावा, घरेलू जलापूर्ति रोजगार पशुपालन, मत्स्यकी, बाढ़ नियंत्रण व नहरी परिवहन है।
- इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा।

### टिहरी परियोजना

- उत्तराखंड में भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है।
- यह विश्व का सबसे ऊँचा चट्टान आपूरित बांध होगा। यह परियोजना तीन स्तरों पर चलाई जा रही है-
  प्रथम चरण 1000 मेगावाट
  द्वितीय चरण 1400 मेगावाट
  तृतीय चरण 2400 मेगावाट
- बाढ़ तथा सूखा को कम करना, मत्स्य पालन, नहरी परिवहन इसका उद्देश्य है।

### देवसारी बांध परियोजना

- उत्तराखंड की पिंडर घाटी में गढ़वाल के चमोली जिले में पिंडनू नदी पर यह परियोजना है।

### जल और जल परियोजनाओं से जुड़े तथ्य

- भारत में CADP (कमांड ऐरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम) की शुरुआत 1973-74 की गई।
- कमान ऐरिया का अर्थ वह क्षेत्र है जिनमें बांधों से नहरें निकाल कर खेती की जाती है।

- भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना से जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम (Watershed Management programme) की शुरुआत की गई।
- 10वीं पंचवर्षीय योजना में "हरियाली" नामक कार्यक्रम जल संभरण से ही संबद्ध है।
- 6 अप्रैल 2011 को "राष्ट्रीय जल मिशन" को स्वीकृति दी गई।
- इसमें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित होने वाले आठ राष्ट्रीय मिशन है।
- इस मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल को लेकर जागरुकता व समान वितरण है।

## खनिज संसाधन

भारत मे खनिज संपदा का विशाल भंडार है, जिससे उद्यौगों को विशेषकर लोहा उद्यौग को कच्चा माल मिलता है। भू-गर्भिय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में कई संपदा वाले 50 क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में 400 स्थलों पर खनिज मिलते हैं। भारत में लोहा अयस्क का बहुत विशाल भण्डार है।

भारत लोहे के अलावा मैगनिज, क्रोमाईट, टाइटेनियम, मैग्नासाईट, केनाईट, सिलिमनाईट, परमाणु खनिजों अभ्रक और बॉक्साइट न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि इनका बड़ी मात्रा में निर्यात भी करता है।

### लौह अयस्क

- कुड़प्पा व धारवाड़ युगीन आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है।
- लोहा के प्रमुख अयस्कः मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट।
- सर्वाधिक शुद्ध अयस्क मैग्नेटाइट (73%) है।
- देश में हैमेटाइट अधिक पायी जाती है।
- लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चतुर्थ स्थान है।

**भारत में लौह क्षेत्र** - गुरुहिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ी (ओडिशा), क्योझर, सुंदरगढ़, बैलाडिला (छत्तीसगढ़), बेलारी, होस्सेट-सुन्दूर पहाड़ी (कर्नाटक), कुडप्पा व नेल्लेर (आंध्र प्रदेश)।

- ओडिशा लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम है।
- लौह अयस्क का क्रम ओड़िशा कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड।
- कर्नाटक के पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है।
- बेलाडिला की पहाड़ियों का नाम "बैल के हम्प' से मिलती है।

**भारत में लौह अयस्क की पेटियों को चार भागों में विभाजित किया गया है-**

- 1. उड़ीसा-झारखंड पेटी 2. दुर्ग-बस्तर चन्द्रपुर पेटी 3. बेलारी चित्रदुर्ग-चिकमंगलूर-तुमकूर पेटी 4. महाराष्ट्र गोवा पेटी।

### मैंगनीज

- लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रुप में प्रयुक्त किया जाता है।
- यह धारवाड़ की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है।
- साइलोमैलीन और ब्रोमाइट इसके अयस्क हैं।
- इसकी प्राप्ति पाइरेलूसाइट, मैंगनेटाइट, रेडो क्रोसाइट अयस्कों से भी होती है।
- भारत मैंगनीज उत्पादन में विश्व में छठा स्थान रखता है।
- मैगनीज का उपयोग **ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं** व पेंट बनाने के रुप में किया जाता है।

### तांबा

- तांबे की प्राप्ति आग्नेय, अवसादी, कायांतरित तीनों ही चट्टानों से की जाती है।
- तांबे के प्रमुख खनिज हैं सल्फाइड, ऑक्साइड (क्यूप्राइट) तथा कार्बोनेट (मैकेलाइट व एजूराइट)
- लाल और भूरे रंग का खनिज तांबा अत्यधिक तन्यता और विद्युत का उत्तम सुचालक होने के कारण विद्युत कार्यों में अधिक उपयोग में लाया जाता है।
- सिक्किम के रंगपो में तांबा के नए भंडार मिले।
- राजस्थान का **खेतड़ी** देश का प्राचीनतम तांबा क्षेत्र है।
- मध्यप्रदेश तांबे के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है।
- मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है।
- अनुमानित भंडार और उत्पादन दोनों दृष्टि से मध्यप्रदेश राजस्थान झारखंड भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आता है।
- भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा इत्यादि से तांबे का आयात करता है।
- मध्यप्रदेश की बालाघाट खानें देश के 52% तांबे का उत्पादन करती है।

### बॉक्साइट

- बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है।
- बॉक्साइट उत्पादन के क्रम ओडिशा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ है।
- बॉक्साइट का निक्षेप अमरकंटक, मैकाल और कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं।

### चांदी

- इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। गुजरात का भड़ौच दूसरा स्थान है।
- चांदी के उत्पादक राज्य क्रमशः राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड है।
- भारत में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसके पश्चात हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड चांदी का उत्पादन करता है।

### क्रोमाइट

- लोहे व क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनने वाले खनिज क्रोमाइट का उपयोग **धातुशोधन, तापरोधी** कार्यों तथा **रासायनिक** उद्योगों में किया जाता है।
- सर्वाधिक क्रोमाइट (90%) का उत्पादन ओडिशा करता है।
- कर्नाटक के हासन चित्रदुर्ग महाराष्ट्र के रत्नागिरि तथा भंडारा झारखंड के सिंहभूम तथा आंध्र प्रदेश के कोंडापाल्ले में मिलता है।
- क्रोमाइट के उत्पादन में विश्व में भारत का तृतीय स्थान है।

### टिन

- मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका प्रयोग होता है।
- टिन अयस्क का संपूर्ण भंडार छत्तीसगढ़ के बस्तर में है।

### सोना

- आग्नेय व कायांतरित शैलों में सोना पाया जाता है।
- 98% सोना कर्नाटक के कोल्लार तथा हट्टी स्वर्ण खानों में पाया जाता है।
- आंध्र प्रदेश की रत्नगिरी की खानों से सोना निकाला जाता है।
- हाल फिलहाल हरियाणा के सोहना नामक स्थान में गोल्ड रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है।

### हीरा

- कार्बन का सबसे शुद्ध व प्रकृति का सबसे कठोरतम तत्व है।
- विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से आंध्र प्रदेश से निकाला गया।
- मुंबई का जावेरी बाजार हीरे की सबसे बड़ी मंडी है।

### अभ्रक

- यह आगनेय और कायांतरित चट्टान दोनों में पाया जाता है।
- **अभ्रक की तीन प्रमुख किस्में हैं-** (1) श्वेत अभ्रक या रुबी अभ्रक (2) पीत अभ्रक (Hogovite) (3) श्याम अभ्रक (Biotile)
- श्वेत अभ्रक उच्च किस्म का होता है।
- भारत अभ्रक उत्पादन में विश्व में प्रथम है।
- अधिकांश अभ्रक का निर्यात किया जाता है।
- झारखंड, आंध्रप्रदेश तथा राजस्थान अभ्रक के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।
- झारखंड देश का 50% अभ्रक उत्पादक करता है।
- श्वेत अभ्रक और श्याम अभ्रक हजारीबाग, सिंहभूम और फ्लामू जिलों से निकाला जाता है।

### सीमा

- सीसा को गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है।
- गैलेना में **चांदी व जस्ता** मिला होता है।
- सीसा विद्युत का कुचालक है।
- सीसा का सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है।
- जावर राजस्थान की सीसा का खान है।
- हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसे शोधित किया जाता है।
- राजस्थान के भीलवाड़ा का दरीना राजपुरा क्षेत्र भी नए निक्षेप पाए गए हैं।
- सीसा का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है।

### जस्ता

- जस्ता लिंक सल्फाइड, कैलेमीन, जिंकाइट, विलेमाइट, हैमीमोर-फाइट से बनाई जाती है।
- लोहे को जंगरोधी बनाने में इसका सबसे अधिक उपयोग करते हैं।
- सीसे का एक मात्र खान भारत में राजस्थान स्थित जावर की खान है।
- ज्वार की खान को (एचजेडएल) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चलाता है।
- भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जस्ता के अन्य उत्पादक राज्य है।

### जिप्सम

- उर्वरक, सीमेंट, गंधक उपयोगी तत्व है।
- जिप्सम सर्वाधिक राजस्थान से मिलता है।
- राजस्थान का हनुमानगढ़ इसका प्रमुख उत्पादक है।

KOTHARINSTITUTE

- जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले और गुजरात के कच्छ जिले में जिप्सम पाया जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर तिरुनेलवैली व चिंगलपेट में भी जिप्सम पाया जाता है।

### ग्रेफाइट

- यह कायांतरित शैलों में पाया जाता है।
- ग्रेफाइट का दूसरा नाम **''कालासीसा'' या प्लम्बगो** भी है।
- पेंसिल व लेड व परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रुप में किया जाता है।
- झारखंड, ओडिशा (कालाहांडी) प्रमुख उत्पादक है।

### थोरियम

- थोरियम की प्राप्ति मोनाजाइट बालुका निक्षेपों से होती है।
- इसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियम काल की चट्टानों के नष्ट होने होता है।
- केरल के रेत में मोनाजाइट भंडार है।

### यूरोनियम

- **मेटल ऑफ होप**' के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है।
- यूरेनियम के प्रमुख अयस्क है पिंच ब्लेड, सौमर स्काइट तथा थोरियानाइट।
- यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्कियन श्रेणी की शैलों, पेग्मेटाटरस, मोनाजाइट बालू तथा चेरालाइट में होती है।
- झारखंड का **जादूगोड़ा** भारत के यूरेनियम की महत्वपूर्ण खदान है।
- बागजाना, झारखंड में नए यूरेनियम भंडार हैं।
- भारत के अन्य यूरेनियम भंडार आंध्र प्रदेश-नेल्लोर, राजस्थान में उदयपुर, इसका प्रमुख केन्द्र है।
- भारत में उत्तर प्रदेश में मेघालय में यूरेनियम का प्रमुख भंडार है।
- मेघालय की खासी पहाड़ी में 'मेहाडस्क' एक यूरेनियम क्षेत्र है।

### बैरीलियम

- आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती है।
- इसका प्रयोग मिश्र धातु में प्रयुक्त होता है।

### एंटीमनी अथवा सुरमा

- स्टिरबनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है।
- उपयोग विद्युत तार बनाने, टूथपेस्ट बनाने, आभूषण इत्यादि में होती है।

### मॉलिब्डेनम

प्रयोग इस्पताल बनाने में प्रयोग किया गया।

### जिरकन

- इसका प्रयोग अणुशक्ति में किया जाता है।

### बैनेडियम

- मिश्रित इस्पात के निर्माण में।
- मैग्नेटाइट अयस्क के रुप में प्राप्त किया जाता है।

### बाइराट्स

- इसका प्रयोग तेल कुंओं की ड्रिलिंग में होता
- भारत बाइराट्स इसके उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- आंध्र प्रदेश इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है।

### टाइटेनियम

- उपयोग लड़ाकू विमान, मिसाइल युद्धपोत, अंतरिक्ष यान, परमाणु रियेक्टर में प्राप्त है।
- केरल में इसका पहला कारखाना लगाया गया है।

## भारत का ऊर्जा संसाधन

भारत में तीन प्रमुख ऊर्जा संसाधन है, **कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।**

### कोयला

- भारत में पहली बार कोयला रानीगंज कोयला क्षेत्र से निकाला गया।
- कोयले का 98% भाग गोंडवाना क्रम की शैलों में सकेंद्रित है। जोकि पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है।
- मध्यप्रदेश व आंध्र प्रदेश भी इसमें प्रमुख है।
- गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है।
- बिटुमिनस का प्रयोग कोकिंग कोल बनाकर देश में लौह कारखाना में प्रयुक्त किया जाता है।
- प्रायद्वीपीय भारत में सोन-महानदी-ब्राह्मणी, दामोदर नदी घाटी वर्धा-गोदावरी-इंद्रावती घाटी प्रमुख कोयला पेटियां हैं।
- मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है।
- तलचर कोयला क्षेत्र ओडिशा में है।



KOTHARI INSTITUTE

- सिंगरैनी कोयला क्षेत्र का हिस्सा 2% है। इनके माकूम (असम), नेवेली (लिग्नाइट के लिए) पलाना (राजस्थान)
- भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मुन्नारगु में है।

### खनिज तेल

- भारत में तेल के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं- असम तेल क्षेत्र, गुजरात तेल क्षेत्र तथा मुंबई हाई।
- गुजरात राज्य में खंभात तथा अंकलेश्वर महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। जबकि नवगांव, कोसाम्बा ओल्पाद, ढोलका, मेहसाना और कलोल भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।
- जापान से "सागर सम्राट" नामक जहाज इस क्षेत्र में तेल शोधन के लिए लाया गया है।
- कच्चे तेल का उत्पादन में गुजरात प्रथम है।
- भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतट से भी खनिज तेल का उत्खनन किया जाता है।
- राजस्थान में बड़ामेर में **केंथर्न एनर्जी व ओएनजीसी** की संयुक्त रूप से परियोजना "मंगला" तेल क्षेत्र में चल रही है।
- 'भाग्यम' और ऐश्वर्य (राजस्थान) भारत में तेल के दो अन्य प्रचुर भंडार वाले क्षेत्र हैं।
- ओएनजीसी की स्थापना 1956 में तेल के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने हेतु किया गया था।
- 1959 ओ आई एल (ऑयल इण्डिया लि.) का गठन किया
- ओएनजीसी की गहरे समुद्र में ड्रिलिंग परियोजना "बेल्फोर्ड डॉल्फिन" शिप ड्रिल के माध्यम से चलाई जा रही है।
- इस परियोजना का नाम **सागर समृद्धि परियोजना** है।
- ओएनजीसी की विदेशी शाखा (OVLI) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड पूर्वी रुस के सख्लीन द्वीप के तेल क्षेत्र से तेल व प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु निवेश किया।

### कृष्णा-गोदावरी बेसिन

- आंध्रप्रदेश के **यनम काकीनाड़ा** तट से 6 किमी. की दूरी पर यह नये भंडार मिले हैं।
- यहां देश के प्राकृतिक गैस के अबतक के सबसे विशाल भंडार हैं।
- यहां उत्पादन अप्रैल, 2009 से शुरु किया गया।
- विश्व में रूस एकमात्र ऐसा देश है जहां से साइबेरियास में गैस हाईड्रेट्स से मिथेन निकाला जाता है।
- भारत ने चेन्नई के रूस के सहयोग से गैस हाइड्रेटस सेंटर की स्थापना की है।
- भारत में ताप विद्युत के उत्पादन में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है।
- 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की स्थापना हुई।

## भारत में परंपरागत विद्युत उत्पादन

- भारत में 'अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो कोल आधारित है उनकी देख रेख का कार्य पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन करता है। नोडल एजेंसी के रुप में।
- इस परियोजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर विद्युत उपलब्ध कराना है। जिनसे कार्बन उतसर्जन कम हो।
- ज्ञात हो जिन परियोजना की क्षमता 4000 मेगावट से अधिक है उन्हें अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजना कहते हैं। वर्तमान में अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट की संख्या 13 है।
- झासरगुडा का निर्माण रियालंस एनर्जी कर रही है।
- वैली व न्यूनीपल्ली प्रस्तावित अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट है।

### परमाणु विद्युत

- 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई जिसके पीछे डॉ.होमी जे भाभा थे।
- 1954 परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित हुआ।
- मुंबई के निकट ट्राम्बे में भारत का पहला परमाणु संयंत्र 'अप्सरा' स्थापित हुआ।
- भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग 2020 तक 20 हजार मेगावाट नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया।
- वर्तमान में भारत का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में छठा स्थान है।

### कुडनकुलम परियोजना

- यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में निर्माणाधीन है।
- इसके प्रथम यूनिट की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है।
- यह रुस के सहयोग से निर्माणाधीन है।
- 1988 में राजीव गांधी और मिखाइल गोरावाचोव के मध्य समझौते से तैयार किया गया।
- इसके नजदीकी बंदरगाह तूतीकोरन है।
- इसके निर्माण की जिम्मेदारी न्यूक्लीयर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL व एटॉमस्ट्रो की सहायता से की जा रही है।

- इसके बाद में आने का मुख्य कारण है फुकुशिमा जैसी दुर्घटना की संभावना है। इसके इर्द गिर्द के सभी क्षेत्र में 1 लाख लोग प्रभावित हो जाएंगे।

## जैतापुर परियोजना

- यह परियोजना 9900 मेगावाट क्षमता की महाराष्ट्र की है।
- फ्रांस की अणुशक्ति कंपनी '**अरेवा तथा एनपीसीआईसी**' के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है।
- रेडियो एक्टिव कचरे से पर्यावरणीय व मानवीय जीवन को खतरा।

  **नवंबर 2011:** भारत फ्रांस की परमाणु शक्ति नियंत्रण पर ईआरपी सुरक्षा मुद्दे पर वार्ता तथा यह पर्यावरणीय स्तर पर अनुमति है।

  **दिसंबर - 2010:** 'अरेवा' से प्रथम यूनिट निर्माण हेतु हस्ताक्षर।

## जल विद्युत

- भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के **शिव समुद्रम** में 1902 में आरंभ की गई।
- अरुणाचल प्रदेश की लोअर सुवर्णसिरी देश की सबसे बड़ी परियोजना है।
- इसकी क्षमता 2000 मेगावाट है।
- राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना की संभावित क्षमता 15 हजार मेगावाट अनुमानित है।
- 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है।

## ऊर्जा के गैर परंपगत स्त्रोत

- 26 दिसम्बर, 2008 को समेकित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई।
- इस नीति का लक्ष्य आगामी 25 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 9% का विकास दर।
- सौर ऊर्जा उष्ण कटिबंधीय देशों में प्रचुरता से उपलब्ध है।
- इसे फोटोवोल्टिक सेलों से सीधे विद्युत में बदला जाता है।
- भारत में 300 दिन औसतमन 5 k.w. प्रति सेंमी सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है।
- राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को इसका विशेष लाभ मिलता है।
- भारत का पहला गांव जो सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकरण है आंध्र प्रदेश का सालिजीपल्ली गांव है।
- देश का सबसे विशाल ग्रिड फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र प.बंगाल के सागर द्वीप पर कायलापाड़ा गांव में स्थापित है।
- एशिया का सबसे विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र नागपुर में है।
- भारत में एशिया का एकमात्र सौर-तालाब गुजरात के भुज (कच्छ जिला) में है।
- लक्षद्वीप के बंगाम द्वीप समूह में भेल ने सफलता पूर्वक भारत का सबसे बड़ा सोलर डीजल हाब्रिड प्लांट स्थापित किया है।
- नई दिल्ली में सौर ऊर्जा से चलने वाला ''सोलेक्सा'' देश में पहला रिक्शा है।
- भारत में सोलर सिटी परियोजना की शुरुआत 2009 में की गई। 11वीं योजना में 60 शहर इसके अंतर्गत हैं।
- 11 जनवरी, 2010 को जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय (JLNNSM) सोलर मिशन आरंभ किया गया।
- JLNNSM का लक्ष्य 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20,000 मेगावाट सौर उत्पादन का है।
- इस मिशन के अंतर्गत अस्पताल, होटल, गेस्ट हाउस आदि में सोलर हीटर अनिवार्य हैं।
- हवा में गतिज ऊर्जा होती है। जिसका उपयोग सिंचाई और बिजली बनाने में होता है।
- भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल हैं।
- एशिया में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केन्द्र गुजरात के कच्छ में मांडवी में है।
- एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केन्द्र गुजरात के कच्छ में मांडवी में है।
- एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु के मुप्पनडल में है।
- महाराष्ट्र के सतारा में भी पवन ऊर्जा संयंत्र है।
- देश में 2009 के अंत तक कुल 12000 मेगावाट पवन विद्युत क्षमता आंकी गई है।
- पवन ऊर्जा में भारत का स्थान- अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, चीन के बाद भारत का विश्व में पांचवा स्थान हैं।
- भूतापीय ऊर्जा का तात्पर्य भूपटल की ऊष्मा से है। जो कि ज्वालामुखी, गेसर, उष्ण स्त्रोतों से मिलते हैं।

## बायोमास संयंत्र

- बायोमास की प्राप्ति कृषि के उत्पाद व वनोत्पाद से होता है।

- बायोमास से इथेनॉल मिथेनॉल जैसे ईंधन बनाए जाते हैं।
  पंजाब - झालखरी में (चावल के भूसे से)
  दिल्ली - तिमारपुर (कचरे से बायोमास)
  मुंबई में कचरे से बायोमास
  पोर्ट ब्लेयर में गैसीफायर संयंत्र से।

## परिवहन

- भारत में प्रबंध के आधार पर सड़कों को तीन वर्गों में रखा गया है-
  1. राष्ट्रीय महामार्ग (National Highways)
  2. राज्य महामार्ग (State Highways)
  3. सीमावर्ती सड़कें (Border Highways)
- इनके प्रबंध की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। यह कार्य परिवहन मंत्रालय, राज्यों के लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के माध्यम से होता है।
- इनका नियंत्रण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाता है।
- राज्यों की सड़कों का निर्माण, रख रखाव राज्य सरकारें संघ शासित क्षेत्र द्वारा संपन्न होता है।
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क (PMGSY)से वंचित गांवों से जोड़ दिया जाता है। ऐसे गांव 500 से अधिक आबादी वाले हो और इन्हें बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना हो
- पहाड़ी, रेगिस्तानी व जनजातीय क्षेत्रों में 250 या अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है।

### Border Road Development Board

- सीमावर्ती सड़कों के निर्माण व प्रबंधन की जिम्मेदारी सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा की जाती है।
- सीमा सड़क संगठन (Border Road Organisation) भी देश के सीमावर्ती थल सेना की सहायता के लिए तीव्र गति से सड़कों व हवाई पट्टियों का निर्माण करता है।
- सीमा सड़क संगठन-सिक्किम में ''प्रोजेक्ट दंतक'' चलाकर सड़कों की गुणवत्ता का सुधार कर रहा है।
- देश में आर्थि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरु की।
- National Highway Development Programe (NHDP)- फैस 1 व 2 इस परियोजना का नाम हैं-

1. **स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना :** यह देश के चार महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता हैं।
2. **उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर :** उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले 7142 किमी लंबी सड़क मार्ग है। इसमें कोच्चि-सलेमपुर तिर्यक मार्ग की शामिल हैं। पू.प.कॉरीडोर असम के सिल्चर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ने वाली सड़क है।
3. भारत के 12 बंदरगाहों को जोड़ने की परियोजना पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम, चेन्नई-ऐन्नोर, तूतीकोरन कोचीन, न्यू मंगलौर, मार्मागाओं, न्हवाशेवा इत्यादि प्रमुख हैं।

- देश का पहला छः लेन एक्सप्रेस हाइवे मुम्बई-पुणे के मध्य बनाया गया है।
- 2009 में राजीव गांधी बांद्रावर्ली समुद्री सेतु की शरुआत हुई। इसकी लंबाई 6 किमी तथा 20 किमी वैस्टर्न फ्री वे प्रोजेक्ट का यह हिस्सा है।
- यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है। इसमें कुल 8 लेन है।
- रोहतांग सुरंग परियोजना मनाली-लेह राजमार्ग पर दूरस्थ लाहौल स्पीति और पांगी घाटी के लिए हर मौसम में निर्बाध सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करेगी।
- भारत में प्रथम रेलमार्ग 1853 को मुंबई थाणे के बीच बनाया गया। इसकी लंबाई 34 किमी थी।
- भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है।
- रेल लाइनों की अधिकतम लंबाई उ.प्र. में है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश है।
- मेघालय व सिक्किम में कोई रेलमार्ग नहीं है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल परियोजना के लिए नॉन लैप्सेबलफंड की शुरुआत की गयी है।
- मणिपुर में डीजल लोकोमोटिव सेंटर की स्थापना का प्रावधान है।
- कश्मीर घाटी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है।
- पीर पंजाल में श्रीनगर को काजीगुंड व बनिहाल से जोड़ने हेतु रेल सुरंग बनायी जा रही है।
- नवीनगर बिहार में कैपटिव थर्मल पॉवर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।

❑❑❑❑❑❑

# भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity)

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संविधान शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा और लेटिन भाषा के शब्दों से मिलकर मानी जाती है। Constittutio शब्द से मानी जाती है- जिसका मतलब है **नियम या आदेश।**

संविधान से तात्पर्य है एक ऐसे दस्तावेज जिसकी विशिष्ट विधि पवित्रता होती है। जो सरकार के अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के ढांचे को और उनके प्रमुख कार्यों को निर्देशित करता है और उन अंगों के संचालन के लिए मार्गदर्शन, सिद्धांतों को विहित करता है। **- वेड-एन फिलिप**

**संविधान विधि-** सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग ऐसे नियमों के संग्रह के लिए किया जाता है जो सरकार के प्रमुख अंगों की संरचना, उनके पारस्परिक संबंधों और प्रमुख कार्यों के बारे में होती है।

विधि के अर्थ में यह नियम 2 प्रकार के होते हैं- **कठोर विधि के नियम व प्रथाएँ।**

संविधान किसी देशी की राजव्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा होता है जिसके तहत उस देशी की जनता शासित होती है। इसके आधार पर राज्य की समस्त विधियों एवं कार्यों की वैधता को परखा जाता है यह जनता को कुछ अधिकार एवं उन्मुक्तियाँ (छूट) देता है, साथ ही उनके कर्तव्यों एवं सीमाओं का निर्धारण भी करता है।

- भारत के वर्तमान संविधान की निर्माण प्रक्रिया 26 नवम्बर, 1949 को पूर्ण हुई जिसके अनुसार 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू किया गया तथा शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।
- अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय राजव्यवस्था प्रायः राजाओं की इच्छा, धार्मिक एवं विधि संहिताओं, स्मृतियों एवं प्राचीनकाल से चली आ रही परम्पराओं के द्वारा संचालित होती थी।
- ब्रिटिश-राज में भारत का शासन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों एवं चार्टरों के आधार पर संचालित होने लगा।
- इन अधिनियमों एवं चार्टरों का भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, **जो निम्न है-**

### रेग्यूलेटिंग एक्ट-1773

- भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार ''ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी'' अंग्रेज व्यापारियों की कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्ञी ने 31 दिसंबर, 1600 ई. को प्रदान किया।
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व ''ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी'' ने प्लासी के युद्ध एवं बक्सर के युद्ध को जीत कर स्थापित कर लिया था।
- **इस एक्ट का उद्देश्यः** कम्पनी के शासन की बुराईयों को दूर करना तथा कम्पनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था।

**एक्ट की विशेषताएंः**

- इस अधिनियम के तहत बंगाल के गर्वनर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तथा
- मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेन्सियों के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
- बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल **लार्ड वारेन हेस्टिंग** को बनाया गया था।

**बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद् का गठन किया गया -**

1. **इस अधिनियम के तहतः** सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, 1773 को की गई थी
2. सर्वोच्च न्यायालय को **दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों** के व्यापक अधिकार दिये गए।
3. **न्यायालय की संरचनाः** इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगी, तथा इसमें तीन अन्य न्यायाधीश होंगे।
4. इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश **एलिजा इम्पे** थे।

**नोट-** यह एक अभिलेख न्यायालय का था।

### पिट्स इंडिया एक्ट-1784

- **उद्देश्यः** इस एक्ट के तहत रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था।
- इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को दो भागों में बाँटा गया था।

1. राजनीतिक एवं सेना संबंधि कार्यों पर नियंत्रण लाने के लिये ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण मंडल (बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल) का गठन किया।
2. व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण लाने के लिये (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) का गठन किया गया।

**इस एक्ट के तहत**

- छः सदस्य नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई तथा इसे भारतीय प्रशासन के संबंध में विस्तृत अधिकार दिए गए।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई।



KOTHARI INSTITUTE

- प्रांतीय शासन को केन्द्रीय प्रशासन के आदेशों को मानना अनिवार्य कर दिया गया।
- गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया।
- कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

## चार्टर अधिनियम-1793

**उद्देश्यः** कम्पनी के कार्यों एवं संगठनों में सुधार लाना था।

- इस एक्ट के तहत कंपनी के भारत में व्यापार करने के अधिकार को **20 वर्षों** के लिए बढ़ा दिया गया।
- गवर्नर जनरल एवं सभी गवर्नरों को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दिया गया।
- नियंत्रण मंडल के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया।
- सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया।

## चार्टर अधिनियम-1873

**उद्देश्यः** कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लार्ड वेलेजली की भारत में आक्रमणकारी नीति तथा कम्पनी को सोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण है।

- कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया परन्तु **चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार** का एकाधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहा।
- ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई।
- भारतीय शिक्षा के सुधारों के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया गया।
- कम्पनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया।
- नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया।

## चार्टर अधिनियम-1833

**उद्देश्य-** 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कम्पनी के साम्राज्य में जो वृद्धि हुई उसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र, मध्यभारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इन्दौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था।

- इस स्थापित को बनाये रखने के उद्देश्य से अधिनियम 1833 लाया गया था।
- इस अधिनियम के तहत कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया।
- अब कंपनी को भारतीय प्रदेशं के राजस्व के प्रबंध का दायित्व सौंपा गया।
- इस अधिनियम के तहत प्रशासन का केन्द्रीयकरण कर दिया गया।
- तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था।

**नोट-** भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक थे।

- भारतीय प्रदेशों पर कंपनी के शासन के निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार **भारत के गवर्नर जनरल** को सौंप दिया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद को सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, हालांकि इसके द्वारा निर्मित कानून को नियंत्रण मंडल अस्वीकृत कर सकता था।
- भारत के गनर्वर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम (Act) की मान्यता दी गई।
- गनर्वर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया था।
- सम्पूर्ण देश के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई थी।
- भारतीय कानूनों को सहिताबद्ध करने के लिए एक 'विधि आयोग' बनाया गया।
- इस एक्ट के तहत जाति, वर्ण, लिंग एवं व्यवसाय के आधार पर सरकारी सेवाओं में चयन के लिए भेद्भाव अपनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

## चार्टर अधिनियम -1853

- इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन के संबंध में कंपनी शक्तियों को बहुत कम कर दिया गया।
- कम्पनी के शासन की अवधि के संबंध में कहा गया कि जब तक ब्रिटिश संसद दूसरी व्यवस्था न करे तब तक कंपनी का शासन बना रहेगा।
- भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का प्रावधान किया गया।
- सरकारी सेवाओं में नियुक्ति अब निदेशकों की अनुशंसा पर न होकर, प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर करने की व्यवस्था की गई।
- इस प्रकार **'इंडियन सिविल सर्विस'** के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की पहल पहली बार व्यवस्था हुई थी।
- विधि आयोग के सदस्य को गवर्नर जनरल की काउन्सिल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था।
- इस एक्ट के अनुसार लार्ड डलहौजी (1848-56) के शासन काल में अंग्रेजों की साम्राज्य - विस्तार नीति को बढ़ावा मिला था।

- डलहौजी के व्यपगत के सिद्धान्त (Doctrine of Lapse) के तहत कई राजवाड़ों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। (**नोट :** इसी समय 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारम्भ हुआ)।

## भारत सरकार अधिनियम, 1858

**उद्देश्यः** ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिये।

- इस अधिनियम के तहत भारत से 'ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी' के शासन को समाप्त कर दिया गया।
- अब भारत के शासन को 'ब्रिटिश क्राउन' के अधीन रखा गया।
- इस अधिनियम के तहत पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के द्वारा गठित "बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स" को समाप्त कर दिया गया।
- इस के समस्त अधिकार "भारत सचिव" (Secretary of State for India) को सौंपा गया।

### भारत सचिव

- यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था।
- भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
- इस की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया।
- इस परिषद के 7 सदस्यों की नियुक्ति "कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स" करता था।
- वहीं इस परिषद के 8 सदस्यों की नियुक्ति "ब्रिटिश सरकार" करती थी।
- गर्वनर जनरल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था।
- इस अधिनियम के तहत भारत के शासन को "केन्द्रीकृत" कर दिया गया था।
- "पिट्स इण्डिया एक्ट 1784" द्वारा स्थापित **द्वैध शासन प्रणाली** को समाप्त कर भारतीय प्रशासन के सभी अधिकार **"सिविल एवं सैनिक"** कार्यपालिका एवं विधायिका परिषद के गवर्नर को सौंपा गया था।
- अब भारत को गवर्नर जनरल को "भारत का वायसराय" कहा जाने लगा था।

### साम्राज्ञी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा-

**घोषणा-** 1 नवम्बर, 1858 को की गई थी।

1. भारतीय प्रजा को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जायेगा।
2. भारत के लोगों को सरकारी सेवाओं (नौकरी) में भर्ती करते समय मूलवंश, लिंग, धर्म तथा निवास स्थान के आधार पर विभेदित नहीं किया जायेगा।
3. भारत के लोगों के लिए भौतिक एवं नैतिक उन्नति के उपाय किए जायेंगे।
4. भारत के ब्रिटिश प्रभावित वर्ग ने विक्टोरिया की इस घोषणा को "मैग्नाकार्ट" कहा गया था।

## भारत परिषद अधिनियम, 1861

- इस एक्ट के तहत ही विकेन्द्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया।
- इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार "विभागीय प्रणाली" एवं मंत्रिमडलीय प्रणाली (Portfolio system) की नींव रखी गयी।
- वायसराय की परिषद में विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वें सदस्य का पद सृजित किया गया।
- वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था।
- अध्यादेश का प्रभाव विधान परिषद द्वारा पारित कानून के समान होता था तथा यह 6 माह तक प्रवृत (लागू) रह सकता था।
- इस एक्ट में बम्बई एवं मद्रास प्रान्तों को विधि निर्माण करने एवं उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दिया गया।
- यद्यपि वायसराय की अंतिम स्वीकृति जरूरी थी।
- वायसराय को नए प्रांतों का गठन करने, प्रांतों में विधान परिषद स्थापित करने तथा लैफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।

## भारत परिषद अधिनियम, 1892

- **उद्देश्यः** भारत में संसदीय व्यवस्था को स्थापना करने दिशा में अग्रेसित अधिनियम था।
- केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी।
- केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के दो तिहाई सदस्यों को निर्वाचन द्वारा चुने जाने की व्यवस्था की गई थी।
- केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को सार्वजनिक हितों के विषयों पर तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था।
- लेकिन सार्वजनिक हितों के विषयों पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था।

## भारत परिषद अधिनियम 1909

- **उद्देश्यः** देश को साम्प्रदायिक आधार पर बाँटना था।
- इस अधिनियम को मार्ले-मिण्टो सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
- इस एक्ट के तहत केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान-परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी।
- केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में 37 सरकारी और 32 गैर-सरकारी सदस्य थे।

- निर्वाचित सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता था।
- इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (पृथक निर्वाचक मंडल) लागू की गई।
- केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई।

**नोट-** सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, प्रश्न पूछने तथा कुछ विषयों पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। लेकिन अभी भी विधान सभा के प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को प्राप्त था।

- गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी।

**नोट-** प्रथम भारतीय सदस्य सत्येदन्द्र प्रसन्न सिन्हा थे)।

- के.एम. मुंशी के अनुसार मार्ले-मिंटो सुधारो ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला।

## पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली

- इस प्रणाली के अनुसार किसी देश या क्षेत्र के निर्वाचक मंडल को अलग-अलग मतदाता समूहों में बाँटा जाता है। **ये समूह -** धर्म, जाति, लिंग, पेशे आदि के आधार पर बनाया जा सकता है।
- प्रत्येक मतदाता समूह केवल अपने समुदाय से जुड़े प्रतिनिधि के लिए ही वोट करता है।
- वर्ष 1930-32 में अंग्रेजो द्वारा दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली (कम्यूनल अवार्ड) की घोषणा की।
- दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जगह **आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र** की घोषणा की।

# भारत सरकार अधिनियम, 1919

- इस अधिनियम को मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था।

## प्रांतीय स्तर पर- कार्यपालिका

- इस अधिनियम के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत की गई।
- द्वैध शासन के जन्मदाता **सर लियोनिल कॉटिश** थे।
- इस एक्ट के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया।

### 1. आरक्षित विषय-

- इस आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद की सलाह से करता था।
- इस के अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया था। जैसे- कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू-राजस्व, सिंचाई, खनिज-संसाधन इत्यादि।

### 2. हस्तांतरित विषय-

- इस का शासन गवर्नर अपने मंत्रियों की सलाह से करता था।
- इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि इत्यादि।
- इसके मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। जबकि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
- प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर गवर्नर ही हस्तांतरित विषयों का दायित्व वहन करता था।
- भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल जरूरत पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे। लेकिन हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप की शक्ति उन्हें नहीं थी।

## प्रांतिय स्तर पर - व्यवस्थापिका

- प्रांतीय विधान सभा की सदस्य संख्या में अत्याधिक वृद्धि कर दी गई, इनमें 70% सदस्य निर्वाचन द्वारा भरे जाते थे।
- मताधिकार में वृद्धि की गई तथा महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार दिया गये।
- प्रांतीय विधान सभा किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी लेकिन उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति जरुरी थी।
- गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था।
- विधान सभा के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किन्तु गवर्नर आवश्यक समझे तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पास कर सकता था।

## केन्द्रीय स्तर पर- कार्यपालिका

इस स्तर सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया था :

**(1) केन्द्रीय (2) प्रांतीय**

- गवर्नर जनरल की आठ सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद् में तीन भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।
- प्रांतों के आरक्षित विषयों की देखरेख का गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था।
- गवर्नर जनरल केन्द्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था।

## केन्द्रीय स्तर पर- व्यवस्थापिका

- केन्द्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बना दिया गया। केन्द्रीय विधान सभा (निम्न सदन) तथा राज्य परिषद (उच्च सदन) ।

- केन्द्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक माँग प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन अभी भी बजट का 75% भाग सदस्यों की सहमति के बिना पारित किया जा सकता था।
- भारतीय सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों तथा वित्तिय समिति अथवा लोक लेखा समिति में नियुक्त किया गया।

## साइमन कमीशन

- इसका गठन वर्ष 1927 को हुआ था।
- इसके अध्यक्ष **सर जोन साइमन** थे।
- इसके सदस्यों की संख्या सात (7) थी।
- **सिफारिशः** प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाये।
- केन्द्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया।
- केन्द्रीय विधान मण्डल को पुर्नगठित किया जाये जिसमें एकाकी भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाये।
- तथा जिसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधान मण्डलों द्वारा चुने जाएं।
- साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था।
- 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमिशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
- लाला लाजपत राय ने कहा था कि "मेरे उपर बरसी हर लाठी कि चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी"।

## नेहरू रिपोर्ट

- इस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे।
- इस के सचिव जवाहरलाल नेहरू थे।
- इसमें नौ सदस्य थे जिसमें से एक सुभाष चन्द्र बोस थे।
- इसने अपनी रिपोर्ट 28-30 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की।

### रिपोर्ट

1. भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स (Dominon state) राज्य का दर्जा दिया जाये।
- केन्द्र में ही सदनात्मक प्रणाली की स्थापना की जाये।
- कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायित्व हो।
- समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाये।
2. भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाये तथा साथ ही अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास हों।
3. सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो तथा निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार दिया जाये।
4. समान नागरिक अधिकार दिया जाये।
5. राज्य का कोई धर्म न हो।
6. सर्वोच्च न्यायालय और निर्माण हो।
7. किसी भी समुदाय को अलग मतदाताओं या अल्पसंख्यकों के लिए वेटेज प्रदान करने का प्रावधान नहीं था।

## क्रिप्स मिशन

- इसे 30 मार्च 1942 को भारत भेजा गया था।

**उद्देश्यः** भारत के साथ राजनीतिक गतिरोध दूर करना तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अपने लिए भारत का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था।

- इसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे।
- महात्मा गाँधी ने क्रिप्स प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि "यह आगे की तारीख का चेक था, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था।"

**प्रस्तावः** भारत को डोमिनियन के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी।

- युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का नया संविधान बनाया जायेगा।

## शिमला सम्मेलन, 1945

- यह सम्मेलन- 25 जून, 1945 को हुआ था।
- इसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।

**उद्देश्यः** भारतीय स्वतंत्रता के लिए वेवेल योजना से सहमत और पुष्टी करने के लिए इसका आयोजन किया गया।

- इस सम्मेलन के प्रमुख नेता पं. जवाहर लाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्माइल खाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल ग़फ्फार खाँ, तारासिंह आदि थे।
- इस सम्मेलन में काँग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था।
- यह सम्मेलन असफल रहा था कारण मुस्लिम लीग की शर्त थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेंगे।

## वेवेल योजना

**इसे 14 जून, 1945 को प्रस्तुत की गई थी**

### इसकी शर्तें-

- वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुर्नगठित किया जाये तथा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाये।
- परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा।



KOTHARI INSTITUTE

- कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्य की संख्या सवर्ग हिंदुओं के बराबर होगी।
- हिंदू और मुसलमान समुदाय के अतिरिक्त भारत के अन्य समुदायों जैसे दलित, सिक्ख, पारसी आदि को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
- ब्रिटिश सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत संघ का निर्माण करके भारत में स्वशासन की स्थापना करना है।

## भारत सरकार अधिनियम, 1935

इस अधिनियम द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। संघ में सभी ब्रिटिश प्रांतों एवं मुख्य आयुक्त के प्रांतों को अनिवार्यतः सम्मिलित होना था। देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था।

### केन्द्रीय स्तर पर किए गए प्रावधान

**कार्यपालिकाः**

- द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर केन्द्र में लागू कर दिया गया।
- रक्षा, विदेश, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन एवं धार्मिक मामलों को आरक्षित विषय में रखा गया, जिसका प्रशासन गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी परिषद् की सलाह पर करना था।
- हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को उन मंत्रियों की सलाह पर करना था
- जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया गया था।
- मंत्री केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे।
- मंत्रियों के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें त्याग-पत्र देना अनिवार्य था।
- गवर्नर जनरल को कई मामलों में व्यक्तिगत निर्णय लेने की शक्ति दी गई तथा-देश की वित्तीय स्थिति, भारतीय शाख की रक्षा, भारत या उसके किसी भी भाग में शांति की व्यवस्था, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आदि मुद्दों से जुड़े मामले।

**व्यवस्थापिकाः**

- संघीय (केन्द्रीय) व्यवस्थापिका हेतु द्वि-सदनीय व्यवस्था लागू रहा।
- राज्य परिषद (उच्च सदन) स्थायी सदन था।
- संघीय विधान सभा (निम्न सदन) का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया।
- उच्च सदन की अधिकतम संख्या 260 निर्धारित की गई जिसमें प्रांतों के चुने गए 156 प्रतिनिधि व देशी रियासतों के अधिकतम 104 प्रतिनिधि शामिल होने थे।
- संघीय विधान सभा की अधिकतम संख्या 375 निर्धारित की गई जिसमें 250 प्रांतों से और अधिकाधिक 125 देशी रियासतों से होने थे।
- रियासतों के सदस्यों का मनोनयन सम्बद्ध रियासत के राजाओं द्वारा किया जाना था तथा ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाना था।
- यह आश्चर्यजनक है कि उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किए जाने की व्यवस्था थी जबकि निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होना था।
- समस्त विषयों का बँटवारा तीन सूचियों में किया गया (1) केन्द्र सूची (2) राज्य सूची (3) समवर्ती सूची।
- धर्म एवं जाति के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था आगे भी जारी रखी गई।
- केन्द्रीय (संघीय) बजट के 80 प्रतिशत भाग पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी।
- गवर्नर जनरल को अत्यंत विस्तृत अधिकार थे तथा - अध्यादेश जारी करना, किसी भी विधेयक के संबंध में वीटो का प्रयोग करना, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना आदि।

### प्रांतीय स्तर पर किए गए प्रावधान

**कार्यपालिकाः**

- प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई।
- प्रांत अब भारत सचिव या गवर्नर जनरल से मुक्त होकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए।
- गवर्नर को प्रांत में क्राउन का मनोनीत प्रतिनिधि माना गया।
- गवर्नर को यदि लगे कि प्रांत का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है तो वह शासन का संपूर्ण भार अपने हाथ में ले सकता है।

**व्यवस्थापिकाः**

- सांप्रदायिक निर्णय एवं **'पूना पैक्ट'** के आधार पर पृथक एवं सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया।
- अधिकांश प्रांतों में एक सदनीय एवं कुछ में द्विसदनीय विधान मंडल की व्यस्था की गई।
- पुरुषों को विशेष शक्ति प्रदान की गई। वह विधेयक लौटा सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था और सरकारी कानून पर रोक लगा सकता था।
- 1935 के अधिनियम को स्वतंत्र भारत के संविधान-निर्माण में महत्वपूर्ण धुरी के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के कई प्रावधानों को स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल किया गया है।

# संविधान की निर्माण प्रक्रिया

- विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका (USA) 1789 ई. का है।
- एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान 1860 ई. का है।
- संविधान सभा की स्थापना - कैबिनेट मिशन द्वारा

## कैबिनेट मिशन

- 19 फरवरी 1946 में ब्रिटेश के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा लंदन में की थी।

**अध्यक्ष-** पैथिंक लारेन्स (भारत सचिव रहे)

**सदस्य-** ए.वी. आलेक्जेन्डर, स्टैफर्ड क्रिप्स (नोट - ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे इसलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया।)

- कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था।
- कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट 16 मई 1946 को सौंपी।

**सिफारिश -** संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का गठन करने के बाद संविधान सभा का चनाव हो।

## संविधान सभा

- संविधान सभा की स्थापना केबिनेट मिशन द्वारा की गई थी। इसे स्वीकृति 6 दिसम्बर 1946 को मिली।
- अस्थायी अध्यक्ष- सच्चिदानंद सिन्हा थे।

**संविधान सभा के चुनाव प्रणाली / पद्धति-** अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी।

**निर्वाचन मंडल -** प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों ( 11 प्रान्त, 4-चीफ कमीश्नर) द्वारा वोट दिये गये।

**संविधान सभा का चुनावः** जून-जुलाई-1946 को हुआ।

## संविधान सभा की संरचना

**राज्यों के सदस्य - 292**

**चीफ कमिश्नर क्षेत्र - 4**

**देशी रियायतों के - 93**

**कुल सदस्य - 389 (कांग्रेस को 208 सीटे मिले)**

**नोट-** मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गये। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषणा की थी।)

## भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- इस अधिनियम के आधार पर भारत का विभाजन हुआ।
- यह ब्रिटिश सरकार (संसद) द्वारा भारत के लिए पारित बना अखिरी एक्ट था।
- इस एक्ट का प्रस्ताव - 4 जुलाई 1947 रखा गया था।
- यह पारित (स्वीकृति) - 18 जुलाई - 1947 को हुआ।
- इस एक्ट के माध्यम से भारत सचिव नामक पद - समाप्त कर दिया गया।
- इस एक्ट के माध्यम से वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया।

### भारत का विभाजन

1. जिन राज्यों की जनसंख्या 50% से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में मुस्लिम हैं वह क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया जायेगा।
2. जिन राज्यों की जनसंख्या 40% से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में मुस्लिम हैं उस क्षेत्र का विभाजन कर दिया जायेगा।
3. शेष क्षेत्र भारत को सौंप दिये जायेंगे।

### देशी रियासतों को अधिकार

- देशी रियासतों के अधिकार- याँ तो भारत में शामिल हों या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं।

**नोट-** विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या-

- कुल सदस्य - 389 में से 90 पाकिस्तान के हिस्से वाले क्षेत्र में चले गये
- शेष सदस्य - 299 बचे थे। (राज्यों से - 229, देशी रियासतों - 70 = 299)
- राज्यों से सर्वाधिक सदस्य - संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य आये थे।
- देशी रियासतों में मैसूर से 7 सदस्य आये थे।

(**नोट -** हैदराबाद से कोई सदस्य नहीं था।)

- महात्मा गाँधी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

## संविधान सभा की कार्यवाही

- प्रथम बैठक - 9 दिसम्बर 1946 हुई।
- अस्थायी अध्यक्ष - डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा (वरिष्ठतम सदस्य थे)
- दूसरी बैठक - 11 दिसम्बर 1946 को हुई।
- स्थायी अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बनाया गया।
- तृतीय बैठक - 13 दिसम्बर 1946 को हुई।
- पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया।

**नोट-** उपाध्यक्षः हरेन्द्र कुमार मुखर्जी (HC मुखर्जी) थे। कानूनी सलाहकारः वेनेगल नरासिन्हा राव थे।

## संविधान सभा की समितियाँ

- नियम व प्रक्रिया समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- स्टॉफ व वित्त समिति - डॉ राजेन्द्र प्रसाद
- प्रांतिय विधान समितिः सरदार वल्लभ भाई पटेल
- संघीय विधान समिति - पंडित जवाहरलाल नेहरू
- मूल अधिकार उप-समिति - जै.पी. कृपायानी
- अल्पसंख्यक अधिकार उपसमिति- H.C. मुखर्जी
- प्रारुप समिति - डॉ. भीमराव अम्बेडकर (सं. संशो. के जानकार)

## प्रारूप समिति

- गठन - 29 अगस्त 1947 को हुआ था।
- रिपोर्ट- 21 परवरी 1948 को सौंपी थी।
- अध्यक्ष- डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।
- वाचन - तीन थे जो निम्न हैं-
- 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ।
- 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ।
- 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ।
- प्रारूप समिति में सदस्य संख्या - 1+6 = 7 थी।

### ये सदस्य निम्न थे

1- डॉ. भीमराव अम्बेडकर
2. कृष्णा स्वामी अय्यर
3. एन. गोपालस्वामी अयंगर
4. के.एम. मुन्शी
5. सैय्यद मोहम्मद सादूल्ला (मुस्लिम लीग के सदस्य)
6. बी.एन. मित्तर (इस्तीफा देने पर इनके स्थान पर एन. माधवराव आए थे।)
7. डी.पी. खेतान (मृत्यु होने पर इनके स्थान पर T.T. कृष्णचारी आये थे।)

**नोट-** समिति का कार्य - प्रारुप तैयार करना, जाँच करना। कांग्रेस से केवल दो सदस्य ही प्रारूप समिति में थे- 1. के.एम. मुन्शी, 2. टी.टी. कृष्णाचारी।

## संविधान सभा की महिला सदस्य

1. अम्मू स्वामीनाथन 2. ऐनी मैस्करीन 3. बेगम एजाज रसूल 4. दक्ष्यानी वेल्यादुन 5. जी. दुर्गाबाई 6. हंसा मेहता 7. कमला चौधरी 8. लीला रे 9. मालती चौधरी 10. पूर्णिमा बनर्जी 11. रेणूका रॉय 12. सरोजनी नायडू 13. राजकुमारी अमृता कौर 14. सुचेता कृपलानी 15. विजयलक्ष्मी पंडित।

### अन्य तथ्य

- संविधान निर्माण का कार्य सम्पन्न - **26 नवंबर 1949** को हुआ।
- यह 11 वाँ अधिवेशन था।

  **नोट-** संविधान बनाने में कुल समय 2 वर्ष/11 माह / 18 दिन लगे।
- संविधान बनाने में कुलखर्च - 63.96 लाख (लगभग) आया था।
- संविधान बनाने में कुल हस्ताक्षरकर्ता - 284 हुए थे।
- प्रथम - बलवन्त राय मेहता ने हस्ताक्षर किए थे इनके बाद पं. जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए।
- 12वां अधिवेशन- 24 जनवरी 1950 (अन्तिम) को हुआ था।
- 24 जनवरी को ही डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया था।
- संविधान के रूप में निर्माण - 26 नवंबर 1949 को हुआ था।
- राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।
- संविधान लागू - 26 जनवरी 1950 इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

  **नोट-** कुल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 60 - राष्ट्रपति उल्लेख है।
- अनुच्छेद 324 - चुनाव आयुक्त उल्लेख है।
- अनुच्छेद 366, 367, 372, 391, 392, 393
- मूल संविधान- अनुच्छेद- 395, अनुसूचियां-08, भाग 22
- वर्तमान संवि. में अनुच्छेद-444, अनुसूचि-12, भाग 22

  **नोट-** विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना

## संविधान की विशेषताएँ

### प्रस्तावना

**संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि ''हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंतनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. को एत्द द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, करते हैं''**

KOTHARI INSTITUTE

- पं. ठाकुरदास भार्गव का कथन है कि- प्रस्तावना 'संविधान' की कुँजी है।
- पं. ठाकुरदास भार्गव का कथन है कि- प्रस्तावना 'संविधान' की आत्मा है।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर का कथन है कि- अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया तथा इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है।

**नोटः** प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है

- 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इससे दो शब्द जोड़े गये - a. समाजवादी b. अखण्डता
- बेरूबारी विवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। गोलखनाथ v/s पंजाब संविधान का भाग नहीं माना था। (सुप्रीम कोर्ट की अस्पष्ट स्थिति थी)।
- केशवानन्द भारती- वनाय केरल राज्य विवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है)
- वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है।

## संविधान के स्त्रोत

- भारतीय संविधान सबसे बड़ा स्त्रोत - भारत शासन अधिनियम 1935 था

### विदेशी स्त्रोत

1. **ब्रिटेन-** एक नागरिकता, संसद व संसदात्मक शासन विधि निर्माण प्रक्रिया, IAS, CAG का पद, विधि का शासन (डायसी का सिद्धान्त विधान से किया)।
2. **जापान-** विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धान्त
3. **अमेरिका** (USA)- मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग,न्यायिक सर्वोच्चयता, सर्वोच्चय न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन।
4. **फ्रांस-** गणतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व का सिद्धान्त।
5. **आयरलैण्ड-** राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति का निर्वाचन मण्डल, राज्य सभा में मनोनित सदस्य।
6. **सोवियत संघ (रूस)** - मौलिक कर्तव्य
7. **दक्षिण अफ्रीका-** संविधान संशोधन
8. **जर्मन-** वाइगर संविधान, आपात कालीन उपलब्ध,
9. **ऑस्ट्रेलिया-** प्रस्तावना, समवर्ती सूची, केन्द्र व राज्यों में शक्ति विभाजन
10. **कनाड़ा** - राज्यपाल का पद, एकल संविधान, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त (**नोट-** संघीय शासन सिंघात्मक प्रणाली (कनाड़ा 2/3 भाग), ऑस्ट्रेलिया 1/3भाग )

## अनुसूचियाँ

1. भारत, राज्य क्षेत्र (क्षेत्रफल) का प्रावधान है।
2. संवैधानिक 'पद' का प्रावधान है।
3. संवैधानिक पदों की 'शपथ' के प्रारुप का प्रावधान है।
4. राज्य सभा सीटों के 'आवंटन' का प्रावधान है।
5. अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के 'प्रशासन' का उल्लेख है।
6. असम, त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर(ATM²)- ST क्षेत्रों का 'प्रशासन' उल्लेख है।
7. केन्द्र राज्य सम्बन्ध में 'शक्तियों' का विवरण दिया है।

1. **संघ सूची -** इसका अधिकार केन्द्र के पास है।
   - **97 विषय -** जेल-रक्षा/विदेशी मामले / रेल संचार / मुद्रा आदि है। वर्तमान में 100 विषय हैं।
2. **राज्य सूची-** इसका अधिकार राज्य के पास है।
   - **66 विषय -** शांति व्यवस्था / पुलिस / जन स्वास्थ्य / जेल प्रशासन आदि हैं।
   - वर्तमान में 61 विषय हैं।
3. **समवर्ती सूची-** इसका अधिकार केन्द्र व राज्य दोनों के पास है।
   - 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं।

8. **मान्यता प्राप्त भाषाएँ-** मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं। (वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं)
   1. असमिया 2. मणिपुरी 3. नेपाली (सिक्किम/दार्जलिंग) 4. वोडो (दार्जलिंग), 5. बांगला 6. मैथिली (बिहार) 7. संथाली (झारखण्ड) 8. हिन्दी (U.P./UK/HP/MP/CG) 9. कश्मीरी 10. डोगरी 11. पंजाबी 12. गुजराती 13. मराठी 14 कोंकणी (गोवा) 14. कन्नड़ (कर्नाटक) 16. मल्यालम (केरल) 17. तमिल (तमिलनाडु) 18. तेलगू (आंध्र प्रदेश 19 ओडिसी 20. संस्कृत (प्राचीन) 21. ऊर्द 22. सिन्धी ।

**नोट-**

1. 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा - सिंधी को जोड़ा गया।
2. 71 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा - नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया।
3. 92 वें संविधान संशोधन 2013 द्वारा- डोगरी, मैथली, संथाली वोडो को जोड़ा गया।।

9. संविधान में यह अनुसूचित प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गयी इसके अंतर्गत न्यायिक पुनवरलोकन से निषेधित विषय को रखा गया।
10. 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दलबंद निषेध कानून (दयाराम हरियाणा) जोड़ा गया।

11. संविधान की इस अनुसूची में 73 वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के गठन का प्रावधान (ग्रामीण - 29 विषय)

12. संविधान की इस अनुसूची में 74 वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका गठन के लिए प्रावधान किया गया है। (शहरी 18 विषय)।

# संघ और उसका राज्यक्षेत्र

**(भाग-1 अनुच्छेद-1 से 4)**

## लॉर्ड माउंटबेटन योजना

- 3 जून 1947 को इसे प्रस्तुत किया गया।
- भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया गया।
- बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जायेगा और उत्तर पूर्वी सीमा प्रान्त और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जायेगा।
- पाकिस्तान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
- रियासतों को छूट दी गई थी कि वे या तो भारत पाक में शामिल हो या फिर स्वतन्त्र भी रह सकते हैं।

## रियासती मंत्रालय

- इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
- इन रियासतों में लगभग 542 में से 539 ने भारतीय संघ में विलय हेतु स्वेच्छा से घोषणा कर दी।
- **तीन रियासतें** - जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर के शासकों ने विलय से इन्कार कर दिया।
- ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत में चार प्रकार के राज्यों का गठन किया गया-

**'A' राज्य -** इस श्रेणी के अन्तर्गत आंध्र, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रान्त, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रान्त एवं पश्चिमी बंगाल।

**'B' राज्य -** इस श्रेणी के अन्तर्गत, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रान्त, मैसूर, पटियाला, एवं पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ-पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर और कोचीन इसमें शामिल थे।

**'C' राज्य -** इस श्रेणी के अन्तर्गत अजमेर, भोपाल, विलासपुर, कूच, बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर एवं त्रिपुरा शामिल थे।

**'D' राज्य -** इसके अन्तर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया।

## राज्य पुनर्गठन

### 1. एस. के. दर आयोग

- **गठन-** 27 नवम्बर 1947 को हुआ।
- **अध्यक्ष -** श्याम कृष्ण दर
- **रिपोर्ट-** इसने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, परन्तु प्रसासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया।

### 2. J.V.P. समिति

- **गठन -** वर्ष 1948 को हुआ था।
- सदस्य - पं. नेहरू, वल्लभ पटेल, पट्टाभि सितारमैया शामिल थे।
- **रिपोर्ट -** 1 अप्रैल, 1949 को सौंपी थी।
- इसका आधार भाषायी था। इसके अनुसार राज्यों के पुर्नगठन की माँग को अस्वीकार कर दिया गया।
- **J.V.P. समिति की रिपोर्ट** के बाद मद्रास राज्य के तेलगू भाषियों ने वरिष्ठ गाँधीवादी काँग्रेसी नेता पोट्टी क्षीरामुलु के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरु किया।
- इस आंदोलन के 56 दिन के आमरण अनशन के बाद क्षीरामुलु की मृत्यु हो जाती है।
- इसके फलस्वरूप 19 दिसम्बर 1952 को तेलगू भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की गोषणा की गई।
- अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह स्वतन्त्रा के बाद भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बना था।

### राज्य पुनर्गठन आयोग

- भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य भाषा-भाषियों की माँग की अवलहेलना नहीं की जा सकती थी।
- केन्द्र सरकार ने 22 दिसम्बर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की।
- इस आयोग के अध्यक्ष **न्यायमूर्ति फजल अली** थे।
- हृदयनाथ कुंजरु एवं के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे।
- आयोग ने 30 सितम्बर, 1955 को केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की।

### प्रमुख सिफारिशें निम्नवत् थीं

- केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए।
- राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना की सफलता को भी ध्यान में रखने चाहिए।

- भारतीय राज्यों के 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजित कर देना चाहिए।

**आयोग ने निम्नलिखित 16 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों की सिफारिश की जो निम्न है -**

**16 राज्य-** 1. आंध्र प्रदेश 2. असम 3. बिहार 4. बम्बई 5. हैदराबाद 6 जम्मू एवं कश्मी 7. कर्नाटक 8. केरल 9. मध्य प्रदेश 10. मद्रास 11. उड़ीसा 12. पंजाब 13. राजस्थान 14. उत्तर प्रदेश 15. विदर्भ 16. पश्चिम बंगाल।

**3 संघ राज्यक्षेत्र-** 1. दिल्ली 2. मणिपुर 3. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ।

- केन्द्र सरकार ने फजल अली आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 संसद में पारित करवाया।

**इस अधिनियम के आधार पर भारत में निम्नलिखित 14 राज्यों एवं 5 संघ राज्यक्षेत्रों का गठन किया गया-**

**14 राज्य -** 1. आंध्र प्रदेश 2. असम 3. बिहार 4. बम्बई 5. जम्मू-कश्मीर 6. केरल 7. मध्य प्रदेश 8. मद्रास 9. मैसूर 10. उड़ीसा 11. पंजाब 12. राजस्थान 13. उत्तर प्रदेश 14. पश्चिम बंगाल।

**5 संघ राज्यक्षेत्र-** 1. दिल्ली 2. हिमाचल प्रदेश 3. मणिपुर 4. त्रिपुरा 5. अंडमान-निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह।

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के आधार पर बने उपर्युक्त राज्यों के बाद भी नवीन राज्यों के गठन का क्रम जारी रहा।
- 1. नवम्बर, 1954 को फ्रांस ने भारत स्थित अपनी सभी बस्तियाँ-पाण्डिचेरी (पुडुचेरी), यनम, माहे, चन्द्रनगर और कराईकल-भारत सरकार को सौंप दिया। 28 मई, 1956 को इससे सम्बन्धित सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये। इन सभी को मिलाकर पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का गठन किया गया।
- गोवा की स्थानीय जनता द्वारा गठित **'गोवा मुक्ति संग्राम'** की उग्र माँग को देखते हुए भारत सरकार ने दिसम्बर, 1961 में सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा, दमन एवं दीव को भारत मे शामिल कर लिया। पाण्डिचेरी के बाद यह **भारत का सातवाँ संघ राज्यक्षेत्र बना।**
- 1 मई, 1960को मराठी तथा गुजराती भाषा-भाषियों के पारस्परिक संघर्ष के कारण सरकार ने बम्बई राज्य का बँटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात नाम से दो अलग-अलग राज्यों का गठन किया।
- **नागा आंदोलन** के कारण असम को विभाजित करके 1962 में नागालैण्ड राज्य की स्थापना की गई।
- 1966 में पंजाब को विभाजित कर नए राज्य हरियाणा का गठन किया गया जिसमें हिन्दी भाषी जनता का बाहुल्य था।
- 1969 में असम को पुनः विभाजित कर मेघालय को उपराज्य बनाया गया। 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 20 जनवरी, 1972 को मेघालय तथा 21 जनवरी, 1972 को मणिपुर एवं त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- 1974 में सिक्किम को भारत में शामिल करते हुए सहयुक्त राज्य बनाया गया। मई, 1975 में 36 वाँ संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य की मान्यता दी गई। इस प्रकार यह भारत गणराज्य का अभिन्न अंग हो गया।
- 1986 में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1987 में संघ राज्यक्षेत्र गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- 1 नवम्बर, 2000 को मध्य प्रदेश को काट कर छत्तीसगढ़, 9 नवम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश को काट कर उत्तराखण्ड एवं 15 नवम्बर, 2000 को बिहार को काट कर झारखण्ड राज्य की स्थापना की गई।
- 3 मई जून, 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया था। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 29 राज्य एवं 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं।

## क्षेत्रीय परिषदें

**गठनः** इसके गठन का प्रावधान संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा - 15 में किया गया है।

**उद्देश्य-** राज्यों के मध्य क्षेत्रीय आधार पर सहयोग एवं एकता की भावना को विकसित करना।

**प्रारम्भ में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था-**

1. **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद-** इसके अर्न्गत जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आते थे।
2. **मध्य क्षेत्रीय परिषद-** इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश आते थे।
3. पूर्वी क्षत्रीय परिषद- इसके अन्तर्गत बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उडीसा, आते थे।
4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद- इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीप, दादरा एवं नगर हवेली आते थे.
5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद- इसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुच्चेरी आते थे।

6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तथा सिक्किम आते हैं। (**नोट-** इसका गठन उत्तरी-पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया तथा वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद की संख्या 6 है)।

- इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है।
- **सदस्य -** गृहमंत्री, परिषद के अधीन वाले क्षेत्र में मुख्य मंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मुख्य सचिव है।

## संवैधानिक स्थिति

### भाग 1 (अनुच्छेद (1-4) तक)

**अनुच्छेद -1** भारत अर्थात् इंडिया: देश का नाम है।
राज्यों का संघ (Union of States)

**अनुच्छेद-2** नये राज्यों का प्रवेश संसद द्वारा किया जाता है।

**अनुच्छेद-3** नये राज्यों का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है।

**नोट-** वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र व सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार संसद को।

**अनुच्छेद-4** विशिष्ट विधियाँ संसद द्वारा बनाई जाती हैं।

## नागरिकता

### भाग - 2 (अनुच्छेद - 5-11 तक)

- भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।

**अपवाद -** जम्मू एण्ड कश्मीर में दोहरी नागरिकता है।

**एकल नागरिकता -** भारत / ब्रिटेन देशों में है।

**दोहरी नागरिकता-** USA में है।

**तिहरी नागरिकता -** स्विटजरलैण्ड में है।

कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं जैसे मतदान करने एवं चुनाव लड़ने धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरूद्ध अधिकार (अनु.-15)।

**अनु.-5 -** संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है।

**अनु.-6-** पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता के अधिकार ।

**अनु. -7 -** पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता के अधिकार ।

**अनु.8-** भारत के बाहर जाने वाले व्यक्ति उद्भव के व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता के अधिकार

**अनु.9-** विदेशी नागरिता स्वेच्छा से अर्जीत करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।

**अनु. 11-** इसके तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

## मूल अधिकार

### भाग 3 - (अनुच्छेद - 12-35 तक)

**A. प्राकृतिक अधिकार -**

- प्रकृति से प्राप्त अधिकार प्राप्त हो।
- जॉन लॉक (ब्रिटेन) ने तीन प्रकार के मूल अधिकार बताये- 1. जीवन 2. स्वतंत्रता 3. सम्पत्ति

**B. मानव अधिकार-**

- मानव को मानव के रूप में अधिकार प्राप्त हो।
- 10 दिसम्बर 1948 को UN द्वारा मानवअधिार की घोषणा की।
- 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

**C. मूल अधिकार-**

- संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त हो।
- सर्वप्रथम USA ने मूल अधिकारों को अपनाया।
- भारत ने USA के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है।
- अनु.-12 में राज्य की परिभाषा दी गई है।
  **नोट-** मू.अ. 'राज्य' के विरुद्ध 'व्यक्ति' को प्राप्त है।
- अनु.-13 में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय को अनु. 13 व 32 के द्वारा न्यायायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है।
- उच्च न्यायालय को अनु. 226 द्वारा न्यायायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है।
  **नोट-** कुल मूल अधिकार - प्रारंभ में 7 थे।, वर्तमान में - 6 हैं।
- **अनु. 31** सम्पत्ति के अधिकार को (44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा) हटाया गया तब मोराई देसाई जी की सरकार थी)
- **अनु. 31** के अधिकार को 300(क) में जोड़ा गया।

## समानता का अधिकार (अनु. 14 से 18 तक)

**अनु. 14** में विधि के समक्ष समानता दी गई है (कानूनी समानता, इसे ब्रिटेन से लिया गया है।)

**अनु. 15** में मूलवंश, लिंग, जाति, वर्ग व रंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। (सामाजिक समानता)

**अनु. 16** में 'अवसर' की समानता दी गई। (लोक नियोजन में)।

**अनु.** 16(4) में आरक्षण के प्रावधान पर समानता का अधिकार लागू नहीं होगा।

**अनु.** 17 में अस्पृश्यता का निषेध का अन्त किया गया है। (छुआछुत का अन्त)

**अनु.** 18 में उपाधियों का अन्त किया गया है।

**नोट-** सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, कला, चिकित्सा etc को छोड़कर।

**अपवाद- सर्वोच्च नागरिक सम्मान यथाः**

- 1. भारत रत्न 2. पद्म विभूषण 3. पद्म भूषण
- 1977 देसाई सरकार ने इन सर्वोच्च सम्मानों को समाप्त किया। वहीं इंदिरा सरकार ने 1980 में इन सम्मानों को फिर से शुरु किया।) हमने भारत TH ग्रीन के सिद्धान्त को अपनाया है।

## स्वतन्त्रता का अधिकार अनु. (19 से 22 तक)

**अनु. 19 में विशिष्ट स्वतन्त्रताएँ दी गई है।**

- **अनु.19(a)** में वाक् व अभिव्यक्ति तथा सूचना की स्वतंत्रता दी गई गई है।
- **अनु.19(b)** में सभा व सम्मेलन बुलाने की (निशस्त्र हो) स्वतंत्रता है।
- **अनु.19(c)** में संघ बनाने की स्वतंत्रता है।
- **अनु.19(d)** में निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता है।
- **अनु.19(e)** में बसने की (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) स्वतंत्रता है।
- **अनु.** 19(f) में सम्पत्ति की स्वतंत्रता है।
- **अनु.** 19(g) में जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता है।

**अनु. 20 में अपराधों के सम्बन्ध में दोष सिद्ध से संरक्षण (आपातकाल में भी लागू) की स्वतंत्रता है।**

- स्वयं के खिलाफ गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।
- एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती।

**अनु.** 21 में प्राण व दैहिक स्वतन्त्रता (जीवन की स्वतन्त्रता, यह प्रावधान जापान से लिया गया है)

**अपवादः-** विधि के उचित प्रावधान द्वारा प्राण छीने भी जा सकते हैं।

**अनु.** 21(क) में शिक्षा का अधिकार (6-14 वर्ष के बच्चों के लिये) की स्वतंत्रता दी गई है।

**नोट-** 86 वें संविधान सं. 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। DPSP मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य तीनों में शिक्षा का अधिर शामिल हैं।

- **अनु.** 22 (1) में निवारक विरोध का निषेध है।

**नोट-** गिरफ्तारी के बाद 24 घण्टे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**अपवादः-** रासुका, मीसा (इंदिरा), टाडा (नरसिम्हा), पोट (वाजपेयी) ये कानून इन सरकारों ने बनाये थे।

## शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23 से 24)

- **अनु.** 23 में बलात् क्षम का निषेध का प्रावधान है। (बन्धुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति जबरन, भिक्षावृत्ति etc. का निषेध है)
- **अनु.** 24 बालश्रम का निषेध (14 से कम आयु) है।

## धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

**(अनु. 25 से 28 तक)**

**अनु.** 25 में अन्तःकरण की धार्मिक स्वतंत्रता है।

**अनु.** 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता है।

**अनु.** 27 में धार्मिक करो के संदाय में स्वतंत्रता दी गई है।

**अनु.** 28 में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है।

**नोट-** राजकीय या अनुदानीय संस्थाओं में।

## शिक्षा व संस्कृति संबंधित अधिकार

**अनु. (29 से 30 तक)**

**अनु.** 29 में भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का उल्लेख है।

**अनु.** 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का उल्लेख है।

**अनु.** 31 में सम्पत्ति का अधिकार दिया गया था। (**नोट-** संपत्ति के अधिकार को सरकार छीन सकती है जब हित सार्वजनिक व उचित मुआवजा दिया जाये।)

**अनु.** 32 संवैधानिक उपचारों का (**नोट-** मूलअधिकार छिने जाने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। 5 प्रकार की याचिका लगा सकता है)

## याचिका (रिट)

1. **बन्दी प्रत्यक्षीकरण-** 24 घण्टे में न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. **अधिकार पृच्छा-** अधिकारी/कर्मचारी व संस्था को जो बहार जाकर काम करे, रोकना
3. **परमादेश-** अधिकारी/कर्मचारी व संस्था को काम करने का आदेश देना जो कर्तव्य पालन ना करे।
4. **उत्प्रेक्षण-** अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण विवाद मंगवाना।
5. **प्रतिषेध-** अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देकर किसी प्रकरण / विवाद को प्रतिबन्धित करे।

# नीति निर्देशक तत्व

## भाग-4 अनुच्छेद 36 से 51 तक

**Directive Principal of State Policy (DPSP)**
**सरकार व प्रशासन के लिए - मार्गदर्शिका है**

**उद्देश्य -** कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक एवं सामाजिक लोक तंत्र की स्थापना करना।

(लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है 'राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक समानता स्थापित करना'।)

- DPSP आयरलैंड से लिया गया है।
- DPSP एक ऐसा चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जायेगा। - **के.टी. शाह**

**DPSP व FR (Fundamental Right) में अन्तर**

- DPSP वाद् योग्य नहीं है, अर्थात् उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है।
- F.R. वाद योग्य है उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय की शरण ली जा सकती है। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है।
- DPSP ऐच्छिक है, सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु लागू किया जा सकता है। परन्तु अनिवार्य नहीं है।
  **प्रकृति-** सकारात्मक है अर्थात् किसी पर बंधन नहीं है।
- DPSP आयरलैण्ड से लिया गया है।
- F.R. अनिवार्य है,
- व्यक्ति के विकास व स्वतन्त्र के लिए आवश्यक है।
- F.R. की प्रकृति - नकारात्मक है।
- F.R. अमेरिका (USA) से लिया गया है।
- **अनु.** 36 में DPSP की परिभाषा दी गई है तथा राज्य की परिभाषा का उल्लेख दिया गया है।
  **नोट-** राज्य की परिभाषा वही है जो कि भाग - III में है
- **अनु.** 37 में DPSP के लागू होने की शर्तों का उल्लेख किया गया है (DPSP वाद् योग्य नहीं है)।
- **अनु.** 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की गई है।
- **अनु.** 39 में समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान किया गया है।
  **नोट-** कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति व बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो सके)।
- **अनु.** 39(क) में निःशुल्क विधिक सहायता न समान न्याय का प्रावधान किया गया है।
- **अनु.** 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन (गाँधीवादी सिद्धांत) किया जाए।
- **अनु.** 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार (नोट - मनरेगा इसी तहत चलाया गया है) का उल्लेख किया गया है।
- **अनु.** 42 में काम की न्यायसंगत व मानववोचित दशाएँ एवं प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है।
- **अनु.** 43 में न्यनतम मजदूरी की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
- **अनु.** 44 में समान नागरिक संहिता (Common civil code) का उल्लेख किया गया है। नोट- यह केवल गोवा में लागू है।
- **अनु.** 45 इस अनुच्छेद में प्रारम्भिक शैशावस्था में देख-भाल व शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
- **अनु.** 46 में SC/ST व अन्य दुर्बल वर्गों की आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति में अभिवृद्धि एवं प्रावधान किया है।
- **अनु.** 47 में **जीवन स्तर, पौषाहार स्तर व लोक स्वास्थ में सुधार लाने** के उद्देश्य का प्रावधान किया गया है।
  **नोट-** यह अनुच्छेद कुछ राज्यों में गुजरात, बिहार में मध्यपान निषेध लागू है।
- **अनु.** 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन व अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है।
  **नोट-** इस अनुच्छेद में हरित क्रांति, पशु नस्ल सुधार व गौ वंश रक्षा का उल्लेखित है)
- **अनु.** 48(क) में पर्यावरण, वन व वन्य जीव संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **अनु.** 49 में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख किया गया है।
- **अनु.** 50 में उल्लेखित है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किया गया है।
- **अनु.** 51 में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। (नोट- इस अनुच्छेद में विदेश नीति से संबंधित उल्लेख)
  **नोट-** मिनर्वा मिल्स V/S भारत संघ विवाद 1980 ने सर्वोच्च न्यायालय ने भाग -3 व भाग 4 DPSP को एक दूसरे का पूरक माना गया है।

**भाग-4 के अलावा भी तीन बिन्दुओं की स्थिति DPSP जैसी है**

1. **राजकीय सेवाओं व पदों पर नियुक्ति एवं दक्षता बचाये रखना (अनु. 335) है।**
2. **मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना (अनु. 35 क) अनिवार्य है।**
3. **हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार व विकास करना (अनु. 351) है।**

## मौलिक कर्तव्य

### (भाग-4(क) अनुच्छेद 51(क)

**मौलिक कर्तव्यों को 3 जनवरी 1977 से लागू माना जाता है। इनका उल्लेख अनु. 51(क) में किया गया है।**

**सिफारिश-** इसके गठन की सिफारिश सरदार स्वर्णसिंह समिति द्वारा की गई थी। (मौलिक कर्तव्यों को 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है।)

- मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ (रूस) से लिया गया है। तथा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

1. संविधान, संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों व मूल्यों का सम्मान व पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता व अखण्डता की रक्षा करें।
4. देश की रक्षा व सेवा करना
5. धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से समरसता व भ्रातृत्व की भावना का निर्माण व स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें।
6. सामाजिक संस्कृतिक की गौरवशाली परम्परा की समझ व प्रतिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व प्राणिमात्र के दयाभाव का आदर करें।
8. देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा व हिंसा से दूरी बनाएँ रखें।
10. व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष प्रयास करें।
11. माता-पिता व अभिभावक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें।

(**नोट-** 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है।)

## संघीय कार्यपालिका

### संघ सरकार (भाग-5 अनु. 51 से 151 तक)

**संघ सरकार के तीन अंग हैं-**

1. **व्यवस्थापिका (संसद)**
   **इसके तीन अंग हैं-**
   **a. राष्ट्रपति b. लोकसभा c. राज्य सभा**
   (नोट- व्यवस्थापिका द्वारा विधि एवं कानून निर्माण किया जाता है)
2. **कार्यपालिका (सरकार)-** इसके निम्न अंग हैं-
   a. राष्ट्रपति c. प्रधानमंत्री d. मंत्री परिषद्
   (**नोट-** कार्यपालिका के द्वारा कानूनों का पालन एवं उनका क्रियान्वयन किया जाता है)
3. **न्यायपालिका-** इसके अंतर्गत कानून व सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रिया निहित हैं (नोट- न्यायपालिका के द्वारा न्याय करना अथवा उसकी जाँच करना प्रमुख प्राथमिकता है।

- **कार्यवाहक राष्ट्रपति -** मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। **शर्त** राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद से रिक्त होने की स्थिति में। 1969 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति मोहम्मद जाकिर हुसैन का निधन हुआ व उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि के द्वारा त्याग पत्र देने का उपरांत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था।

**प्रमुख पद-**

**राष्ट्रपति**

- यह देश का मुखिया होता है।
- यह देश का संवैधानिक प्रधान होता है।

**उपराष्ट्रपति-** यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।

- यह राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं।

**प्रधानमंत्री-**

- यह सरकार का मुखिया होता है।
- यह देश का वास्तिविक प्रधान होता है।
- यह देश का कार्यकारी प्रधान होता है।

**सर्वोच्च न्यायालय-**

यह देश की न्यायायिक प्रशासन का प्रमुख होता है।
यह संविधान का संरक्षक होता है।

### ''भारत के राष्ट्रपति''

- **अनुच्छेद 52** में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है।
- **अनु. 53** में उल्लेखित है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।

1. **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद-** 26.01.1950 से 12.05.1952 तक संविधान सभा द्वारा मनोनित राष्ट्रपति रहे। निर्वाचित राष्ट्रपति के रुप में 13.05.1952 से 13.05.1962 तक राष्ट्रपति रहे।

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति

रहे। (12 वर्ष , 3 माह, 18 दिन) यह एक मात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए। तथा एक मात्र मनोनित राष्ट्रपति भी रहे।

- इन्हें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा मनोनित किया गया था।

**2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (राजा जी)-** इनका कार्यकाल 13.05.1962 से 13.05.1967 तक का रहा है। इनके द्वारा प्रथम अपातकाल की घोषणा की गई थी। (कारणः भारत-चीन युद्ध)

- इनके जन्मदिन 05 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ये ही प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे।

**3. डॉ. जाकिर हुसैन-** इनका कार्यकाल 13.05.1967 से 1969 तक का रहा। यह देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। यह पहले राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ।

- इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। (1 वर्ष, 11 माह, 20 दिन)

**4. वराहगिरि वेंकट गिरि-** इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक का रहा। यह निंदलिय प्रत्याशी के रूप में विजय रहे तथा नीलम संजीव रेड्डी (कांग्रेस प्रत्याशी) को हराया था।

- ये द्वितीय दौर की मतगणना में विजय रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं।
- इनको 50.22% मत मिले वहीं रेड्डी जी को 48.5% मत प्राप्त हुए। इन्होने द्वितीय राष्ट्रीय अपातकाल की उद्घोषणा की थी। (कारणः भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965)

**5. डॉ. फ़खरुद्दीन अली अहमद-** इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक का रहा। इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। इनके कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश लाया गया। इन्होने तृतीय राष्ट्रपति अपातकाल की उद्घोषणा की थी (कारणः आंतरिक अशांति 26 जून 1975)। इनका कार्यकाल

**6. डॉ. नीलम संजीव रेड्डी-** इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक का रहा। ये सबसे युवा राष्ट्रपति बने। एक मात्र पूर्वपर्ती चुनावों को पराजित कर निर्विरोध राष्ट्रपति बने।

**7. ज्ञानी जेलसिंह-** इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक का रहा। ये एक मात्र सिक्ख राष्ट्रपति बने। इनके कार्यकाल में जेब वीटो लिया गया था।

**8. राधा स्वामी वैंकटरमन-** इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक का रहा। यह सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बने 76 वर्ष, 18 माह, 21 दिन के थे)। इनके कार्यकाल में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रधानमंत्री रहे- 1. राजीव गाँधी 2. वी.पी. सिंह 3. चन्द्रशेखर 4. पी.वी. नरसिम्हाराव थे।

**9. डॉ. शंकर दयाल शर्मा-** इनका कार्यकाल 1992 - 97 तक का रहा। इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री- 1. अटल बिहारी 2. एच.डी. देवगौड़ा 3. इन्द्रकुमार गुजराल रहे।

**10. के.आर. नारायण-** इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। ये सर्वाधिक मतमूल्य प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। इन्हें प्रतिशत के आधार पर राजेन्द्र प्रसाद 99.55% सर्वाधिक मत मूल्य प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति हैं.

**11. डॉ. अबुल पाकिर जैनुला अबदीन अब्दुल कलाम (ए.पी.जे. अब्दुल कलाम) -** इनका कार्यकाल वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक का रहा। इन्हें **मिसाईल मैन व जनता के राष्ट्रपति** के नाम से भी जाना जाता है। ये पेशे से **प्रोफेसर, लेखक, वैज्ञानिक** थे। इनकी पुस्तकें - इंडिया 20-20 ए विजन फॉर द मिलेनियम, माय जर्नी, इग्नाटिड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान है। इन्हें 1981 में पद्मभूषण, 1990 में पद्म विभूषण तथा 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

**12. श्रीमती प्रतिभा पाटिल -** इनका कार्यकाल वर्ष 2007 से 2012 तक रहा। यह देश की एक मात्र महिला राष्ट्रपति रहीं। ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थीं।

**13. प्रणब मुखर्जी-** इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। ये भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

**14. रामनाथ कोविंद-** इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक। यह बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ये भारत के व्यक्ति के अनुसार 14 वें व पद के अनुसार 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश जे.एस खेहर शपथ दिलाई।

### कार्यवाहक राष्ट्रपति-

**1.वी.वी. गिरि -1969** (डॉ. ज़ाकिर हुसैन के निधन के पश्चात्) 2. **जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह-1969** (ये वी.वी. गिरि के त्याग पत्र देने के पश्चात) 3. **बी.डी. जत्ती 1977** (डॉ. फ़खरुद्दीनअली अहमद के निधन के पश्चात)।

### भारत के राष्ट्रपति जो भारत रत्न से सम्मानित हुए

1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1954)
1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (1962)
2. डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1962)
3. वी.वी. गिरि- (1975)
4. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1997)


KOTHARI INSTITUTE

**भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने शपथ नहीं दिलाई**

1. डॉ. ज़ाकिर हुसैन
2. डॉ. फ़खरुद्दीनअली अहमद
3. रामनाथ कोविंद

**अनु. 54 इनके निर्वाचन का उल्लेख है। इनके निर्वाचन मंडल में तीन प्रकार के सदस्य होते हैं।**

1. सभी संसद केनिर्वाचित सदस्य

   **नोट-** लोक सभा के 543 सांसद + राज्य सभा के 233 सदस्य = 776

2. सभी राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

**नोट-**भारत के 29 राज्यों के कुल 4020 विधायक शामिल।

3. दिल्ली एवं पंडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कुल विधायक दिल्ली के 70 + पंडुचेरी के 30 = 100।

   **नोट-** 70वें संविधान संशोधन 1992 की धारा (2) द्वारा एक जून 1975 से लागू।

- **अनु. 55** इसके अनुसार निर्वाचन पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणि है।

  **नोट-** मत मूल्य निकालने का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या होगी। जो 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक लागू रहेगा।
- **अनु. 56** इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि का उल्लेख किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- **अनु. 57** इसके तहत पुनर्निवाचन की प्रक्रिया का उल्लेख निहित है।
- अनु. 58 इसमें राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। उनकी आयु 35 वर्ष (न्यूनतम) है। इनके पद के प्रस्ताव के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। इसमें जमानत राशि 15000 रुपये RBI के पास रखना होती है। तथा 1/6 मत मूल्य प्राप्त नहीं होने पर जमानत जप्त मानी जाती है।

**अनु. 59 के अनुसार निम्न शर्तें -**

- वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा।
- वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसकी उपलब्धियाँ और भत्ते उसमें पदावधि के के दौरान कम नहीं किये जायेंगे।
- **अनु. 60** इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इनको शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलायी जाती है।
- **अनु. 61** इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इन्हें महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। या संविधान का उल्लंघन करने पर भी हटाया जा सकता है।

**हटाने की प्रक्रिया-** निम्न सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाना जरूरी है। यह प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना के बाद लाया जाता है। अतः यह प्रस्ताव 2/3 से पारित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अपर सदन में ले जाया जाता है।

- **अनु. 62** इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में इस पद के लिए 6 माह में निर्वाचन करवाना अनिवार्य है।
- **अनु. 71** इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के विषय में निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है।

**अनु. 72 इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इन शक्तियों के 3 आधार हैं-**

1. संघीय कानूनों पर
2. सैन्य न्यायालयों के निर्णयों पर
3. किसी भी कानून के अंतर्गत मृत्यु दण्ड पर

**क्षमादान के 4 प्रकार हैं-**

1. **लघुकरण-** दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन करना। अर्थात एक के स्थान पर दूसरा दण्ड
2. **परिहार-** दण्ड की अवधि या मात्रा को कम करना।
3. **निलम्बन-** किसी दण्ड पर अस्थाई रोक लगाना।
4. **विराम-** विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना।

**राष्ट्रपति की अपातकालीन शक्तियाँ**

इन शक्तियों का उल्लेख भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है।

**यह अपातकालीन शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं-**

1. राष्ट्रीय अपातकाल (अनु. 352)
2. राज्यों में अपातकाल (राष्ट्रपति शासन) (अनु. 356)
3. वित्तीय अपातकाल (अनु. 360)

**राष्ट्रीय आपातकालिन-**

- अनु. 352 इस अनुच्छेद का आधार है युद्ध/बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। (नोट- मूल संविधान, आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 20 जून 1979 में बदलाव किया गया।
- राष्ट्रीय अपातकालीन की घोषणा केन्द्रीय मंत्री मंडल की लिखित सलह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। (नोट- यह प्रक्रिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 20 जून 1979 से लागू है)।
- राष्ट्रीय अपातकाल के लिए सरकार को संसद से अनुमोदन 1 माह में लेना होता है। (नोट- दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग 2/3 बहुमत द्वारा अनुमोदन दिया जाता

है। यदि लोक सभा भंग हो तो केवल राज्य सभा द्वारा भी पुनः अनुमोदन प्रति 6 माह में दिया जा सकता है। अपातकाल की अधिकतम अवधि अनंत काल तक हो सकती है।)

- अपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत द्वारा की जा जाती है।

**राष्ट्रीय अपातकाल का प्रभाव-**

- संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। (अनु. 250)
- संघीय कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वह राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। (अनु. ......)
- अनुच्छेद 20 व 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। ((अनु. 359)
- अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं निलंबित की जाती हैं। (अनु. 358) (नोट- सशस्त्र विद्रोह जनित राष्ट्रीय अपातकाल में लागू नहीं होता)
- लोक सभा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। (**नोट-** 1. चीन और भारत युद्ध (1962) के दौरान अपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। 2. पाकिस्तान और भारत के युद्ध (1971) के दौरान अपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति वी.वी. गिरि के द्वारा की गई थी। 3. आंतरिक अशांति (1975) के दौरान अपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद के द्वारा की गई थी।

## राष्ट्रपति शासन

- **अनु. 356** इस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
- राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है।
- इसका अनुमोदन संसद के द्वारा 2 माह में किया जाना चाहिये। इसका पुनः अनुमोदन प्रति 6 माह में व अधिकतम 3 वर्ष में किया जा सकता है।

  **नोट-** राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में 20 जून 1951 को लागू किया गया था।
- सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 10, यू.पी. में 9 बार लगाया गया तथा एक मात्र राज्य छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रीय अपातकाल नहीं लगा है।
- सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन जम्मू एण्ड कश्मीर में 6 वर्ष, 264 दिन तक तथा न्यूनतम अवधि तक बिहार में 8 दिनों तक रहा है।

## वित्तिय अपातकाल

- अनु. 360 में वित्तिय अपातकाल का उल्लेख किया गया है। तथा इसका आधार वित्तिय संकट है।
- इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इसका अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह में (दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत) किया जाता है।
- इसका पुनः अनुमोदन 6 माह में किया जाता है।
- वित्तीय अपातकाल का अधिकतम समय अनंतकाल तक हो सकता है। (नोट- वित्तीय अपातकाल अभी तक नहीं लगा है)

## संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 63** इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है।
- **अनुच्छेद 64** इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाया जाता है। जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है।
- **अनुच्छेद 65** इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है।
- **अनुच्छेद 66** इस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
- **अनुच्छेद 67** में उपराष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख किया गया है। इनका 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है।
- **अनुच्छेद 68** में उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का उल्लेख है।
- **अनुच्छेद 69** इस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया का उल्लेख है।

## उपराष्ट्रपति

1. **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन -** इनका कार्यकाल 1951 से 1962 तक रहा। इनका सर्वाधिक कार्यकाल 10 वर्ष का रहा है। यह 2 कार्यकालों में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।
2. **डॉ. जाकिर हुसैन -** इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक रहा।
3. **वी.वी. गिरि-** इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा (1 वर्ष 11 माह 20 दिन) पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति रहे।
4. **गोपाल स्वरूप पाठक-** इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक रहा।
5. **बी.डी. जत्ती-** इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक रहा।
6. **मोहम्मद हिदायतुल्लाह-** इनका कार्यकाल 31 अगस्त

1979 से 30 अगस्त 1984 तक रहा। यह 3 बार निर्विरोध निर्वाचित किए गए।

7. **आर.वेंकटरमण-** इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1984 से 27 जुलाई 1987 तक रहा। पद से त्याग पत्र देने वाले द्वितीय उपराष्ट्रपति रहे।
8. **डॉ. शंकर दयाल शर्मा-** इनका कार्यकाल 3 सितम्बर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक रहा। यह 4 बार निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं।
9. **के.आर. नारायण-** इनका कार्यकाल 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक का रहा।
10. **के. कृष्णकांत-** इनका कार्यकाल 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक का रहा। प्रथम उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ।
11. **भैरोसिंह शेखावत-** इनका कार्यकाल 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक रहा।
12. **मो. हामिद अंसारी-** इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 19 जुलाई 2017 तक रहा। यह सर्वाधिक बार 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे।
13. **एम. वेंकैया नायडू -** इनका कार्यकाल 8 अगस्त 2017 से अब तक रहा। यह स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ये पद क्रम अनुसार 15वें व व्यक्तिक्रम अनुसार 13वें उपराष्ट्रपति है।

**नोट-** वर्ष 2017 में कुल डाले गए मत 77%, वैध मत 760। वेंकैया नायडू को प्राप्त मत 516 जबकि जे.के. गाजी को 244 मत प्राप्त हुए थे।

## प्रधानमंत्री

1. **पंडित जवाहरलाल नेहरू-** इनका कार्यकाल 1947 के 1964 तक रहा। यह एक मात्र प्रधानमंत्री हैं जो मनोनित किए गए हैं। (1947 से 1952 तक)। इनका निधन 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए हुआ।

- यह सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। (16 वर्ष 9 माह 13 दिन)
- यह 3 बार चुनाव जितने वाले एक मात्र प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं के समय में भारत-चीन युद्ध 1962 हुआ।

2. **गुलजारीलाल नंदा-** इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। यह पं.जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।
3. **लाल बहादुर शास्त्री-** इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। इनके शासनकाल में 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मिानित किया।
4. **गुलजारीलाल नंदा-** इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे। गुलजारीलाल नंदा जी दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।
5. **इंदिरा गाँधी-** इनका कार्यकाल वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार तीन पारी के लिए प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं।

- वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। इन्हीं के समय 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया तथा भारत-पाकिस्तान युद्ध (1971) भी हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप बांगलदेश का निर्माण हुआ। इन्होने वर्ष 1972 में पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता किया।

6. **मोरारजी देसाई-** इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे तथा सर्वाधिक आयु (81वर्ष) के प्रधानमंत्री भी रहे। ये एक मात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जनता पार्टी से है।
7. **चौधरी चरणसिंह-** इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा।
8. **इंदिरा गाँधी-** इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा।
9. **राजीव गाँधी-** इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसम्बर 1989 तक रहा। 21 मई 1991 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्रीपेरंबटूर में एक बम विस्फोट में मृत्यु हुई।
10. **विश्वनाथ प्रतापसिंह-** इनका कार्यकाल 2 दिसम्बर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। इनका संबंध जनता दल से था।
11. **चन्द्रशेखर-** इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनका संबंध जनता दल से था।
13. **पी.वी. नरसिम्हा राव-** इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 19 मई 1996 तक रहा। इन्होंने लाइसेंस राज की समाप्ती और भारतीय अर्थ नीति में खुलेपन की शुरुआत की थी।
14. **अटल बिहारी वाजपेयी-** इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनका सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का रहा। इन्हीं के समय द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में

किया गया। इन्हीं के समय में भारत पाकिस्तान युद्ध (1999 कारगील) हुआ। इन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया। ये तीन बार प्रधानमंत्री रहे।

15. **एच.डी. देवगौड़ा-** इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। इनका संबंध जनता दल से रहा।
16. **इन्द्रकुमार गुजराल-** इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 9 मार्च 1998 तक रहा। इनका संबंध जनता दल से था।
17. **अटल बिहारी वाजपेयी-** इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक रहा।
18. **अटल बिहारी वाजपेयी-** इनका कार्यकाल 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक रहा।
19. **डॉ. मनमोहन सिंह-** इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक रहा।
20. **डॉ. मनमोहन सिंह-** इनका कार्यकाल 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक रहा।
21. **नरेन्द्र दामोदरदास मोदी-** इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक ।

# संसद

## भारतीय संसद

- इसका उपलबन्ध - भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 123 तक किया गया है।
- अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी।
- संसद राष्ट्रपति, लोक सभा और राज्य सभा से मिलकर बनती है।
- संसद का आधार भारतीय शासन अधिनियम 1935 का द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक को संविधान के द्वारा संसद नाम दिया गया।
- राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, परंतु कानून निर्माण के क्षेत्र में भी इसकी भूमिका होती है।
- लोक सभा को प्रथम सदन या निम्न सदन या लोक प्रिय सदन है।
- संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा लोक सभा (निचला सदन) एवं राज्य सभा (उच्च सदन) शामिल होते हैं।
- राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति प्राप्त है।
- भारतीय संसद का संचालन संसदन भवन नई दिल्ली से होता है।

## राज्य सभा

- यह भारतीय लोकतंत्र की उच्च सदन है।
- राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 (238+12) है।
- वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245+12 (अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति द्वारा मनोनित है)।
- इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। (इसमें 1 तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं)।
- 22 जुलाई 2018 से राज्य सभा में सभी संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में चर्चा कर सकते हैं।
- राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते है।
- **राज्यसभा के लिए योग्यताएँ-** वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा आयु के 30 वर्ष पूर्ण कर लिये हो।
- राज्यसभा के चुनाव सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा किया जाता है।

## लोक सभा

- लोक सभा भारतीय संसद का निचला सदन है। लोक सभा सर्वभौमिक व्यवस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है।
- भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को लोक सभा के लिए मनोनित कर सकते हैं।

  **कार्यकाल-** 5 वर्ष का होता है।

  **शक्तियाँ-** मंत्री परिषद केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल यहीं लाया जा सकता है।
- धन बिल पारित करने में यह निर्णायक सदन है।
- राष्ट्रीय अपातकाल को जारी करने वाला प्रस्ताव केवल लोक सभा में लाया एवं पास किया जाता है।
- **सदन में लाये जाने वाले प्रस्ताव-** अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव।

## भारत की संचित निधि

- संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व जैसे- सीमा, शुल्क, उत्पाद



KOTHARI INSTITUTE

शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिये गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किये जाते हैं।

- संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चे का वहन इसी निधि से करती है।

## भारत का लोक लेखा

- संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसकी और से प्राप्त सभी अन्य लोग धन राशियाँ भारत के लोक लेखा में जमा की जाती है।

## भारत की अकास्मिक निधि

- संविधान के अनु. 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। जिसके द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय-समय पर धन जमा किया जाता है जो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। इस धन में से राष्ट्रपति की स्वीकृति पर सरकार को आवश्यक धन देता है।

## धन विधेयक

- अनु. 110 के अनुसार धन विधेयक को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें निम्न वर्णित एक या अधिक उपबंध हो।

  • किसी कर का अधिरोपण (लगान), उत्सादन (हटाना), परिहार (कमी करना), परिवर्तन या विनिमय (लागू करना),

  • केन्द्रीय सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय

  • भारत का संचित निधि या अकास्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी ने धन जमा करना या उसमें से धन निकालना।

- भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि हो।
- भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखे की जांच पड़ताल करनी हो तथा उपरोक्त 1 से 6 में उल्लेखित किया गया।
- धन की आय तथा व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला हो।
- धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया का उल्लेख अनु. 109 में किया गया है।

## वित्त विधेयक

- वित्त विधेयक का उपबंध अनु. 117 में किया गया है।
- वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे- राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं इसमें आगामी वित्त वर्ष में किसी नये प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषयों के साथ-साथ कुछ अन्य विषयों से संबंधित उपबंध भी जुड़े होते हैं।
- कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इस पर अंतिम निर्णय लोक सभा अध्यक्ष का होता है।
- यदि गतिरोध हो तो अनु. 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है।

## संविधान संशोधन विधेयक

- संविधान संशोधन संबंधि प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के भाग-20 अनु. 368 के तहत दिया गया है।
- यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- अनु. 368(2) में उल्लेखित विषयों के संबंध में संशोधन दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडल के अनुमोदन द्वारा किया जाता है।
- दोनों सदनों में पारित संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। (24वें संविधान संशोधन के द्वारा)

## संसदीय प्रक्रिया

- **अनुच्छेद** 118 के तहत संसद अपने नियम व प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।
- **अनु.** 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है।
- संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
- **अनु.** 120 के अनुसार संसद की भाषा अंग्रेजी व हिन्दी होगी लेकिन लोक सभा एवं राज्य सभा के अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मात्र भाषा में भी बोला जा सकता है।
- **अनु.** 100 के अनुसार गणपूर्ति / कोरम 1/..... होगी।

### संसद का सचिवालय

- **अनु.** 98 में कर्मचारी / नियुक्ति / सेवा शर्तें / कानून बनाने का काम संसद को दिया गया है।
- राष्ट्रपति के द्वारा लोक सभा, राज्य सभा के साथ विचार विमर्श करे।
- **अनु.** 85 संसदीय सत्र/सेशन/अधिवेशन का उल्लेख है।

## सत्र

- **बजट सत्र- अनुच्छेद** 87 में राष्ट्रपति द्वारा बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करने का विस्तृत विवरण है।
- **मानसून सत्र-** यह जुलाई से अगस्त के बीच होता है।
- **शीतकालीन सत्र-** यह दिसम्बर माह में होता है। इसकी अवधि सबसे छोटी होती है।

## संसदीय समितियाँ

- वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग है। यह विधायकों पर सुक्ष्म व गहन जांच पड़ताल करती है।
- इसका विकास 1919 माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड से माना जाता है।
- स्थायी समितियाँ तीन प्रकार की हैं 1. वित्तीय समिति 2. विभाग समिति 3. जाँच समिति (सदन समिति, छानबीन समिति)।

## वित्तीय समिति

प्राक्लन समिति या अनुमानित समिति- इसका गठन सिर्फ लोक सभा में किया जाता है। यह संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति है।

- लोक सभा के कुल 30 सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं।
- इसकी अवधि 1 वर्ष की होती। इसका गठन 1950 में हुआ।
- इसका गठन लोक सभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है।
- यह सहकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है।

## लोक लेखा समिति (विभाग समिति)

- यह सबसे महत्वपूर्ण व सबसे पुरानी समिति है।
- इसका गठन सर्वप्रथम 1921 में किया गया था।
- इसके सदस्य 15 हुआ करते थे।
- वर्ष 1954-55 से इसके सदस्य 22 होते हैं।
  (लोक सभा के 15 तथा राज्य सभा 7 सदस्य = 22 )
- इसका अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है।
- यह परम्परा 1967 से शुरू की गई।
- **कार्य-** CAG के प्रतिवेदनों की जाँच करना।
- व्यय संबंधि लेखों की जाँच करना।
- किसी सेवा पर अतिरिक्त धनराशि व्यय किए जाने पर उसके कारणों की जाँच करना तथा उसके संबंध में उचित सिफारिश करना।
- प्राक्लन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है।
- यह प्राक्लन समिति की जुड़वा बहन भी कही जाती है।
- यह अपनी रिपोर्ट लोक सभा अध्यक्ष को सौंपती है।
- वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष - मलिकाअर्जुन खड़गे हैं।

## लोक उपक्रम समिति

- इसका गठन वर्ष 1964 में हुआ। इसके गठन का श्रेय जी.वी. मारवलंकर को जाता है।
- सदस्य- 22 (लोक सभा 15 + राज्य सभा 7 = 22)
  **इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।**
- **कार्य-** CAG द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंधों में प्रस्तुत रिपोर्ट की जाँच करती है। इस बात की जाँच करना की क्या सरकारी उपक्रमों, समूचित सरकारी सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यक प्रथाओं के अनुसार चलाये जा रहे हैं या नहीं ।
- यह अपनी रिपोर्ट लोक सभा अध्यक्ष को देती है।
- विभागिय समितियों की सिफारिफ लोक सभा की नियम समितियों ने 1889 में की।
- **सिफारिश के आधार-** कृषि समिति, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी समिति।
- नियम समिति द्वारा पुनः सिफारिश वर्ष 1991 में की गई थी। इसमें कहा गया था कि सभी विभागों के लिए विभागीय समितियों की स्थापना की जाए। जिसके तहत 17 स्थायी संसदीय समितियाँ गठित की गई जो कि 12 अप्रैल 1993 से कार्य शुरु किया।
  **नोट-** 2004 में विभागिय समितियों की संख्या 24 कर दी गई।

**कार्य-** संबंधित विभागों की बजट मांगों पर विचारों करना।

- वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना। अध्यक्ष व सभापति द्वारा सौंपे गए विधेयकों पर विचार करना।

## जाँच समिति

- **विशेषाधिकार समितिः** सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए इसका गठन किया गया।
- यह विशेषाधिकारों के उल्लंघनों के मामलों की जाँच करती है।
- संसद के दोनों सदनों में इस समिति का गठन किया जाता है।
- विशेषाधिकार समिति में 15 लोक सभा से व 7 राज्य सभा से सदस्य होते हैं।

## याचिका समिति

- जनता द्वारा सामान्य हित संबंधी याचिकाओं पर विचार करना। याचिका समिति का गठन लोक सभा व राज्य सभा दोनों में किया जाता है।
- याचिका समिति में लोक सभा से 15 व राज्य सभा से 10 सदस्य होते हैं।

# न्यायपालिका

## सुप्रीम कोर्ट

**स्थापना-** 28 जनवरी 1950 को 1 (अनुच्छेद- 124)
**उल्लेख-** संविधान के भाग 5 व अध्याय 4 में।
**वर्णन-** संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक
**भूमिका-** संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षण की है।
**टेगलाईन-** ''यतो धर्मस्ततो जय)''
**कार्यकाल-** 65 वर्ष की आयु तक। (अनुच्छेद 124(2क)
**न्यायाधीश-** न्यायमूर्ति रंजन गोगाई। अनुच्छेद -
**नियुक्ति-** राष्ट्रपति द्वारा । अनुच्छेद 124(2)

### योग्यता

- भारत का नागरिक हो । अनुच्छेद 124(3)
- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (पाँच वर्ष के लिए)
- 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश (पाँच के लिए)
- उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता (10 वर्ष)

### हटाना

- महाभियोग प्रक्रिया द्वारा (दो-तिहाई बहुमत)- राष्ट्रपति के द्वारा { अनुच्छेद 124(4) }

**नोट-** सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश - 1. फ़ातिमा बीबी 2. सुजाता मनोहर 3. रूमा पाल 4. ज्ञान सुधा मिश्र

- **वर्तमान न्यायाधीश -** रंजन गोगई (46वें क्रम के)

## उच्च न्यायालय

**(भाग-6; अनुच्छेद 214)**

■ भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं जिसका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह में होता है।

उदाहरण के लिए पंजाब, और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है।

■ **नियुक्तिः** भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती है।

■ **उच्च न्यायालय -** इलाहाबाद, हैदराबाद, मुम्बई (गोवा,, दादरा- नगर हवेली, दमन एवं द्वीव, कोलकाता (अंडमान एंड निकोबार) छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम), गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल (लक्षद्वीप) मध्यप्रदेश, मद्रास (तमिलनाडु, पुडुचेरी), ओड़ीसा, पटना, पंजाब (हरियाणा, चण्डीगढ़), राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, तेलंगाना (1 जनवरी 2019)।

# राज्य की कार्यपालिका

**(भाग-6; अनुच्छेद - 153 से 167)**

- इसमें राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है, संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है।

## राज्यपाल

- अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख हैः
  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- **पदावधि-** 5वर्ष तक पद धारण करता है (अनु. 156(3))
- अनुच्छेद 156(1) में पद से हटाया जाने का उल्लेख मिलता है।
- अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का उल्लेख मिलता है।

## मुख्यमंत्री

- राज्यपाल के विवेकाधीन कृत्यों को छोड़कर अन्य कृत्यों के प्रयोग में उसे सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है (अनु. 163 (1))
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख अनु. 164 (1) में मिलता है।
- मंत्रि-परिषद का आकार 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राज्यों में मंत्रि-परिषद् की संख्या पर निर्बंधन लगाया गया है।
- इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 164(1क) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य



KOTHARI INSTITUTE

की मंत्रि-परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी।

- वह व्यक्ति जो राज्य विधान-मंडल के सदस्य नहीं है उन्हे भी मंत्री पद दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 6 महीने की अवधि के भीतर उन्हें राज्य विधान-मंडल के किसी सदन या सदस्य बनाया होगा। (अनुच्छेद 164(4)
- संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने के पूर्व उसे राज्यपाल द्वारा पद के कर्तव्य पालन एवं पद की गोपनीयता की शपथ दिलायी जाती है।
- मंत्रि-परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

## राज्य का विधान-मंडल

**(भाग-6 अनुच्छेद 168 से 212)**

- विधान मंडल (Legislature)
- इसका गठन राज्यपाल, विधान सभा (Legislative Assembly) एवं विधान परिषद (Legislative Council) से मिलकर होता है।
- विधान परिषद- कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है।
- इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं।
- इसके कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं।
- यह विधान मंडल का अंग है।

**भारत के सात राज्यों में विधान परिषद है-**

- आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश (अनु. 168)

**नोट-** राजस्थान और असम को संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है।

**गठन-** विधान सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है। (अनुच्छेद - 169)

- तत्पश्चात अनुच्छेद 171(2) के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है।
- तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की मंजूरी मिल जाती है।
- यह कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि यह स्थायी सदन होता है।

**कार्यकाल-** छः वर्ष का होता है लेकिन प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं।

**आकार-** राज्य विधान सभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के एक - तिहाई से अधिक नहीं और किसी भी कारणों से 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकते।

**नोट** - जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा 36 सदस्यों की व्यवस्था की गई है।

**निर्वाचन-** परिषद के लगभग एक तिहाई सदस्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं है।

- एक तिहाई (1/3) निर्वाचिका द्वारा जिसमें नगरपालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों और राज्य में अन्य प्राधिकरणों के सदस्यों सम्मलित है, द्वारा चुने जाते हैं।
- एक बटा बारह (1/12) का चुनाव निर्वाचिका द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम तीन वर्षों तक राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापन में लगे रहे हों।
- अन्य एक बटा बारह का चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है। जो तीन वर्ष से अधिक समय पहले पढ़ाई समाप्त कर लिए हैं।
- शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहयोग आन्दोलन और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं।

**योग्यता-** भारत का नागरिक है।

- कम से कम 30 साल की आयु हो।
- मानसिक रूप से असमर्थक व दिवालिया नही हो।

## विधान सभा

- इसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन या स्पेल हाउस भी कहा जाता है।
- इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
- **आकार-** 500 से अधिक व 60 से कम नहीं हों।
- हालांकि कहीं पर 60 से कम हैं, गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुडुचेरी।
- एक एग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा मनोनित किया जाता है।

**योग्यता-** 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

- मानसिक रूप से असमर्थक व दिवालिया नही हो।
- भारत का नागरिक होना चाहिए।

**धन विधेयक (मनी बिल) -** मनी बिल को केवल विदानसबा में लाया जाता है। द्विसदनीय प्रणालियों में विधान सभा से पास हो जाने के बाद विधान परिषद के पास भेजा जाता है। जहाँ इसे अधिकतम 14 दिनों तक रखा जाता है।

- संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने के पूर्व उसे राज्यपाल द्वारा पद के कर्तव्य पालन एवं पद की गोपनीयता की शपथ दिलायी जाती है।
- मंत्रि-परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

## संघ और राज्यों के बीच संबंध

### (भाग-11 अनुच्छेद 245 से 300 तक)

- भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है।
- भारत के संविधान में केन्द्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है।

### विधायी संबंध

- संसद सम्पूर्ण देश के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है।
- जबकि राज्य विधान-मंडल सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। (अनु. 245 (1))
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ शामिल हैं-

1. **संघ सूची-** संविधान की सातवीं अनुसूची 1 में रखा गया है। इस सूची पर कानून सिर्फ सांसद ही बना सकती है। (अनु. 246(1)
   - इस सूची में 97 विषय सम्मिलित है।
2. **राज्य सूची-** इस सूची को संविधान की अनुसूची की 2 सूची में रखा गया है। इस सूची पर कानून बनाने का कार्य राज्य विधान-मंडल को सौंपा गया है। (अनु. 245(3)
   - इस सूची में 66 विषयों को सम्मिलित किया गया है।
3. **समवर्ती सूची-**इस सूची को संविधान की अनुसूची की (3) सूची में रखा गया है। इसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों भी हैं। (अनु. 246(2))
   - इस सूची में 47 विषयों को सम्मिलित किया गया है।
4. **अवशिष्ट विषय-** वह विषय जो संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं उन्हें सुवशिष्ट विषय कहते हैं। अनुच्छेद (248(1)(2)
   - इन विषयो पर कानून (विधि) बनाने की शक्ति संसद के पास है।

### प्रशासनिक संबंध

- इसका आधार भारत शासन अधिनियम 1935 है।
- सामान्यतः राज्य की कार्यपाकि शक्ति का विस्तार उन विषयों पर है जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है। (अनु. 162)
- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उन अधिकारों तक भी है जो किसी संधिय या करार के आधार पर प्राप्त हुए है (अनु.73(ख)
- **अनुच्छेद 257(1)** के तहत संघ सरकार किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकती है जो उसे अपनी कार्यपालिका शक्ति के निर्वहन हेतु आवश्यक प्रतीत है।
- **अनु. 353(क)** के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, मातृभाषा में शिक्षा की प्रयुक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जरूरी है।
- **अनुच्छेद 261** के तहत भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा किए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्यक्षेत्रों के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा।

### अंतरराज्य परिषद

- **स्थापना-** 28 मई 1990 को हुई थी।
- **गठन -** अनुच्वेद 263 के तहत इसके गठन का प्रावधान है।
- **सिफारिश-** स्तरकारिया आयोग पर गठन हुआ था था।
- **उद्देश्य-** देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा बनाए।
- **अध्यक्ष-** प्रधानमंत्री (P.M.)
- **सदस्य-** प्रधानमंत्री तथा उसमें 6 मनोनीत केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के एवं संघ राज्य क्षेत्रों (विधान सभा) को मुख्यमंत्री (C.M.) तथा अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन
- सचिवालय में सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **गणपूर्ति-** प्रतिवर्ष तीन बैठकें आयोजित होंगी जिनकी
- अध्यक्ष सहित 10 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है।

### वित्तीय संबंध

- इसका आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 है।

**संघ व राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन मूलतः पाँच प्रकार से होता है।**

1. इसके अंतर्गत संघ के राजस्व स्त्रोतों को रखा गया है। ये कर संघ द्वारा लगाये व वसूले जाते है।
   **जैसे-** सीमा शुल्क, निगम कर, व निर्यात शुल्क इत्यादि।
2. इस भाग के अन्तर्गत राज्यों द्वारा करों की लगान व

वसुलना होता है जैसे- भू-राजस्व, मनोरंजन कर, सम्पदा शुल्क विक्रय कर, कृषि भूमि पर आयकर, खनिज कर, विद्युत कर इत्यादि।

3. इस भाग के अन्तर्गत संघ द्वारा कर लगाये जाते हैं, जो कि राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाते हैं।
4. इस भाग के अन्तर्गत कर लगाना व वसूलना संघ का कार्य है वही आयोग राज्य करता है।

**जैसे-** कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर समाचारों, पत्रों के क्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर इत्यादि।

5. इस भाग के अन्तर्गत कर लगाना व वसूलना केन्द्र करती है। पर इसका उपयोग केन्द्र व राज्य दोनों करते हैं।

## जम्मू एवं कश्मीर (अनुच्छेद 370)

**राजधानी-** श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन), जम्मू (शीतकालीन)

- सबसे बड़ा शहर श्रीनगर है।
- जनसंख्या 1,25,41,302 है।
- क्षेत्रफल- 2,22,236 वर्ग किलो मीटर है।
- गठन- 26 जनवरी 1950
- राज्यपाल- सत्यपाल मलिक
- जम्मू-कश्मीर को संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' राज्यों के तहत शामिल किया गया है।
- 26 अक्टूबर, 1947 को पं. नेहरू तथा महाराजा हरीसिंह द्वारा जम्मू और कश्मीर के भारत में लिय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
- जम्मू-कश्मीर के संबंध में भारत सरकार को प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार से संबंधित अधिकार दिए गए।
- जम्मू-कश्मीरराज्य का अपना स्वयं का संविधान है। तथा इसी संविधान द्वारा इस पर प्रशासन चलाया जाता है। अतः भारत के संविधान द्वारा इस पर प्रशासन चलाया जाता है। अतः भारत के संविधान का भाग VI इस पर लागू नहीं होता है।
- विधान सभा में कुल 100 सदस्य होंगे।
  **(नोट-** 24 स्थान POK का हिस्सा है)
- दो महिला सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाएँगी।
- विधान परिषद में कुल 36 सदस्य होंगे।
- **अनुच्छेद 22(7)** के अधीन निवारक विरोध पर कानून बनाने का अधिकार संसदको नहीं है।
- संविधान के **अनुच्छेद 249** के अधीन राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके राष्ट्र हित में राज्य सूची मेंवर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है।

**राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर दो तरह की घोषणा की जाती है-**

1. राष्ट्रपति शासन (अनु. 356)
2. राज्यपाल शासन (धारा-92 राज्य संविधान की)

**नोट-** राज्य में राज्यपाल शासन प्रथमबार 27 मार्च 1977 को लगा था।

- राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 7 सितंबर 1986 को लगा था।
- राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही राज्यपाल शासन की घोषणा कर सकता है।

## संवैधानिक निकाय

### संघ लोक सेवा आयोग
### (Union public service commission)

**(भाग-14; अनु. 315 से 323)**

**गठन-** 1 अक्टूबर, 1926 को हुआ।

**मुख्यालय -** नई दिल्ली (नोटः लोक सेवा आयोग- सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पुर्नगठित संघ लोक सेवा आयोग)

**अध्यक्ष-** अरविंद सक्सेना (कार्यकारी)

**संरचना-** इसमें एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य 9 से 11 होते है है।

- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- कार्यकाल- छः वर्ष या उम्र 65 वर्ष हो।

### राज्य लोक सेवा आयोग
### (State public service commission)

- प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा का गठन किया जाता है।

**संरचना-** इसमें एक अधयक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं।

- कार्यकाल- 6वर्ष या उम्र 62 वर्ष हो।

### नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
### Comtroller and Auditor General

1. **अनुच्छेद- 148** में CAG उल्लेख है।
2. संविधान में इसकी योग्यता का उल्लेख नहीं है।
3. CAG की योग्यता का निर्धारण संसद करती है।
4. वर्तमान CAG पर 1972 का Duties Powers and Conditions of Service (DPC) Act कानून लागू होता है।



KOTHARI INSTITUTE

5. इस पद पर I.A.C. को नियुक्त किया जाता है।
6. अनुच्छेद- 148 के तहत राष्ट्रपति मंत्रि परिषद की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करता है। (वारंट / अधिपत्र)
7. कार्य - मंत्रिपरिषद द्वारा खर्च किये गये धन की ऑडिटिंग करना।
8. शपथ- राष्ट्रपति अनुसूचि 3 के तहत संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है।
9. कार्यकाल- 6 वर्ष या उम्र 35 वर्ष हो।
10 हटाने की प्रक्रिया- अनुच्छेद- 124(4) में दी गई है।

## भारत का महान्यायवादी
## Attorney General of India

1. **उल्लेख-** भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 76(1) में है।
2. **नियुक्ति-** राष्ट्रपति के द्वारा
   (जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो)
3. **पदावधि-** अनुच्छेद-76(4) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है।
4. **कार्य- अनुच्छेद-76(2) के अनुसार-**
   - यह भारत सरकार को विधि सम्बन्धी विषयों पर सलाह देता है।
   - यह भारत सरकार के पक्ष से वकालत करता है।
   - संघीय मंत्रि-परिषद की सलाह पर करता है।
5. **अधिकार- अनुच्छेद 76(3) में उल्लेखित है**
   - भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
   - संसद के दोनों सदन (LS व RS) व संसद की संयुक्त बैठक में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है।
   - परन्तु अनुच्छेद-88 के अनुसार मत देने का अधिकार नहीं है।
6. **वर्तमान में महान्यायवादी - K.K. वेणु गोपाल**

## राज्य का महाधिवक्ता

- प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है।
- **नियुक्ति** - राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर (अनुच्छेद- 165)
- **योग्यता-** उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है।
- **पदावधि-** यह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है (अनुच्छेद 165(3)
- **कार्य-** यह राज्य का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है।
- यह उच्च न्यायालय में सुने जाने वाले मुकदमों में राज्य सरकार के पक्ष से वकालत करता है।
- **अधिकारी-** वह राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदन मेंया किसी समिति, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं। (अनुच्छेद-177)

## वित्त आयोग

- इसका उल्लेख अनुच्छेद-280 में उल्लेखित है।
- **अवधि** - 5 वर्ष है।
- **संरचना** - इसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- **योग्यता-** इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।
- **कार्य-** आयकर (कृषि आय विभिन्न - अनुच्छेद 270)
- **उत्पादन शुल्क-** (औषधि और सौन्दर्य - अनुच्छेद 272)
- **अनुदान** - संचित निधि से प्राप्त होता है (संचित निधि में वृद्धि के लिए सिफारिश करता है।)

### प्रथम वित्त आयोग

**गठन** - 1951 में हुआ।
**अध्यक्ष** - के.सी. नियोगी

### 15वें वित्त आयोग

**अध्यक्ष-** एन.के. सिंह
**पूर्णकालिक सदस्य-** अशोक लाहिडी
**कार्यकाल-** 2020 से 2025 तक
**समीक्षा** - केन्द्र व राज्यों के वित्त / घाटे / ऋण स्तर / राजकोषीय / अनुशासन प्रयासों की मौजूदा स्थिति की।
(**नोट-** यह आयोग अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 तक सौंपेगा)

## निर्वाचन आयोग Election Commission

**(भाग-15 अनुच्छेद 324 से 329)**

**स्थापना-** 25 जनवरी 1955 को हुआ।
**उद्देश्य-** भारत में पारदर्शिता और निष्पक्ष शासन के लिए निर्वाचन की आवश्यकता पड़ी।
**नोट** - भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुआ था।
25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
**सदस्य-** 1 चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 आयुक्त होते हैं।
**शपथ-** इसका उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है।

**कार्य-** राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने ओर लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव करवाना। चुनाव की तारीख निकालना। चुनाव में खर्च की निगरानी करना। अचार संहिता लगवाना और उसका पालन करवाना। मत दाता पहचान-पत्र तैयार करवाना साथ ही चुनाव चिन्हों का आवंटन करवाना।

**प्रथम चुनाव आयुक्त -** सुकुमार सेन थे।

**वर्तमान में चुनाव आयुक्त -** नसीम ज़ैदी हैं। (20वें)

**नोट-** देश की एक मात्र महिला चुनाव आयुक्त वी.एस. रमादेवी थीं।

- पहले मतदान करने की अनिवार्य आयु 21 वर्ष थी। वर्तमान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में इसे परिवर्तित किया गया है। जो कि वर्ष 1989 से 18 वर्ष लागू कर दी गई।
- **अंगूली पर स्याही चिन्ह-** सिल्वट नाईट्रेड से बनी होती है।
- Electronic Voting Machine (EVM)- इसका प्रथमबार वर्ष 1982 में उपयोग करने वाला राज्य केरल (पारुर) है। वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, विधान सभा चुनाव में EVM का उपयोग किया गया।
- सम्पूर्ण विधान सभा चुनाव वर्ष 1999 में EVM के माध्यम से कराने वाला पहला राज्य गोवा है।

**नोट-** भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती मनायी।

## भाषाई अल्पसंख्यक आयोग

- भारतीय संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था।
- किन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान के भाग-17 में **अनु. 350(ब)** जोड़ा गया।

**जिसमें इसके कार्यों व गठन संबंधित निम्न उपाय किए गए हैं-**

1. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के उपाय करेगा व ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, जिसमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्ताक्षेप कर सकता है।
2. भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी।

**स्थापना-** वर्ष 1957 को की गयी थी।

**कार्यालय-** दिल्ली (4 क्षैत्रीय कार्यालय है- प्रयागराज / बेंगलुरू/चेन्नई/कोलकाता)

**रिपोर्ट-** राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

**उद्देश्य-** भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों व संस्कृति का संरक्षण।

- भाषाई अल्पसंख्यकों को समावेशी विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध काल।
- भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की शिकायतों का निवारण।

# गैर संवैधानिक निकाय

## योजना आयोग

- **स्थापना-** 15 मार्च 1950 को हुई।
- **अध्यक्ष-** भारत के प्रधानमंत्री होते थे।
- **प्रकृति-** एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली मंत्राणा अथवा स्टाफ अभिकरण।
- **प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष-** गुलजारी लाल नंदा
- 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई।
- इसके स्थान पर नीति आयोग होगा।

## नीति आयोग Nationl Institute for Trnasfarming India (NITI )

**गठन-** 1 जनवरी 2015 को हुआ था।

**अध्यक्ष-** इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।

**उपाध्यक्ष -** राजीव कुमार

**नोट -** प्रथम उपाध्यक्ष - श्री अरविंद पणगरिया थे)

- CEO - अमिताभ कांत

  **कार्य-** थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- क्षेत्रीय परिषद् की अध्यक्षता इसका उपाध्यक्ष करेगा।
- पूर्णकालिन सदस्यः विवेक देवराज, वी.के. सारस्वत, R. रेड्डी।
- **पदेन सदस्यः** राजनाथ सिंह (गृह मंत्री), अरुण जेटली (वित्त मंत्री), पियुष गोयल (रेल मंत्री), राधा मोहन सिंह (कृषि मंत्री),
- **विशेष आमंत्रित सदस्य-** नितिन गड़करी, थावरचंद गेहलोत, स्मृति ईरानी,
- **अधिसाशी परिषद के सदस्य-** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केन्द्र शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल या प्रशासक।

## राष्ट्रीय विकास परिषद National Development Council

**गठन -** अगस्त 1952 को हुआ।

**उद्देश्य-** योजनाओं के क्रार्यान्वन, राष्ट्र के संसाधनों एवं तीव्र विकास को सूनिश्चित करना।



KOTHARI INSTITUTE

**अध्यक्ष-** इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।

**सदस्य-** सभी केन्द्रीय केबिनेट मंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/प्रशासक/सभी नीति आयोग के सदस्य।

**कार्य-** राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए दिशा निर्देश करना। योजना पर विचार करना, क्रियान्वयन में संशोधन का अनुमान लगाना। महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों पर विचार करना, योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों की सिफारिश करना। योजना आयोग की तरह यह न तो संवेधानिक निकाय है ओर न ही सांविधिक निकाय है।

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
## National Human Rights commission

- यह एक सांविधिक (संवैधानिक) निकाय नहीं है।
- **गठन-** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा 12 अक्टोबर 1993 को हुआ था।
- इसका संशोधन वर्ष 2006 में हुआ। जिसमें इसका नाम राष्ट्रीय मानवाधिकार रखा गया।

**उद्देश्य -** उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने, जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके।

**संरचना-** इसका एक अध्यक्ष होता है (सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधिस हो)।

- इसके 4 सदस्य होते हैं। (1 सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, 1 सेवानिवृत्त हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो तथा 2 मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होने वाले व्यक्ति होने चाहिए)।

**पदेन सदस्य -** 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। (1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यकर आयोग, 1 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति व 1 राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य हो)।

- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर होता है।

**कार्यकाल-** 5 वर्ष अथवा उम्र 70 वर्ष जो पहले हो।

**कार्य-** मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जाँच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानव अधिकारों के उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो कि जाँच स्व प्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना।

**मुख्यालय-** नई दिल्ली

**वर्तमान अध्यक्ष-** जस्टिस H.L. दत्तू

- मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है।
- मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में लोक सभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, मुख्य विपक्षी दल या नेता और राज्य सभा उप-सभापति शामिल होते हैं।

## केन्द्रीय सूचना आयोग
## Central Information Commission

**गठन-** 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था।

**संरचना -** इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिये।

**नियुक्ति-** राष्ट्रपति द्वारा`क समिति की सिफारिश पर की जाती है इस सिफारिश का नेतृत्व प्रधानमंत्री व लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है।

**कार्य-** 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो।

## अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

**(भाग-10 अनुच्छेद 244 एवं 244 तक)**

- **अनुच्छेद 244(1)** के तहत संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य किसी राज्य के SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे।
- **अनुच्छेद 244(2)** के तहत संविधान की 6ठीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए लागू होंगे।

**जनजाति सलाहकार परिषद**

- ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ एक जनजाति सलाहकार परिषद् के गठन का प्रावधान किया गया है।
- जनजाति सलाहकार परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
- इनमें से तीन-चौथाई सदस्य संबंधित राज्य की विधान सभा में ST के प्रतिनिधियों में से चुने जायेंगे।
- परिषद का यह कर्तव्य है कि वह उस राज्य की ST के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सला दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।

## आरक्षण
## (भाग -16 अनुच्छेद 330 से 342)

- सदियों से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी जनता के उत्थान के बिना संविधान के मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को पूरा नहीं किया जा सकता था।

- तथा इस वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिये संविधान के भाग 16 में इसके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ये उपबंध निम्न हैं-

### अनुसूचित जाति /जनजाति

- अनुसूचित जाति को अनु. 366 के खण्ड 24 में परिभाषित किया गया है।
- अनु. 341 के अधीन अनुसूचित जाति को जातियाँ समझा गया है।
- अनुसूचित जनजाति को अनु. 366 के खण्ड 25 में परिभाषित किया गया है।
- अनु. 342 के अधीन ST जनजातियाँ समझा गया है।
- संसद, विधि द्वारा, राष्ट्रपति की उपर्युक्त अधिसूचना में सामिल किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा उसके किसी भाग को निकाल सकती है या उसमें ऐसे ही किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा उसमें किसी भाग को शामिल कर सकती है। (अनु. 341(2))।
- लोक सभा एवं राज्य विधान सभा में SC/ST के लिए स्थानों का आरकक्षण जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया गया है।
- (**नोट** - अनु. 334 के अनुसार संविधान में लागू होने से 10 वर्षों (1960) के लिए आरक्षण व्यवस्था अपनाई थी)

## राजभाषा

- संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है।
- इनके उपबंधों को चार शीर्षकों में विभाजित किया है।
- संघ की भाषा
- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख (अनु. 120) है।
- विधान मंडल में प्रयोग की जानेवाली भाषा (अनु. 210)
- संघ की राजभाषा का उल्लेख अनु. 343 में किया है।
- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख अनु. 344 में किया गया है।

### प्रादेशिक भाषाएँ

- राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का उल्लेख अनु. 345 में है।
- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख अनु. 346 में है।
- किसी भी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उल्लेख अनु. 347 में है।

### उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा

- सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा का उल्लेख अनु. 348 में है।
- भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख अनुच्छेद 349 में है।

### विशेष निर्देशों की भाषा

- प्राथमिक स्तर पर मात्र भाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख अनु. 350 में है।
- भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेषाधिकार की भाषा का उल्लेख अनु. 350 में है।
- हिन्दी भाषा के विकास के निर्देशों का उपबंध अनु. 351 में है।

## लोकपाल

- 1908 में गठित "स्कैनडिनेवियन इंस्टीट्यूट ऑफ आम आमवड्समैन" यह आम नागरिकों की तकलीफों को दूर करने हेतु बनाई गई। विश्व की प्राचीनतम लोक तांत्रिक संस्था है।
- इसकी स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग (1966 से 1970) की सिफारिश पर की गई थी।
- अभी तक भारत सरकार द्वारा 8 बार लोकपाल के लिये विधेयक लाया गया।
- **सर्वप्रथम** मई 1968 में इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में काँग्रेस सरकार द्वारा यह बिल लाया गया था।
- **दूसरी बार** अप्रैल 1971 में पुनः इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में काँग्रेस सरकार द्वारा यह बिल लाया गया था।
- **तीसरी बार** जुलाई 1977 में मोरार जी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा यह बिल लाया गया था।
- **चौथी बार** अगस्त 1985 में राजीव गाँधी के नेतृत्व में काँग्रेस सरकार द्वारा यह बिल लाया गया था।
- **पाँचवी बार** दिसम्बर 1985 में वी.पी. सिंह के नेतृत्व में यह बिल लाया गया था।
- **छठी बार** सितम्बर 1986 में एच.डी. देवगौंड़ा जी के नेतृत्व में यह बिल लाया गया था।
- **सातवीं बार** अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बी.जे.पी. की सरकार के द्वारा यह बिल लाया गया।
- **आठवीं बार** अगस्त 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बी.जे.पी. की सरकार के द्वारा यह बिल लाया गया।
- **प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष : पिनाकी चंद्र घोष बने। (23 मार्च, 2019)।**

## लोकायुक्त

- सर्वप्रथम लोकायुक्तका गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ।
- यद्यपि ओडिशा में अधिनियम 1970 में पारित हुआ परंतु उसे 1983 में लागू किया गया।
- **नियुक्ति-** राज्यपाल द्वारा की जाती है।
  **कार्यकाल-** 5 वर्ष या उम्र 65 वर्ष तक जो पहले हो।
- हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है।

## स्थानीय सरकार

### पंचायत (अनुच्छेद 243 से 243ण)

- ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान (1882) स्थानीय स्वायत्त शासन की सुनियोजित स्थापना व प्रयास किया गया।
- स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के गठन व विकास के लिए 1882 व 1907 में शाह आयोग को गठित किया गया।
- संविधान के भाग 4 (DPSP) के अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु निर्देश दिया गया।
- संविधान की 7वीं अनुसूचि के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को राज्य सूची में शामिल करते हुए इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को सौंपा गया।
- 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।
- 2 अक्टूबर 1953 को प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया।

#### बलवंत राय मेहता समिति

**गठन -** नवम्बर 1957 में हुआ।
**उद्देश्य-** पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी।
**ग्राम स्तर पर -** ग्राम पंचायत (प्रत्यक्ष चुनाव)
**ब्लॉक स्तर पर -** पंचायत समिति (अप्रतयक्ष चुनाव)
**जिला स्तर पर -** जिला परिषद- अप्रत्यक्ष चुनाव

- 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास आयोग ने इसे स्वीकारा।
- अक्टूबर 1985 को 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हुई।
- 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज का उद्घाटन किया गया।
- 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया।
- वर्ष 1960 को असम, कर्नाटक में पंचायती राज का गठन हुआ।
- वर्ष 1962 में तमिलनाडु में पंचायती राज का गठन हुआ।
- वर्ष 1963 में महाराष्ट्र, वर्ष 1964 में गुजरात तथा पश्चिम बंगाल में पंचायती राज का गठन हुआ।

#### अशोक मेहता समितिः

**गठन-** 12 दिसम्बर 1977 को हुआ।
**उद्देश्य-** पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने एवं प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन सुझाने हेतु।
**सिफारिश-** दो स्तरीयः जिला परिषद, मंडल पंचायत को लाना। 15 से 20 हजार जन संख्या पर 1 मंडल पंचायत होगी।

- राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार
- जिला परिषद ही जिले की आर्थिक नियोजन करेगी।

**रिपोर्ट-** अगस्त 1978 को सौंपी गई।

#### डॉ. जी.वी.के. राव समितिः

**गठन-** वर्ष 1985 को हुआ।
**उद्देश्य-** ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर एक समिति हो।

- विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिये।

**रिपोर्ट-** वर्ष 1986 में सौंपी।

#### दांतेवाला समिति

वर्ष 1978 में गठन हुआ। इसका संबंध ब्लॉक नियोजन से था।

#### हनुमंत राव समिति

वर्ष 1984 में गठन हुआ। इसका संबंध मंत्री या जिला कलेक्टर के अधीन जिला नियोजन संगठन हो।

#### एल.एम. सिंघवी समिति

**गठन-** वर्ष 1958 को हुआ।

- वर्ष 1986 में राजीव गाँधी सरकार द्वारा रिवाईटलाइजेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमेक्रेसी एण्ड डेवलपमेंट विषय पर इस समिति का गठन हुआ।

**सिफारिश-** पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाये। कई गाँवों को मिलाकर न्याय पंचायतों का गठन हुआ।

#### पी.के. थुंगन समिति-

**गठन-** वर्ष 1989 में हुआ।
**उद्देश्य -** पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करना।



KOTHARI INSTITUTE

**सिफारिश-** पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाये।

- 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लोक सभा में पेश किया गया। परंतु यह विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो सका।
- 73 वाँ संविधान संशोधन विधेयक 1992 में संसद द्वारा पारित हुआ।
- राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 20 अप्रैल 1993 को अनुमति प्रदान की गई।
- 25 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हो गया।
- संविधान के भाग 9 के अंतर्गत **अनु. 243 से 243क से (ण)** को जोड़ा गया। तथा पंचायतों के गठन व उसकी संरचना एवं उसकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है।
- संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें पंचायतों को प्रदान किए गए उन 29 विषयों का जिक्र है।
- पंचायतों का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया।
- प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है।

(**नोट-** मध्यवर्ती स्तर पर उन्हीं राज्यों में पंचायतों का गठन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20लाख से अधिक हो (अनु. 243ख)।

## पंचायतों की संरचना

- पंचायत को संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की पृविष्टी 5 के अधीन शामिल किया गया है।
- अतः इसकी संरचना के बारे में उपबंध करने का अधिकार राज्य विधान मंडल को सौंपा गया है। (अनु. 243ग)

## ग्राम सभा

- ग्राम सभा से तात्पर्य है कि ग्रम स्तर पर एक पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाले उन समस्त लोगों से बनी संस्था से है, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है। (अनु. 243ख)।
- पंचायतों के आरक्षण का विस्तृत विवरण (अनु. 243घ) में दिया गया है।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या की कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
- पंचायतों की अवधि 5वर्ष होती है।

## पंचायत की सदस्यता के लिए योग्यता

- वह व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तथा वह संबंधित राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन हेतु किसी विधी द्वारा निर्हित न कर दिया गया हो। किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के योग्य होगा। (अनु. 243च,1)
- पंचायतों को वित्तीय स्रोत एवं कर लगाने की शक्तियाँ किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा किसी पंचायत को कर, शुल्क, पथ कर और फीसे उद्ग्रहित संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
- राज्य का विधान मंडल राज्य सरकार की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान देने हेतु प्रावधान कर सकता है।

## पंचायतों के लिए वित्त आयोग

- इसका प्रावधान अनु. 243झ में किया गया है।
- इसका गठन प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है।
- वित्त आयोग राज्य द्वारा संचित निधि में से पंचायतों को दिये जाने वाली सहायता, अनुदानों से संबंधित सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा।
- पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन अनु. 280 के अधिन, संघ एवं राज्यों के बीच वित्त के विवरण के लिए गठित वित्त आयोग की तर्ज पर इसका गठन किया जाता है।
- पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग के गठन का विस्तृत विवरण अनु. 243ट में किया गया है।
- राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

## नगरपालिका

**(भाग-9(क), अनुच्छेद 243(त) से 243(यछ)**

- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरिय क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाईयों को संवैधानिक आदान प्रदान करते हुए इसके लिए संविधान में भाग-9क तथा अनुसूची 12 जोड़ी गई।
- यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ।

**नगरपालिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं।**

1. **नगर पंचायत -** ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन होने वाले क्षेत्रों को बनाया जाता हैं।
2. **नगर परिषद-** किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र स्तर पर नगर परिषद बनाई जाती है।

3. **नगर निगम-** किसी वृहदत्तर नगरीय क्षेत्र स्तर पर नगर निगम बनाई जाती है।

- नगर पालिका की संरचना का उल्लेख अनु. 243द[1] में किया गया है।
- नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान अनु. 243न [1][2] में किया गया है।
- नगर पालिकाओं की कार्यअवधि 5 वर्ष की होती है।
- नगर पालिकाओं की सदस्यता की योग्यताएँ: कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तथा वह संबंधित राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन हेतु आर्हता रखता है। अनु. 243क[1]।
- संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को शामिल किया गया है।
- नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग अनु. 243झ के तहत राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
- प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। अनु. 243यघ[1]
- प्रत्येक महानगर क्षेत्र एक महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। अनु. 243यङ

## दल-बदल विरोधी कानून

- दल-बदल का साधरण अर्थ एक-दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना है।
- भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उन्हें संसद तथा विधानमंडल में आयोजन हेतु प्रावधान किया गया है।
- इसके लिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है।
- पुनः 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत दल विभाजन की स्थिति में सदस्यों को दल-बदल के आधार पर आयोग्य नहीं माना जाएगा।

### अधिनियम के अंतर्गत अयोग्यता

#### राजनीतिक दलों के सदस्य

**किसी राजनीतिक दल का सदस्य निम्न परिस्थितयों में सदन की सदस्यता हेतु अयोग्य माना जाएगा यदि**

- वह व्यक्ति स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे।
- यदि व्यक्ति अपने राजनीतिक दल के विपक्ष में मत देना है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा उसने 15 दिन के भीतर क्षमादान ना मिला है।
- **निर्दलीय सदस्य-** कोई निर्दलीय सदस्य सदन की सदस्यता हेतु आयोग घोषित होगा, यदि वह चुनाव जीतने के बाद किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले।
- **मनोनीत सदस्य-** मनोनीत सदस्य सदन की सदस्यता हेतु आयोग्य होगा यदि वह सदन की सदस्यता धारण करने के 6 माह बाद किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लें।

**दल परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता निम्न दो परिस्थितियों में लागू नहीं होती -**

1. दल विभाजन की स्थिति के कारण कोई सदस्य अपने दल से बाहर हो गया हो, दल विभाजन तब माना जाएगा जब दल के एक तिहाई सदस्य नए दल का गठन कर लेते हैं।
2. यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुना जाता है तो उसे अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है तता अपने कार्यकाल के बाद वह पुनः अपने दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, यह प्रावदान पद की मर्यादा व निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किया गया।

**नोट -** दल परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की आयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है किन्तु इसके विरूद्ध उच्चतम या उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- अनुसूची 10 के अन्तर्गत नियम बनाने की शक्ति किसी सदन के अध्यक्ष की 10 अनुसूची के उपबंधों के अन्तर्गत नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है किन्तु ऐसा वह सदन की स्वीकृति के बाद ही कर सकता है।

## संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन

#### 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1956

- भाषा के आधार पर राज्यों का पुर्नगठन और वर्ग A.B.C. और D राज्यों के उन्मूलन और केन्द्रशासित प्रदेशों की स्थापना।

#### 9वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1960

- पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन

#### 10वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1961

- पुर्तगाल से अधिग्रहण पर दादर, नगर और हवेली केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुए।

**12वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1961**

- पुर्तगाल से अधिग्रहण पर गोवा, दमन और द्वीव केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुए।

**13वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1963**

- अनुच्छेद 71-ए के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैण्ड राज्य का गठन

**14वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1962**

- पाण्डिचेरी को फ्राँस द्वारा स्थानांतरण के बाद भारतीय संघ में शामिल किया।

**21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1967**

- सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।

**26वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971**

- सभी रियासतों के पूर्व शासकों को दिये गये प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया।

**36वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1975**

- सिक्किम को एक भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया।

**42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1976**

- मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण, भारतीय समाजवादी पंथ निरपेक्ष गण राज्य बनाना।
- इसमें 59 खण्ड थे और इतने बदलाव किए गए थे कि इसे लघु संविधान के रूप में वर्णित किया गया।

**44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1978**

- संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।

**52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1985**

- इस अधिनियम के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी का दल-बदल करना गैर कानूनी बना।

**61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1989**

- मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18वर्ष कर दी गई।

**71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992**

- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।

**73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1993**

- पंचायती राज की स्थापना, संविधान के भाग 11 में स्थापित करना।

**74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1993**

- नगर पालिकाओं का गठन

**86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002**

- वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।

**92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003**

- बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
- 8वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1960, 23वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1970, 45वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1980, 62वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 79वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2000, 95वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2010 - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण और संसद तथा राज्य विधान सभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकरण की समय सीमा को बढ़ाया गया।

**96वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2011**

- संविधान की 8वीं अनुसूची में Oriya के लिए Odia प्रतिस्थापित।

**97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2012**

- सहकारी समितियों से संबंधित संविधान में ix खण्ड ख अतः स्थापित

**101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2016**

- माल और सेवा कर (GST) अतः स्थापित

**102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2018**

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना

**103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019**

- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये आरक्षण ।

❑❑❑❑❑❑

KOTHARI INSTITUTE

# भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)

## भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप

**(Nature of indian Economy)**

**अर्थव्यवस्थाः** अर्थोपार्जन के लिए किए जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाएँ (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक) जब एक निश्चित ढांचे या व्यवस्था के अन्दर की जाती हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं।

**इसके तीन स्तर- उत्पादन-वितरण-उपभोग हैं-**

### आर्थिक क्रियाएँ

1. **प्राथमिक (Primary)-** कृषि- वानिकी, मत्स्यपालन खनन एवं उत्पादन
2. **द्वितीयक (Secondary)-** उद्योग- विनिर्माण, निर्माण विद्युत, गैस व जलापूर्ति
3. **तृतीयक (Tertiary)-** सेवा- व्यापार, परिवहन होटल, संग्रहण, संचार वित्तीय, बीमा, सामुदायिक (सेवा) सामाजिक व निजी सेवाएँ

**अर्थव्यवस्था की माप-** Percipita Income, National Income, Parchasing Power Income सामान्य रूप में, किसी भी देश के आर्थिक विकास को उसकी राष्ट्रीय आय (National Income) और प्रति व्यक्ति आय (Per Capital Income) से नापा जाता है।

**राष्ट्रीय आय :** देश के अन्दर उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय होती है। NNP + FC = राष्ट्रीय आय

**प्रतिव्यक्ति आय-** जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए, ये दोनों बातें आवश्यक हैं।

$$\text{Per Capital Income} = \frac{\text{NI}}{\text{TotalPopulation}}$$

- ❑ **आर्थिक विकास** (Economic Development)- आर्थिक विकास को प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में परिभाषित किया जाता है। या यूं कहें कि विकास लोगों के कल्याण से संबंधित है। आर्थिक विकास संवृद्धि से कुछ अधिक है।
- ❑ **आर्थिक संवृद्धि** (Economic Growth)- आर्थिक संवृद्धि लंबी समयावधि में, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह में बढ़ोत्तरी को दर्शाता है।
- ❑ **विकसित देश बनाम विकासशील देश-** उच्च आय वाले देशों को विकसित और न्यून या मध्यम आय वाले देशों को सामान्यतः विकासशील देश कहते हैं।
- ❑ **विकसित देश** (Developed Nation)- ऐसे देश जो औद्योगिक रूप में अग्रणी हैं और जिनमें आधुनिकतम तकनीकी ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। कार्यकारी जनसंख्या (Work-force) का अधिकांश भाग गैर-कृषि कार्यों (Non Agrarian Work) में लगा होता है। लोगों का जीवन स्तर एवं गुणवत्ता काफी ऊंचे होते हैं। एशिया के दो देश-जापान और सिंगापुर
- ❑ **विकासशील देश** (Development Nation)- विकासशील देश औद्योगिकरण की राह पर हैं, नवीनतम तकनीकी ज्ञान की कमी है। अधिकांश लोग कृषि और उससे संबंधित पारंपरिक क्रियाओं में ही लगे हैं। नवीन स्तर एवं जीवन-गुणवत्ता विकसित देशों की तुलना में बहुत नीचे हैं।

### मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत

- मुख्य विशेषता-निजी उद्यम (Primary Sector) के साथ-साथ सार्वजनिक उद्यम (Public Sector) का सह अस्तित्व-
- यह व्यवस्था का मुक्त बाजार और नियोजित अर्थव्यवस्था का मिश्रण है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उत्पादन कार्यों के अतिरिक्त, सरकार उन कामों को भी करती है जिन्हें निजी उद्यमी अलाभकारी या अपनी सार्मथ्य के बाहर समझते हैं।
- निजी व्यक्तियों द्वारा उत्पादित सामग्री व सेवाओं के मूल्य, बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं, और सरकार द्वारा उत्पादित सामग्री का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है।
- उत्पादन क्रियाओं में सरकार की भागीदारी का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं वरन् जनसाधारण की भलाई होता है।
- **उदाहरण-** भारत, नेपाल, श्री लंका, पाकिस्तान

### आर्थिक संवृद्धि, विकास और अल्प विकास

■ **संकल्पना (Concept)-** आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के गुणात्मक पक्ष पर विचार किया जाता है। इस प्रकार, आर्थिक विकास आर्थिक संवृद्धि से अधिक व्यापक संकल्पना है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि के साथ-साथ यह भी देखा जाता है

KOTHARI INSTITUTE

कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक ढांचे (occupational structure) में भी परिवर्तन होता है और उसकी आर्थिक दक्षता और उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

■ **किन्डलबर्गर के अनुसार** "जहाँ आर्थिक संवृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होता है, वहीं आर्थिक विकास से तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में और वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है।" यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, लेकिन इससे दूसरे आर्थिक क्षेत्रों में पूरक विकास नहीं होता है, तो यह बिना विकास की संवृद्धि (growth without development) होगी।

अल्पविकसित देशों में जहाँ आर्थिक व तकनीकी साधन समिति है, वहाँ केवल आर्थिक संवृद्धि के द्वारा ही बेरोजगारी, गरीबी तथा आय की असमानता को दूर करना संभव नहीं है, लेकिन आर्थिक संवृद्धि के अभाव में भी इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

***आर्थिक विकास के कारकों में आर्थिक और अनार्थिक कारक शामिल हैं-***

**अनार्थिक कारक (Non-Economic Factors)-**

अनार्थिक कारकों का आर्थिक विकास की प्रक्रिया से सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन ये कारक परोक्ष रूप से आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अनार्थिक कारकों में राजनैतिक स्वतंत्रता व इच्छा शक्ति, सामाजिक व्यवस्था, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, भ्रष्टाचार से मुक्ति, शैक्षिक तथा तकनीकी स्तर, लोगों की विकास के प्रति तीव्र इच्छा व दृढ़ संकल्प प्रमुख हैं।

**आर्थिक कारक (Economic Factors)**

**पूँजी निर्माण (Capital Formation)-** पूँजी निर्माण का अर्थ है अर्थव्यवस्था में स्टॉक, मशीनरी, औजार, बिल्डिंग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि उन साधनों की वृद्धि जो उत्पादन की वृद्धि में सहायक हों। पूँजी निर्माण में वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक है- बचत की दर में वृद्धि क्योंकि बचत की ऊंची दर के माध्यम से ही निवेश की ऊँची दर प्राप्त की जा सकती है, जो पूँजी निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है।

■ **पूँजी-उत्पाद अनुपात (Capital-Output-Ratio-COR)-**पूँजी-उत्पाद अनुपात से तात्पर्य पूँजी की उस मात्रा से है, जिसकी आवश्यकता एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यदि अर्थव्यवस्था में पूँजी-उत्पाद की मात्रा कम होगी, जबकि पूँजी-उत्पाद अनुपात कम होने का अर्थ है मात्रा कम होगी, जबकि पूँजी-उत्पाद अनुपात कम होने का अर्थ है कि उतनी ही पूँजी से उत्पादन की मात्रा अधिक होगी। पूँजी-उत्पाद अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होता है।

■ **मानव संसाधन (Human Resources):-**आर्थिक विकास में मानव संसाधन के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव संसाधन से तात्पर्य स्वस्थ, शिक्षित व कुशल जनसंख्या से है, जो अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को संचालित करती हैं। पूँजी, कच्चा माल, तकनीकी आदि उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं।

■ **कृषि का विक्रय अधिशेष (Masrkets surplus of Agriculture)-**आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उत्पादन में इतनी वृद्धि हो कि शहरी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषि क्षेत्र से पर्याप्त विक्रय अधिशेष (Marketable surplus) प्राप्त हो सके।

भारत में भी इस समस्या का सामना करना पड़ा जब दूसरी और तीसरी योजना में खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया।

■ **विदेशी व्यापार की शर्तें (Terms of Foreign Trade)-** अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारिक शर्तें निर्मित माल निर्यात करने वाले देशों के अनुकूल तथा कृषि पदार्थों और कच्चे माल का निर्यात करने वाले देशों के प्रतिकूल रही हैं। यही कारण है कि विदेशी व्यापार में उन देशों को ही अधिक लाभ हुआ है, जिन्होंने तेजी के साथ औद्योगीकरण कर निर्मित माल का निर्यात किया है।

■ **आर्थिक प्रणाली (Economic System)-**आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक प्रणाली का चयन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक प्रणालियों में पूँजीवादी प्रणाली, समाजवादी प्रणाली व मिश्रित प्रणाली है। इन प्रणालियों के भी विभिन्न प्रकार हैं। इनमें से अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली का चयन किया जाना चाहिए।

**आर्थिक विकास की युक्तियों में मुख्य रूप से दो युक्तियाँ हैं-** संतुलित विकास की युक्ति (strategy of balanced growth) और असंतुलित विकास की युक्ति (strategy of unbalanced growth)।

■ **संतुलित विकास की युक्ति (The Strategy of Balanced Growth):-**अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के पक्षधरों में रोबेन्सटीन रोडन, रेग्नर नर्क्स, आर्थर ल्युइस आदि प्रमुख हैं। इनमें से नर्क्स संतुलित विकास की युक्ति के प्रबलतम समर्थक हैं। इनके अनुसार एक साथ सभी क्षेत्रों में निवेश से सभी क्षेत्रो में माँग के साथ-साथ पूर्ति में भी वृद्धि होगी और विकास के मार्ग की बाधाएँ दूर हो सकेंगी।

**नर्क्स के अनुसार** मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में संतुलित विकास मूल्य प्रेरणाओं (price incentives) के माध्यम से

और आयोजित अर्थव्यवस्थाओं में राज्य के प्रयत्नों से प्राप्त किया जाना चाहिए। संतुलित विकास की युक्ति में यदि मूल्य प्रेरणाओं को माध्यम बनाया जाता है, तो विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया धीमी होगी तथा विकास की दर भी धीमी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अल्पविकसित देशों के पास संसाधन सीमित होते हैं और यदि इन सीमित संसाधनों को एक साथ कई क्षेत्रों में लगा दिया जाए तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक पूंजी की पूर्ति संभव नहीं हो सकेगी और अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र पिछड़ जाएगा।

## असंतुलित विकास की युक्ति

अर्थव्यवस्था के असंतुलित विकास की युक्ति के पक्षधरों में सिंगर, हर्शमैन, फ्लेमिंग आदि प्रमुख हैं। इनके अनुसार वास्तविक स्थिति संतुलित विकास की मान्यता के विपरीत हैं। वास्तव में प्रत्येक नया निवेश अर्थव्यवस्था में पहले के असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाता है, जिससे पुनः दूसरे प्रकार का असंतुलन पैदा होता है।

■ **हर्शमैन के अनुसार**, तीव्र आर्थिक विकास के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था यदि संतुलन की ओर अग्रसर है, तो उसमें जानबूझकर असंतुलन पैदा करना चाहिए, जिससे विकास की ऊंची दर प्राप्त की जा सके। इस युक्ति के अनुसार यदि कुछ क्षेत्र पिछड़ जाएंगे तो उन्हें विकसित क्षेत्रों के प्रेरणा मिलेगी और इनमें अपेक्षाकृत तेजी से विकास होगा।

■ **भारत के लिए विकास युक्ति-** भारत की दूसरी योजना की रूपरेखा तैयार करते समय **पी.सी. महलानोबिस** ने स्पष्ट किया था कि भारत के साधन सीमित हैं। अतः इनको उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए, जो अन्य क्षेत्रों को भी विकास के लिये प्रेरित कर सकें। इस प्रकार, भारत की विकास युक्ति असंतुलित विकास की युक्ति थी।

■ **महालानोबिस के अनुसार-** भारत में सबसे पहले भारी मशीन उद्योग को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे बुनियादी उद्योगों को आवश्यक मशीनें व पूँजी उपकर उपलब्ध हो सकें। दूसरी प्राथमिकता संश्लेषित कच्चे पदार्थों (Synthetic raw materials) को दी जानी चाहिए। इन दोनों क्षेत्रों के विकास के बाद अन्य आधारभूत क्षेत्रों जैसे परिवहन , संचार, उर्वरक, सिंचाई, कोयला, इस्पात आदि को विकसित करना चाहिए।

■ **विकास की माप-** 1960 के दशक तक 'आर्थिक संवृद्धि' और 'आर्थिक विकास' को समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1960 के दशक को राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन, निर्धनता अनुपात में कमी, असामान्यता में कमी आदि से जोड़कर देखा जाता है।

■ **सतत् विकास (Sutstainable Development):-** यह शब्द 1980 में पहली बार चर्चा में आया, जब इन्टरनेशनल यूनियन फॉर दि कन्जरवेशन ऑफ नेचर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा विश्व संरक्षण युक्ति में इसकी चर्चा की गई। 1987 में ब्रंटलैंड द्वारा 'हमारा समान भविष्य' (Our Common Future) शीर्षक से प्रस्तुत रिपोर्ट में इस अवधारणा को अधिक स्पष्ट किया गया। इसके अनुसार "सतत् विकास वह स्तर है, जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे।"

■ **हरित जी.एन.पी. व हरित सूचकांक (Green GNP and Green Index)**

हरित जी.एन.पी. का तात्पर्य ऐसी जी.एन.पी. से है, जिसे प्राकृतिक सम्पदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त किया जाए।

हरित सूचकांक विश्व बैंक के पर्यावरणीय पोषक विकास खण्ड द्वारा विकसित सूचकांक है, **जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित तीन आधारों पर प्रत्येक देश की प्रतिव्यक्ति आय ज्ञात की जाती है-**

(a) उत्पादित सम्पत्ति, (b) प्राकृतिक संसाधन, (c) मानव संसाधन।

हरित जी.एन.पी. का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है। 1995 में किए गए आंकलन में भारत की प्रति व्यक्ति सम्पदा 4300 डॉलर थी और 192 देशों में भारत का 173 वाँ स्थान था। इसमें ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान (8,35,000 डॉलर) और इथियोपिया का अंतिम स्थान (1400 डॉलर) था।

■ **जीवन की गुणवत्ता के सूचक (Quality of Life Indies-QLI)-**

इसके अन्तर्गत ऐसे सूचकों को शामिल किया जा सकता है, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार से सम्बन्धित हैं, जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वतंत्रता आदि।

**इन्हीं के आधार पर तैयार किए गए दो सूचक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-**

(i) जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक (Physical Quality of Life Index-PQLI) (ii) मानव विकास सूचक (Human Development Index-HDI

■ **जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक-**1970- के दशक में मोरिस डी. मोरिसस नामक अर्थशास्त्री ने ऐसा व्यापक संकेतक बनाने का प्रयास किया, जो विकास के प्रयासों के परिणामों को व्यापक अर्थ में प्रस्तुत कर सके। **इसके लिए तीन संकेतकों का चुनाव किया गया-**

1. जीवन प्रत्याशा
2. शिशु मृत्यु दर 3. मौलिक साक्षरता

इन तीनों संकेतकों का औसत लेकर हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक (PQLI) निकाल सकते हैं।

PQLI = 1/3 (LEI + IMI + BLI)

■ **मानव विकास सूचकांक-** 1990 से संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशिकत की जा रही है। इस सूचकांक में मानव विकास के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया है।

■ पहली मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने का श्रेय महबूब उल हक को है।

**इस रिपोर्ट के अन्तर्गत जारी किए जा रहे सूचकांक हैं-**

(i) मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI) (ii) लिंग आधारित विकास सूचकांक (Gender-related Development Index-GDI) (iii) लिंग अधिकारिता माप (Gender Empowerment Measures-GEM), (iv) मानव निर्धनता सूचकांक (Human poverty Index-HPI)

■ मानव विकास सूचकांक में जीव प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर (प्रौढ़ साक्षरता दर व नामांकन अनुपात) और जीवन स्तर (क्रय शक्ति समता के आधार पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय) को आधार बनाया गया है।

■ **मानव विकास सूचकांक-**मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न देशों से सम्बन्धित कुछ सूचकांक जारी किए जाते हैं। Mahboob ul Haq 1990)

**मानव विकास सूचकांक में मानव का तीन दृष्टिकोणों से आकलन किया जाता है-**

(i) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (ii) शिक्षा का स्तर (प्रौढ़ शिक्षा दर तथा प्राथमिक, माध्यमिक व तृतीयक उच्च शिक्षा में) नामांकन का अनुपात। (iii) जीवन का स्तर क्रय शक्ति समता के आधार पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय।

## भारत में आर्थिक आयोजन

सभी पंचवर्षीय योजनाओं के मार्गदर्शी सिद्धांत के विकास के बुनियादी लक्ष्य हैं- रोजगार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय।

**आर्थिक आयोजन से तात्पर्य :** आर्थिक आयोजन से तात्पर्य है- देश के अभिकरणों जैसे योजना आयोग द्वारा आर्थिक सम्पदा व सेवाओं का पूर्वानुमान लगाकर, उनका सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुशलतम उपयोग करना। वर्तमान में, आर्थिक व सामाजिक नियोजन साथ-साथ चलते हैं, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश कल्याणकारी राज्य (Walfare State) की ओर लक्षित दिखाई पड़ते हैं।

## स्वतंत्रता पूर्व आर्थिक आयोजन संबंधी धारणाएं

भारत सरकार अधिनियम-1935 के अधीन रियासतों में सरकार गठन के पश्चात हमने योजना पंचवर्षीय योजना आधारित विकास पर ध्यान दिया।

**इससे पहले हमारे पास तीन नमूने थे-**

• एक, वर्ष 1928 से तात्कालिक सोवियत संघ में प्रचलन में था।

• दूसरा जो वर्ष 1934 में एम. विश्वेश्व रैया द्वारा लिखित पुस्तक Plannet Economy for India में दिया गया था।

• तीसरा जो J.M. Keynes द्वारा पूंजीवादी देशों में अर्थपूर्ण राजस्व हस्तक्षेप से संबंधित था।

■ 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।

■ भारत सरकार ने 1944 में नियोजन तथा विकास विभाग की स्थापना की।

■ नियोजन तथा विकास विभाग ने उद्योग तथा श्रम से संबंधित (वर्ष 1944 में) विभिन्न योजनाओं (जैसे- बॉम्बे प्लान बी.एन. बनर्जी, जी.डी. पारेख और वी.एम. तारकुण्डे द्वारा प्रस्तुत Peopls plan जिसे M.N. रॉय ने प्रकाशित किया और श्री मन्नरायण द्वारा प्रस्तुत गाँधी प्लान) को प्रस्तुत किया।

■ 1946 में जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और सलाहकार योजना बोर्ड गठित किया गया। सलाहकार बोर्ड में राष्ट्रीय नियोजन आयोग की अनुशंसा की, जिसका गठन स्वतंत्रता के पश्चात 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के रूप में (मंत्रि मंडल के एक प्रस्ताव द्वारा) गठित हुआ।

## योजना आयोग

योजना आयोग एक **गैर-संविधानिक निकाय** थी और यह परामर्शदाशी व विशेषज्ञ संस्था थी। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। इसके कुछ मंत्री सदस्य पूर्णकालीन होते थे। साधारणतः सभी सदस्य पूर्णकालिक होते थे। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं थी। सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित होती थी।

***योजना आयोग के कार्य हैं-***

1. देश के भौतिक, पूँजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना।
2. राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।

3. प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना।
4. समय-समय पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विशेष समस्या पर राय मांगने पर अपनी सलाह देना।
5. उन तत्वों को जो कि आर्थिक विकास में बाधक हैं, सरकार को इंगित करना।
6. योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को समाप्त करने की घोषणा की गई।

## राष्ट्रीय विकास परिषद्

■ राष्ट्रीय विकास परिषद् एक गैर-संविधानिक निकाय है, जिसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था।

■ सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को NDC का गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष व योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है।

■ राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्रि परिषद् के सभी सदस्य, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य भी इस निकाय के सदस्य होते हैं।

■ योजना आयोग का कार्य योजना निर्माण तक सीमित है जबकि NDC सरकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है।

■ श्री के. सन्थानम ने NDC को Super Cabinet की संज्ञा दी है। **NDC के कार्य हैं-**

(1) राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
(2) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक व आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना
(3) राष्ट्रीय नियोजन में अधिक से अधिक जनसहयोग प्राप्त करना, प्रशासनिक दक्षता को सुधारना
(4) और योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करना तथा विचार-विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप प्रदान करना। NDC की अंतिम स्वीकृति के बाद ही योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है।

## पंचवर्षीय योजनाएँ

### प्रथम पंचवर्षीय योजना

**अवधि-** 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च 1956 तक

**सैद्धांतिक मॉडल-** हैराल्ड-डोमर मॉडल के परिवर्तित मॉडल पर आधारित।

**प्रमुख उद्देश्य-** कृषि क्षेत्र का विकास

- शरणार्थियों का पुनर्वास
- द्वितीय विश्व युद्ध में विभाजन से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान
- खाद्य समस्मयाओं का समाधान
- मुद्रास्फीति का नियंत्रण
- लघु व कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार और औद्योगीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करना।

**प्रमुख विशेषताएं :**

- कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता
- 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ
- कृषि सिंचाई और सामुदायिक विकास कार्यों में विशेष सफलता
- राष्ट्रीय आय में 2.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लक्ष्य के विरुद्ध 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गई।
- प्रति व्यक्ति आय में 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त की गई।

## दूसरी पंचवर्षीय योजना

**अवधि -** 1 अप्रैल, 1956 से 31 मार्च, 1961 तक

**सैद्धांतिक मॉडल -** पी.सी. महालनोबिस के असन्तुलित विकास के मॉडल पर आधारित (आगत-निर्गत विकास मॉडल)

**प्रमुख उद्देश्य -** तीव्र औद्योगीकरण

- राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि
- तीव्र औद्योगीकरण, जिसमें आधारभूत व भारी उद्योगों पर विशेष बल
- आय व सम्पत्ति की असमानता को कम करना।
- आर्थिक विकास का समान वितरण
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- कोयले के उत्पादन में 75 प्रतिशत की वृद्धि और सीमेंट के उत्पादन के उत्पादन को तीन गुना करना।

**प्रमुख विशेषताएं :**

- आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता
- सार्वजनिक क्षेत्र में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना
- मुद्रास्फीति, खाद्यान्न संकट और विदेशी मुद्रा की समस्याएं
- स्वेज संकट और अपर्याप्त वर्षा
- ऊर्जा परिवहन और संचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ
- राष्ट्रीय आय में 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर



KOTHARI INSTITUTE

## तीसरी पंचवर्षीय योजना

**अवधि -** 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966

**सैद्धांतिक मॉडल-** जॉन सैन्डी व सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित।

**प्रमुख उद्देश्य -** अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी व स्वस्फूर्त बनाना।

- कृषि क्षेत्र का विकास
- खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना
- कृषि व उद्योगों का समन्वित विकास
- द्रुत औद्योगीकरण के लिए आधारभूत उद्योगों का तीव्र गति से विकास
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- आय व सम्पत्ति की असमानता में कमी
- अवकर की समानता सुनिश्चित करना।

**प्रमुख विशेषताएं :**

- चीन व पाकिस्तान से युद्ध के कारण प्राथमिकताओं का झुकाव रक्षा की ओर।
- औद्योगीकरण की गति में कमी।
- देश के कुछ हिस्सों में सूखा, खाद्यान्न उत्पादन प्रभावितः खाद्यान्न संकट।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- आय व सम्पत्ति की असमानता में वृद्धि
- भुगतान संतुलन की खराब स्थिति
- राष्ट्रीय आय में 5.6 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर
- प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर शून्य
- पूर्णतः असफल योजना।

## तीन वार्षिक योजनाएं

■ तीन पंचवर्षीय योजना विभिन्न कारणों से पूर्णतः असफल हो गई थी और अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की स्थिति आ गई थी। इसलिए चौथी योजना को स्थगित कर दिया गया। तीन वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चलाई गईं, जिससे बदली हुई परिस्थिति में चौथी योजना में महत्वपूर्ण व आवश्यक परिवर्तन किए जा सके।

**इस अवधि को योजनावकाश (plan Holiday) कहा जाता है।**

**अवधि-** 1 अप्रैल, 1966 वसे 31 मार्च, 1969 तक।

**उद्देश्य :**

- युद्ध से उत्पन्न स्थितियों का निराकरण
- खाद्यान्न संकट का समाधान
- मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण
- चौथी योजना के लिए आधार तैयार करना।

**प्रमुख विशेषताएं :**

- तीनों वर्षों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई गईं।
- बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में असफलता
- 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन (निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से)
- 1966-67 में हरित क्रांति का आरम्भ
- खाद्यान्न के लिए बफर स्टॉक की योजना
- चौथी पंचवर्षीय योजनाके लिए परिस्थिति में कुछ अनुकूलता।

## चौथी पंचवर्षीय योजना

**अवधि -** 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1974

**सैद्धांतिक मॉडल -** ऐलन एस. मन्ने और अशोक रुद्र मॉडल

**प्रमुख उद्देश्य-** स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।

- कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आत्मनिर्भरता
- न्यायपूर्ण विकास अर्थात् समानतवादी विकास क्रम
- अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास
- राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- आय व सम्पत्ति की असमानता में कमी।

**प्रमुख विशेषताएं :**

- मुद्रास्फीति की ऊंची दर
- 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- 1969 में एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act), 1969 लागू किया गया।
- 1971 में भारत-पाक युद्ध की शरणार्थी समस्या।
- 1972 में तेल संकट स्थिति
- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 5.7 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर।

## पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

**अवधि-** 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1979

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार द्वारा अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित करके छठी योजना (1978-83) लागू की गई, जिसे **अनवरत योजना** (Rolling Plan) का नाम दिया गया था।

**सैद्धांतिक मॉडल-** योजना आयोग की दृष्टि योजना विभाग द्वारा तैयार प्रारूप पर आधारित जिसमें तीन मॉडलों को शामिल किया गया था- (i) **समविष्ट भावी मॉडल** (ii) **आगत-निर्गत मॉडल** (iii) **उपयोग मॉडल।**

**प्रमुख उद्देश्य-**गरीबी निवारण व आत्मनिर्भरता

- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, भूमिहीनों को घर, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, समाज कल्याण।
- कृषि, आधारभूत एवं मूल उद्योगों पर विशेष बल।
- उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर बल।
- खाद्यान्नों का भण्डारण तथा सार्वजनिक वितर प्रणाली विस्तार
- आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन की नीति
- आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय असमानता को कम करना।

**प्रमुख विशेषताएं :**

- यह योजना केवल 4 वर्ष तक चली। 31 मार्च, 1978 को जनता पार्टी की सरकार ने इसे समय से पहले री समाप्त कर दिया।
- खाद्यान्न और सूची वस्त्रों के उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई।
- राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तैयार किया गया।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.4 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गई।
- प्रति व्यक्ति आय में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर।

## छठी पंचवर्षीय योजना

**अवधि-**1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985

**सैद्धांतिक मॉडल-** कई विकास युक्तियों को ध्यान में रखकर संरचनात्मक परिवर्तन एवं समृद्धि पर बल।

**प्रमुख उद्देश्य-** रोजगार सृजन।

- आर्थिक संवृद्धि-दर में पर्याप्त वृद्धि।
- आर्थिक व तकनीकी आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से आधुनिकीकरण पर बल।
- गरीबी और बेरोजगारी में कमी।
- आय व सम्पत्ति की असमानता में कमी।
- क्षेत्रीय असमानता में क्रमिक कमी।
- शिक्षा के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी।
- संचार व संस्थागत नीतियाँ।
- पर्यावरण संरक्षण।

**प्रमुख विशेषताएँ :**

- यह योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसे दृष्टि नियोजन (Perspective Planning) कहा जाता है।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि दर का लक्ष्य (5.2 प्रतिशत) के विरुद्ध 5.5 प्रतिश प्राप्त किया गया।
- प्रति व्यक्ति आय में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गई।
- उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर लक्ष्य से कम।
- मुद्रास्फीति की दर 1980-81 में 16.7 प्रतिशत थी। 1984-85 तक इसमें सुधार हुआ और यह 5 प्रतिशत रह गई।
- आर्थिक संवृद्धि-दर, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विशेष सफलता।
- गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सफलता।

**चार महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरम्भ किए गए-**

(a) समन्वित कार्यक्रम विकास कार्यक्रम (IRDP)

(b) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)

(c) ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारण्टी योजना (RLEGP)

(d) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM)।

## सातवीं पंचवर्षीय योजना

**अवधि -** 1, अप्रैल, 1985 से 31, मार्च 1990

**सैद्धांतिक मॉडल -** 'दीर्घकालीन विकास युक्तियों' पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल।

**प्रमुख उद्देश्य-** आधुनिकीकरण

- समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना।
- खाद्यान्न के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।
- मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण रखते हुए रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
- मानव संसाधन विकास।
- पर्यावरण और परिवेश की रक्षा।
- सामाजिक उपभोग (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास आदि) का ऊंचा स्तर प्राप्त करना।
- जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी।

**मुख्य विशेषताएं :**

- सातवीं योजना 15 वर्ष (1985-2000) की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसे दृष्टि नियोजन (Perspective Planning) कहा जाता है।
- उत्पादक रोजगार को प्रमुखता।
- ऊर्जा के क्षेत्र में योजनाएँ।
- आर्थिक संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की प्रधानता।

## आठवीं पंचवर्षीय योजना

**अवधि-** 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1997

राजनैतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना पूर्व निर्धारित समय पर आरम्भ नहीं की जा सकी और इसे दो वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा। इन दो वर्षों (1990-91 तथा 1991-92) में **वार्षिक योजनाएं** लागू की गई। इन दो वर्षों को योजनाविहीन वर्ष कहा गया।

**सैद्धांतिक मॉडल**-उदारीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में परिणीत 'जॉन डबल्यू मिलर' मॉडल पर आधारित।

**प्रमुख उद्देश्य-** मानव संसाधन विकास।

- रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करके शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना।
- समस्त जनसंख्या के लिए सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा सिर पर मेला ढोने की प्रथा का अंत।
- प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण तथा 15-15 आयु वर्ग में पूर्ण साक्षरता।
- कृषि क्षेत्र में संवृद्धि और विविधीकरण, जिससे खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के साथ ही निर्यात के लिए अतिरेक प्राप्त हो सके।

**प्रमुख विशेषताएं :**

- इस योजना का आधार वर्ष बदलकर 1991-92 रखा गया।
- घरेलू संसाधनों की निर्भरता पर बल दिया गया।
- उद्योगों में आधुनिकीकरण, विविधीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता पर बल।
- निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष बल।
- शिक्षा, साक्षरता, पेयजल, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य आदि के द्वारा मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया।

## नवीं पंचवर्षीय योजना

**अवधि -** 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च 2002

**प्रमुख उद्देश्य -** न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास

- निर्धनता उन्मूल की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता।
- पर्याप्त उत्पादक रोजगार का सृजन।
- मूल्यों में स्थायित्व लाना तथा आर्थिक विकास की गति को तेज करना।
- सभी वर्गों विशेष रूप से समाज में कमजोर वर्गों के लिये भोजन एवं पोषण का ऊंचा स्तर सुनिश्चित करना।
- स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था करना।
- जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना।
- सामाजिक सद्भाव तथा सभी स्तरों पर लोगों की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण की रक्षा करना।
- पंचायती संस्थाओं को प्रोत्साहन देना।
- आत्मनिर्भरता के प्रयासों को तेज करना।

***इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 4 बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया है-***

(i) जीवन की गुणवत्ता में सुधार। इसके अन्तर्गत निर्धनता उन्मूलन तथा न्यूनतम प्राथमिक सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धनों के लिए परिसम्पत्तियों के सृजन किया जाएगा।

(ii) विकास क्रिया के माध्यम से श्रम बहुल क्षेत्रों तथा उप-क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रयोग के द्वारा अधिक उत्पादक रोजगार का सृजन किया जाएगा।

(iii) क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के उद्देश्य से अल्पविकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक निवेश की योजना है। इसी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा अन्य सहायक क्रियाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

(iv) **विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जाएंगे-**

(a) भुगतान संतुलन की स्थिति को सुनिश्चित करना।
(b) विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना तथा उसमें कमी लाना।
(c) खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
(d) प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण।
(e) प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

इस योजना में 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य था, किन्तु 5.4 प्रतिशत वृद्धि दर ही प्राप्त की जा सकी।

## दसवीं पंचवर्षीय योजना

**अवधि-** 1 अप्रैल 2002 से 2007 तक

- सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर।
- केन्द्रीय योजना परिव्यय 9.21,291 करोड़ रुपए।
- केन्द्रीय बजट प्रावधान, 706,000 करोड़ रुपए।
- राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों का परिव्यय 6,71,000 करोड़ रुपए।
- 2007 तक साक्षरता दर 75 प्रतिशत।

KOTHARI INSTITUTE

- 2007 तक शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार।
- 2007 तक मातृ मृत्युदर 2 प्रति हजार।
- साक्षरता व मजदूरी में लिंगात्मक अन्तर को 50 प्रतिशत तक कम करना।
- 2007 तक निर्धनता अनुपात को 5 प्रतिशत तक कम करना।
- 2007 तक वनाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना।
- 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्षों की स्कूल शिक्षा।
- 2007 तक सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना।
- 2007 तक सभी बड़ी नदियों के प्रदूषण की सफाई।

## ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

**अवधि -** 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2012

**प्रमुख उद्देश्य-** तीव्रतर व अधिक समावेशी विकास

- योजना अवधि में 9 प्रतिशत की औसत वृद्धि-दर और 2001-12 तक 10 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करना।
- कृषि की वृद्धि दर का लक्ष्य 4.1 प्रतिशत।
- औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि-दर का लक्ष्य 10.5 प्रतिशत।
- सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का लक्ष्य 9.9 प्रतिशत।
- साक्षरता का लक्ष्य 85 प्रतिशत।
- साक्षरता दर में लिंगानुपात अन्तर को कम करके 10 प्रतिशत करना।
- शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 28 प्रति हजार।
- शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 1 प्रति हजार।
- कुल प्रजनन दर (TFR) का लक्ष्य 2.1।
- 0-3 आयु वर्ग में बच्चों में कुपोषण को 50 प्रतिशत तक कम करना।
- महिलाओं और बच्चों में रक्त-अल्पता में 50 प्रतिशत तक की कमी।
- 0-6 आयु वर्ग में लिंगानुपात को 2011-12 तक 935 की कमी।
- सभी सरकारी योजनाओं में महिलाओं और लड़कियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ में न्यूनतम 33 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करना।

## 12वीं पंचवर्षीय योजना

**अवधि-** 1 अप्रैल 2007 से 2012 तक

- वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8.0 प्रतिशत
- कृषि क्षेत्र में 4.0 प्रतिशत व विनिर्माणी क्षेत्र में 10.0 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य
- योजनावधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य
- योजना के अन्त तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10 प्रतिशत बिन्दु की कमी लाने का लक्ष्य
- योजना के अन्त तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाने तथा 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात को 905 करने का लक्ष्य
- योजना के अन्त तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य
- योजना के अन्त तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण
- योजना के अन्त तक सभी गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।

# भारत की राष्ट्रीय आय

**राष्ट्रीय आय** (National Income) : राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। राष्ट्रीय आय एक प्रकार से साधन लागत पर शुद्ध आय कहलाती है।

**किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान तीन प्रकार से लगाया जा सकता है-**

1. साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय
2. साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
3. साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय व्यय

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद Dr. V.K.R.V. राव की राष्ट्रीय आय मापन की पद्धति में कुछ संशोधन कर राष्ट्रीय आय समिति और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने उसे स्वीकार कर लिया।

**राष्ट्रीय आय आंकलन की तीन विधियां-**

(1) **आय गणना विधि-** कभी-कभी देश में विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता है तथा उनकी आप के आधार पर देश की कुल आय का अनुमान लगाया जाता है।
राष्ट्रीय आय = कुल लगान + कुल मजदूरी + कुल ब्याज + कुल लाभ

(2) **उत्पाद गणना विधि-** इसे वस्तु-सेवा विधि कहते हैं। यह वास्तव में एकल घरेलू उत्पाद को दर्शाता है। इस पद्धति के अंतर्गत देश में एक वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अन्तिम उपज योग कहा जाता है।

(3) **उपभोग-बचत विधि या व्यय विधि-** इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। अतः राष्ट्रीय आय कुल उपभोग तथा कुल बचतों का योग होती है चूंकि उपभोक्ताओं की आय तथा बचत संबंधी आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए भारत में इस विधि का प्रयोग समान्यतः कम किया जाता है।

**राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ**

1. **सकल घरेलू उत्पाद** (Gross Domestic Product)- GDP देश की सीमा के अन्दर सामान्यतया एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है।

   GDP = GNP - विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय।

   GNP = GDP - विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय।
2. **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** (Gross National Product)- किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से अर्जित शुद्ध आय का योग होता है। परंतु इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय शामिल नहीं की जाती।

   GNP = C+I+G+ (X-M)

   C = उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं को

   I = घरेलू निवेश

   G = सरकारी व्यय

   (X-M) = शुद्ध विदेशी आय के निर्यातों एवं आयतों के अंतर को।
3. **शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद** (Net National Product)- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से मूल्य हास (पूँजी स्टाक खपत) को घटाना होता है।

   NNP= GNP- Deprecition
4. **राष्ट्रीय आय** (National Income)- वास्तव में NNP की गणना दो आधार पर कर सकते हैं- प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं बाजार कीमतों पर तथा द्वितीय कुल उत्पाद (वस्तुओं तथा सेवाओं का) साधन लागत पर। जब NNP का मापने साधन लागत (Factor Cost) के आधार पर किया जाता है, तो उसे ही राष्ट्रीय आय से जानते हैं।
5. **वैयक्तिक आय** (Personal Income)- वैयक्तिक आय वह आय है, जो देशवासियों, जो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होती है।
6. **व्यय योग्य वैयक्तिक आय** (Disporalate personal Income)- व्यय योग्य वैयक्ति आय ज्ञात करने के लिए वैयक्तिक आय में से वैयक्तिक प्रत्यक्ष करों (जैसे- Income tax, wealth tax Gift tax) को हटाया जाता है।

## भारत की जनसंख्या

- भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लार्ड मेयो के कार्यकाल में हुई
- भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लार्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी।
- 1881 में जनगणना आयुक्त W.W. प्लोडन थे।
- भारतीय संविधान की धारा-246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया।
- यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है।
- जनगणना संगठन केन्द्रीय ग्रह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है।
- वर्तमान में जनगणना आयुक्त डॉ. सी.चंद्र मौली हैं।
- 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना (स्वतंत्रत भारत की 7वीं जनगणना) की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई है।
- जनगणना 2011 का शुभांकन प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, यह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है।

❒❒❒❒❒❒

KOTHARI INSTITUTE

# खेलकूद (Sports)

## ओलम्पिक खेल

- प्रथमबार ओलम्पिक खेल का युनान (ग्रीस) के देवता **ज्यूस** के सम्मान में, धार्मिक उत्सव के रूप में 776, ई.सा. पूर्व में आयोजित किया गया।
- ओलम्पिक का पुर्नत्थान **बैरोन पियरे-डि-कोबर्टिन** नामक फ्रांसीसी ने किया था।
- प्रथमबार वर्ष 1875 ई. में ओलंम्पिया स्टेडियम का पता चला। इसी के नाम पर ओलम्पिक खेलों की शुरूआत हुई।
- प्रथमबार आधुनिक ओलम्पिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेन्स में हुई थी।
- ओलम्पिक खेलों में पहलीबार महिलाओं ने वर्ष 1900 ई. में भाग लिया।
- ओलम्पिक खेलों का आयोजन वर्ष 1916, 1940, 1944, में नहीं हुआ।
- प्रत्येक ओलम्पिक खेलों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, स्विटजरलैंड ने भाग लिया।
- ओलम्पिक खेलों के ध्वज का निर्माण वर्ष-1913 में, उद्‌घाटन वर्ष-1914 तथा वर्ष 1920 के बेल्जियम (एंटवर्प) ओलम्पिक खेलों में फहराया गया।
- ओलम्पिक खेलों में 5 (पाँच) रिंग होते हैं। जो निम्न हैं- 1. एशिया (पीला) 2. यूरोप (नीला) 3. अफ्रीका (काला), 4. अमेरिका (लाल) 5. ऑस्ट्रेलिया (हरा)।
- ओलम्पिक खेलों में पहलीबार गान की शुरुआत 19वीं शताब्दी (यूनान) में हुई थी। तथा इस गान के संगीतकार स्पिरास सामारास, कोस्टिक पालागाल हैं।
- ओलम्पिक खेलों में पहलीबार मशाल की शुरुआत वर्ष 1928 में एम्सटर्डम ओलम्पिक खेलों से हुई थी।
- ओलम्पिक खेलों में पहलीबार रिले की शुरुआत वर्ष 1894 में हुई थी। इसे वर्ष 1936 के आधुनिक खेलों में ओलम्पिया गाँव से लाया गया है।
- ओलम्पिक खेलों का उद्देश्य सिटियस (तेज), फोर्टियस (ऊँचा) तथा आल्टियस (बलवान) है। (इन्हें 1920 से प्रस्तुत किया)।
- ओलम्पिक खेलों में पदकों की शुरुआत वर्ष 1904 मे हुई। जिसमें स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक दिया जाता है।
- ओलम्पिक खेलों में शुभांकर (Mastcot) की शुरुआत वर्ष 1968 में मैक्सिको (पालोमा) में हुई थी।
- ओलम्पिक खेलों को टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 ई. के रोम ओलम्पिक खेल से प्रस्तुत हुआ।

## रियो ओलम्पिक 2016

- 31वाँ संस्करण ब्राज़ील के रियो-डी-जेनेरो शहर में 05 अगस्त से 21 अगस्त 2016 को सम्पन्न हुआ।
- इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों की संख्या 207 थी।
- इसमें अमेरिका ने 121 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। जबकि मेजबान देश फ्राँस ने कुल 19 पदक जीतकर 13वाँ स्थान प्राप्त किया था।
- इसमें भारत ने 1 कांस्य (पी.वी. सिंधु) और एक रजत पदक (साक्षी मलिक) के साथ 67वाँ स्थान प्राप्त किया।

## शीतकालीन ओलम्पिक खेल

- शुरुआत वर्ष 1924 में हुई ।
- यह खेल 16 दिनों तक चलता है तथा इसमें 16 खेलों को शामिल किया गया।
- इन खेलों में पहली बार 16 देशों ने फ्राँस (शैमांनिक्स) में भाग लिया था। इसमें प्रथम स्थान नार्वे का रहा।
- 24वें शीतकालीन ओलम्पिक खेल 2022 में बीजिंग शहर (चीन) में होगा।

## अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति

- अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की एक कार्यकारिणी होती है।

  अध्यक्ष- 1, उपाध्यक्ष- 3, सदस्य- 7 होते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है।
- मुख्यालय : लॉजेन (स्विटजरलैण्ड)
- इसकी प्रथम भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है।

## ओलम्पिक खेलों में भारत

- भारत की हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक वर्ष 1928 में नीदरलैण्ड (एम्सटर्डम) में जीता था।
- भारत के लिए निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक वर्ष 2008 में अभिनव बिंद्रा (10 मीटर एयर रायफल) ने जीता।
- भारत ने ओलम्पिक खेलों में पहलीबार वर्ष 1920 में बेल्जियम (एंटवर्प) में भाग लिया था।
- भारत की ओर से ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाला

प्रथम खिलाड़ी नॉमन प्रिजाई (एग्लो इंडिया) है।

- फदीपा डरेपा छागुले ने मैराथन दौड़ में 19वाँ स्थान प्राप्त किया इस प्रकार भारत के प्रथम मैराथन धावक हुए।

## राष्ट्र मंडल खेल

- इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है।
- यह समारोह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 1930 में कनाड़ा (हैमिल्टन) में हुई थी।
- ध्येय वाक्य- मानवता-समानता-नियति।
- मुख्यालय : लंदन
- इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

**नाम-** राष्ट्रमंडल खेल पहले ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था।

- वर्ष 1954 से इसे ब्रिटिश एम्पायर एवं राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता था।
- वर्ष 1970 से इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता था।
- वर्ष 1978 से इसे राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है।
- राष्ट्रमंडल खेलों में प्रत्येक आयोजन में ऑस्ट्रेलिया, कनाड़ा, इंग्लैड, न्यूजीलैंड तथा वेल्स ने भाग लिया।
- 19वें खेलों का आयोजन भारत में 3 से 14 अक्टूबर वर्ष 2010 में नई दिल्ली किया गया।
- वर्ष 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्र मंडल खेल में भारत ने भाग लिया था। जिसमें रशीद अनवर ने फ्रीस्टाइल वेल्टरवेट वर्ग में 1 कांस्य पदक जीता था।
- भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में वर्ष 1930, 1950, 1962 व 1986 में भाग नहीं लिया था।

## 21वें राष्ट्रमंडल खेल

- इसका आयोजन 4 से 15 अप्रैल, वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) में हुआ।
- ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 80 स्वर्ण, 59 रजत व 59 कांस्य के साथ कुल 198 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- इसमें भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत व 20 कांस्य के साथ कुल 66 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

## 21वें राष्ट्र मंडल खेलों में भारत

**स्वर्ण पदकः**

**भारोत्तोलन-** 1. चानू सेखोम मीराबाई (महिलाओं की 48 कि.ग्रा)। 2. वेंकट राहुल रागाला (पुरूष 85 किग्रा) 3. संजीता चानू खुमुकछम (पुरुषों की 85 किग्रा) 4. सतीश कुमार शिवालिंगम (पुरूषों की 77 किग्रा), 5. पुनम यादव (महिला 69 किग्रा)

**शुटिंग-** 1. मनुभाकर (महिला 10 मी. एयर पिस्टल)
2. जीतू रॉय (पुरूष 10 मी. एयर पिस्टल)
3. अनीश भनवाला (पुरूषों की 25 मी. रेपिड फायर पिस्टल)
4. संजीव राजपूत (पुरूषों की 50 मी. रायफल)
5. हीना सिंधू (महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल)
6. तेजस्वनी सावंत (महिलओं की 50 मीटर रायफल)
7. श्रेयसी सिंह (महिला की डबल ट्रेप)

**कुश्ती-** 1. सुशील कुमार (पुरूष की फ्रीस्टाइल 74 किग्रा)
2. सुमित (पुरूष की फ्रीस्टाइल 125 किग्रा)
3. राहुल आवारे- (पुरूष की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा)
4. बजरंग - (पुरूष की फ्रीस्टाइल 65 किग्रा)
6. विनेश फोगाट- (महिला की फ्रीस्टाइल 50 किग्रा)

**मुक्केबाजी-** 1. गौरव सोलंकी (पुरुषों की 52 किग्रा)
2. विकास कृष्ण (पुरूषों की 75 किग्रा)
3. एम.सी. मेरिकॉम (महिलाओं की 45 किग्रा)

**टेबल टेनिस-**
1. पुरूष टीम (भारत)
2. मणिका बत्रा- महिला एकल
3. महिला टीम (भारत)

**बैडमिंटन-**
1. साइना नेहवाल (महिला एकल)
2. मिश्रित टीम प्रतियोगिता (भारत)

**एथलेटिक्स-** नीरज चौपड़ा (पुरूषों की जेवलिन थ्रो)।

## भारतीय खेल प्राधिकरण
## Sport Authority of India (SAI)

- भारत के खेलों के विकास के लिए भारत सरकार की युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा साई की स्थापना- वर्ष 1984 को हुई।
- यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है।

अध्यक्ष- प्रधानमंत्री होता है।
उपाध्यक्ष- खेल मंत्री होता है।
मुख्यालय - नई दिल्ली

## एशियाई खेल

- इसकी स्थापना वर्ष 1951 में नई दिल्ली में हुई थी।
- उद्देश्य- एशियाई महाद्वीप के देशों के लिए बहुक्रीड़ा प्रतियोगिताएँ। यह खेल प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होता है।

KOTHARI INSTITUTE

- नाम- वर्ष 1982 में संघ का नाम बदलकर एशियाई ओलम्पिक समिति कर दिया गया।
- श्रेयः भारत के जी.डी. सोढ़ी को जाता है।

## 18वें एशियाई खेल

- इसका आयोजन 18 अगस्त से 2 सितम्बर, वर्ष 2018 में इंडोनेशिया (जकार्ता तथा पालेमबांग) में हुआ था।
- इसमें चीन ने 132 स्वर्ण, 92 रजत व 62 कांस्य पदक के साथ कुल 289 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- **18वें एशियाई खेल में भारत-** भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत तथा 30 कांस्य के साथ कुल 69 पदक जीतकर 8वाँ स्थान प्राप्त किया।
- **स्वर्ण पदक विजेताः** 1. बजरंग पूनिया (कुश्ती), पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा)। 2. विनेश फोगाट (कुश्ती महिला फ्रीस्टाइल 50 किग्रा)। 3. सौरभ चौधरी (निशानेबाजी- पुरुष 10 मी. एयर पिस्टल) 4. राही सरनोबत (निशानेबाजी- पुरूष 10 मी. एयर पिस्टल) 5. स्वर्ण सिंह दत्तू बाबन भोकानल, ओम प्रकाश एवं सुखमीत सिंह (रोइंग), पुरुष क्वाडूपल स्कल्स 6. रोहन बोपन्ना एवं दिविज शरण (लॉन टेनिस), पुरुष युगल 7. तोजिंदर पाल सिंह तूर (एथलेटिक्स), 8. नीरज चौपड़ा (एथलेटिक्स) 9. मंजीतसिंह (एथलेटिक्स) पुरुष 800 मी. दौड़ 10. अरपिंदरसिंह (एथलेटिक्स) पुरूष त्रिकूद 11. स्वप्ना बर्मन (एथलेटिक्स) महिला हेप्टाथालन 12. जिनसन जॉनसन (एथलेटिक्स) पुरुष 1500 मी. दौड़ 13. एम.आर. पूवाम्मा, सरिताबेन गायकवाड़, हिमा दास एवं विस्माया (एथलेटिक्स) महिला 400 मी. रिले दौड़ 14. अमित पंघल (मुक्केबाजी), लाइट फ्लाईवेट (49 किग्रा.) 15. प्रणव वर्धन एवं शिबनाथ सरकार (ब्रिज) पुरुष पेयर।

## दक्षिण एशियाई खेल (SAG)

- स्थापना- वर्ष 1983 में हुई।
- उद्देश्य- शांति, समृद्धि व प्रगति है।
- आयोजन- प्रति 2 वर्षों में किया जाता है।
- प्रथम- दक्षेस खेलों का आयोजन वर्ष 1984 में काठमांडु (नेपाल) में किया गया था।
- दक्षिण एशियाई संघ का नाम वर्ष 2004 में बदलकर दक्षिण एशियाई खेल कर दिया गया।
- वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं- भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालद्वीप एवं श्रीलंका।

## 12वें दक्षिण एशियाई खेल

- 5 से 16 फरवरी 2016 को इसका आयोजन गुवाहाटी (असम) और शिलांग (मेघालय) में किया गया।
- इस खेल का शुभांकर तिखोर था।
- भारत ने सर्वाधिक 188 स्वर्ण, 90 रजत व 30 कांस्य के साथ कुल 308 पदक जीतकर शीर्ष स्थान लिया।
- इसकी थीम गीत- ई पृथ्वी इकोन क्रीडांगन, क्रीडा होल शांतिर प्रांगण था जो विश्व प्रसिद्ध दिवंगत संगीतकार डॉ. भूपेन्द्र हजारिका के स्वरों में है। इस गीत का अर्थ है कि पूरी दुनिया खेल का मैदान है और खेल शांति प्रतिक है।
- इसका आदर्श वाक्य- शांति, प्रगति, समृद्धि के लिए खेल है।

## फीफा

- गठन 12 मई वर्ष 1904 में हुआ।
- अध्यक्ष- गोविनानी इम्फैन्तीनों।
- सदस्य देश 208- राष्ट्रीयसंघ है।
  मुख्यालय - ज्यूरिख (स्वीटजरलैण्ड)
  आयोजन- प्रत्येक 4 वर्षों में होता है।
- नाम- फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा (FiFA)
- कार्ड- पीला एवं लाल कार्ड खिलाड़ी को दिया जाता है।
- सिद्धांत- For the good of the game (खेल की भलाई के लिए)
- फीफा क्लोन-दोर पुरस्कार- जो वर्ष 2013 का क्रिस्टियानों रोनाल्डो को प्रदान किया गया।
  नोट- फीफा वर्ल्डकप में महिलाओं ने वर्ष 1991 से भाग लिया।

## फीफा वर्ल्डकप

- पहला आयोजन वर्ष 1930 में उरूग्वे में हुआ था। जिसमें विजेता उरूग्वे व उपविजेता अर्जेटिना रहा था।
- 19वाँ आयोजन 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जिसमें विजेता स्पेन व उपविजेता नीदरलैण्ड रहा था।
- 20वाँ आयोजन वर्ष 2014 में ब्राजील में हुआ था। जिसमें विजेता जर्मनी व उपविजेता अर्जेटिना रहा था।
- 21वाँ आयोजन वर्ष 2018 में रूस में हुआ जिसमें विजेता फ्रांस व उपविजेता क्रोएशिया रहा था।
- सबसे सफल देश ब्राजील रहा जिसने अब तक 5 बार विश्वकप जीता।
- इटली तथा जर्मनी ने 4 बार खिताब जीता, अर्जेन्टीना, उरूग्वे, इंग्लैण्ड एवं फ्रांस ने 2-2 बार खिताब जीता तथा स्पेन द्वारा 1 बार खिताब जीता गया।
- 22वाँ आयोजन वर्ष 2022 में कतर में होगा।

### शब्दावली

**फुटबॉलः** मिड फील्ड, सेंटर, स्ट्राइकर, पास, बैक पास, गोली, कार्नर, फारवर्ड, पेनल्टी, फ्री किक, ड्रिबल, एक्सट्रा टाइम, फाउल, गोल, रैफ्री, लाइन्समैन, ऑफ साइड, सीजर्स किक, बनाना किक, विंगर, स्वीपर, बैक, थ्रो इन, वॉली, टच लाइन, सेंड ऑफ, नेट, बार्स, टाईब्रेकर, सडेन डेथ, कार्नर फ्लैग, कार्नर, कार्नर किक, फिस्ट, फर्स्ट हाफ, सेकण्ड हाफ, लॉब, टैकेल, स्लाइडिंग टैकल, ऑफ साइड, हैटट्रिक, हैंडबाल, चिप, फेयर चार्ज, फार पोस्ट, बुकिंग, क्रॉस, किक ऑफ, गोल किक, मार्किंग, वॉल पास, थ्रू वॉल, टोटल फुटबाल।

### प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ

1. फीफा कप (विश्व कप), 2. अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, 3. एशिया कप 4. मर्डेका (विश्व) कप 5. डुरण्ड कप 6. रोवर्स कप 7. आई.एफ.ए. शील्ड 8. संतोष ट्रॉफी (राष्ट्रीय फुटबॉल) 9. डी.सी.एम. कप 10. फेडरेशन कप 11. सुब्रतो कप 12. डॉ. बी.सी. राय ट्रॉफी (राष्ट्रीय जूनियर ट्रॉफी) 13. कोपाकप (अमेरिका) 14. दक्षेस कप 15. सीजर्स कप 16. कलिंग कप 17. बेगम हजरत महल ट्रॉफी (राष्ट्रीय महिला) 18. चार्म्स कप 19. एम दता राम मेमोरियल ट्रॉफी 20. चैलेंजर कप 21. बारदोलोई ट्रॉफी 22. लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी 23. कोलम्बो कप 24. निजाम गोल्ड कप 25. स्टेफोर्ड कप 26. गवर्नर कप 27. जी. बी. राजा मेमोरियल ट्रॉफी 28. संजय गोल्डन कप 29. चकोला गोल्ड ट्रॉफी 30. सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी 31. मिल्क कप 32. सुपर कप 33. जे.सी. गुहा ट्रॉफी 34. राजीव गांधी गोल्ड कप।

## तैराकी

- इसमें 4 स्ट्रोक्स होते हैं- फ्रीस्टाइल, ब्रेकस्ट्रोक, ब्रेस्टस्ट्रोक और वटरफ्लाई।
- 50 मीटर में फ्रीस्टाइल मुकाबले सबसे तेज माने जाते हैं। इसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आस-पास होना चाहिये।

### शब्दावली

**तैराकी (स्वीमिंग):** क्राल, फ्री स्टाइल, रिले, मेडली, ब्रेस्ट, स्ट्रोक बटरफ्लाई, जेन, फाल्स स्टार्ट, स्ट्रोक्स, स्प्रिंग बोर्ड, प्लेटफार्म, समरसाल्ट, ट्विस्ट, फ्रंट क्राल स्ट्रोक्स, फारवर्ड स्ट्रोक्स, स्पियरहैंड।

## डाइविंग (गोताखोरी)

- संस्था- इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन (Fina) गठन- 19 जुलाई 1908 में हुआ। मुख्यालय- लॉजेन (स्विटजरलैण्ड)।
- चेयरमैन- जुलिओ मैगलिनो (उरूग्वे)
- वर्ष 1904 में ग्रीष्मकालिन ओलम्पिक खेलों में इसे शामिल किया गया।
- निम्न स्पर्धाएँः प्लेटफार्म, स्प्रिंगबोर्ड, सिक्रोनाइज्ड, प्लेन हाई डाइविंग, प्लंग फॉर डिस्टैंस।

## तीरंदाजी

- संस्थाः अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ (फिटा)
- मुख्यालय- लॉजेन (स्विटजरलैण्ड)
- अध्यक्षः उरूर एर्डनर
  गठनः 4 सितम्बर 1931 में हुआ। जिसमें पोलैण्ड में 7 देशों ने भाग लिया।
  वर्ष 1972 में ग्रीष्मकालिन ओलम्पिक खेलों में इसे शामिल किया गया।

### शब्दावली

**तीरंदाजीः** क्रिस्टल, बो, कर, प्वाइंट, आर्चर, ब्लैक, बेली, ब्लू ड्रॉ, व्हाइट, ब्रेसिंग हाइट, ब्रेसर नाक, फलेचिंग, शैप्ट, पाइल, अपर, लिम्ब, लोअर, लिम्ब फ्लर्ट ओवर बो, अंडर बो, क्विवर, नॉक, शूटिंग लाइन, मार्ग, फलाई टू, गोल्ड, गो होम, होल्ड, राउंड कास्ट, लूज एण्ड, क्लाउंट शूटिंग, किसर, लेट डाउन, बेली बैसेल बेन, कास्ट, वटु, ड्रॉ, बट्स, बोसाइट, बॉस।

## बैडमिंटन

- प्राचीनकाल में जापान में हेनात्सुकी, पश्चिमी यूरोप में बेटलडोर/शटलकॉक व भारत में पूना में इसकी शुरूआत हुई।
- वर्ष 1899 में ऑल इंग्लैण्ड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप की शुरूआत हुई।
- अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन
  स्थापना 1934 में हुई। अध्यक्षः पौल एरिक हॉयर लार्सन
  मुख्यालयः क्वालालंपुर (मलेशिया)
- वर्ष 1992 के बार्सिलोना के ग्रीष्मकालिन खेलों में इसे शामिल किया गया।

### प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ

1. रहमतुल्लाह कप (राष्ट्रीय-टीम पुरुष) 2. चड्डा कप (अन्तर्राष्ट्रीय टीम महिला) 3. थामस कप (विश्व पुरुष) 4. उबेर कप (विश्व महिला) 5. विल्स कप 6. कोनिका कप 7. योनेक्स कप 8. नारंग कप 9. मेयर्स कप 10. चाइना कप 11. अब्दुल रहमान ट्रॉफी (एशिया) 12. सुदीरमन कप।

## भारतीय बेडमिंटन एसोसिएशन

- स्थापनाः वर्ष 1934, मुख्यालयः नई दिल्ली।
- प्रथम अध्यक्षः शरद कुमार मिश्रा।
- वर्तमान अध्यक्ष- हिमांता बिसवा शर्मा
- **प्रमुख खिलाड़ीः** प्रकाश पादुकण, पुलेल गोपीचंद, साइना नेहवाल, पी.वी. सिंधु
- **साइना नेहवाल-** लंदन में हुए 2012 के ओलम्पिक खेलों में कांस्य पदक जीता। इन्होंने विश्व चैम्पियनशिप 2017 में भी कांस्य पदक जीता। वर्ष 2009 अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2009-10 राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार व वर्ष 2016 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।
- राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बेडमिंटन खिलाड़ी बन गई है।
- **पी.वी. सिंधु-** ब्राजील में हुए 2016 के ओलम्पिक खेलों में रजत पदक जीता। इन्होंने विश्व चैम्पियनशिप 2017 में भी रजत पदक जीता। वर्ष 2013 में पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार व वर्ष 2016 में राजीव गाँधी खेल रतन से सम्मानित किया गया।
- भारत की ओर से ओलम्पिक खेलों में महिला एकल **बेडमिंटन रजक पदक** जीतने वाली पहली खिलाड़ी है।

### शब्दावी

**बेडमिंटनः** कोर्ट, शटल, लांग सर्विस लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन, लेफ्ट सर्विस कोर्ट, राइट सर्विस कोर्ट, नेट, फाल्ट, सर्विस चेंज, लव, बैकहैंड स्मैश, क्रास कोर्ट शॉट, रैफ्री, लाइन्समैन, लेट, ड्रॉप, फ्लाइट, बर्ड, स्कर्ट, इनिंग्स, लो सर्विस, हाई सर्विस, लिफ्ट, पेन हैंडल पुश, सर्विस ब्रेक, मैच प्वाइंट, सेट प्वाइंट।

## मुक्केबाजी (बॉक्सिंग)

- इसकी शुरूआत वर्ष 1719 में इंग्लैण्ड हुई।
- इंडियन एमेच्योर बॉक्सिग फेडरेशन की स्थापना 25 फरवरी 1949 में हुई।
- पहला आयोजन चैम्पियनशिप के रूप में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में हुआ था।

### प्रमुख खिलाड़ी -

- **सुशील कुमार-** बीजिंग में हुए 2008 के ओलम्पिक खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता तथा लंदन में हुए 2012 के ओलम्पिक खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता। इन्हें वर्ष 2005 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2009 में राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार तथा वर्ष 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
- **योगेश्वर दत्त-** लंदन में हुए 2012 के ओलम्पिक केलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता। इन्हें वर्ष 2012 में राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार व वर्ष 2013 में पद्मश्री से सम्मिानित किया गया।
- **नर्सिंग दत्त-** नई दिल्ली में हुए 2010 के कॉमन वैल्थ गैम में इन्होंने रजत पदक जीता तथा वर्ष 2015 की विश्व चैम्पियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता।
- **बबीता फोगार्ट-** नई दिल्ली में हुए 2010 के कॉमन वैल्थ गैम में इन्होंने गोल्ड पदक जीता।

### शब्दावली

**मुक्केबाजीः** बेल्ट, ब्लाक, ब्लो, बाउंस ऑफ रोप्स, हुक, गार्ड हैंगआन, हील, पिंवोट पंच, नाक आउट, राउंड, जैब, पंच बैग, पंच बॉल, पंच इुक, रिंग, रिंग साडि, सैश, रिंग क्राफ्ट, रिंग मास्टर, जैब रीच, रैफ्री, कवर अप, क्लिंच, इन फाइटिंग, बेल, बैकहैंडर, बैरेज, बोलोपंच, अपरकट, लोअरकट, बिलो द बेल्ट, बैकपैडल, ब्राऊट, बटिंग, किडनी पंच, लीड, न्यूट्रल कार्नर, राइटकास, स्विंग सेकेंड्स आउट, नाक आउट।

## वाटर पोलो

- इसका शुभारंभ इंग्लैण्ड / स्कॉटलैण्ड से माना जाता है। इसका पुराना नाम वाटररग्बी था। तथा वर्तमान में नाम वाटर पोलो है। वर्ष 1900 में ग्रीष्मकालिन ओलम्पिक खेलों में इसे शामिल किया गया। वर्ष 2000 के ग्रीष्मकालिन ओलम्पिक खेलों में महिलाओं को भी शामिल किया गया।

## हॉकी

**प्रकार-** फील्ड हॉकी, आइस हॉकी

- **फील्ड हॉकीः** प्राचीनकॉल में इसकी शुरूआत मिस्र में हुई। इसकी आधुनिक शुरूआत इंग्लैण्ड से मानी जाती है। वर्ष 1849 ब्लैकहीथ नाम से एक क्लब की स्थापना हुई। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैण्ड व स्कॉटलैण्ड के बीच 1895 में हुआ था। जिसमें इंग्लैण्ड की जीत हुई।
- भारत का पहला हॉकी क्लब 1885-86 में स्थापित हुआ।
- वर्ष 1928 में भारत ने ओलम्पिक खेलों में भाग लिया।
- वर्ष 2008 से भारतीय हॉकी संघ का नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया।
- भारत ने ओलम्पिक खेलों में लगातार 8 स्वर्ण पदक जीते।
- **आइस हॉकीः** आइस हॉकी की शुरुआत युरोप व उत्तरी अमेरिका से हुई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1908 में हुई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख (स्विटजरलैण्ड) में है। शीतकालिन ओलम्पिक खेलों में इसे वर्ष 1924 में शामिल किया गया।

### शब्दावली

**हॉकीः** गोली, राइट बैक, लेफ्ट बैक, आउट साइड राइट, इनसाइड राइट, सेंटर फारवर्ड, इनसाइड लेफ्ट, आउट साइड लेफ्ट, सेंटर हॉफ, सेंटर लाइन, कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, स्कूप, स्टिक, अम्पायर, लाइन्समैन, हॉफ वॉली, इनफ्रिजमेंट, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, सडेन डेथ, हैटट्रिक, अण्डर कटिंग, सर्किल, बुली, रोल ऑन, पुश इन, शूटिंग सर्किल।

### प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ

1. विश्व कप (पुरुष-महिला) 2. चैम्पियन्स ट्रॉफी 3. रंगा स्वामी कप (राष्ट्रीय) 4. इंदिरा गोल कप 5. अन्तर महाद्वीपीय कप (पुरुष-महिला) 6. आल्पस कप 7. फेडरेशन कप 8. एशिया कप 9. डी.सी.एम. श्री राम ट्रॉफी 10. डी. एस. सोढ़ी कप 11. बेटन कप 12. ध्यानचन्द कप 13. आगा खां कप 14. अजलान शाह कप 15. लेडी रतन टाटा कप (महिला) 16. सिंधिया गोल्ड कप 17. मोदी गोल्ड कप 18. ओबेदुल्ला गोल्ड कप 19. मुम्बई गोल्ड कप 20. कालपस ट्रॉफी 21. महाराजा रणजीतसिंह गोल्ड कप 22. बेग रसूल ट्रॉफी 23. गुरुनानक/गुरमीत ट्रॉफी 24. लाल बहादुर शास्त्री कप 25. अब्दुल रजाक कप 26. विलिंग्टन कप 27. खान अब्दुल गफ्फार खान ट्रॉफी 28. जूनियर नेहरू हॉकी 29. सीनियर नेहरू हॉकी 30. जूनियर एशिया कप।

## टेबल टेनिस

- टेबल टेनिस की शुरूआत 19वीं सदी में इंग्लैण्ड में हुई थी। इसका पुराना नाम पिंग पांग था। पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट वर्ष 1926 में आयोजित हुआ।
- अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी।
- वर्ष 1988 में इसे ग्रीष्मकालिन ओलम्पिक खेलों में शामिल किया गया।
- भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1937 में हुई।

### शब्दावली

**टेबल टेनिसः** टॉप स्पिन, अंडर स्पिन (चॉप), नेट, ग्रिप, चायनिज, गरिप, पेनहोल्डर ग्रिप, एंड लाइन, फाउल, हाफ वॉली, बैक स्पिन, सेंटर।

### प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ

1. जयलक्ष्मी कप/बर्ना बैलॉक कप (पुरुष राष्ट्रीय) 2. त्रावनकोर कप/जयलक्ष्मी कप (महिला राष्ट्रीय) 3. गल्फ कप 4. राजकुमारी चैलेन्ज कप 5. इन्दिरा कप 6. कार्बिलान कप (अन्तर्राष्ट्रीय पुरुष) 7. स्वेथलिंग कप (अन्तर्राष्ट्रीय पुरुष) 8. यु-थाण्ट कप 9. इण्डिया कप 10. ईरान कप 11. हैदुसेक कप 12. पद्मावती कप 13. एशियन कप 14. निशानेबाजी 15. नार्थ वेल्स कप 16. एम.एम. दत्ता ट्रॉफी।.

## शुटिंग

- इंटरनेशनल शुटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन
- स्थापनाः 1907 में हुई।
- मुख्यालयः म्यूनिख, जर्मनी
- ये राइफल, पिस्टल और शॉर्टगन विषयों और कई गैर-ओलम्पिक शूटिंग खेल की घटनाओं में ओलम्पिक शूटिंग स्पर्धाओं का शासी निकाय है।

## क्रिकेट

- इसकी शुरूआत 14वीं सदी में इंग्लैण्ड से हुई थी।
- लॉर्डस को क्रिकेट के मक्का के नाम से जाता है।
- क्रिकेट का पहले क्लब की शुरुआत इंग्लैण्ड में वर्ष 1787 में हुई थी।
- वर्ष 1877 में पहला टेस्ट मैच इंग्लैण्ड व ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 50 रन से जीता था।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आई.सी.सी.) से मान्यता प्राप्त देश टेस्ट मैच खेलते हैं।
- वर्ष 1960 से अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय (ODI) मैच की शुरूआत हुई।
- पहला ODI मैच वर्ष 1971 में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैण्ड के बीच मैलबोर्न में खेला गया। जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता।
- 13 जुलाई 1974 से भारत ने एक दिवसीय मैचों की शुरूआत की।
- भारतीय टेस्ट टीम पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू थे।

### शब्दावली

**क्रिकेटः** एशेज, रबर, वेल्स, बैट, डेड बॉल, एक्सट्रा (संड्रीज), फाइन लेग, विकेट, विकेट कीपर, स्क्वायर लेग, गली, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, बैट्समैन, बॉलर, फाइन लेग, शार्ट लेग, स्लिप्स, कवर, एक्स्ट्रा कवर, थर्डमैन, गुगली, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, चायनामैन, प्लाइट इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, बंपर, बीमर, फुट टॉस, शॉर्ट पिच, वाइड, नो बॉल, ओवर, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, मेडेन, वाइड बॉल, हैंडल द बॉल, हिट विकेट, प्लेड ऑन, रन आउट, स्टम्पड आउट, बोल्ड, कैच, कॉट, फॉलो ऑन, थ्रो, ओवर थ्रो, पैड, प्रोटेक्शन गार्ड, हेल्मेट, पिच, क्रीज, नाट आउट, सीम, शूटर, स्लाग ओवर, अम्पायर,

KOTHARI INSTITUTE

इनिंग्स, ग्लब्स, कैप, बाउंडरी, ओवर बाउंडरी, फील्डर, लेग बिफोर विकेट (एल.बी.डब्ल्यू.), शार्ट रन आदि।

### प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ

1. एशेज (ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला) 2. इरानी ट्रॉफी 3. दुलीप ट्रॉफी 4. दिवेचा ट्रॉफी 5. देवधर ट्रॉफी 6. रणजी ट्रॉफी (अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता) 7. रोहिंटन बारिया ट्रॉफी 8. कूच बिहार ट्रॉफी (19 वर्ष से कम आयु वर्ग) 9. सी.के. नायडू ट्रॉफी 10. विजय मर्चेन्ट ट्रॉफी (15 वर्ष से कम आयु वर्ग) 11. रानी झांसी ट्रॉफी (अंतरक्षेत्र महिला प्रतियोगिता) 12. इंदिरा प्रियदर्शिनी ट्रॉफी (एक दिवसीय महिला) 13. विश्व कप 14. एशिया कप 15. शारजाह कप 16. चैम्पियन ट्रॉफी 17. शीशमहल क्रिकेट कप 18. बेंसन एण्ड हेजेस कप 19. विली ट्रॉफी 20. विल्स ट्रॉफी 21. चार मीनार चैलेंज कप 22. हीरो कप 23. रिलायंस कप 24. पद्माकर/विजय मर्चेन्ट ट्रॉफी 25. पेप्सी कप 26. प्रुडेन्शियल 27. रॉथ मेन्स कप 28. शेष ट्रॉफी 29. होल्कर ट्रॉफी 30. जी.जी. बिड़ला ट्रॉफी 31. सिंगर कप

## अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC)

- इसे वर्ष 1909 में इंपीरियर क्रिकेट कांफ्रेंस के नाम से जाना जाता था।
- वर्ष 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कांफ्रेस कर दिया गया।
- वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया।

**सिद्धांतः** महान-खेल, महान-जोश,
**शुरूआतः** 1909 में हुई।
**मुख्यालयः** दुबई, सदस्य देश 105 हैं।
**चेयरमैनः** शशांक मनोहर (भारत)
**अध्यक्षः** जहिर अब्बास (बांगलादेश)
**सी.ई.ओ.:** डेविड रिचर्डसन

## विश्वकप

- यह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। इसमें 14 टीमें भाग लेती हैं।
- प्रकारः एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय
- स्पर्धा प्रकारः राउंड रोबिन और नॉकआउट
- वर्ष 1975 में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला विश्वकप जीता था।
- सर्वाधिक 5 बार ऑस्ट्रेलिया विजेता रही है।
- सर्वाधिक 2 बार वेस्टइंडीज व भारत विजेता रही है।
- पाकिस्तान, श्रीलंका एक-एक बार विजेता रहे हैं।
- विश्वकप में सर्वाधिक रन भारत के सचिन तेंदुलकर (2278 रन) के हैं।
- विश्वकप में सर्वाधिक विकेट ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा (71) के हैं।
- 13वाँ विश्वकप वर्ष 2019 इंग्लैण्ड में होगा।
- 14वाँ विश्वकप वर्ष 2023 में भारत में होगा।

## भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)

- स्थापना : दिसम्बर 1928 में हुई।
  मुख्यालयः मुम्बई, अध्यक्षः सी.के. खन्ना, सचिव, अमिताभ चौधरी। सी.ई.ओ.: राहुल जोहरी
- पुरुष टीम के मुख्य कोचः रवि शास्त्री
- महिला टीम के मुख्य कोचः तुषार अरोठे
- **घरेलू क्रिकेटः**
  रणजी ट्रॉफी, एन.के.पी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी।

## इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)

- वर्तमान अध्यक्षः राजीव शुक्ला
- इसकी शुरूआत 2007 से हुई। 2008 का प्रथम टुर्नामेंट विजेता राजस्थान व उपविजेता चेन्नई रहा।
- मुंबई इंडियन्स व चेन्नई सुपर किंग ने 3-3 खिताब जीते।

## राष्ट्रीय खेल

- स्थापनाः वर्ष 1924 में हुई।
- मुख्यालयः नई दिल्ली
- पहला आयोजन वर्ष 1924 में हुआ।
- 35वाँ आयोजन केरल वर्ष 2015 में हुआ।
- इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में होता है।
- इसका मोटो गेट सेट प्ले
- 36वाँ राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा।

## पुरस्कार

### राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार

**स्थापना-1991-92**

**राशि 7.5 लाख**

**प्रदाता-** भारत सरकार।

**प्रथम विजेता-** आनंद (शतरंज),

- देवेन्द्र झांझड़िया (हॉकी, पैरा एथलैटिक) 2017,
- सरदार सिंह (हॉकी) 2017,
- सेखोम मीराबाई चानू (भारोत्तोलन) 2018,
- विराट कोहली (क्रिकेट) 2018,

KOTHARI INSTITUTE

### अर्जुन पुरस्कार

**स्थापना-** 1961, राशि 5 लाख, क्षेत्र - भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कष्ट प्रदर्शन के लिए दिये जाते हैं।

### द्रोणाचार्य पुरस्कार

**स्थापना-** 1985, राशि 5 लाख

**क्षेत्रः** कोच, प्रथम विजेता भालाचंद्र भास्कर भागवत (रेसलिंग), ओमप्रकाश भारद्वाज (मुक्केबाजी), ओ.एम. नेम्बियर (एथेलेटिक्स) वर्ष 1985।

- वर्ष 2008- स्मृति मंधाना (क्रिकेट), एन. सिक्की रेड्डी (बैडमिंटन) व हिमा दास (एथलैटिक्स)

## आगामी खेल प्रतियोगिताएँ

- विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशीप वर्ष 2021 में भारत में आयोजित होगी।
- 22वाँ फीफा वर्ल्ड कप वर्ष 2022 में दोहा (कतर) में आयोजित होगा।
- महिला फीफा वर्ल्ड कप वर्ष 2019 में फ्राँस में आयोजित होगा।
- 22वाँ राष्ट्र मंडल खेल वर्ष 2022 में बर्किंघम (इंग्लैण्ड) में आयोजित होगा।
- 32वाँ ओलम्पिक खेल वर्ष 2020 में टोकियो (जापान) में आयोजित होगा।
- 33वाँ ओलम्पिक खेल वर्ष 2024 में पेरिस (फ्राँस) में होगा।
- 34वाँ ओलम्पिक खेल वर्ष 2028 में लॉस ऐंजिल (अमेरिका) में होगा।
- 23वाँ शीतकालीन ओलम्पिक वर्ष 2019 में प्योंगचांग (दक्षिण कोरिया) में होगा।
- 24वाँ शीतकालीन ओलम्पिक वर्ष 2022 में बीजिंग (चीन) में होगा।
- 25वाँ शीतकालीन ओलम्पिक वर्ष 2026 में पेरिस (फ्राँस) में होगा।
- 12वाँ क्रिकेट विश्व कप वर्ष 2019 में इंग्लैण्ड और वेल्स में होगा।
- 13वाँ क्रिकेट विश्व कप वर्ष 2023 में भारत में होगा।
- 19वाँ एशियाई खेल वर्ष 2022 में हांगझोऊ (चीन) में होगा।
- 20वाँ एशियाई खेल वर्ष 2026 में नागोया (जापान) में होगा।
- 9वाँ क्रिकेट महिला विश्व कप वर्ष 2021 में न्यूजीलैण्ड में होगा।
- 7वाँ क्रिकेट महिला टी-20 विश्व कप 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होगा।

## खेलों का उद्गम

जूडो → जापान, हैण्डबॉल → जर्मनी, सायकिल दौड़ → फ्रांस, बिलियर्ड → फ्रांस, शतरंज, कबड्डी → भारत, पोलो → फारस, गोल्फ → इंग्लैंड, जिमनास्टिक → यूनान, मैराथन → यूनान, तीरंदाजी → भारत

## प्रसिद्ध खेल मैदान

| | |
|---|---|
| → इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम, नई दिल्ली, | (इनडोर गेम) |
| → ईडन गार्डन, कलकत्ता, | (क्रिकेट) |
| → ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुम्बई | (क्रिकेट) |
| → चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | (क्रिकेट) |
| → ओवल, ब्रिटेन, | (क्रिकेट) |
| → मेनचेस्टर, ब्रिटेन, | (क्रिकेट) |
| → विम्बलडन, ब्रिटेन, | (टेनिस) |
| → केम्बले स्टेडियम, ब्रिटेन, | (फुटबॉल) |
| → सैण्डी लाल, स्कॉटलैंड, | (गोल्फ) |
| → याकी स्टेडियम, न्यूयार्क, | (वाशिंगटन) |
| → टिबेकहम, इंग्लैंड, | (रग्बी फुटबॉल) |
| → फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली | (क्रिकेट) |
| → वानखेड़े स्टेडियम, मुम्बई, | (क्रिकेट) |
| → चेपक स्टेडियम, चेन्नई, | (क्रिकेट) |
| → बारामती स्टेडियम, कटक, | (क्रिकेट) |
| → लार्ड्स, ब्रिटेन, | (क्रिकेट) |
| → लीड्स, ब्रिटेन, | (क्रिकेट) |
| → इटसन, ब्रिटेन, | (डर्बी) |
| → व्हाइट सिटी, ब्रिटेन, | (कुत्तों की दौड़) |
| → एन्ट्री, ब्रिटेन, | (घुड़दौड़) |
| → हरलिथम, इंग्लैंड, | (पोलो) |
| → बूकनिल, न्यूयार्क, | (बेसबॉल) |

## प्रमुख देशों के प्रमुख खेल

- यू.एस.ए.→ बेसबॉल
- इंग्लैंड → क्रिकेट
- ऑस्ट्रेलिया →क्रिकेट
- भारत → हॉकी
- पाकिस्तान→ हॉकी
- रूस → फुटबॉल
- ब्राजील → फुटबॉल
- कनाडा → आइस हॉकी
- स्पेन → बुल फाइटिंग
- जापान → जूडो
- चीन→ टेबल टेनिस
- स्कॉटलैंड → रग्बी फुटबॉल

## विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या

- क्रिकेट → 11
- हॉकी → 11
- फुटबॉल → 11
- कबड्डी → 7
- वाटर पोलो → 7
- बेसबॉल → 9
- खो-खो → 9
- बास्केटबॉल → 5
- वालीबॉल → 6
- पोलो → 4
- रग्बी फुटबॉल → 15

## खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें

| | |
|---|---|
| सनी डेज | → सुनील गावस्कर |
| अजहर | → हर्ष भोगले |
| क्रिकेट माई स्टाइल | → कपिल देव |
| वन डे वन्डर्स | → सुनील गावस्कर |
| वन मोर ओवर | → ई.एम. प्रसन्ना |
| पैट्स आउट | → डिकी बर्ड |
| गोल्डन गर्ल | → पी.टी. ऊषा की आत्मकथा |
| माई क्रिकेटिंग इयर्स | → अजित वाडेकर |
| चमत्कारी सचिन | → लोकेश थानी |
| ए टच ऑफ टेनिस | → निर्मल शेखर |
| हाऊ आई प्ले गोल्फ | → टाइगर वुड्स |
| ब्रेडमेन्स बेस्ट | → रोनाल्ड पैरी |

## राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम

| | |
|---|---|
| रूपसिंह स्टेडियम | → ग्वालियर |
| नेहरू स्टेडियम | → इन्दौर |
| गुजरात स्टेडियम (मोटेरा) | → अहमदाबाद |
| ए. चिदम्बरम स्टेडियम (चेपक) | → चेन्नई |
| इन्दिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम | → विशाखापट्टनम |
| यूनिवर्सिटी स्टेडियम | → त्रिवेन्द्रम |
| मोतीबाग स्टेडियम | → बड़ौदा |
| गांधी स्टेडियम | → जालंधर |
| गांधी ग्राउण्ड | → अमृतसर |
| चिन्ना स्वामी स्टेडियम | → बैंगलोर |
| लालबहादुर शास्त्री स्टेडियम | → हैदराबाद |

## अन्तर्राष्ट्रीय

| | |
|---|---|
| ब्लेक हीथ (रग्बी फुटबॉल) | → लंदन |
| ट्रेन्ट ब्रिज (क्रिकेट) | → इंग्लैंड |
| बंग बंधु स्टेडियम (क्रिकेट) | → ढाका |
| सैण्डी लॉज (गोल्फ) | → स्कॉटलैंड |
| फारेस्ट हिल (टेनिस) | → न्यूयार्क (यूएसए) |
| बोका जूनियर्स स्टेडियम | → ब्यूनस आयर्स (अर्जेन्टीना) |
| वर्ल्ड कप स्टेडियम | → सियोल |

❑❑❑❑❑❑

# विविध

## महत्वपूर्ण दिवस

### जनवरी

1 : आर्मी मेडिकल कोर दिवस, नागालैंड दिवस
4 : राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस
12 : राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानन्द का जन्म दिवस)
15 : थल सेना दिवस
23 : नेताजी जयंती (सुभाषचन्द्र बोस का जन्म दिवस)
26 : गणतन्त्र दिवस
30 : शहीद दिवस (महात्मा गांधी की पुण्यतिथि)

### फरवरी

6 : जम्मू कश्मीर दिवस
12 : उत्पादकता दिवस, सर्वोदय दिवस
28 : राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (रमन प्रभाव खोज दिवस)

### मार्च

8 : अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस
21 : विश्व वानिकी दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय रंगभेद
4 : राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस - मार्च का तीसरा रविवार
14 : विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व विकलांग दिवस

### अप्रेल

1 : मूर्ख दिवस, भारतीय वायु सेना दिवस
5 : समता दिवस (जगजीवन राम का जन्म दिवस)
6 : डांडी सत्याग्रह दिवस, ग्राम स्वराज दिवस
7 : विश्व स्वास्थ्य दिवस
13 : जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड स्मृति दिवस खालसा पंथ स्थापना दिवस
14 : डॉ. भीमराव अम्बेडकर दिवस
20 : डॉ. हैनीमैन जन्म दिवस (होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जन्मदाता)
22 : विश्व पृथ्वी दिवस
24 : मानव एकता दिवस
26 : चेरनोविल दिवस

### मई

1 : विश्व श्रमिक दिवस (मई दिवस)
8 : विश्व रेड क्रास दिवस
13 : विश्व नर्स दिवस, माँ दिवस (माँ दिवस-मई माह के दूसरे रविवार को)

15 : अन्तर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

21 : आतंकवाद विरोध। बलिदान दिवस (राजीव गांधी की पुण्य तिथि)

11 : प्रौद्योगिकी दिवस

17 : विश्व दूरसंचार दिवस

**जून**

5 : विश्व पर्यावरण दिवस, समग्र क्रान्ति दिवस

27 : विश्व मधुमेह दिवस

28 : गरीब दिवस (पी.वी. नरसिंहराव का जन्म दिवस)

**जुलाई**

1 : डाक्टर्स दिवस (डॉ. विधान चंद्रराय जन्म दिवस)

11 : विश्व जनसंख्या दिवस

22 : राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस

28 : वन महोत्सव दिवस

**अगस्त**

1 : नवजात शिशुओं के लिए विश्व स्तनपान दिवस

2 : मित्र दिवस

6 : हिरोशिमा दिवस (विश्व शांति दिवस)

9 : नागासाकी

15 : स्वतन्त्रता दिवस (भारत)

20 : सदभावना दिवस (राजीव गांधी का जन्म दिवस)

29 : राष्ट्रीय खेल दिवस (ध्यानचंद का जन्म दिवस)

**सितम्बर**

1 : गुटनिरपेक्ष दिवस

5 : शिक्षक दिवस (डॉ. एस. राधाकृष्णन का जन्म)

8 : विश्व साक्षरता दिवस

14 : हिन्दी दिवस

27 : अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस

**अक्टूबर**

2 : महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जयंती

16 : विश्व खाद्य दिवस

24 : संयुक्त राष्ट्र दिवस

**नवम्बर**

12 : राष्ट्रीय पक्षी दिवस (सलीम अली का जन्म दिवस)

14 : बाल दिवस (जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस)

19 : अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस (इन्दिरा गांधी का जन्म दिवस)

24 : एन.सी.सी. दिवस

**दिसम्बर**

1 : विश्व एड्स दिवस

3 : भोपाल गैस त्रासदी, अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस

5 : संविधान दिवस

10 : विश्व मानवाधिकार दिवस

22 : गणित दिवस (रामानुजम स्मृति दिवस)

23 : किसान दिवस (चरणसिंह का जन्म दिवस)

## वर्ष/दशक

| | | |
|---|---|---|
| 1991-2000 | : | बालिकाओं के लिए दक्षेश दशक, किसान दशक (भारत) संयुक्त राष्ट्र का चतुर्थ विकास दशक |
| 1999-2000 | : | संस्कृत वर्ष (भारत) |
| 2000 | : | अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष |
| 2001 | : | महिला अधिकारिता वर्ष (भारत), मानव संसाधन विकास के 77 वर्ष (भारत) अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक वर्ष |
| 2001-2002 | : | पुस्तक वर्ष (मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा घोषित) |
| 1995-2004 | : | मूल निवासियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक (U.N.O. द्वारा) |
| 2004 | : | अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष (U.N.O) |
| 2005 | : | एशिया पर्यटन वर्ष (दक्षेस द्वारा) |

## प्रमुख व्यक्तियों से सम्बद्ध स्थान

| | | |
|---|---|---|
| शान्ति निकेतन | : | रविन्द्रनाथ टैगोर |
| राजघाट | : | महात्मा गांधी |
| शान्तिवन/तीनमूर्ति भवन | : | जवाहरलाल नेहरू |
| विजय घाट | : | लाल बहादुर शास्त्री |
| शक्ति स्थल | : | इन्दिरा गांधी |
| वीर भूमि | : | राजीव गांधी |
| किसान घाट | : | चौ. चरणसिंह |
| जेरूसलम | : | ईसा मसीह |
| मैसीडोनिया/सिकन्दरिया | : | सिकन्दर महान |
| बारदोली | : | सरदार वल्लभ भाई पटेल |
| पवनार आश्रम | : | आचार्य विनोबा भावे |
| बेलूर | : | स्वामी रामकृष्ण परमहंस |
| ओरेविले | : | अरिविन्द घोष |
| आनन्द वन | : | बाबा आम्टे |
| निर्मल हृदय | : | मदर टेरेसा |
| ओरेविले | : | मां आनन्दमया |

## देश-विदेश के प्रमुख अभियान

- **ऑपरेशन्स डेनिमः** 2003 में श्रीलंका ने आई भीषण बाढ़ से राहत पहुँचाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन डेनिम चलाया था।
- **ऑपरेशन अनाकोंडाः** सन् 2002 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को हटाने के लिए अमेरिका तथा अफगानिस्तान की संयुक्त सेना ने ऑपरेशन अनाकोंडा चलाया था। इसके तहत अल कायदा तथा तालिबान लड़ाकों को समाप्त किया।
- **ऑपरेशन इराकी फ्रीडमः** 2003 में ईराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका तथा सहयोगी देशों ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था।
- **ऑपरेशन सदभावना -** जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में 2001 में भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के द्वारा वहाँ की जनता को शीशा, चिकित्सा, कृषि आदि सेवाएं उपलब्ध करवाई ताकि वहाँ आतंकवाद न पनपने पाए।
- **ऑपरेशन पूर्ण विजय-** भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के भार रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास।
- **ऑपरेशन अग्निखेल-** श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के विरूद्ध श्रीलंका सेना का अभियान (2001 में)
- **ऑपरेशन वेस्ट एण्ड-** तहलका डॉट कॉम रक्षा सौदों के कथित दलाली का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से राजनीतिज्ञों एवं सैथ्नक अधिकारियों के विरूद्ध चलाया गया अभियान।
- **ऑपरेशन स्वान-** महाराष्ट्र एवं गुजरात के समुद्री तट पर पाकिस्तानी तस्करों, आतंकवादियों एवं आई.एस.आई. एजेंट की घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना का अभियान।
- **ऑपरेशन तृष्णा :** उड़ीसा से प्रारम्भ इस अभियान का उद्देश्य पेयजल संकट से निपटना है।
- **ऑपरेशन जेंटलमैन :** मैच फिक्सिंग से सम्बन्धित क्रिकेट खिलाड़ी अजहरूद्दीन, कपिल देव, अजय जड़ेजा, नयन मोंगिया आदि के यहाँ आयकर विभाग एवं सी.बी.आय. के द्वारा डाले गए व्यापक छापे।
- **ऑपरेशन शेल्टर :** जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 2001 तक सभी निर्धनों तथा गृह विहीन परिवारों को आश्रय देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा अभियान
- **ऑपरेशन तीसरी आँख :** बोहरा समिति की सिफारिशों के आधार पर असामाजिक तत्वों, राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों की सांठ-गांठ से राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए 1995 से प्रारंभ किया गया अभियान।
- **ऑपरेशन बैकअप :** राजस्थान में सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान के गुप्तचर एजेंटों के विरूद्ध चलाया गया अभियान।
- **ऑपरेशन पुशबैक :** भारत में गैर-कानूनी ढंग से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को स्वदेश वापस भेजने के लिए चलाया गया अभियान।
- **ऑपरेशन कोबरा :** कश्मीर में आंतकवादियों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा घात लगाकर आक्रमण करने की नीति को अपनाकर चलाया जाने वाला अभियान।
- **ऑपरेशन विजयः** 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास और बटालिक क्षेत्र से पाकिस्तानी घुसपैठिये को नियन्त्रण रेखा से बाहर करने के उद्देश्य से चलाया गया सफल अभियान।
- **ऑपरेशन प्ले फील्ड्स-** देश में खेल सुविधाओं को व्यापक बनाने एवं उनके अनुकूलतम उपयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम।
- **ऑपरेशन फ्लड लाइटः** केरल के एर्नाकुलम जिले में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने हेतु चलाया जाने वाला अभियान।
- **ऑपरेशन फेथः** 2-3 दिसम्बर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र की शेष बची मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस को निष्प्रभावी बनाने हेतु चलाया गया अभियान।
- **ऑपरेशन ग्रीन गोल्डः** देश में बांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान।
- **ऑपरेशन लोटस :** बोफोर्स घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए चलाया गया अभियान।
- **ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्मः** 1991 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेना द्वारा इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान।
- **ऑपरेशन रिवर्स फ्लोः** भारत में रह रहे तमिल शरणार्थियों को श्रीलंका वापस भेजने के लिए चलाया गया ऑपरेशन।
- **ऑपरेशन एक्वायर द लैण्डः** अयोध्या काण्ड के बाद प्रतिबंधित स्थल से कार सेविकों को हटाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा चलाया गया अभियान।
- **ऑपरेशन मानसूनः** केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा घोषित वन संरक्षितियों में मानसून के दौरान शिकारियों द्वारा की जाने वाली अवैध शिकार गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया गया अभियान।

## क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देश

1. वेटिंकन सिटी → यूरोप
2. मोनाको → यूरोप
3. नौरू → दक्षिणी अफ्रीका
4. टुवालो → दक्षिणी अफ्रीका

## क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश

1. रूस 2. कनाडा 3. चीन
4. अमेरिका 5. ब्राजील 6. ऑस्ट्रेलिया 7. भारत

## विश्व के सर्वाधिक विशाल द्वीप

1. ग्रीनलैण्ड → आर्कटिक महासागर
2. न्यूगिनी → प्रशांत महासागर
3. बोर्नियों → हिन्द महासागर

## विश्व के सर्वाधिक विशाल मरूस्थल

1. सहारा → उत्तरी अफ्रीका
2. लिबयन → उत्तरी अफ्रीका
3. आस्ट्रेलियन → आस्ट्रेलिया
4. गोबी → मंगोलिया

## विश्व की प्रमुख-न्यूज एजेंसियां

| | |
|---|---|
| प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (P'TI) | → भारत |
| यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया (UNI) | → भारत |
| समाचार भारती | → भारत |
| हिन्दुस्तान समाचार | → भारत |
| यूनीवार्ता भारत | → भारत |
| एसोसिएटेड प्रेस (AP) | → अमेरिका |
| रायटर (Reuters) | → ब्रिटेन |
| तास (TASS) | → रूस |
| सिन्हुआ (SINHUA) | → चीन |
| क्योडो (KYODO) | → जापान |
| अंतारा (ANTARA) | → इण्डोनेशिया |
| इरना (IRNA) | → ईरान |
| यूनाइटेड प्रेस इन्टरनेशनल (UPI) | → अमेरिका |
| यू.पी.पी. (UPP) | → पाकिस्तान |
| जिजी (JIJI) | → जापान |
| नोवोस्ती (NOVASTI) | → रूस |
| AAP | → आस्ट्रेलिया |
| AFP | → फ्रांस |

## भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य

- माउंट हैरियट नेशनल पार्क - अण्डमान-निकोबार
- मनास राष्ट्रीय उद्यान - असम
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान - असम
- संजय गांधी जैविक उद्यान - बिहार
- प्रलामू राष्ट्रीय उद्यान - झारखण्ड
- गिर राष्ट्रीय उद्यान - गुजरात
- मेरीन अभ्यारण्य - गुजरात
- तुंगभद्रा अभ्यारण्य - कर्नाटक
- बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान - कर्नाटक
- शांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान - केरल
- बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान - म.प्र. (शहडोल)
- माधव राष्ट्रीय उद्यान - म.प्र. शिवपुरी
- गांधी सागर अभ्यारण्य - म.प्र. (मन्दसौर)
- कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान- म.प्र. (मण्डला)
- इन्द्रावती राष्टीय उद्यान - छत्तीसगढ़
- उदयन्ती अभ्यारण्य - छत्तीसगढ़
- पेंच राष्ट्रीय उद्यान - म.प्र. (छिन्दवाड़ा)
- संजय राष्ट्रीय उद्यान - म.प्र. (सीधी)
- चिल्का अभ्यारण - उड़ीसा
- केवलादेव घाना पक्षी विहार - राजस्थान
- मरूस्थल राष्ट्रीय उद्यान - राजस्थान
- इन्दिरागांधी अभ्यारण्य - तमिलनाडु
- कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान - उत्तरांचल
- राजाजी राष्ट्रीय उद्यान - उत्तरांचल
- सुन्दरबन राष्ट्रीय उद्यान - प. बंगाल

## भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

**राष्ट्रध्वज**-केसरिया श्वेत और हरे रंगों की तीन पट्टियों से युक्त तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है। तीनों पट्टियाँ आड़ी है तथा समान चौड़ाई की है। केसरिया रंग सबसे ऊपर तथा हरा रंग सबसे नीचे है। मध्य की श्वेत पट्टी के केन्द्र में नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 तीलियाँ हैं। ध्वज की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। केसरिया रंग साहस, बल, त्याग एवं निःस्वार्थ की भावना का द्योतक है, श्वेत रंग सत्य एवं शांति का तथा हरा रंग विश्वास, शौर्य एवं धरा की हरियाली तथा राष्ट्र की खुशहाली का प्रतीक है। मध्य में अंकित चक्र धर्म अर्थात् सत्य की प्रगति का प्रतीक है।

KOTHARI INSTITUTE

■ **राज चिन्ह-** सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ के शीर्ष की अनुकृति को 26 जनवरी 1950 को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है।

फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुण्डकोपनिषद् से लिया गया है।

राष्ट्रध्वज - 22 जुलाई 1947

राजचिन्ह - 26 जनवरी 1950

राष्ट्रगान - 24 जनवरी 1950

■ **राष्ट्रगान-** रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ''जन गण मन'' को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया है। गुरूदेव ने इस गीत की रचना 1911 में की थी तथा इसे सर्वप्रथम 27 दिसम्बर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनवरी 1912 में ''तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में ''भारत भाग्य विधाता'' शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। 1919 में स्वयं गुरूदेव ने इस गीत का अंग्रेजी रूपान्तरण "The morning song of India" शीर्षक से किया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकण्ड है।

■ **राष्ट्रगीत-**बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ''वन्दे मातरम'' को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है। यह गीत बंकिमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास ''आनन्दमठ'' से लिया गया है। गीत को गाने की अवधि एक मिनट पांच सेकण्ड है।

■ **राष्ट्रीय पशु-** भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ/पैंथर टाइगर्स को मान्यता दी गई है।

■ **राष्ट्रीय पक्षी-** मयूर या मोर (पावो क्रिस्टेसस) को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है।

## पदक

**वीरता चक्र-** शत्रु के सम्मुख वीरता दिखाने के लिए जल, वायु, थल तथा अन्य सेवाओं के कार्यकर्ताओं को दिये जाते हैं।

**परमवीर चक्र -** भारत का सर्वोच्च वीरता चक्र, जो जल, वायु, थल युद्धों में उच्चतम वीरता दिखाने वालों को मिलता है। इस गोल कांस्य पदक पर एक और इन्द्रवज्र अंकित होता है, दूसरी ओर हिन्दी तथा अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बांयी ओर बेंगनी रंग के रिबन से लगाता है।

**महावीर चक्र -** यह दूसरे दर्जे का चक्र है। गोल पदक पर एक ओर पांच कोण वाले सितारे के बीच में राष्ट्रचिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र अंकित होता है। पदक सफेद तथा केसरी रिबन से पहना जाता है।

**वीर चक्र -** यह तीसरे दर्जे का चक्र है। इसके एक ओर पांच कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र एवं दूसरी ओर दो कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली-केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है।

## भारत के विभिन्न प्रमुख तीर्थस्थल

| तीर्थस्थल | विवरण |
|---|---|
| अमरनाथ (जम्मू-कश्मीर) | - बर्फ का दिव्य शिवलिंग |
| अयोध्या (उ.प्र.) | - राम जन्म भूमि |
| हरिद्वार (उत्तरांचल) | - हर-की-पौडी, कुम्भ मेला |
| पुरी (उड़ीसा) | - चार धामों में से एक, रथ यात्रा, जगन्नाथ मन्दिर, शंकराचार्य मठ |
| उज्जैन (म.प्र.) | - महाकालेश्वर मन्दिर, कुम्भ मेला |
| मदुरै (तमिलनाडु) | - मीनाक्षी मंदिर |
| तिरूपति (आंध्रप्रदेश) | - वेंकटेश्वर का मंदिर |
| द्वारका (गुजरात) | - श्रीकृष्ण से सम्बन्धित स्थल |
| मथुरा(उत्तरप्रदेश) | - श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कंस का मेला |
| प्रयाग (उत्तरप्रदेश) | - गंगा-यमुना-सरस्वती का संगम, कुम्भ मेला |
| रामेश्वरम् (तमिलनाडु) | - रामेश्वरम का मन्दिर |
| गया (बिहार) | - पितरों के पिंडदान से संबंधित |
| काशी (वाराणसी) | - विश्वनाथ मंदिर, संकटमोचन मन्दिर |
| नासिक (महाराष्ट्र) | - कुम्भ मेला |
| केदारनाथ (उत्तरांचल) | - चार धामों में से एक |
| गंगासागर (प. बंगाल) | - मकर संक्रान्ति पर मेला |
| कोणार्क (उड़ीसा) | - सूर्य मंदिर |
| वैष्णो देवी (जम्मू-कश्मीर) | - वैष्णो देवी का मन्दिर |
| पुष्कर (राजस्थान) | - ब्रह्माजी का मन्दिर |
| कांचीपुरम (तमिलनाडु) | - शंकराचार्य मठ |
| गुवाहटी (असम) | - कामख्या देवी का मंदिर |
| चिदम्बरम (तमिलनाडु) | - नटराज का मन्दिर |

## प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीक

| | | |
|---|---|---|
| ■ जर्मनी | → | ईगल |
| ■ नीदरलैंड्स | → | शेर |
| ■ न्यूजीलैंड | → | सदर्न क्रास फर्न |
| ■ पाकिस्तान | → | चमेली का फूल |
| ■ अमेरिका | → | गोल्डेन रॉड |
| ■ ईरान | → | गुलाब का फूल |

KOTHARI INSTITUTE

- भारत → अशोक चक्र
- फ्रांस → लिली
- इटली → सफेद लिली
- यूनाइटेड किंगडम → सफेद लिली
- रूस → डबल हेडेड ईगल
- जापान → गुलदाउदी
- कनाडा/डेनमार्क → चैवल लीफ
- नार्वे → शेर

## प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु

- आस्ट्रेलिया → कंगारू
- न्यूज़ीलैंड → किवी
- अमेरिका → गंजा ईगल
- जापान → आइविस
- भारत → सिंह
- यूनाइटेड किंगडम → राबिन रेडब्रेस्ट

## प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज

| | |
|---|---|
| **आंरेज बुक** | नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन |
| **यलो बुक** | फ्राँसीसी सरकार की रिपोर्ट |
| **ग्रीन बुक** | इटली एवं ईरान की सरकार की रिपोर्ट |
| **ब्लू बुक** | ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट |
| **व्हाइट बुक** | चीन, जर्मनी व पुर्तगाल सरकार की रिपोर्ट |
| **ग्रे बुक** | बेल्जियम एवं जापान सरकार की रिपोर्ट |
| **व्हाइट पेपर** | भारत और ब्रिटेन सरकार की रिपोर्ट |

## राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरचनाएं

| राष्ट्रीय स्मारक | देश |
|---|---|
| • सिडनी आपेरा हाउस (सिडनी) | आस्ट्रेलिया |
| • पिरामिड (गीजा) | मिस्त्र |
| • एफिल टावर (पेरिस) | फ्रांस |
| • विशाल दीवार (उत्तर चीन) | चीन |
| • ताजमहल (आगरा) | भारत |
| • पीसा की झुकी मीनार (पीसा) | इटली |
| • इम्पिरियल पैलेस (टोक्यो) | जापान |
| • क्रेमलिन (मास्को) | रूस |
| • पार्थेनान (एथेंस) | यूनान |
| • स्टैच्यू आफ लिबर्टी (न्यूयार्क) | अमेरिका |

## भारत के प्रमुख शोध संस्थान

- भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (उत्तरांचल)
- राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन, कोलकाता
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली
- भारतीय मौसम वेधशाला, पुणे
- केंद्रीय औषधि अनुसंधान, लखनऊ
- केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान, मद्रास (तमिलनाडु)
- राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
- भाभा अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे (महाराष्ट्र)
- उपग्रह ट्रैकिंग व रेजिंग केन्द्र, कावालूर (केरल)
- उपग्रह नियंत्रण केन्द्र, श्रीहरिकोटा (आन्ध्रप्रदेश)
- केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद (झारखण्ड)
- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पाउला, गोआ
- केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर (गुजरात)
- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (उत्तरांचल)
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलोर (कर्नाटक)

## अनुसंधान केन्द्र व प्रयोगशालाएं

- इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
- इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई
- इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बेंगलोर
- इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (राजस्थान)
- इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बूर, चेन्नई (तमिलनाडु)
- कोलार गोल्ड माइनिंग अण्डरटेकिंग आरगांव (महाराष्ट्र)
- नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली
- नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल (हरियाणा)
- नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर , (उ.प्र.)
- आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून
- नेशनल ऐरोनॉटीकल लेबोरेटरी, बेंगलोर (कर्नाटक)
- नेशनल बायलॉजीकल लेबोरेटरी, पालमपुर (हिमाचल)
- नेशनल बोटनीकल गार्डन्स लखनऊ
- नेशनल एनवायरनमेंट इन्जीनियरिंग इन्स्टीटयूट, नागपुर (महाराष्ट्र)
- नेशनल जिओफिजीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)
- नेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ ओशनोग्राफी, पणजी (गोआ)
- फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून (उत्तरांचल)
- इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली
- सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन, चेन्नई (तमिलनाडु)
- सेंट्रल राइस रिसर्च इन्स्टीटयूट, कटक (उड़ीसा)
- सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इन्स्टीटयूट, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
- सेंट्रल टोबेको रिसर्च स्टेशन, राजमुन्दरी (आन्ध्रप्रदेश)
- सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (राजस्थान)
- सेन्ट्रल जूट टेक्रालॉजी रिसर्च इन्स्टीटयूट, कोलकाता
- सेंट्रल लैदर इन्स्टीटयूट, चैन्नई (तमिलनाडु)
- सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, धनबाद (झारखण्ड)
- सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीटयूट, नागपुर (महाराष्ट्र)
- सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीटयूट, कोलकाता

- वीरबल साहनी इन्स्टीटयूट ऑफ पैलियोबोटनी, लखनऊ
- सेंट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीटयूट, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)

## भारत के प्रशिक्षण संस्थान

- एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)
- एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, नैनीताल (उत्तरांचल)
- कॉलेज आफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद (गुजरात)
- इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर
- इण्डियन इन्स्टीटयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली
- इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, धनबाद (झारखण्ड)
- नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एण्ड एशियन थियेटर, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून (उत्तरांचल)
- संगीत नाटक एकेडमी, दिल्ली
- सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ संस्कृत, तिरूपति (आन्ध्रप्रदेश)
- डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कालेज, वैलिंग्टन, नीलगिरि हिल्स, तमिलनाडु
- इण्डियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून (उत्तरांचल)
- नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली
- नेशनल डिफेंस एकेडमी,खडगवासला, पुणे
- लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर (म.प्र.)
- लालबहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी (उत्तरांचल)
- नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद (आन्ध्रपदेश)
- नेताजी सुभाषचन्द्र बोस इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला (पंजाब)
- एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉफ कॉलेज, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
- एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, जोधपुर (राजस्थान)

## प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान

### नोबेल पुरस्कार

साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति (सभी 1901)से एवं अर्थशास्त्र (1969) से

### रैमन मैग्सेस पुरस्कार

सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ

- **पुलित्जर पुरस्कार** - पत्रकारिता
- **ऑस्कर** - फिल्म
- **बुकर** - साहित्य
- **ज्ञानपीठ** - साहित्य
- **सरस्वती** - साहित्य
- **वाचस्पति** - संस्कृत साहित्य
- **द्रोणाचार्य** - खेल प्रशिक्षण
- **धनवन्तरी** - चिकित्सा
- **बोरलाग** - कृषि पैदावार
- **कबीर** - सामाजिक सदभाव

## भारतीय फिल्मों में प्रथम

**प्रथम फिल्म प्रदर्शन का दिनांक एवं स्थल**
➤ 7 जुलाई 1896, वाट्सन होटल, बम्बई

**देश में निर्मित पहली अंग्रेजी फिल्म**
➤ नूरजहां (1935)

**प्रथम पूर्णरूपेण स्वदेशी फिल्म**
➤ राजा हरिश्चन्द्र (1912)

**प्रथम स्वदेशी फिल्म ''राजा हरिशचन्द्र'' के निर्माता**
➤ दादा साहब फालके

**भारत में बनी पहली सवाक फिल्म**
➤ आलम आरा

**राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिन्दी फिल्म**
➤ मिर्जा गालिब (1954)

**सिनेमास्कोप में बनी देश की पहली फिल्म**
➤ कागज के फूल (1959)

**देश में निर्मित पहली टेक्नीकलर फिल्म**
➤ झांसी की रानी

**देश में बनी पहली त्रि-आयामी (3 डी) फिल्म**
➤ माई डियर कुट्टीचत्यन (मलयालम) (छोटा चेतन)

**हिन्दी में निर्मित पहली 3-डी फिल्म**
➤ शिवा का इंसाफ

**भारतीय फिल्मों के जनक के रूप में विख्यात व्यक्ति**
➤ दादा साहब फालके

**भारतीय फिल्म जगत के प्रथम तकनीशियन, प्रथम फिल्म वितरक, प्रथम फिल्म निर्माता**
➤ दादा साहब फालके

**'भारत रत्न' से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति**
➤ सत्यजीत राय

**भारत में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह**
➤ मुम्बई (1952)

**भारत में 34 वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह**
➤ नई दिल्ली (2003)

**भारत में 35 वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह**
➤ गोवा (2004)

## भारत में प्रथम

| | | |
|---|---|---|
| ■ स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल | : | लार्ड माउंटबेटन |
| ■ स्वतन्त्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल | : | चक्रवर्ती राजगोपालाचारी |
| ■ भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनापति | : | के.एम. करिअप्पा |
| ■ प्रथम फील्ड मार्शल | : | जनरल मानेकशा |
| ■ प्रथम मुगल बादशाह | : | बाबर |
| ■ प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल | : | वारेन हेस्टिंग्स |
| ■ प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री | : | राकेश शर्मा |
| ■ प्रथम आई.सी.एस. | : | सत्येन्द्रनाथ टैगोर |
| ■ इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला | : | आरती शाह |
| ■ माउण्ट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति | : | तेनजिंग नोर्गे |
| ■ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति | : | रवीन्द्रनाथ टैगोर |
| ■ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष | : | व्योमेश चन्द्र बनर्जी |
| ■ प्रथम लोकसभा अध्यक्ष | : | जी.वी. मावलंकर |
| ■ प्रथम उप प्रधानमंत्री | : | सरदार वल्लभभाई पटेल |
| ■ प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त | : | सुकुमार सेन |
| ■ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय | : | डा. नगेन्द्र सिंह |
| ■ प्रथम आय.पी.एस. महिला | : | किरण बेदी |
| ■ राज्य विधायिका की प्रथम महिला विधायिका | : | डा.एस.मुथ्थुलक्ष्मी रेड्डी (मद्रास) |
| ■ भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक | : | खान अब्दुल गफ्फार खान |
| ■ शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय नागरिक | : | मदर टेरेसा |
| ■ प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्वकर्ता | : | डॉ. सैयद कासिम |
| ■ 'मिस वर्ल्ड' से सम्मानित प्रथम महिला | : | कु. रीता फारिया |
| ■ 'मिस यूनीवर्स' खिताब जीतने वाली प्रथम महिला | : | सुष्मिता सेन |
| ■ देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री | : | सुचेता कृपलानी (उ.प्र.) |
| ■ सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश | : | न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी |
| ■ देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश (सेशन जज) | : | अन्ना चांडी (केरल) |
| ■ योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष | : | श्रीमती इंदिरा गांधी |
| ■ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश | : | न्यायमूर्ति लीला सेठ |
| ■ सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश | : | न्यायमूर्ति हीरालाल जे. कानिया |
| ■ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला | : | कु. बछेन्द्री पाल |
| ■ मरणोपरान्त "भारत रत्न" से सम्मानित प्रथम व्यक्ति | : | लाल बहादुर शास्त्री |
| ■ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति | : | जी. शंकर कुरूप |
| ■ प्रथम आणविक परीक्षण तिथि | : | 18 मई 1974 (पोखरन) |
| ■ प्रथम भारतीय उपग्रह | : | आर्यभट्ट |
| ■ प्रथम स्वदेशी परमाणु-चालित पनडुब्बी | : | आई.एन.एस. चक्र |
| ■ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला | : | आशापूर्णा देवी (1976) |
| ■ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला | : | अमृता प्रीतम (1956) |
| ■ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला | : | अन्ना जार्ज (मल्होत्रा) |
| ■ अशोक चक्र (शौर्य चक्र) प्राप्त करने वाली प्रथम महिला | : | ग्लोरिया बेदी (मरणोपरांत) |
| ■ अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला | : | नीरजा मिश्र (मरणोपरांत) |

KOTHARI INSTITUTE

| | | |
|---|---|---|
| ■ प्रथम महिला राजदूत (1947, रूस) | : | विजयलक्ष्मी पंडित |
| ■ राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष | : | श्रीमती जयंती पटनायक |
| ■ प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी | : | हर्षा (1986) |
| ■ दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला | : | संतोष यादव |
| ■ सार्वजनिक सेवा हेतु रेमॅन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति | : | सी.डी. देशमुख |
| ■ सार्वजनिक सेवा हेतु रेमॅन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला | : | किरण बेदी |
| ■ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार | : | मजरूह सुल्तानपुरी (1993) |
| ■ ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किये जाने वाले प्रथम व्यक्ति | : | पं. रविशंकर |
| ■ यूएनओ में सर्वप्रथम हिन्दी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति | : | अटल बिहारी वाजपेयी |
| ■ हिन्दी भाषा का प्रथम समाचार पत्र | : | उदन्त मार्तण्ड साप्ताहिक (सम्पादक-युगल किशोर शुक्ल) |
| ■ ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामंस का प्रथम भारतीय सदस्य | : | दादाभाई नौरोजी (1892) |
| ■ प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व | : | नीलगिरी |
| ■ माउण्ट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति | : | शेरपा अंगरीता |
| ■ पदम भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी | : | सी.के. नायडू (1956) |
| ■ टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय | : | रणजीतसिंह (इंग्लैण्ड की ओर से) |
| ■ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति | : | जार्ज वाशिंगटन |
| ■ मुस्लिम समुदाय के प्रथम धर्मगुरू (खलीफा) | : | अबूबकर |
| ■ इंग्लैण्ड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री | : | मार्गरेट थैचर |
| ■ विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री | : | श्रीमती सिरिमाओ भण्डारनायके (श्रीलंका) |
| ■ बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश | : | स्वीडन |
| ■ सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक | : | भारतीय स्टेट बैंक (भारत) |
| ■ कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश | : | चीन |
| ■ पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश | : | चीन |
| ■ सिविल सेवा प्रारम्भ करने वाला प्रथम देश | : | चीन |
| ■ माउण्ट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति | : | एडमण्ड हिलैरी तथा तेनसिंग |
| ■ बिना ऑक्सीजन के माउण्ड एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति | : | एलीसन गारग्रीट्स |
| ■ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पारी में 500 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज | : | ब्रायन लारा |

## सबसे बड़ा, छोटा (विश्व)

| | | |
|---|---|---|
| ■ सबसे बड़ा महाद्वीप | : | एशिया (विश्व का 29.02 प्रतिशत) |
| ■ सबसे बड़ा देश(क्षेत्रफल में) | : | रूस |
| ■ सबसे बड़ा द्वीप | : | ग्रीनलैंड |
| ■ सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश | : | भारत |
| ■ सबसे लम्बी नदी | : | नील नदी |
| ■ सबसे बड़ी एवं बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी | : | अमेजन (द. अमेरिका) |
| ■ सबसे बड़ी खारे पानी की झील | : | कैस्पियन सागर (रूस) |
| ■ सबसे बड़ी ताजे पानी की झील | : | लेक सुपीरियर (यूएसए) |
| ■ सबसे गहरी झील | : | बैकाल झील (साइबेरिया) |
| ■ सबसे बड़ा मरूस्थल | : | सहारा रेगिस्तान (अफ्रीका) |
| ■ सबसे बड़ा डेल्टा | : | सुन्दरबन (भारत) |
| ■ सबसे ठण्डा क्षेत्र | : | बर्खोयांस्क |

- सबसे बडा पार्क : यलोस्टोन पार्क (यूएसए)
- सर्वाधिक ऊँचा ज्वालामुखी : कोटोपेक्सी, इक्वेडोर (द. अमेरिका)
- सबसे छोटा महाद्वीप : आस्ट्रेलिया
- सर्वाधिक लम्बी पर्वत श्रृंखला : एण्डीज (द. अमेरिका)
- सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर : प्रशांत महासागर
- सबसे ऊंची सड़क : लेह-मनाली मार्ग
- सबसे ऊँची मीनार : कुतुब मीनार (दिल्ली)
- सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश : चीन
- सबसे कम जनसंख्या वाला देश : वेटिकन सिटी
- सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश : भारत
- सबसे लम्बा नदी पुल : महात्मा गांधी सेतु (गंगा नदी पर, पटना, बिहार)
- सबसे छोटा दिन : 22 दिसम्बर
- सबसे बड़ा दिन : 21 जून
- सबसे बड़ा ग्रह : बृहस्पति (जूपिटर)
- सबसे छोटा ग्रह : बुध (मर्करी)
- सर्वाधिक ठण्डा ग्रह : यम या प्लूटो
- पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक स्थित ग्रह : शुक्र
- सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह : शनि
- सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान : मसिनराम (मेघालय)
- सबसे बड़ी मस्जिद : जामा मस्जिद (दिल्ली)
- सबसे बड़ी मूर्ति : स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (यूएसए)
- सबसे बड़ा नदी बाँध : हीराकुण्ड (महानदी)
- सबसे ऊँची पर्वत चोटी : माउण्ट एवरेस्ट
- सबसे बड़ा द्वीप समूह : इण्डोनेशिया (13000 से अधिक)
- सबसे ऊँचा पठार : तिब्बत का पठार
- सबसे लम्बा रेलवे प्लेटफॉर्म : खड़गपुर (प. बंगाल)
- सबसे विशाल मन्दिर : अंगकोरवाट का मंदिर (कम्बोडिया)
- सबसे बड़ा सागर : दक्षिणी चीन सागर
- विश्व की सबसे बड़ी मूँगे की चट्टान : ग्रेट बैरियर रीफ (आस्ट्रेलिया)
- सबसे बड़ी समय मापक इकाई : कल्प (1 कल्प = 432 करोड़ वर्ष)
- सबसे बड़ा नदी द्वीप : माजुली (ब्रह्मपुत्र नदी - असम)

## सबसे बड़ा, छोटा (भारत)

- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य : राजस्थान (3,43,239 वर्ग किमी.)
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य : गोवा (3702 वर्ग किमी.)
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केन्द्र शासित प्रदेश : अण्डमान निकोबार द्वीप समूह (8,249 वर्ग किमी)
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केन्द्रशासित प्रदेश : लक्षद्वीप (32 वर्ग किमी.)
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य : उत्तर-प्रदेश (16.6 करोड़)
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य : सिक्किम (540493)
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केन्द्रशासित प्रदेश : दिल्ली (1.37 करोड़)
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केन्द्रशासित प्रदेश : लक्षद्वीप (60,596)

| | | |
|---|---|---|
| ■ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य | : | उत्तरप्रदेश |
| ■ सबसे ऊँचा जलप्रपात | : | महात्म गांधी प्रपात (पूर्व नाम- जोग या गरसोप्पा, कर्नाटक) |
| ■ सबसे लम्बी सुरंग | : | जवाहर सुरंग (जम्मू-कश्मीर, 11.5 किमी.) |
| ■ सबसे बड़ी झील | : | वूलर झील (जम्मू-काश्मीर) |
| ■ सबसे ऊँचा पुल | : | चम्बल नदी पुल |
| ■ सबसे बड़ा गुफा मन्दिर | : | एलोरा (महाराष्ट्र) |
| ■ सर्वोच्च अलंकरण | : | भारत रत्न |
| ■ सर्वोच्च शौर्य सम्मान | : | परमवीर चक्र |
| ■ सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित युद्ध स्थल | : | सियाचीन ग्लेशियर |
| ■ सबसे लम्बा समुद्र तट | : | मैरिना बीच (चैन्नई) |
| ■ सबसे विशाल उद्यान | : | नेशनल बॉटनीकल गार्डेन, कलकत्ता |
| ■ सबसे लम्बी नहर | : | इन्दिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर |
| ■ सबसे ऊँचा द्वार | : | बुलन्द दरवाजा (फतेहपुर सिकरी 167 फीट) |
| ■ सबसे बड़ा रेगिस्तान | : | थार रेगिस्तान (राजस्थान) |
| ■ सबसे बड़ा म्यूजियम | : | इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता |
| ■ सबसे बड़ा चिड़ियाघर | : | जूलोजिकल गार्डेन, अलीपुर (कलकत्ता) |
| ■ सबसे लम्बा राजमार्ग | : | एनएच-7 (मुगलसराय से कन्याकुमारी) |
| ■ सबसे ऊँची मीनार | : | कुतुबमीनार |
| ■ सबसे लम्बा सागरीय सेतु | : | अन्ना इन्दिरा गांधी सेतु रामेश्वरम एवं मंडपम के बीच (तमिलनाडु) |
| ■ सबसे बड़ा रेलवे मण्डल | : | उत्तरी रेलवे |
| ■ सबसे बड़ा पशु मेला | : | सोनपुर (बिहार) |
| ■ सबसे बड़ा डेल्टा | : | सुन्दरवन (पं. बंगाल) |
| ■ सबसे ऊँचा मठ | : | जोजिला मठ (लद्दाख) |
| ■ सबसे बड़ा स्टेडियम | : | युवा भारती (साल्ट लेक), कलकत्ता |
| ■ सबसे बड़ा इन्डोर स्टेडियम | : | इन्दिरा गांधी स्टेडियम (दिल्ली) |
| ■ सबसे बड़ी बैराज | : | फरक्का बैराज, गंगा नदी (प. बंगाल) |
| ■ सबसे बड़ी कृत्रिम झील | : | गोविन्द सागर (भाखड़ा-नांगल) हिमाचल प्रदेश |
| ■ सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह | : | मुम्बई |
| ■ सबसे बड़ा सूर्य मंदिर | : | कोणार्क सूर्य मंदिर (उड़ीसा) |
| ■ सबसे लम्बी मूर्ति | : | गोमतेश्वर की मूर्ति (ऊंचाई 73 मी.) श्रवण बेलगोला, कर्नाटक |
| ■ सबसे ऊँची दूरदर्शन मीनार | : | पीतमपुरा, दिल्ली (235 मी.) |
| ■ सबसे बड़ी सड़क | : | ग्रांड ट्रंक रोड |
| ■ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान | : | मासिनराम (मेघालय) |
| ■ सर्वोच्च पर्वत चोटी | : | के-2, गाडविन ऑस्टिन (8611 मी.) |
| ■ सबसे विशाल गर्त | : | लोनार झील (महाराष्ट्र) |
| ■ सबसे बड़ी गुम्बद | : | गोल गुम्बद (बीजापुर) |
| ■ सबसे बड़ा गुरूद्वारा | : | स्वर्ण मंदिर |
| ■ सबसे बड़ा तारामण्डल (प्लैनेटोरियम) | : | बिड़ला प्लैनेटोरियम, कलकत्ता |
| ■ सबसे विशाल पठार | : | प्रायद्वीपीय पठार (द. भारत) |
| ■ सबसे लम्बा हिमनद | : | सियाचीन ग्लेसियर |
| ■ सबसे बड़ा न्यूजपेपर कारखाना | : | नेपानगर (म.प्र.) |

❑❑❑❑❑❑

KOTHARI INSTITUTE